

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

संस्कृत

भाषा ज्ञान एवं रचना बोध

राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय बी० ए०
पक्षियों की अनिवार्य हिन्दी के पाठ्यक्रमानुसार

विद्या भवन - जयपुर

भाषा ज्ञान
एवं
रचना बोध

रोजस्थान विश्व-विद्यालय की त्रिवर्षीय बी. ए.
कक्षाओं की अनिवार्य हिन्दी के लिए

भाषा ज्ञान

एवं

रचना बोध

लेखक

सत्येन्द्र चतुर्वेदी एम. ए.

हिन्दी प्राध्यापक, महाराजा कालेज, जयपुर

तथा

चांदमल जैन एम. ए., बी. टी.

हिन्दी प्राध्यापक

एस. एस. जैन सुबोध कालेज, जयपुर



विद्या भवन

पुस्तक प्रकाशक, जयपुर

विद्या भवन चौड़ा रास्ता जयपुर द्वारा प्रकाशित

सर्वधिकार विद्या भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर

प्रथम संस्करण १९६०

द्वितीय संस्करण १९६२

सावित्री प्रिंटिंग-प्रेस, चौड़ा रास्ता, जयपुर द्वारा मुद्रित

परिचय

प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय बी. ए. कक्षाओं के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लाभार्थ लिखी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भाषा-ज्ञान तथा निबन्ध एवं पत्र रचना आदि को विशेष स्थान दिया है। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के सम्पूर्ण अंकों में से लगभग आठे उक्त परीक्षाओं में इस भाग के लिए नियत है। इस दृष्टि से इस अंश का महत्वपूर्ण स्थान असंदिग्ध है।

पुस्तक का प्रणयन करते समय इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें सभी आवश्यक और उपयोगी विषयों का समावेश हो जाय ताकि विद्यार्थी-गण समुचित रूप में हिन्दी भाषा और उसके व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकें। पुस्तक के प्रस्तुत संस्करण में काफी परिवर्तन कर दिया गया है। पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक में अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृत भाषा से हिन्दी में अनुवाद को भी स्थान दिया गया है। कुछ नये परीक्षापयोगी निबन्ध भी जोड़ दिए गये हैं तथा पुस्तक के अन्त में विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र भी दे दिये गये हैं।

इस पुस्तक का क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत है कि हिन्दी भाषा और उसका रूप विधात समझने-सीखने के इच्छुक सामान्य व्यक्ति भी इसका समयक अध्ययन कर पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित हो सकते हैं। इस नाते भी प्रस्तुत कृति की उपादेयता उल्लेखनीय है।

अन्त में सभी विद्वज्जनों से अनुरोध है कि वह पुस्तक में कोई किसी प्रकार की भूल या अभाव अनुभव करें तो हमें अवश्य अपना रचनात्मक सुझाव दें, हम उनके अतीव आभारी होंगे और भविष्य में यथा सम्भव उनका निराकरण करेंगे।

लेखकद्वय

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
पहला	शब्दबोध	६-४०
	विषय, प्रवेश-शुद्ध लेखन, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द ।	
दूसरा	शब्द निर्माण	४१-७३
	शब्द भेद, व्युत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, सन्धि, स्वर सन्धि के नियम, व्यंजन सन्धि के नियम, विसर्ग सन्धि के नियम, समास, उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिन्दी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, प्रत्यय, अन्य प्रकार से शब्द निर्माण ।	
तीसरा	व्याकरण बोध	७४-१०
	वर्ण विचार, शब्द विचार, वचन, लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया, अव्यय, वाक्य विश्लेषण, उपवाक्य-भेद, संयुक्त वाक्य का विश्लेषण मिश्र वाक्य का विश्लेषण, विराम चिह्न ।	
चौथा	मुहावरे और लोकोक्तियां	१०४-११
	मुहावरे और लोकोक्तियां	
पाचवां	रचना-बोध	१४४-१५
	लिंग परिवर्तन, भाव वाचक संज्ञाये, अनेक शब्दों के बदलें में एक श वाक्य विस्तार, वाक्य संक्षेपण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अशुद्धि-शुद्धि ।	
छठा	अपठित	१६२-२५
	गद्य अवतरण, पद्य अवतरण	

सातवां

पत्र लेखन

२०१-२२२

पत्र की परिभाषा, पत्र के प्रकार, पत्र के अंग, पत्र के नमूने, व्यक्तिगत व निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, अर्धसरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, विविध पत्र ।

आठवां

निबन्ध रचना

२२३-३१५

निबन्ध और उसके भेद, शैली और उसके भेद, कुछ ध्यान देने योग्य बातें ।

१. दिपावली	३२५
२. स्वर्ण मुद्रा की आत्म कथा	३३०
३. तुलसी सन्त-सुअम्ब-रुह, फूल-फलै पर हेत	३३३
४. आलस्य	३३५
५. वर्तमान परिक्षा-प्रणाली के दोष	३३५
६. मनोरंजन के साधन	३४२
७. संस्कृत और साहित्य	३४६
८. किसी ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन	३४८
९. विवाह विच्छेद व तलाक	३५२
१०. राजस्थान मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण	३५६
११. छत्रपति शिवाजी	३६०
१२. श्रमदान	३६३
१३. मुंशी प्रेमचन्द	३६६
१४. पंचशील	३७१
१५. सहकारिता और उनके लाभ	३७४
१६. गीति काव्य और उसकी परम्परा	३७७
१७. चाँदनी रात मे नौका विहार	३८०
१८. विद्यार्थी जीवन और अनुशासन	३८२
१९. गांधीवाद, समाजवाद	३८७
२०. जनसंख्या की समस्या और उसका हल	३९१
२१. बेकारी की समस्या और उसका हल	३९५
२२. समाज में नारी का स्थान	३९६
२३. क्या विज्ञान एक अभिशाप है ?	३०२

२४. विद्यार्थी जीवन और राजनीति	३०७
२५. कला और जीवन	३१२

विस्तृत रूप रेखा

३१५-३३६

१. जयपुर नगर २. रक्षावन्धन ३. समाचार पत्र ४. रेडियो-आकाशवाणी
 ५. आदर्श-विद्यालय ६. विज्ञान-के चमत्कार; ७. हमारी खाद्य समस्या ८. आज
 का युग एकांकी और कहानी का है ९. सहशिक्षा १०. आदर्श, शासन ११.
 देशाटन से लाभ १२. जीवन में श्रम का महत्व १३. समय का सदुपयोग
 १४. महात्मा गांधी १५. वादल की आत्मकहानी १६. आकस्मिक दुर्घटना १७.
 हमारी ग्राम समस्याएँ और उसका हल १८. सामुदायिक विकास योजना १९.
 राष्ट्रीय वचन योजना २०. ग्राम पंचायत २१. नाटक और एकांकी की तुलना
 २२. दशमिक सिक्का प्रणाली २३. अन्विचार्य सैनिक शिक्षा २४. विज्ञापन-कला
 २५. भिखारियों की समस्या २६. निःशस्त्रीकरण और भारत २७. विज्ञापन
 और मानव जाति का भविष्य २८. राष्ट्रनिर्माण में युवकों का योगदान २९.
 पुस्तकालयों का महत्व ३०. चुनाव-आन्दोलन ।

नां अनुवाद ३३७-३६२

विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रश्न-पत्र ३६३-३६८

प्रथम अध्याय शब्द-बोध

विषय-प्रवेश

अपने विचार दूसरों पर प्रकट करने के लिए या दूसरों के भावों और विचारों को भली प्रकार समझने के लिए मनुष्य वाणी, लिपि और इंगितों को काम में लाता है।

जब मनुष्य वाणी के द्वारा बोल कर दूसरों को समझाता है, तब उस बोल कर समझाने की प्रणाली को भाषा कहते हैं। इसी भाषा को जब लिखित संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है, तब वह लिपि कहलाती है। वास्तव में लिपि कुछ नहीं है, वह केवल मुख से निर्गत ध्वनियों का संकेत मात्र है। जब मनुष्य न बोल कर और न लिख कर, प्रत्युत केवल इशारों द्वारा अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करता है, तब उसे इंगित या सांकेतिक भाषा कहते हैं।

भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों से। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा-पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह जो मुंह से बोला जाय या कान से सुना जाय, शब्द कहलाता है। शब्द सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी।

मनसे छोटी ध्वनि को जिसका कोई खंड न हो सके, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, शब्द कहलाता है।-वर्ण दो प्रकार के होते हैं—स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।

उत्तम रचना ही ज्ञान-वृद्धि और विचाराभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। उत्तम रचना के लिए रचयिता को चाहिए कि उसकी रचना में भाषा

शुद्ध, परिमार्जित और मुहावरेदार हो, वाक्य-विन्यास सरल और सार-गर्भित हो, वाक्यों में शब्दों का समुचित प्रयोग हो, विषय और भाव के अनुसार अनुच्छेद-परिवर्तन हो, व्याकरण-सम्बन्धी कोई त्रुटि न हो और विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग हो।

सुन्दर वाक्य-रचना शब्दों के समुचित प्रयोग पर निर्भर है, अतः सर्व-प्रथम शब्द-ज्ञान पर ही विचार किया जायगा। शब्द की शक्ति महान् है। एक शब्द के कई अर्थ हैं और एक ही अर्थ वाले कई शब्द हैं, परन्तु प्रत्येक शब्द की अपनी निजी विशेषता है और अपना पृथक् अर्थ है। उदाहरण के लिए मेघ, घन, जलद, वादल, जलघर आदि समानार्थक हैं और सब वादल के पर्याय-वाची हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक शब्द अपना निजी सौन्दर्य रखता है, जहां जलघर शब्द की अपेक्षा है, वहां मेघ शब्द का प्रयोग ठीक नहीं कहा जा सकता। शब्दों के अर्थ-भेद की यह सूक्ष्मता धीरे-धीरे अभ्यास एवं अनुभव से समझ में आती है। समानार्थक, एकार्थक, नानार्थक आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य-रचना में बड़ी सावधानी से करना चाहिए।

(१) शुद्ध-लेखन

शुद्ध और सुन्दर लिखना बहुत महत्व रखता है। लिखा हुआ चाहे सुन्दर न हो, परन्तु वह शुद्ध अवश्य होना चाहिए। लिखने में अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं—वर्तनी की, शब्दों के गलत प्रयोग की, दूषित वाक्य-रचना की, विराम-चिन्हों के अभाव की आदि-आदि। यहाँ केवल वर्तनी की अशुद्धियों के विषय में ही विचार किया जायगा। चात्र यदि ह्रस्व, दीर्घ मात्राएँ, अनुस्वार, चन्द्रबिन्दु, विसर्ग और संयुक्ताक्षरों का थोड़ा ध्यान रखें और लिखते समय यदि वे अपने मन में उनका उच्चारण भी करते जाँय, तो वे वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। लिखते समय शब्द की ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यहाँ कुछ साधारण और प्रचलित शब्द, जिनके लिखने में छात्र प्रायः गलती करते हैं शुद्ध-अशुद्ध दोनों रूपों में दिये जाते हैं—

(१)

अशुद्ध
अती

शुद्ध | अशुद्ध
अति | अत्योक्ति

शुद्ध
अत्युक्ति

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आधीन	अधीन	दुख	दुःख
आवश्यक	आवश्यक	दृष्य	दृश्य
इस्त्री	स्त्री	धई	दही
ईर्षा	ईर्ष्या	धन	धन्य
उत्तर	उत्तर	धुँआ	धुआँ
उपरोक्त	उपर्युक्त	धेय	ध्येय
उपर	ऊपर	धोका	धोखा
ऐश्वर्य	ऐश्वर्य	नहिँ	नहीं
ऐक्यता	ऐक्य	परिक्षा	परीक्षा
कहा के	कहा कि	परीश्रम	परिश्रम
कवी	कवि	पधांश	पद्यांश
कोतुहल	कौतूहल	परम	परम
क्यों के	क्योंकि	पुन्य	पुण्य
खडा	खड़ा	पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
खंवा	खंभा	पैत्रिक	पैतृक
गधांश	गद्यांश	प्रगट	प्रकट
गुरु	गुरू	प्रयक	पृथक्
गुन	गुण	प्रत्युत्	प्रत्युत्
गंधा	गंदा	बनिता	बनिता
ग्यान	ज्ञान	ब्रज	ब्रज
चिन्ता	चिन्ता	विध्या	विद्या
चवर	चॉवर	सन्मुख	सम्मुख
चांद	चाँद	हंसना	हँसना
तांता	ताँता	मान्सिक	मानसिक
तत्काल	तत्काल	द्रढता	दृढता
दाक्षिन्य	दाक्षिण्य	कर्तव्य	कर्तव्य
दुरावस्था	दुरवस्था	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
दृष्टव्य	द्रष्टव्य	स्वभाविक	स्वाभाविक
महत्व	महत्त्व	व्यवहारिक	व्यावहारिक
विपेश	विशेष	प्रशंसा	प्रशंसा
अधिकारणी	अधिकारिणी	धैर्यता	धैर्य
शत्रुघन	शत्रुघ्न	सीतल	शीतल
सहस्र	सहस्र	दांत	दाँत
संशोधन	संशोवन		

अब यहां कुछ ऐसे शब्दों का केवल शुद्ध रूप दिया जाता है जिनको लिखते समय छात्र भ्रमका करते हैं और सदेह में पढ़ जाते हैं कि वे क्या रूप लें।

(२)

उन्नति	उपाधि	ग्रहण	दुष्टपुंजिया
उद्देश्य	ऋण	गार्हस्थ्य	ठुड़ी
उद्योग	ऋपि	गँदला	ठुंठ
उपर्युक्त	ऋद्धि	गँवार	डमरू
अम्युदय	ऋतु	घृणा	ड्योढ़ी
आह्लाद	एक्य	धुँधरू	ढिँढोरा
आह्वान	ऐश्वर्य	चिह्न	ढीठ
अश्लील	औपध	जन्माष्टमी	तीव्र
अत्युक्ति	कृत्रिम	जिज्ञासा	तात्पर्य
अन्तर्धान	कृपा	जाग्रत	त्रैमासिक
ईर्ष्या	कृष्ण	जागृति	द्विधा
अनुग्रह	कुटुम्ब	ज्योतिष	द्वितीय
अध्ययन	कैकेयी	ज्येष्ठ	नरक
आविष्कार	क्षितिज	भँगुला	निष्ठा
इन्द्रिय	क्षण	भँप	नृशंस
अधोन	गृहस्थ	टाँकना	नृसिंह

नीरोग	मातृभूमि	वृक्ष	श्रेष्ठ
निःसंकोच	मुहूर्त	व्यापार	श्रान्त
निर्दोष	मैथिली	व्रत	सदृश
परिष्कृत	युधिष्ठिर	व्यवहार	सम्मुख
पूर्ति	योद्धा	विष	सम्मान
पूजनीय	राजर्षि	विघ्न	साधु
पृथिवि	रूपया	शाप	सान्त्वना
पृथ्वी	रत्न	शिथिल	समिति
पृथक्	लक्ष्य	शिष्ट	स्थायी
प्रयत्न	वक्तता	शीर्षक	स्थिति
पर्याप्त	वृहस्पति	शुश्रूषा	स्वयंवर
प्रत्यक्ष	व्रज	शृंखला	स्वास्थ्य
प्रशंसा	वज्र	शृंगार	हृदय
भ्रुकुटि	वाल्मीकि	शृगाल	ह्रस्व
महर्षि	विप्लव	श्मशान	हृष्ट-मुष्ट

अभ्यास

नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखिये :—

उद्गार, प्रशंसा, कवीता, तांगा, सरीर, वो, स्वयम, रिन, रिसी, प्रतिग्या, दक्षिन, कहां, प्रेरना, मरम, प्रातकाल, निरोग, पाहड़, विपति, स्वन्प, दुखद, ध्रष्ट, जिन्हा, गेहू, दांत, कलेश, कुआ, माधुर्यता, पतनी ।

(२) समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द

कुछ शब्द ऐसे हैं जो उच्चारण में तो मिलते-जुलते हैं, परन्तु अर्थ में भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थों पर अच्छी तरह ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी से उनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ शब्दों का प्रयोग नीचे दिया जाता है —

१. अविराम=लगातार ।

प्रयोग—वह आठ घंटे से अविराम परिश्रम कर रहा है ।

अभिराम=सुन्दर ।

प्रयोग—काश्मीर के अभिराम दृश्यों को देखकर इन्द्र-कानन लजाता है ।

२. तरणिा=सूर्य

प्रयोग—यमुना तरणिा-तनुजा कहलाती है ।

तरणी=नौका ।

प्रयोग—विना राम-नाम रूपी तरणी के भव-सागर पार करना कठिन है

३. गृह=घर ।

प्रयोग—गृह की शोभा गृहिणी से ही है ।

ग्रह=नक्षत्र (सूर्य, चन्द्र आदि) ।

प्रयोग—वैज्ञानिक मंगल-ग्रह तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

४. जलद=वादल ।

प्रयोग—चातक की पुकार सुन कर जलद जल वर्षा करते हैं ।

जलधि=समुद्र ।

प्रयोग—थोड़ा जल पाकर नदियाँ उफनाने लगती हैं, परन्तु जलधि अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता ।

५. अपेक्षा=इच्छा, वनिस्पत ।

प्रयोग—राम को अब किस बात की अपेक्षा है, उसके पास सब कुछ है हरि की अपेक्षा मोहन अधिक समझदार है ।

उपेक्षा=तिरस्कार, लापरवाही ।

प्रयोग—जो अपने कर्तव्य-कर्म की उपेक्षा करता है, वह उठाता है ।

६. और=तरफ ।

प्रयोग—वह मेरी और घूर-घूर कर देखता है ।

और=अन्य, दूसरा ।

प्रयोग—राम और हरि परस्पर मिल रहे हैं ।

७. उद्धत=उद्दण्ड ।

- प्रयोग—राम बड़ा ही उद्यत लड़का है। वह सदा ही दूसरों से छेड़छाड़ किया करता है।
उद्यत=तैयार।
प्रयोग—मैं सब कुछ करने को उद्यत हूँ वशर्ते कि मैं पास हो जाऊँ।
८. कुल=वंश।
प्रयोग—राजपूत अपने कुल की मर्यादा का सदा ध्यान रखते थे।
कुल=तट, किनारा।
प्रयोग—बाढ़ के कारण इस नदी के दोनों कूल दूर तक कट गये हैं।
९. उद्यम=प्रयत्न।
प्रयोग—बिना उद्यम कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।
उद्यम=उपद्रव।
प्रयोग—मोहन आजकल बहुत उद्यम मचाने लगा है।
१०. शर=बाण।
प्रयोग—तीक्ष्ण शरों से विद्ध होकर वह रण-क्षेत्र में गिर पड़ा।
शर=सरोवर, तालाब।
प्रयोग—सब सरों में मानसरोवर पवित्र मानी जाती है।
११. शुल्क=फीस, चन्दा।
प्रयोग—इस पत्रिका का वार्षिक शुल्क क्या है ?
शुक्ल=स्वच्छ, सफेद।
प्रयोग—मेरा जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। हंस के पंख शुक्ल होते हैं।
१२. प्रसाद=कृपा, देवता का भोग।
प्रयोग—गुरुजनों के प्रसाद से मेरा कार्य सफल हो गया। उत्तीर्ण होने पर उसने गणेशजी के प्रसाद चढ़ाया।
प्रासाद=महल।
प्रयोग—भव्य प्रासादों में निवास करने वाले उन दीन-दुखियों के कष्ट को क्या जाने जो सड़क पर सोकर रात गुजारते हैं।
१३. अंस=कन्धा

२७

यह
गा,

का
गिन

सने
के

तक

ई !
नु-

को
रने

ठि-
एँ

लेए
सद्ध

योग
वह

लेए

- अंश=हिस्सा, भाग
१४. अनल=अग्नि
अनिल=हवा
१५. अनिष्ट=बुरा
अनिष्ट=निष्ठाहीन
१६. अनु=एक उपसर्ग जो पीछे के
शब्द में प्रयुक्त होती है, जैसे
अनुज, अनुगमन, अनुशरण
अणु=पदार्थ का सबसे छोटा
विभाग
१७. अन्य=दूसरा
अन्न=अनाज
१८. अपकार=बुराई
उपकार=भलाई
१९. अवलंब=आश्रय, सहारा
अविलंब=शीघ्र, तुरन्त
२०. अपमान=निरादर
उपमान=वह वस्तु जिससे किसी
की तुलना की जाय
२१. अशक्त=शक्तिहीन, कमजोर
असक्त=आसक्ति रहित, उदासीन
२२. अभिज्ञ=जानकार
अनभिज्ञ=न जानने वाला
२३. आकर=रवान
आकार=रूप, आकृति
२४. आदि=प्रारंभ
आधि=मानसिक पीड़ा
२५. आशंका=भय
- शंका=सन्देह
२६. कटक=सेना
कंटक=काँटा
२७. कृत=किया हुआ
कृत्य=काम
२८. कान=सुनने की इन्द्रिय
कानि=मर्यादा
२९. कोर=किनारा, छोर
कौर=ग्रास
३०. गर्व=वमन्ड
गर्भ=भीतर का, पेट का वच्
३१. चिर=दीर्घकाल-स्थायी
चीर=वस्त्र
३२. छत्र=छना
क्षत्र=योद्धा, राज्य
३३. छात्र=विद्यार्थी
क्षात्र=क्षत्रियोचित
३४. जलद=बादल
जलज=कमल
३५. तराणी=नौका
तक्षणी=युवती
३६. तर्क=युक्ति, दलील
तक्र=छाछ, मद्दठा
३७. तरंग=लहर
तुरंग=घड़ा
३८. दिन=दिवस
दीन=गरीब, दुखी
३९. द्वीप=टापू

- द्विप=हाथी
 दीप=दीपक
 ४०. दूत=संदेश-वाहक
 धूत=धुआ
 ४१. धन=स्त्री, माल
 धन्य=वाह-वाह
 ४२. धनी=मालदार
 धरणी=पति, स्वामी
 ४३. नर्क=नाक
 नक्र=घड़ियाल, मगर
 ४४. नाक=स्वर्ग, मर्यादा, घ्राणोन्द्रिय
 नाग=सर्प, हाथी
 नग=पहाड़
 ४५. निर्धन=धनहीन
 निधन=मृत्यु
 ४६. पानी=जल, चमक, प्रतिष्ठा
 पारिण=हाथ
 ४७. पिक=कोयल
 पीक=पान का थूक
 ४८. प्रकार=डंग, रीति
 प्राकार=परकोटा
 ४९. पुरुष=कठोर
 पुरुष=नर
 ५०. प्राच्य=प्राचीन
 प्राची=पूर्व दिशा
 ५१. प्रया=रीति, रिवाज
 पृथा=कुन्ती
 ५२. प्रणाम=नमस्का

- प्रमाण=सञ्ज्ञत
 ५३. परिमाण=मात्रा
 परिणाम=फल, नतीजा
 ५४. प्रकृत=वास्तविक, यथार्थ
 प्राकृत=भाषा विशेष, नीच, साधारण
 ५५. प्रवाह=बहाव
 प्रभाव=प्रसर
 ५६. पावस=वर्षा ऋतु
 पायस=खीर
 ५७. बलाक=बगुला
 बलाहक=बादल
 ५८. बलि=भेंट, बलिदान
 बली=बलवान
 ५९. भान=प्रकाश, ज्ञान
 भानु=सूर्य
 ६०. भुवन=लोक
 भवन=घर
 ६१. मानस=मन
 मानुष=मनुष्य
 ६२. मधुकरी=भौरी
 मधुकरी=रोटी (भिक्षा)
 ६३. मूल=जड़
 मूल्य=कीमत
 ६४. मात्र=केवल
 मात्र=माता
 ६५. मनोज=कामदेव
 मनोज्ञ=सुन्दर
 ६६. युक्ति=तरकीब

- उक्ति=कथन
 ६७. रंवा=जुलाहे का एक औजार
 रंभा=केला
 ६८. लक्ष=लाख
 लक्ष्य=निशाना
 ६९. वारिद=वादल
 वारिधि=समुद्र
 ७०. वाद=तर्क, बहस
 वाद=वायु, घोड़ा
 ७१. वात=वायु, हवा
 वात=कथन, वातचीत
 ७२. वृन्त=डंठल
 वृन्द=समूह
 ७३. वसन=कपड़ा
 व्यसन=कुटेव
 ७४. वसुदेव=श्री कृष्ण के पिता
 वासुदेव=वसुदेव के पुत्र, श्रीकृष्ण
 ७५. व्याध=शिकारी
 व्याधि=बीमारी
 ७६. सर्वदा=सदा
 सर्वथा=सब प्रकार से
 ७७. स्रोत=धारा, सोता
 श्रोत्र=कान
 ७८. सर=तालाब
 शर=बाण
 ७९. साला=पत्नी का भाई
 शाला=स्थान
 ८०. साल=वर्ष, जल्म, धान

- शाल=वस्त्र (चादर), एक पेड़
 ८१. सुत=पुत्र, बेटा
 सूत=रथवाहक
 ८२. संकर=मिश्रण
 शंकर=महादेव
 ८३. सूर=सूर्य
 शूर=वीर
 ८४. सकल=सब
 शकल=टुकड़ा
 ८५. सारंग=इन्द्र, भयूर, बादल
 सारंगी=एक वाद्य यन्त्र
 ८६. सूचि=सुई
 सूची=भेदिया
 ८७. सम=समान, समता
 शम=शांति
 ८८. सील=नमी, मोहर, ठप्पा
 शील=शुद्ध, चरित्र, सद्गुण
 ८९. सुवन=पुत्र
 सुमन=फूल
 ९०. सर्ग=अध्याय, सृष्टि, भाग
 स्वर्ग=देवलोक
 ९१. हृद=सरोवर
 हृद=हृदय
 ९२. हाल=देशा, कमरा
 हाला=मदिरा
 ९३. आवरण=ढक्कन, पर्दा
 आभरण=आभूषण

६४. चर्म=चमड़ा	नीड़=घोंसला
चरम=अन्तिम	१०४. अर्ध=पूजा का जल
६५. गेय=गाने योग्य	अर्ध्व=बहुमूल्य
ज्ञेय=जानने योग्य	१०५. अलि=भौरा
६६. स्वगत=अपने आप	आलि=निकम्मा, सुस्त
स्वागत=सम्मान	१०६. नाग=साँप, हाथी
६७. हरिण=जंगल का एक पशु	नग=पहाड़, रत्न आदि
हिरण्य=सोना	१०७. कृतज्ञे=उपकार मानने वाला
६८. प्रवाद=किंबदन्ती	कृतघन=उपकार को भूल जाने
प्रमाद=गफलत, भूल-चूक	वाला
६९. सुवर्ण=सोना	१०८. निर्माण=बनाना
सवर्ण=समान रंग वा जाति का	निर्माण=समाप्ति
१००. नियत=निश्चित	१०९. भित्ति=दीवार
नियति=भाग्य	भीति=भय, डर
१०१. जलद=बादल	११०. पावस=वर्षा ऋतु
जलधि=समुद्र	पायस=खीर
१०२. वृत्त=समाचार, जीविका	१११. दर्प=अभिमान के कारण दूसरों
वित्त=धन	की अवज्ञा करना
१०३. नीर=जल	दर्पण=काँच, शीशा

अभ्यास

नीचे लिखे शब्द-युग्मों का अर्थ लिख कर स्व-रचित वाक्यों में प्रयोग करिए:—

सर-शर, स्रोत्र-श्रोत, हृद-हृद, शुक्ल-शुल्क, भवन-भुवन, सूर-शूर, प्रकार-प्राकार, आय-आयु, नाक-नाग, मूल-मूल्य, बलि-बली, पावस-पायस, वसन-व्यसन, आकार-आकर, उद्यम-उधम, चिर-चीर ।

(३) एकार्थक शब्द

कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने पर तो एक सा ही अर्थ देते हैं, परन्तु उनमें

अर्थ-भेद होता है। ऐसे शब्दों के अर्थ में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर होता है, अतः ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके उचित अर्थ में ही किया जाना चाहिए।

१. अस्त्र—वे हथियार जो दूर से फेंके जायं, जैसे—बाण, गोली।

शस्त्र—वे हथियार जो हाथ में रख कर ही काम में लिये जायं, जैसे—तलवार, लाठी।

प्रयोग—शस्त्रों का युग तो गया, अब तो स्वयं-चालित अस्त्रों का युग है।

२. अहंकार—अपनी सत्ता का बोध होना, जितना हो उससे अपने को अधिक समझना। जैसे—राम को अपनी योग्यता का बड़ा अहंकार है।

अभिमान—वास्तविक बात पर घमंड करना। जैसे—उसको धन का अभिमान है। अपने देश-नेताओं पर कोन अभिमान नहीं करता।

३. मद—किसी बात का नशा हो जाना। जैसे—यह सेठ धन के मद में चूर हो रहा है, अपने आगे किसी को समझता ही नहीं।

मान—आत्म-सम्मान अथवा अपनी प्रतिष्ठा के अर्थ में मान का प्रयोग होता है। जैसे—चाहे सर्वस्व चला जाय, परन्तु मनुष्य का मान नहीं जाना चाहिए। मान का तो पान ही भला।

४. गौरव—अपने बड़प्पन का यथार्थ ज्ञान होना। जैसे—राजपूतों ने अपने गौरव की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण दिये हैं।

खमड़—शेखी; झूठा अभिमान। अपने सामने किसी को कुछ न समझना। जैसे—भैया, घमंड मत करो; घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। श्री हरि को अपनी विद्वत्ता का बड़ा घमंड था, किन्तु श्री मनु के प्रश्नों का वे एक का भी उत्तर नहीं दे सके।

५. दर्प—चित्त का वह भाव जिसके कारण मनुष्य दूसरों की अवज्ञा करे और दूसरों को कुछ न समझे। जैसे—तुमको अपनी शक्ति पर इतना दर्प है कि तुम राजाज्ञा का भी उल्लंघन करते हो।

दंभ—पाखंड, ढकोसला, आडम्बर, स्वार्थ-वश दूसरों को धोखा देने के लिए प्रदर्शन करना। जैसे—तुम भोले हो, समझते नहीं, यह सब

उसका दंभ है, तुम से रूपया ऐंठने के लिए ही उसने यह ठाठ खड़ा किया है ।

६. गर्व—घमंड, गरूर, घन, विद्या, रूप आदि में अपने को दूसरों से बढ़कर और दूसरों को अपने सामने छोटा समझने का भाव । जैसे—भगवान किसी का गर्व नहीं रखते । धन का गर्व मत करो, इसको जाते देर नहीं लगती ।

गौरव—आत्म-मर्यादा या बड़प्पन की भावना का यथार्थ ज्ञान । जैसे—राष्ट्र का गौरव ही हमारा गौरव है ।

७. प्रयत्न—किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया श्रम अथवा व्यापार । यह मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी । जैसे—लोमड़ी ने बहुतेरा प्रयत्न किया, किन्तु वह अंगूरों के गुच्छे तक न पहुँच सकी ।

प्रयास—बौद्धिक या मानसिक प्रयत्न । जैसे—गणित के विद्यार्थियों को दूसरों की अपेक्षा अधिक बौद्धिक प्रयास करना पड़ता है ।

८. अमूल्य—वह वस्तु जिसका कोई मूल्य ही न आंका जा सके । जैसे—चरित्र एक अमूल्य निधि है । विद्या एक अमूल्य पदार्थ है ।

बहुमूल्य—जिसका मूल्य बहुत अधिक हो । जैसे—हीरा एक बहुमूल्य वस्तु है ।

९. कृपा—छोटों के प्रति सहायता का भाव । जैसे—सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है ।

दया—दूसरे क दुःख को देख कर उसे दूर करने की इच्छा उत्पन्न होना । जैसे—दीनों पर दया करना सज्जनों का काम है । उसकी हीनावस्था देख कर मुझे दया आती है ।

१०. करुणा—दूसरे को दुखी देख कर दया उत्पन्न होना । जैसे—इन अपंगों को देख कर जिनके हृदय में करुणा न उमड़ी, वे सचमुच वज्र के बने हैं ।

अनुकम्पा—दया । जैसे—भगवान की अनुकम्पा से सब कुछ ठीक हो गया ।

११. सेवा—देवता अथवा पूज्य पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए कार्य करना ।
जैसे—विना गुरु सेवा के ज्ञान नहीं मिलता ।
- शुश्रूषा—रोगी या दुखी की सेवा करना । जैसे—पिताजी के रूग्ण होने पर मैंने ही इस बार उनकी शुश्रूषा की थी ।
१२. लज्जा—स्त्रियों का स्वाभाविक गुण, अनुचित कार्य हो जाने पर दूसरों से मुंह छिपाना । जैसे—शीला नवविवाहिता है, अभी लज्जा के कारण वह अधिक नहीं बोलती है । ऐसे कुकर्म पर तुमको लज्जा आनी चाहिए ।
- ग्लानि—किसी बुरे कार्य के हो जाने पर हृदय में पछताना या एकान्त में लजाना । जैसे—जब भरत को ज्ञात हुआ कि उन्हीं के कारण रामचन्द्र जी को बनोवास दिया गया है तो वे ग्लानि से गड़ गये ।
१३. संकोच—द्विधाजनक स्थिति; हिचकिचाहट; अनावश्यक दबाव । जैसे—
क्यों संकोच कर रहे हो ? जो कुछ कहना है, स्पष्ट कहो ।
व्रीडा—अकारण दोष लगाये जाने पर लज्जित होना । जैसे—उसने उस समय अत्यधिक व्रीडा का अनुभव किया जब उसके मित्र हरि राम ने ही उस पर चोरी का भूठा आरोप लगाया ।
१४. भक्ति—देवता, ईश्वर या गुरु के प्रति अनुराग । जैसे—तुलसीदासजी की राम के प्रति अनन्य भक्ति थी । गुरु भक्ति ही अज्ञानांध-कार को दूर करती है ।
- श्रद्धा—ईश्वरों के प्रति अनुराग । जैसे—कौन भारतवासी ऐसा होगा जिसकी श्री नेहरू के प्रति श्रद्धा न हो ?
१५. मित्र—जो प्रीति-पात्र और सहायक हो, वह मित्र कहलाता है । जैसे—राम सुग्रीव का मित्र था । मित्र वही है जो विपत्ति में साय दे ।
सुहृत्—स्नेह युक्त हृदय वाला, सदा अनुकूल रहने वाला साथी जैसे—संसार में सच्चा सुहृत् मिलना बड़ा कठिन है ।
१६. सखा—जो सुख-दुःख में साय दे । जैसे—सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे । सुरदास जी श्री कृष्ण को अपना सखा समझते थे ।
सहचर—साथ चलने या रहने वाला व्यक्ति, मित्र, सम्बन्धी, सेवक

आदि कोई भी हो सकता है। जैसे—हनुमान राम के सच्चे सहचर थे। जो सदा साथ दे, साथ रहे, वही सहचर है।

१७. स्त्री—कोई भी औरत। जैसे शीला एक स्त्री है।

पत्नी—व्यक्ति विशेष की विवाहिता स्त्री। जैसे—राम की पत्नी सीता थी।

१८. महिला—भले घर की या संभ्रान्त कुल की कोई भी स्त्री, चाहे वह विवाहिता हो या कँवारी। जैसे—यह महिला कध है, तुम्हें यहां नहीं ठहरना चाहिए। पुरुषों के साथ महिलाएं भी आर्येंगी, बैठाने का ठीक प्रबन्ध करलो।

नारी—नर का स्त्रीलिंग नारी है। जैसे—अपमानित होकर नारी चुप नहीं बैठ सकती। नारी-निन्दा मत करो।

१९. मंत्रणा—गुप्त रूप से सलाह की जाय। जैसे—राजा ने मंत्रियों से मंत्रणा करने के अनन्तर आदेश निकाला। जब तक मैं अपने मित्र से मंत्रणा न करूँ तब तक मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता।

परामर्श—सलाह। जैसे—मैंने उसको परामर्श दिया कि वह स्वयं इस स्यान को छोड़े। इस सम्बन्ध में यदि आप चाहें तो अपने पिता जी से परामर्श कर लीजिए।

२०. प्रेम—किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक अनुराग। जैसे—मुझे संगीत से प्रेम है। भाई साहब का मुझ से बड़ा प्रेम है।

स्नेह—बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। जैसे—पिताजी मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं।

२१. आलस्य—काम करने की अनिच्छा, सुस्ती, ढिलाई। जैसे—तुम कैसे आदमी हो, हर काम में आलस्य करते हो।

प्रमाद—जान-बूझ कर आवेश में आकर भूल करना। जैसे—क्षमा कीजिए श्रीमान्, प्रमाद-वश मुझ से यह अपराध हो गया।

२२. भ्रम—भूल, चक्कर, मिथ्या ज्ञान (एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना) जैसे—तुम किस भ्रम में पड़े हो? वहां क्यों नहीं चले जाते। उसने भ्रम-वश रस्ती को सर्प समझ लिया।

- १ सन्देह—अतिशय; द्विविधा । जैसे—पुलित ने उसको सन्देह मे गिरफ्तार कर लिया । वह ठीक समय पर खपया चुका देगा, मुझे सन्देह है ।
- ६७ २३. वात्सल्य—माता-पिता का अपनी सन्तान के प्रति और गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य कहलाता है । जैसे—सूर का वात्सल्य-वर्णन उच्च कोटि का है ।
- ६८ १ प्रणय—प्रेम; दाम्पत्य-प्रेम । जैसे—पति-पत्नि मे प्रायः प्रणय-कलह उत्पन्न हो जाया करती है ।
- ७० २४. शम—अन्तः करण और मन का संयम; मन को सांसारिक वस्तुओं से हटाना; मन की स्थिरता । जैसे—योग-साधना मे शम का बड़ा महत्व है ।
- ७१ दम—इन्द्रियों को अपने वल में करना जैसे—विषयों से इन्द्रियों को हटाना
- ७२ १ ही दम है ।
- ७३ २५. स्पर्द्धा—दूसरे की उन्नति देख कर स्वयं भी उन्नति करने की चेष्टा करना । जैसे—हरि और मोहन से स्पर्द्धा बल रही है, देखें, कौन प्रथम आता है ।
- ७४ डाह—दूसरे की उन्नति या बढ़ती देख कर दिल मे कुढ़ना या जलना । जैसे—राम ने तीन बार पारितोषिक प्राप्त किया, हरि को एक बार भी न मिला । इसी कारण हरि राम से डाह रखता है ।
- ७५ १
- ७६ २६. निवेदन—नम्रता-पूर्वक साधारणतया कहना । जैसे—उपस्थित सज्जनों मे निवेदन है कि वे यथास्थान बैठ जायं ।
- ७७ १ प्रार्थना—छोटों द्वारा बड़ों के प्रति कार्य-विशेष के लिए कहना । जैसे—मैंने माता जी से प्रार्थना की कि वे मुझे भी यात्रा में साथ ले चले । क्या इस सेवक की प्रार्थना पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया ?
- ७८ २७. आधि—मानसिक कष्ट । जैसे—चिन्ता; शोक; व्यापार आदि मे हारि उठाना; धन, पुत्र, स्त्री आदि का अभाव महसूस करना ।
- ७९ १ व्याधि—शारीरिक कष्ट । जैसे—ज्वर, पीड़ा आदि ।
८०. २८. ईति—प्राकृतिक उपद्रव । जैसे—अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, संक्रामक रोग का फैलना आदि ।

भीति—डर, भय । जैसे—राज्य का आधार प्रीति होना चाहिए न कि भीति । 'ईति-भीति व्यापे नहि जगमें, वृष्टि समय पर हुआ करे' ।

२६. नमस्ते—छोटे-बड़े किसी के भी प्रति विनय सूचित करने के लिए सिर झुकाना या हाथ जोड़ना । जैसे—गुरुजी, नमस्ते । नमस्ते, हरि ! आज इधर कैसे आये ?

नमस्कार—केवल बराबर वालों के प्रति विनय-पूचक । जैसे—लालाजी ! नमस्कार, आज तो कितने ही दिनों में आपने दर्शन दिये हैं ।

३०. प्रणाम—केवल अपने से बड़ों के प्रति विनय-पूचक । जैसे—पाठशाला पहुंच कर राम ने गुरुजी को प्रणाम किया ।

अभिवादन—आदरणीय व्यक्ति के प्रति खड़े होकर और मुख से कुछ कहकर विनय प्रकट करना और प्रणाम करना । जैसे—मुख्य अतिथि के आने पर हम सवने खड़े होकर उनका अभिवादन किया ।

३१. खेद—साधारण भूल या अपराध होने पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना जैसे—राम ! मुझे खेद है कि मैं आज वहां नहीं जा सका ।

क्षोभ—अनिष्ट या किसी कार्य में असफलता होने पर रोष और झुंझलाहट जैसे—दो बार प्रयत्न किया, दो बार ही असफता मिली । अब उसका हृदय क्षोभ से भर गया, वह इस सम्बन्ध में किसी से बात नहीं करता ।

३२. अवसाद—खिन्नता, उदासी, हार । जैसे—जो कुछ होना था, हो चुका । अब अवसाद त्याग कर साहब के साथ आगे बढ़ो, विजय-औ तुम्हारी है ।

विषाद—उत्साह-हीनता, निराशा, मन का उचट जाना जैसे—मुगल-सेना से निरन्तर छब्बीस वर्ष तक संघर्ष करते-करते जब राणा प्रताप सब कुछ खो चुके तो उन्हें विषाद ने आ घेरा और वे मेवाड़ त्याग कर अन्यत्र जाने का विचार करने लगे ।

३. यंत्रणा—बन्धन, पीड़ा, का अनुभव । जैसे—जो छात्र माता-पिता की यंत्रणा में नहीं रहते हैं, वे उच्छ्वल बन जाते हैं । पुलिस की यंत्रणा बड़ी कठोर होती है ।

- ११ १ यातना—कठोर पीड़ा । पाप कर्म करने पर नरक-यातनाएं भोगनी पड़ती हैं । कुर्मियों को कठोर कारा-यातना सहन करनी पड़ी है ।
- ६१ ३४. वेदना—दुःख से उत्पन्न टीस जो कुछ काल तक बनी रहे । जैसे—काँटा निकल गया, किन्तु पैर में अभी तक वेदना बनी हुई है । कुछ ही समय पूर्व उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए अभी तक उसका हृदय वेदना-विह्वल है ।
- ६१ ६१ व्यथा—किसी आघात से उत्पन्न पीड़ा । जैसे—वह दिन-रात विरह-व्यथा में तड़फती रहती है । सहसा व्यापार ठप्प हो जाने के कारण उसे बड़ी व्यथा हुई ।
- ७ ३५. ईर्ष्या—बिना कारण किसी से शत्रुता रखना । जैसे—हमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह हम से ईर्ष्या रखता है ।
- ७ ७ द्वेष—किसी कारण-वश किसी से शत्रुता रखना । जैसे—जो वीतराग है, वह किसी से द्वेष नहीं रखता । राम ने हरि की बुराई की थी, इसलिए वह उससे द्वेष रखता है ।
- ७ ७ ३६. दुःख—किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव जिससे छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा हो । जैसे—संसार में दुःख कोई नहीं चाहता, सब मुख चाहते हैं । यह सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि आपकी ग्यारह वर्षों का पाली-पोपी लड़की चल दसी ।
- १ शोक—किसी प्रिय या आत्मीय जन के निधन होने पर उत्पन्न दुःख । जैसे—गांधी जी की मृत्यु का समाचार सुनकर नगर में सर्वत्र शोक छा गया ।
३७. भय—कारण-वश किसी अनिष्ट की आशंका से डरना । जैसे—आज कल चोरों का बहुत भय है ।
- त्रास—किसी के द्वारा दिये जाने वाले कष्ट की कल्पना । जैसे—बालि के त्रास से सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था ।
३८. आतंक—शरीर और मन पर भय छाया रहना । जैसे—उस प्रान्त में सदा ही डाकुओं का आतंक छाया रहता है ।
- आशंका—भविष्य में होने वाले किसी अनिष्ट की संभावना से उत्पन्न डर ।

जैसे—मुझे पहले से आशंका थी कि परीक्षा में असफल होकर यह कहीं भाग न जाय। व्यर्थ आशंका क्यों करते हो, जो होना होगा, होकर रहेगा।

३६. आचार—सामाजिक या नैतिक आचरण। जैसे—जिस मनुष्य का आचार शुद्ध है, वह सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। कुलीन व्यक्तियों का आचार-विचार सदा ही श्रेष्ठ होता है।

व्यवहार—किसी व्यक्ति-विशेष के प्रति किया गया वर्तव्य। जैसे—उसने अपने मृदु व्यवहार से सबको वश में कर लिया। जैसा तुम दूसरों के प्रति व्यवहार करोगे, वैसा ही वे तुम्हारे प्रति करेंगे।

४०. स्वानुभूति—स्वयं का अनुभव। जैसे—किसी भी विषय में जब तक स्वानुभूति न हो, यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती।

सहानुभूति—किसी के दुःख आदि से दुखी होना, हमदर्दी। जैसे—भाई! इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम दुखी हो, मुझे तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है।

४१. उत्साह—किसी कार्य-विशेष के करने की उमंग। जैसे—आपने उसको ऐसा उत्साह दिलाया कि वह अब आठ-आठ घण्टे परिश्रम करने लगा है।

साहस—साधन के अभाव में भी कार्य करने की लगन। जैसे—कठिनाइयों का साहस के साथ मुकाबला करो। शत्रु के निरन्तर आक्रमणों से भी उसने साहस नहीं छोड़ा।

४२. उद्यम—किसी कार्य में डटकर मन लगाना। जैसे—पेट भरने के लिए तुम्हें उद्यम करना ही होगा। उद्यम करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं।

उद्योग—किसी कार्य को हिम्मत से करते रहना। जैसे—बिना उद्योग व्यापार फलीभूत नहीं होता। जो निरन्तर उद्योग करता रहता है, वह अवश्य सफल होता है।

४३. यत्न—मानसिक और शारीरिक श्रम जो किसी कार्य-सिद्धि के लिए

१।

किया जाय । जैसे—यह कार्य यों ही नहीं हो जायगा, इसके लिए पूरा यत्न करना पड़ेगा ।

६। चेष्टा—शारीरक व्यापार या श्रम । जैसे—उसकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब उस काम को नहीं करेगा । उत्तीर्ण होने के लिए उसने किंचिद् भी चेष्टा नहीं की ।

४४. कष्ट—मानसिक या शारीरिक असुविधा । जैसे—यहां ठहरने में कुछ कष्ट तो नहीं है । जो जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल सकता, वह क्या उन्नति कर सकता है ?

७. क्लेश—शारीरिक कष्ट, आपस का झगड़ा । जैसे—दिन रात का क्लेश अच्छा नहीं क्योंकि इसका अन्त बुरा ही होगा । आजकल कोई पानी भरने वाला नहीं, इसलिए जल भरने का क्लेश उठाना ही पड़ता है ।

४५. तर्क—हेतु द्वारा किसी युक्ति की जांच करना । जैसे—उसके तर्क अकाद्य हैं । उसने तर्क द्वारा प्रमाणित कर दिया कि आत्मा कभी नहीं मरती । युक्ति—कार्य की पुष्टि के लिए कोई हेतु देना । जैसे—तर्क के सामने कोरी युक्ति काम नहीं करती । प्रतिवादी की युक्तियों को सुनकर वादी को हार मानी पड़ी ।

४६. नीति—लोक-हित के लिए समाज द्वारा बनाये हुए नियम । जैसे—अनीति को त्याग कर नीति पर चलो, तभी कल्याण होगा । यह कोई नीति नहीं कि बड़ा छोटे को सताये ।

रीति—अपने कुल या वंश में प्रचलित प्रथा । जैसे—रघु—कुल रीति सदा बलि आई, प्राण जाँय पर वचन न जाई ।”

७. पाप—धर्म-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन । जैसे—हिंसा, भ्रूत, चोरी, कुशील आदि । चोरी करना पाप भी है और अपराध भी ।

अपराध—सामाजिक व राजनैतिक नियमों का उल्लंघन । जैसे—वह चार सौ-तीसी के अपराध में पकड़ा गया । मुझसे ऐसा कौनसा अपराध बन पड़ा जिससे आप नाराज रहते हैं ।

८. मूर्ख—जो समझाने पर भी न समझे । जैसे—राजकुमार जैसा मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा । मूर्ख लड़कों को बृहस्पति भी नहीं पढ़ा सकता ।

अज्ञ—समझदार तो हो, किन्तु विषय-विशेष से अपरिचित हो। जैसे—मुझ जैसे अज्ञ के सामने अस्त्र-शस्त्रों की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तलवार तो दूर मैंने कभी लाठी ही हाथ में नहीं ली।

४६. सरल—किसी कार्य में स्वतः कठिनाई का न होना। जैसे—यह पुस्तक इतनी सरल है कि कोई भी छात्र इसको पढ़कर समझ सकता है। इस वर्ष गणित का प्रश्न-पत्र इतना सरल आया कि किसी भी परीक्षार्थी के ३० से कम अङ्क नहीं आयेंगे।

सुगम—कठिनाई के होते हुए भी किसी कार्य का सरल हो जाना। जैसे—साहसो कठिन मार्ग को भी सुगम बना लेते हैं। मनोहर के थोड़ा हस्तक्षेप करते ही वह कार्य कितना सुगम हो गया।

५०. अवस्था—जीवन की एक दशा व भाग। जैसे—युवावस्था में सभी गलती करते हैं। इस समय उसकी अवस्था कोई अठारह वर्ष की होगी।

आयु—सम्पूर्ण जीवन। जैसे—उसने यों ही आयु बिताई, कुछ भी नहीं किया। उसकी ७५ वर्ष की आयु में मृत्यु हुई।

अभ्यास

नीचे लिखे शब्द युग्मों में अर्थ-भेद बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिये :—
 प्रेम और स्नेह, अज्ञ और मूर्ख, कृपा और दया, वेदना और व्यथा, पाप और अपराध, गर्व और गौरव, मद और मान, भय और त्रास, यातना और यंत्रणा, प्रयत्न और चेष्टा, साहस और उत्साह, आधि और व्याधि, बुद्धि और मन, सेवा और शुश्रूषा।

(४) विलोम-शब्द

भाषा में चमत्कार लाने के लिए और शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करने के लिए विलोम शब्दों की भी ठीक-ठीक जानकारी अपेक्षित है। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में नौन्दर्य आता है और भावाभिव्यक्ति में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए—
 मेरे और आपके विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर है। वे अपना कर्म करते हैं, उन्हें निंदा-स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं। विना विचारों के आदान-प्रदान

के ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। आय-व्यय का हिसाब रखने से बड़ा लाभ होता है। विलोम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्तर-प्रदर्शन (Contrast) के लिए भी किया जाता है। जैसे—जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी अवश्यंभावी है। जो चढ़ता है, वह गिरता भी है। संसार में सुख के साथ दुःख भी है। हर्ष के साथ शोक मिला हुआ है। संयोग का ही दूसरा नाम वियोग है।

(अ)

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
अच्छा	बुरा	अन्धकार	प्रकाश
अनुराग	विराग	अपना	पराया
अनुरक्ति	विरक्ति	अनुकूल	प्रतिकूल
अपकार	उपकार	अभिमान	निरभिमान
अतिवृष्टि	अनावृष्टि	अम्ल	मधुर
अधम	उत्तम	अग्रज	अनुज

(आ)

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
आयात	निर्यात	आदि	अनादि
आदान	प्रदान	आतप	अनातप
आशा	निराशा	आदर	निरादर, अनादर
आदि	अन्त	आकाश	पाताल
आरम्भ	अन्त, इति	आचार	अनाचार
आय	व्यय	आवाहन	विसर्जन
आलसी	परिश्रमी	आहार	अनाहार

(इ, उ)

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
इच्छा	अनिच्छा	ईश	अनीश
उपकार	अपकार	उत्कृष्ट	अपकृष्ट, निकृष्ट
उचित	अनुचित	उच्च	नीच
उत्थान	पतन	उत्कर्ष	अपकर्ष
उदय	अस्त	उन्नति	अवनति

राज्ये वाध

उत्तीर्णं	अनुत्तीर्णं	उग्र	सौम्य
उद्यम	शीतल	उद्दंड	स्मरल

(ऋ, ए, ऐ)

ऋत	अऋत	एक	अनेक
ऐश्वर्यं	अनैश्वर्यं	एकान्त	अनेकान्त
ऐक्य	अनैक्य	एकार्थक	अनेकार्थक

(क)

कोमल	कठोर	कनिष्ठ	ज्येष्ठ
क्रम	व्यतिक्रम	कटु	मधुर
क्रम	विक्रम	वापायण	अकल्याण
कृतज्ञ	कृतघ्न	कीर्ति	अपकीर्ति

(ख, ग, घ)

खोटा	खर	गुह्य	लघुत्व
गुरा	अवगुरा	गुरु	लघु
गुरा	दोष	ग्रहस्य	सन्यासी
गुरु	शिष्य	गरमी	सरदी
घात	प्रतिघात	घृणा	प्रेम

(च, ज, झ)

चर	अचर	चीर्यं	अचीर्यं
जाग्रत	सुप्त	जय	चराजय.
ज्येष्ठ	कनिष्ठ	जड	चेतन
जीवन	मरण	जोन	हार
जन्म	मृत्यु	ज्ञानी	मूर्ख
ज्ञात	अज्ञात	ज्ञान	अज्ञान

(द, ध, न)

दिन	रात	दुर्गन्ध	सुगन्ध
देव	दनुज, दानव	द्रुत	मन्द

(द, ध, न)

१२	दुर्जन	मज्जन	द्वैत	अद्वैत
	दिवस	निशि	धर्म	अधर्म
	दाता	सुम	धनी	निर्धन, दरिद्री
६१	न्याय	अन्याय	निद्रा	जागरण
	निन्दा	स्तुति	निराकार	साकार
६२	निरर्थक	सार्थक	निर्गुण	सगुण
	नया	पुराना	नूतन	पुरातन
६३	न्यून	अधिक	नत	उन्नत

(प, व, म)

७	पाप	पुन्य	प्रत्यक्ष	परोक्ष
७	पंडित	मूर्ख	परकीय	स्वकीय
	पक्ष	विपक्ष	पूरा	अधूरा
७	प्रेम	घृणा	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
	बन्धन	मोक्ष	वृद्धि	ह्रास
७	बुराई	भलाई	वद्ध	मुक्त
	भला	बुरा	मान	अपमान
	भूत	भविष्य	मूक	वाचाल
	मंगल	अमंगल	मलिन	निर्मल

(य, र, ल, व)

यज्ञ	अपयज्ञ	योगी	भोगी
राग	विराग	राग	द्वेष
लाभ	हानि	विरोध	समर्थन
वैर	प्रीति	विधि	निषेध
विनीत	उद्वण्ड	विप	अमृत
विरोध	समर्थन	विद्या	अविद्या

(श)

शत्रु	मित्र	शोक	हर्ष
शीत	उष्ण	श्रद्धा	घृणा
शान्ति	अशान्ति	श्वास	उच्छ्वास
शुभ	अशुभ	शेष	अशेष

(स)

स्वतंत्र	परतन्त्र	सम	विषम
सूक्ष्म	स्थूल	सच	भ्रूँठ
स्थावर	जगम	स्वच्छ	अस्वच्छ
स्तुति	निन्दा	स्वदेश	परदेश
सन्दि	विग्रह	सन्तोष	लोभ
सृष्टि	प्रलय	हानि	लाभ
सजीव	निर्जीव	हित	अनहित, अहित
सृजन	विनाश	हार	जीत
संयोग	वियोग	सुकर	दुष्कर
संश्लेषण	विश्लेषण	सरस	नीरस
सुलभ	दुर्लभ	सुशील	दुःशील
सार्थक	निरर्थक	मरल	कठिन
स्वार्थ	परमार्थ	स्वाधीन	पराधीन
संक्षिप्त	विस्तृत	सुगम	दुर्गम
स्वर्ग	नरक	सज्जन	दुर्जन
स्मरण	विस्मरण	मफल	विफल
सुख	दुःख	सौभाग्य	दुर्भाग्य
सम्पत्ति	विपत्ति	सुमति	कुमति
सपूत	कपूत	साकार	गिराकार
सुजान	अजान	सधवा	विधवा
साधारण	विशेष	सदाचार	दुराचार
संकीर्ण	विस्तीर्ण, विशाल	सत्य	असत्य, मिथ्य
		गन्	असर्

		(स)	
मंगलन	विघटन	सन्त	असन्त
		(ह)	
हानि	लाभ	ह्रस्व	दीर्घ
हित	अनहित, अहित	हर्ष	शोक, विषाद
हार	जीत	ह्रास	वृद्धि

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए:—

नवीन, उन्नत, निन्दा, स्थूल, धृणा, प्रकाश, दुर्जन, जय, व्यय, खरा, युवा, स्यावर, पंडित, उपकार, अनाचार, निकुण्ट, सरल, प्रलय, नाश निर्जीव, मुक्त, जागरण, मन्द, स्वस्य, आलस्य, विसर्जन, गति, ज्ञान ।

२—नीचे लिखे शब्द युग्मों का निम्न प्रकार एक ही वाक्य में प्रयोग करिये जैसे—अन्धेरे-उजाले में संभल कर चलना चाहिए ।

आय-व्यय, उदय-अस्त, जीवन-मरण, संयोग-वियोग, चर-अचर, गुण-दोष हानि-लाभ, हर्ष-विषाद, आदि-अन्त, आदान-प्रदान, लेन-देन, हित-अनहित संधि-विग्रह, साकार-निराकार, यश-अपयश, खरा-खोटा, धर्म-अधर्म, पाप पुण्य, देव-दानव, राग-विराग, जय-पराजय ।

(५) पर्यायवाची शब्द

एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं । इनको नार्थक शब्द भी कहते हैं । एक ही शब्द का बार-बार प्रयोग रचना में नहीं लगता, अतः समानार्थक शब्दों का ज्ञान अपेक्षित है ।

शब्द पर्याय

अंग—शरीर, अक्षयव, वपु, गात्र ।

अग्नि—पावक, अनल, वह्नि, कृशानु, हुताशन ।

अध्यापक—गुरु, उपदेशक, उपाध्याय, शिक्षक ।

अमृत—सुधा, अमी, पीयूष, अमृतक, सुरभोग, सोम ।

अश्व—हय, वाजि, तुरंग, घोटक, घोड़ा ।

श्रांख—लोचन, नयन, चक्षु, नेत्र, दृग, अक्षि ।

श्राकाश—अम्बर, व्योम, नभ, गगन, अन्तरिक्ष, शून्य ।

श्रानन्द—प्रमोद, हर्ष, प्रसन्नता, आह्लाद, मोद ।

इच्छा—आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, वांछ्या, कामना, स्पृहा ।

इन्द्र—शक्र, मघवा, पुरन्दर, सुरपति, महेंद्र, देवराज ।

इन्द्राणी—शची, इन्द्रव्यू, पुलोमजा, शतावरी ।

कमल—पंकज, जलज, सरोज, पद्म, नलिन, राजीव, वारिज, कंज, अम्भोज,
अरविन्द, इन्दीवर, शत-पत्र ।

कल्प-वृक्ष—पुरतरु, पारिजात, मन्दार, देव-वृक्ष ।

कामदेव—मदन, मनमथ, मनसिज, कंदर्प, रतिपति, अन्नंग, स्मर, मीनकेतु,
पुष्पेश्वर, मार, मनोभव ।

किरणा—रश्मि, अंशु, मयूख, मरीचि, कर ।

कठवा—काक, वायस, बलिपुष्ट ।

क्रोध—रोष, क्रोप, अमर्ष ।

कपड़ा—वस्त्र, पट, चीर, वसन, अम्बर, डुकूल ।

गरुड—विनायक, लम्बोदर, गजानन, एकदन्त, गरुडपति ।

गंगा—भागीरथी, सुरसरि, जाह्नवी, त्रिपथगा, देवन्दी, विष्णुपदी, मन्दाकिनी ।

घर—गृह, भवन, सदन, मन्दिर, धाम, निकेत, आवास, सद्य, आगार, आलय,
शोक, आयतन, अयन ।

चकवा—कोक, चक्र, चक्रवाक ।

चन्द्रमा—चन्द्र, राकापति, शशि, मयंक, सुधाकर, इन्दु, सोम, विधु, सुधांशु,
हिमांशु, अञ्ज, द्विजराज, मृगांक, राकेश ।

चांदनी—चन्द्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चन्द्रमरीचि ।

चरण—पद, पाद, पैर, पाँव ।

जल—सलिल, नीर, तोय, वारि, पय, उदक, जीवन ।

तम—अन्धकार, तिमिर, अन्धेरा, तमस ।

तालाव—सर, तड़ाग, सरोवर, जलाशय, पुष्कर ।

तलवार—कृपाण, अग्नि, खड्ग, करवाल, चन्द्राहास, सिरोही ।

दिन—दिवस, वासर, दिवा, अहत् ।

दूध—दुग्ध, पयस, पय, क्षीर ।

दुःख—पीडा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, यातना, संकट ।

देवता—सुर, अमर, विबुध, देव, निर्जर, विदेश ।

दैत्य—दनुज, दानव, असुर, सुरारि, राक्षस ।

धनुष—बाण, शरासन, कोदण्ड, कमान ।

धन—धैभव, सम्पत्ति, वित्त, अर्थ, द्रव्य ।

नदी—नद, सरिता, सरि, तटिनी, तरंगिणी, आपगा ।

नाव—नौका, तरणी, जलयान, पोत ।

पर्वत—नग, पहाड़, भूवर, शैल, अचल, गिरि, अद्रि, महीधर ।

पंडित—कोविद, बुध, विद्वान्, सुधी, विचक्षण, प्रज्ञ ।

पति—भर्ता, वल्लभ, भरतार, स्वामी, अधिपति, आर्य-पुत्र, प्राणेश ।

पत्नी—सहगामिनी, सहचरी, प्राण-प्रिया, गृहिणी, वल्लभा ।

पवन—समीर, हवा, वयार, मारुत, अनिल, प्रभंजन, वात ।

पुत्र—आत्मज, औरस, तनय, बेटा, सुत, सुवन, तनुज ।

पृथ्वी—धरा, भू, भूमि, धरित्री, मही, वसुंधरा, धरणी, मेदिनी, रता ।

पांचतो—शिवा, भवानी, उमा, गौरी, सती, गिरजा, शैल-सुता ।

पुत्री—तनया, तनुजा, नन्दिनी, सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटा ।

पक्षी—खग, विहंग, खेचर, पतंग, शकुनि, द्विज ।

पुष्प—पूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प ।

प्रेम—प्रणय, प्यार, स्नेह, अनुराग, प्रीति, राग ।

पेड़—वृक्ष, पादप, विटप, तरु, महीरूह, द्रुम ।

वन्दर—वानर, कपि, मर्कट, शाखामृग, कीश, हरि ।

वादल—मेघ, धन, पयोधर, जलद, जलधर, पयोद, वारिद, बलाहक ।

बाण—शर, नाराच, तीर, विशिख, शिलीमुख, शायक ।

विजली—विद्युत्, चंचला, चपला, दामिनी, सीदामिनी, तडित् ।

वैर—शत्रुता, द्वेष, वैमनस्य, विरोध, मनोमालिन्य ।

ब्रह्मा—अज, स्वयंभू, चतुरानन, विरंचि, विधि, कमलासन, पितामह ।

भौरा—भ्रमर, अलि, मधुप, भृंग, षट्पद, मधुकर ।

भगवान्—ईश्वर, जगदीश, प्रभु, जगन्नाथ, विश्वेश्वर, परमात्मा ।

मदिरा—वास्णी, सुरा, मद्य, हाला ।

मनुष्य—मानुष, मनुज, मानव, नर ।

महादेव—शिव, हर, शंकर, शंभु, भूतेश, त्रिशूली, पिनाकी, रुद्र ।

मछली—मत्स्य, मीन, मकर, भूप, शफरी ।

माता—जननी, अम्बा, प्रभु, मा, जन्मदात्री ।

मुर्गा—कुक्कुट, कुकडा, ताम्रचूड़, तमचुर ।

मित्र—सखा, सुहृत्, सहचर, साथी ।

मोर—मयूर, बेकी, शिखी ।

प्रेमुना—सूर्य-सुता, कालिन्दी, रवि-तनया, अर्कजा ।

रात्रि—निशा, रजनी, रात, यामिनी, विभावरी, शर्वरी ।

राजा—महिपति, महीप, नृप, नृपति, भूपति, नरेश ।

राक्षस—निशाचर, निशिचर, जातुघान, दानव, दैत्य, तमोचर ।

लक्ष्मी—मा, कमला, रमा, पद्मा, चंचला, इन्दिरा, श्री, कमलासना ।

वन—उपवन, कानन, कान्तार अरण्य, जंगल ।

वस्त्र—पट, चीर, वसन, अशुक ।

वैरी—अरि, शत्रु, विरोधी, विपक्षी ।

विद्यार्थी—छात्र, शिक्षार्थी, अंतेवासी, शिष्य ।

विष्णु—जनार्दन, चक्रपाणि, अच्युत, केशव, कमलापति, माधव ।

विष—गरल, माहुर, हलाहल, जहर ।

शरीर—कनेवर, काया, वपु, विग्रह, गात, तनु ।

सांप—सर्प, अहि, भुजंग, व्याल, नाग, उरग, विषधर, पन्नग, फणी ।

समुद्र—सिन्धु, सागर, जलधि, रत्नाकर, उदधि, नदीश, पारावार, पयोधि
अणव, पयोनिधि, वारीश, नीरनिधि ।

सह—पृगराज, केहरि, केशरी, हरि, मृगारि, पञ्चानन ।

सेना—अनी, चक्र, कटक, सैन्य, दल ।

सूर्य—रवि, अर्क, दिनकर, मार्तण्ड, भानु, आदित्य, तरणि, अभाकर, पतंग ।

अर्क—सूर्य, मंदारवृक्ष, स्फटिक, ज्योति, भभके से खींचा हुआ रस ।

अर्थ—अभिप्राय, धन, हेतु, कारण, निमित्त ।

अम्बर—वस्त्र, आकाश ।

अज—वकरा, ब्रह्मा, शिव, दशरथ के पिता ।

अघ—पाप, शिकार, जुआ ।

अरुण—लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी ।

कनक—सोना, धनूरा ।

कर—हाथ, सूँड़, किरण, टैक्स ।

कल—यंत्र, मशीन, चैन, गया हुआ या आने वाला दिन ।

खल—दुष्ट, नीच, खलियान, खरल, तलझट ।

खर—तीक्ष्ण, निष्ठुर, गधा, तृण, एक राक्षस का नाम ।

गुरा—गुरा, रस्ती, रज-तम-सत गुरा, प्रसाद-भाधुर्य-ओज-गुरा, अच्छाई, धनुष की प्रत्यंचा, विशेषता ।

गो—गाय, पृथ्वी, इन्द्रियाँ ।

गुरु—बड़ा, भारी, पूज्य, शिक्षक, कोई कला, दीर्घ मात्रा वाला वर्ण ।

घन—बादल, घना, ठोस, लुहार का बड़ा हयोड़ा, लम्बाई×चोड़ाई×मोटाई ।

चित्र—तस्वीर, विचित्र ।

जीवन—जिन्दगी, जल, प्राण ।

जलज—कमल, मोती, चन्द्रमा, शंख, मछली ।

तात—पिता, पुत्र, छोटा भाई, ताऊ, गुरु, शिष्य, मित्र, प्यारा ।

द्विज—ब्राह्मण, पक्षी, चन्द्रमा, दांत, पक्ष ।

दल—पार्टी, पत्ता, सेना, समूह, पक्ष ।

दंड—डंडा, सजा, जुर्माना, एक घड़ी (२४ मिनट), कमल की नाल ।

नाग—हाथी, सर्प, नाग, केशर ।

नग—पहाड़, नगीना, संख्या, अचल ।

नाक—नासिका, स्वर्ग, आकाश ।

पय—पानी, दूध, अमृत ।

पद—स्यान, चरण, ओहदा, अधिकार, चतुर्थभाग, गाने का गीत ।

भाषा ज्ञान एवं रचना बोध

४०

पत्र—पत्ता, चिट्ठी, पंख, पुस्तक का एक पन्ना ।

पतंग—सूर्य, पक्षी, कीट, उड़ाने का पतंग ।

पक्ष—महिने का आधा भाग, तरफ, पंख, दल, बाण के लगा हुआ पर ।

पात्र—भाजन, बर्तन, उपयुक्त व्यक्ति ।

पृष्ठ—पीठ, पुस्तक के पत्र के एक ओर का भाग, किसी वस्तु का पिछला भाग ।

फल—परिणाम, बदला, नतीजा, तलवार आदि की धार, फल ।

भव—संसार, शिव, उत्पत्ति, जन्म, अग्नि, होता ।

भून—अतीत, उत्पन्न, तत्व, प्राणी, प्रेत, पिशाच ।

मधु—शहद, शराब, चैत्रमास, मकरन्द ।

मंत्र—सलाह, जप का मंत्र ।

मान—सम्मान, नायिका का नायक से रूठना, परिमाण, नाप, तौल ।

मित्र—सूर्य, दोस्त ।

मुद्रा—सिक्का, मोहर, भाव-भंगी, शारीरिक अंगों की एक विशेष स्थिति ।

रस—जल, आनन्द, सार, निबु आदि का रस, खट्टा-मीठा आदि रस, काव्य-रस ।

राश्मि—किरण, रस्सी, डोरी, घोड़े की लगाम ।

राग—प्रेम, रंग, संगीत की राग, लाल रंग ।

जोराशि—सूर्य की १२ राशि, ढेर, समूह ।

खलगन—लौ, प्रेम, मुहुर्त, धुन, मन का किसी एक ओर झुकना ।

प्रयंवर—श्रे ७५, वरदान, दूल्हा ।

नानविधि—ब्रह्मा, नियम, ढंग, रीति, भाग्य ।

क्लिष्टेला—समय, एक फूल, समुद्र-तट, कटोरा ।

पर विग्रह—शरीर, लड़ाई ।

हो विधु—चन्द्रमा, कनूर, राक्षस ।

पदान्तरण—अक्षर, रंग, ब्राह्मण आदि चार वर्ण ।

शब्द वंश—कुल, कुटुम्ब, वांस ।

श्रं क-प्रारंग—बादल, कमल, मोर, सांप, हरिण, एक राग, कामदेव, हाथी ।

त्रैन्धव—नमक, घोड़ा ।

दूसरा अध्याय

शब्द-निर्माण

भाषा का निर्माण शब्दों द्वारा होता है। जिस भाषा का शब्द-कोश जितना वृहद् होता है, उतनी ही वह सम्पन्न रामभी जाती है। अपने विचारों और भावों को उपयुक्त शब्दों द्वारा ही मूर्तरूप देकर हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का विकास धीरे-धीरे होता है। जैसे-जैसे उसमें भाव और विचार-प्रकाशन के योग्य शब्द बढ़ते जाते हैं, भाषा उन्नति करती जाती है। यह शब्द बनते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं—यही विचारणीय है। एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है, जैसे एक शब्द है पठ, अब देखिए पठ शब्द से पाठ, पाठक, पठन, पाठन, कुपाठक, सुपाठक, पठनीय, पाठशाला, पठक, पठित, पाठान्तर, पाठच्छेद, पाठित, पाठनीय आदि शब्दों का निर्माण कर लिया गया है। इसी पठ शब्द से हिन्दी में पढ़ना, पढ़ाने वाला, पढ़वाना, पढ़ाई, पढ़ाना, पढ़ता आदि शब्द बना लिये गये हैं। हिन्दी भाषा का जन्म अन्तिम बोलचाल की प्राकृत से हुआ है जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। इसलिए हिन्दी-भाषा के शब्द-भंडार में जो शब्द हैं, वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से आये हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द भी तत्सम और तद्भव रूपों में प्रचुरता से काम में लाये गये और लाये जा रहे हैं। भाषा का कलेवर संकीर्णता से नहीं बढ़ता, उदारता से ही बढ़ता है। हिन्दी जीवित भाषा है, इसमें दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर पचा लेने की शक्ति है। इस प्रकार हिन्दी ने सहस्रों शब्दों को जो विदेशी भाषाओं के हैं, पचाकर अपना बना लिया है।

ऊपर आपको एक छोटा-सा उदाहरण देकर समझाया गया था कि मूल

शब्द एक होता है और उससे बीसियों अन्य शब्द बना लिये जाये जाते हैं। इस प्रकार नये-नये शब्दों के बनाने को शब्द-निर्माण कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि हिन्दी में किन-किन तरीकों से शब्द-निर्माण किया जाता है। शब्द-निर्माण के मुख्य-मुख्य साधन निम्नांकित हैं :—

- (१) सन्धि द्वारा
- (२) समास द्वारा
- (३) उपसर्ग द्वारा
- (४) प्रत्यय द्वारा
- (५) पुनरुक्ति, अनुकरण आदि उपायों द्वारा।

इस अध्याय में अब इन्हीं सब बातों का विवेचन किया जायगा। सर्व-प्रथम इस बात पर विचार किया जायगा कि शब्द के कितने भेद हैं। छात्र जब तक प्रयोग, अर्थ, शक्ति, व्युत्पत्ति आदि की दृष्टि से शब्द-भेद न समझ लेंगे, तब तक उनका शब्द-ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसलिए सर्व प्रथम शब्द-भेद पर ही प्रकाश डाला गया है।

(१) शब्द-भेद

शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) सार्थक—जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे—कृता, बालक, पुस्तक, विद्यालय आदि। (२) निरर्थक—जिनका कुछ अर्थ न निकले, जैसे—धप्, खट खट, टन टन, वाँ, आँय, चीचीं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं।

(अ) व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द-भेद

व्युत्पत्ति या बनावट के अनुसार शब्द तीन तरह के होते हैं :—

- (१) रूढ़ शब्द—वह शब्द जिसके खंड करने पर कुछ अर्थ न निकले अर्थात् जो अन्य शब्दों के योग से न बना हो, रूढ़ कहलाता है, जैसे—पुस्तक, पत्थर, कमल, दूध, ऊँट आदि।
- (२) यौगिक शब्द—वह शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बना हो, यौगिक कहलाता है, जैसे—दिन कर, (दिन और कर दो शब्दों के योग से बना

है जिसका अर्थ होता है सूर्य), पाठशाला (पाठ+शाला), कठवरा (काठ+घर) । इसी प्रकार निशाकर, भूपति, शिक्षाप्रद, महाराज, घुड़शाला आदि यौगिक शब्द हैं ।

- (३) योगरूढ़ शब्द—वह शब्द जो बना तो हो अन्य शब्दों के योग से, किन्तु प्रयोग में वह रूढ़िवत् हो । योगरूढ़ शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में ही होता है, जैसे—जलद (जल+द) का अर्थ है जल देने वाला । जल देने वाले हैं कूप, सरोवर, रामभारा, बादल, किन्तु जलद शब्द का प्रयोग केवल बादल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है । इसी प्रकार जलज (कमल के अर्थ में), पीताम्बर (श्री कृष्ण के अर्थ में) , लम्बोदर (गणेश जी के अर्थ में) और दशानन (रावण के अर्थ में) रूढ़ हो गये हैं ।

सूचना—यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में अन्तर यह है कि यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बनता है, उनके अर्थ का लोप नहीं होता, उनका अर्थ वैसे का वैसा बना रहता है, जैसे भूपति शब्द भू और पति दो शब्दों के योग से बना है । भू का अर्थ पृथ्वी और पति का अर्थ है स्वामी, अतः भूपति का अर्थ हुआ पृथ्वी का स्वामी अर्थात् राजा । किन्तु योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों के योग से बनता है, उनका अर्थ लुप्त हो जाता है, वे अपना अर्थ सर्वथा छोड़ देते हैं और योगरूढ़ शब्द एक ऐसा अर्थ देता है जो उन शब्दों के अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है । जैसे—पीताम्बर में पीत (पीला) और अम्बर (वस्त्र) दो शब्द हैं, किन्तु अर्थ निकलता है श्री कृष्ण । यहाँ न पीत का अर्थ लगता है और न अम्बर का, प्रत्युत दोनों शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ (श्री कृष्ण) का बोध कराते हैं ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द छांटिए :—

ताला, कलश, गजानन, नभचर, अंगरखा, चारपाई, हिमालय, पंजाब, छात्रावास, महादेव, वारिज, जलघर, वदन, देवकीनन्दन, गाड़ीवान, रात्रि, ताम्रचूड़, भूघर, पञ्चानन ।

२—यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में क्या अन्तर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए।

(आ) उत्पत्ति के अनुसार शब्द-भेद

उत्पत्ति के अनुसार शब्द के पाँच भेद होते हैं :—

(१) तत्सम—जिन शब्दों का जो रूप संस्कृत में है, वैसा ही हिन्दी में भी हो, उनको तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे—मन, धन, ज्ञान, स्त्री, पुत्र, नभ, सर्प, पुस्तक, बालक, केश।

(२) तद्भव—संस्कृत शब्दों के विकृत रूप या बिगड़े हुए रूप तद्भव कहलाते हैं, जैसे—दूध (दुग्ध), साँप (सर्प), सुहाग (सौभाग्य), दही (दधि), हाथ (हस्त)।

सूचना—तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्द जब बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं और जब उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तब वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे—'क्षेत्र' तत्सम शब्द है और 'खेत' तद्भव शब्द है।

(३) विदेशी—अंग्रेजी, फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिन्दी भाषा में होता है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये तत्सम और तद्भव दोनों ही रूपों में व्यवहृत होते हैं, जैसे—

(अ) तत्सम—बैच, पैन, बटन, ग़रीब, चाकू, बाग, नावल, पिन, स्टेशन।

(आ) तद्भव—माचिस, लालटैन, दरोगा, थैटर, जखीरा, जोर, अर्दली।

(४) देशज—वे शब्द जो आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिये जाते हैं अथवा ध्वनि के आधार पर बना लिये जाते हैं। 'देशज' कहलाते हैं, जैसे—पेट, गाड़ी, खिड़की टनाटन, रोड़ा, टमटम, पगड़ी आदि।

(५) प्रान्तीय—वे शब्द जो प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी में लिये गये हैं, प्रान्तीय शब्द कहलाते हैं, जैसे—लागू, चालू (मराठी) गल्प, उपन्यास (बंगाली) लाडी (पंजाबी) पिझा, छोकरा (राजस्थानी)।

हिन्दी भाषा में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का ही व्यवहार अधिक होता है, अतः विद्यार्थियों की जानकारी के लिए अधिक प्रयोग में आने

वाले कुछ शब्दों के दोनों रूप नीचे दिये जाते हैं। इनका अध्ययन भाषाज्ञान में वृद्धि करेगा।

	तत्सम	तद्भव	तत्सम
तद्भव	अग्नि	जीभ	जिह्वा
आग	अद्य	जौ	यव
आज	आशी	दोठि	दृष्टि
असीस	अष्ट	ताता	तप्त
आठ	उत्साह	तुरत, तुरन्त	स्वरित...
उछाह	उत्सव	तीस	त्रिशत
उच्छव	कोकिल	विर	स्विर
कोयल	कर्ण	यन	स्तन
कान	काक	अगूठा	अगुष्ठ
कौआ	गृध्र	अजान	अज्ञान
गीघ (गिद्ध)	ग्राम	आक	अर्क
गाँव	गृह	आख	अक्षि
गेह, घर	गृहिणी	आम	आम्र
घरनी	घट	आसू	अश्रु
घड़ा	चर्म	काठ	काष्ठ
चमड़ा, चाम	चन्द्र	काँटा	कंटक
चाँद	चूर्ण	काम	कर्म
चून, चूरण	चंचु	गधा, गदहा	गर्दभ
चोंच	चतुर्मास	गाँठ	ग्रन्थि
चौमासा	क्षिति	गाहक	ग्राहक
छिति	क्षण	गेह	गोधूम
छिन, छन	क्षोभ	घी	घृत
छोह	यत्न	चना	चणक
जतन	यद्यपि	चमार	चर्मकार
जदपि	ज्योति	चोर	चौर
जोती		चौपाया	चतुष्पाद

४४	श्रीदह	चतुर्दश	नीद	निद्रा
र—	क्षमा	क्षमा	निष्ठुर	निष्ठुर
	छाता	छत्र	नाच	नृत्य
	छेद	छिद्र	नाक	नौका, नौ
	जमुना	यमुना	पकवान	पकवान्त
	जाँघ	जंघा	पत्यर	प्रस्तर
(१)	जेठ	ज्येष्ठ	पाँच	पञ्च
	जुग	युग	पत्ता	पत्र
	जँवाई	जामातृ	पाँव	पाद
(२)	डीठ	धृष्ट	पूँछ	पुच्छ
	तीखा	तीक्ष्ण	पोयी	पुस्तक
	तिनका	तृण	पछतावा	पश्चात्ताप
	तेल	तैल	पोखर	पुष्कर
	ठाँव, थान	स्थान	पीर, पीरो	पीड़ा
	थाली	स्थाली	पुहुप	पुष्प
	दही	दधि	फुर्ती	स्फूर्ति
	घाय, दाई	घातृ	घुन्द	विन्दु
(३)	दिया	दीपक	बिल्ली	बिडाली
	दिवाली	दीपावली	बाँका	धक्र
	दूध	दुग्ध	बहू	बधू
	दई	दैव	बच्चा	वत्स
	घरती:	घरित्री	दामाद	जामाता
(४)	धान	धान्य	दर, दरवाजा	द्वार
	धूल	धूलि	दाँत	दन्त
	नया	नव, नवल	दाहिना	दक्षिण
	नवाँ	नवम	देसी	देशीय
	नौ	नव	दूब	दूर्वा
	नीम	निच	धुनि, धुन	ध्वनि

धीरज	धैर्य	भोख	भिक्षा
धुआँ	धूम्र, धूम	भतीजा	भ्रातृष्व
नित्त	नित्य	भाई	भ्राता
नोन	लवण	मछली, मच्छ	
नैन	नयन	मिचें	मरिच
नेह	स्नेह	मूंड	मुण्ड
नाक	नासिक	मुट्टी	मुष्टि
नाई	नापित	मूँछ	श्मश्रु
नारियल	नारिकेल	मोसी	मानृष्वसद
न्यीता	निमंत्रण	मेह	मेघ
पलंग	पर्यङ्क	यदपि	यद्यपि
पहर	प्रहर	रात्र	रात्रि
पांख	पक्ष	रोना	रौदन
पास, पंख	पार्श्व	लाख	लाक्ष
पोठ	पृष्ठ	लगन	जन्म
पूत	पुत्र	लोहार, लुहार	लोहकार
पोता	पौत्र	विराम	वैराग्य
पंछी	पक्षी	सपना	स्वप्न
परिञ्जा	परोक्षा	सपूत	सुपुत्र
परेवा, (कवूतर)	पारावत	सकुच	संकोच
फूल	पुष्प	मदी	शती
फन (साँप का)	फण	शकर	शर्करा
बहरा	बधिर	सात	मप्त
बहिन	भगिनी	सिर	शिर
विजली	विद्युत्	सेठ	श्रेष्ठ
वरात	चरयात्रा	सोना	स्वर्ण
विस्राम	विश्राम	सुनार	स्वर्णकार
भोह	भ्रू, भृकुटि	(सीत)	सपत्नी

२—

क्षम	सौ	शत	लौंग	लवंग
छार	सोंग	शृंग	लूण	लवण
जमुन्	साग	शाक	वीभत्स	वीभत्स
जाँघ	हाय	हस्त	सूरज	सूर्य
(१) जेठ	हायी	हस्ती	सूना	शून्य
जुग	भौरा	अमर	सब	सर्व
जँवाई	भालू	भल्लूक	सकड़ा	संकीर्ण
(२) डीठ	भिखारी	भिक्षुक	साँभ	संध्या
तीखा	मुँह	मुख	साँई	स्वामी
तिनका	भौजाई	भ्रातृजाया	सुई	सूची
तेल	मवखी	मक्षिका	सूत	सूत्र
ठाँव, थ	माया	मस्तक	समुराल	श्वशुरालय
पाली	मिट्टी	मृत्तिका	साँकल	शृंखला
वही	मोर	मयूर	साँप	सर्प
घाय, दा	सौत	मृत्यु	साँस	श्वास
(दिया	मोठा	मिष्ठ	सिल	शिला
दिवाली	रीता	रिक्त	सूखा	शुष्क
दूध	रोछ	ऋक्ष	हड्डी	अस्थि
दई	रातीजगा	रात्रिजागरण	होठ	ओष्ठ
घरतीं:	लाज	लज्जा		

धान

धूल

नया

नवाँ

नौ

नौभः

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों को छाँटिए:—

अस्पताल, चरखा, बोली, तोप, कृपाण, कमीशन, गोदाम, भाई, मन, धी, घर, चूर्ण, होल्डर, जनाव, साइकिल, वधू, सात, लंगड़ा, पत्थर, अलमारी, विल्ली, आठ, टोपी, चिकना, कोयल, सौत, संध्या, सुई ।

२—नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए :—

सिर, लाख, होठ, सूरज, मोठा, मुँह, भौरा, रौता, भाई, दूध, पूत,

पँछी, बाँका, पत्यर, दिया, दही, फूल, वरू, पाँव, निठुर, पीठ, नित, जँवाई, जीभ, गाँव, कान, तीखा, घी, चना, काँटा, आम, आठ ।

(इ) शक्ति के अनुसार शब्द-भेद

शक्ति के अनुसार शब्द तीन तरह के होते हैं—वाचक, लक्षक और व्यंजक । इसी प्रकार अर्थ भी तीन प्रकार के हैं और शब्द-शक्ति भी तीन प्रकार की है जिन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए :-

शब्द	अर्थ	शक्ति
वाचक	वाच्यार्थ	अभिधा
लक्षक	लक्ष्यार्थ	लक्षण
व्यंजक	व्यंग्यार्थ	व्यंजना

(१)—वाचक—जहाँ शब्द का वाच्यार्थ (मुख्यार्थ) ग्रहण किया जाय अर्थात् शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसी में वह प्रयोग किया जाय, वहाँ अभिधा-शक्ति होती है और उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं । जैसे-तुम्हारी गाय खेत में चर रही है । यहाँ गाय पशु-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है । किन्तु 'इस बुढ़िया को क्यों सताते हो, यह तो गाय है' इस में गाय अपने मुख्य अर्थ पशु-विशेष में प्रयुक्त न होकर उससे सम्बन्धित कोई दूसरा ही अर्थ देती है, अतः यहाँ गाय शब्द में न ही तो अभिधा शक्ति है और न यह वाचक शब्द ही है । इसी प्रकार 'गधा खेत में चर रहा है' और 'राम गधा है' में अन्तर समझिए । खेत में चरने वाला गधा पशु-विशेष का द्योतक है और अपने मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः वाचक शब्द है, परन्तु 'राम गधा है' में गधा राम को बताया गया है । इसमें गधा अपने मुख्य अर्थ (पूँछ, कान, चार टांग, वाला और घास खाने वाला पशु) में प्रयुक्त नहीं हुआ है, यहाँ 'गधा' शब्द 'गधे जैसे गुरा वाला' अर्थ देता है । इसलिए न तो यह वाचक शब्द ही है और न यहाँ अभिधा-शक्ति ही । मोर नाच रहे हैं, बालक खेल रहे हैं, माता पाठ कर रही है, सोहन लिख रहा है आदि वाक्यों में मोर, बालक, माता आदि शब्द वाचक शब्द हैं क्योंकि वे अपने मुख्य अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं ।

(२) लक्षक वा लाक्षणिक—जब शब्द अपने सामान्य और प्रचलित (मुख्य) अर्थ को छोड़कर तत्सम्बन्धी विशेष अर्थ का बोध कराये, तब वह शब्द 'लक्षक' शब्द कहलाता है और उसकी शक्ति 'लक्षणा-शक्ति' कहलाती है। जैसे—यह स्त्री तो गाय है। यहाँ गाय शब्द का अर्थ पशु विशेष नहीं है, अपितु गाय के सदृश भोली-भाली, निरीह या सीधी-सादी है। इसी प्रकार 'वह तो निरा बैल है' में 'बैल' शब्द का अर्थ अत्यन्त मूर्ख है। 'राजस्थान जाग उठा' में राजस्थान जड़ है, वह क्या जगेगा, अतः यहाँ राजस्थान का अर्थ राजस्थान के निवासियों से लिया जायगा, क्योंकि उसके निवासी ही जाग सकते हैं। इसी प्रकार 'तलवारें चल रही हैं, लाल पगड़ी आगई, पंजाब वीर है, गिरघारो गधा है' में लक्षणा-शक्ति काम कर रही है और तलवारें, लाल पगड़ी, पंजाब, और गधा शब्द लाक्षणिक हैं, क्योंकि यहाँ उनके प्रचलित अर्थ को ग्रहण न करके उनके तत्सम्बन्धी विशेष अर्थ को ग्रहण किया गया है।

(३) व्यंजक—जब शब्द न अपने सामान्य प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त हो और न तत्सम्बन्धी विशेष अर्थ में, प्रत्युत एक गूढ़ अर्थ में प्रयुक्त हो, तब वह 'व्यंजक' शब्द कहलाता है और उसकी शक्ति 'व्यंजना-शक्ति'। जहाँ न वाच्यार्थ लगे और न लक्ष्यार्थ, वहाँ व्यंजना-शक्ति से व्यंग्यार्थ लिया जाता है। जैसे—आप तो गुरु हैं। यहाँ 'गुरु' शब्द का अर्थ महावृत्त है। यह अर्थ न वाच्यार्थ है और न लक्ष्यार्थ, यह एक गूढ़ अर्थ है जो व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसी प्रकार 'आपके मित्र तो बड़े सज्जन निकले' में 'सज्जन' शब्द का व्यंग्यार्थ दुष्ट है।

अभ्यास

१—शक्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

२—निम्नांकित वाक्यों में मोटे टाईप के शब्दों का शब्द-शक्ति के अनुसार वर्गीकरण करिए :—

(१) चिपत्ति के समय मित्र भी आँख फेर लेते हैं। (२) आप तो बड़े विद्वान् हैं। (३) उसकी मांग का सिन्धूर मिट गया। (४) मोहन गैन्द

त्रिलोचन भगवान शंकर ने काम- देव को भस्म कर दिया ।	बहुव्रीहि	तीन हैं लोचन जिसके ऐसे अर्थात् शिव
५. मोहन एक सञ्चरित्र छात्र है ।	बहुव्रीहि	अच्छा है चरित्र
६. मोहन के सञ्चरित्र से मैं प्रसन्न हूँ ।	कर्मधारय	जिसका ऐसा अच्छा है चरित्र जो

सूचना—[२] जब समस्त शब्द दो शब्दों से अधिक का बना हो तब उनका विग्रह दो-दो शब्द बना कर किया जाता है और प्रायः अन्त में मुख्य समास बता दिया जाता है, जैसे—

समस्त शब्द	विग्रह	मुख्य समास
त्रिभुवन नाथ	तीन भुवनों का समुह=त्रिभुवन (द्विग्रह), त्रिभुवन का नाथ=त्रिभुवन-नाथ (संबन्ध तत्पुरुष)	तत्पुरुष
सुपुत्रजन्मोत्सव	सु+पुत्र (कर्म धारय), जन्म का उत्सव= जन्मोत्सव (संबन्ध तत्पुरुष), सुपुत्र का जन्मोत्सव=सुपुत्र-जन्मोत्सव (संबन्ध तत्पुरुष)	तत्पुरुष
करिवर वदन	करियों में वर=करिवर (अधिकरण तत्पुरुष) करिवर के सदृश है वदन (मुख) जिसका ऐसे (गणेशजी)=बहुव्रीहि समास	बहुव्रीहि

अभ्यास

१. नीचे लिखे समस्त शब्दों (पदों) में स-विग्रह समास बताओ :—
दुसेरी, स्वर्णकार, सरसिज, हानिलाभ, क्रोधाग्नि, कुबुद्धि, सत्सई,
बलहीन, प्राणदा, जीवन-मरण, जीवन-साथी, अकारण, शरणागत,
विद्या-निधान, जय-पराजय, सुख-दुःख, यावज्जीवन, आमरण,

घनश्याम, चतुर्भुज, यथाबुद्धि, राज-कन्या, चौराहा; चन्द्रमुख, वारह-
सींगा, बाहु-बल, त्रिलोकी, नवधान, कुपूत, पंचामृत, नवग्रह ।

२. नीचे लिखे शब्द-समूह से समस्त शब्द बनाओ और समास का नाम भी लिखो :—

अल्प है बुद्धि जो, जप और तप, दिन-दिन, नहीं है अन्त जिसका,
महान् है पुरुष जो, पुत्र मे हीन, क्रम के अनुसार, उत्तम है पुरुष जो,
कटी है नाक जिसकी, आकाश से पतित, पीत है अम्बर जो, घोड़े का
सवार, लम्बा है उदर जिसका, जाति का उपकार, कला का प्रेमी, सत्
है चरित्र जो, अल्प है बुद्धि जिसकी, पांच सेर का एक समूह ।

३. निम्नलिखित समास-शुद्धियों में क्या अन्तर है ? प्रत्येक का उदाहरण देकर भेद स्पष्ट करें :—

(क) कर्मधारय और द्विगु

(ख) द्विगु और बहुव्रीहि

(ग) कर्मधारय और बहुव्रीहि

४. निम्नलिखित समस्त शब्दों में कौन से समास हैं ? विग्रह सहित बताइए ।
यदि एक ही शब्द में दो प्रकार के समास हों तो विग्रह पृथक्-पृथक्
लिखिए :—

लम्बोदर, चक्रपाणि, चरणकमल, त्रिलोचन, अल्पबुद्धि, कमलनयन,
पीताम्बर, हनुमान, दशानन, सच्चरित्र, घनश्याम ।

५. नीचे लिखे मोटे टाइप के शब्दों का सविग्रह समास बताइए :—

(१) यह मनुष्य दुश्चरित्र है । (२) ऐसा कौन है जो प्राप्त धन छोड़
दे । (३) वह दरदर भीख माँगता है । (४) राम पुरुषोत्तम थे ।
(५) दानवीरों को चाहिए कि धन-हीनों को यथा-शक्ति अन्न-दान
दें । (६) माता-पिता का कहना मानना सुपुत्र का कर्तव्य है ।
(७) कुसंगति में पड़कर गली-गली क्यों भटकते हो ? (८)
भक्तवत्सल भगवान शरणागतों की सदैव रक्षा करते हैं । (९)
उसने मुझे अभय-दान दिया । (१०) अधर्म और अन्याय का कभी
आश्रय नहीं लेना चाहिए । (११) उसके शुभागमन पर सब ने हर्ष

प्रकट किया। (१२) मुझे पद-व्याख्या और पदान्वय नहीं आते।
(१३) जीवन में सुख-दुःख के अतिरिक्त और है ही क्या ?

(४) उपसर्ग

उपसर्ग न तो स्वतंत्र शब्द हैं और न अक्षर और न इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग ही होता है। उपसर्ग वास्तव में वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व लग कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वा उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। कभी-कभी एक ही उपसर्ग पृथक्-पृथक् शब्दों के पूर्व लग कर पृथक्-पृथक् अर्थ देता है। उदाहरण के लिए 'वि' उपसर्ग को ही लीजिए—

वि+ज्ञान=विज्ञान (विशेष वा विशिष्ट ज्ञान)
वि+देश=विदेश (परदेश, अपने देश से भिन्न देश)
वि+मल=विमल (मल रहित)

इसी प्रकार उपसर्ग कभी-कभी शब्द के मूल अर्थ को ही सर्वथा बदल देता है। उदाहरण के लिए 'हार' शब्द को ही लीजिए। 'हार' का अर्थ है हारण करने वाला, चुराने वाला या पराजय, किन्तु 'हार' के पूर्व विभिन्न उपसर्ग लग कर किस प्रकार उसके अर्थ को बदल देते हैं, यही द्रष्टव्य है—

उपसर्ग	मूलशब्द	=	व्युत्पन्न शब्द	अर्थ
आ	+ हार	=	आहार	(भोजन)
वि	+ हार	=	विहार	(गमन)
प्र	+ हार	=	प्रहार	(चोट)
सं	+ हार	=	संहार	(नाश)
वि + अब	+ हार	=	व्यवहार	(वर्ताव)
सं + आ	+ हार	=	समाहार	(संक्षेप, योग)
उप + सं	+ हार	=	उपसंहार	(समाप्ति)
वि + आ	+ हार	=	व्याहार	(ध्वनि, वार्त्तालाप)
परि	+ हार	=	परिहार	(झोड़ना)
उप	+ हार	=	उपहार	(भेंट)

शब्द के पूर्व उपसर्ग एक ही नहीं, आवश्यकता के अनुसार दो, तीन और चार तक लग सकते हैं, जैसे—सं+अभि+वि+आ+हार=समभिव्याहार, जिसका अर्थ है साथ वां संगति। उपसर्ग हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि सभी भाषाओं में होते हैं। हिन्दी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी काम में लाये जाते हैं, अतः उन भाषाओं के उपसर्ग भी उन भाषाओं के शब्दों के पूर्व लगाये जाते हैं। जो उपसर्ग जिस भाषा का है, उसका उसी भाषा के साथ प्रयोग करना चाहिए।

संस्कृत के उपसर्ग

प्र + कार	= प्रकार
आ + जीवन	= आजीवन
अन् + अन्त	= अनन्त
अव + नति	= अवनति
उव् + नति	= उन्नति
अधः + पतन	= अधःपतन
सव् + जन	= सज्जन
सह + वास	= सहवास
अनु + चर	= अनुचर
उत् + कर्ष	= उत्कर्ष
अ + पक्व	= अपक्व
अप + कार	= अपकार
सत् + आचार	= सदाचार
परा + जय	= पराजय
सम् + तोष	= संतोष
वि + ज्ञान	= विज्ञान
प्रति + कूल	= प्रतिकूल
उप + कार	= उपकार

कु + पुत्र	= कुपुत्र
परा + काष्ठा	= पराकाष्ठा
सम् + आ + चार	= समाचार
सह + योग	= सहयोग
वि + कार	= विकार
सं + चार	= संचार
अ + ज्ञान	= अज्ञान
वि + अव + हार	= व्यवहार
दुः + गम	= दुर्गम
अभि + आ + गत	= अभ्यागत
परि + ताप	= परिताप
सु + पुत्र	= सुपुत्र
सम् + भव	= संभव
निः + अप + राध	= निरेपराध
प्र + आ + रंभ	= प्रारंभ
प्र + माण	= प्रमाण
अव + गुण	= अवगुण
अभि + इष्ट	= अभिष्ट

हिन्दी के उपसर्ग

अन + पढ़	= अनपढ़
अन + जान	= अनजान
अ + चैत	= अचेत
सु + डोल	= सुडोल
अध + खिला	= अधखिला
कु + ठौर	= कुठौर
कु + हंग	= कुहंग
क + पूत	= कपूत
स + पूत	= सपूत

नि + डर	= निडर
भर + पेट	= भरपेट
नि + कम्मा	= निकम्मा
अप + सगुन	= अपसगुन
भर + पूर	= भरपूर
श्री + गुन	= श्रीगुन
अन + होनी	= अनहोनी
अ + छूता	= अछूता
अध + मरा	= अधमरा

उद् के उपसर्ग

ना + पाक	= नापाक
ना + लायक	= नालायक
वे + कार	= वेकार
वे + चारा	= वेचारा
बा + कायदा	= बाकायदा
कम + जोर	= कमजोर
बद + नाम	= बदनाम
वे + वक्ता	= वेवक्ता

ला + जवाब	= लाजवाब
दर + असल	= दरअसल
खुश + बू	= खुशबू
गैर + हाजिर	= गैरहाजिर
हर + दम	= हरदम
खुश + हाल	= खुशहाल
ला + मानी	= लामानी
वे + लगाम	= वेलगाम

अभ्यास

१. नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग और शब्द अलग-अलग करो :—

। अलग, उपवन, दुराचार, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पराजय, मधूत, निडर, प्रख्यात, बेईमान, बाकायदा, विदेश, भरपेट, अवनती, उन्नत, लाचार, बेहया, खुशहाल, उपकार, अछूता, विधवा, सगुण, निराकार, दुर्दशा, निराहार, विज्ञान, प्रारम्भ, अभीष्ट, श्रीगुन, कुठौर, अधखिला ।

२. नीचे लिखे उपसर्ग लगा कर शब्द-रचना करिए :—

अधि, अनु, आ, दुर, प्र, परा, उत्, बा, अभि, सह, वि, अन, और, अम् ।

३. नीचे लिखे शब्दों के पूर्व विभिन्न उपसर्ग लगाकर शब्द-रचना करिए, जैसे भाव शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाकर प्रभाव, अभाव स्वभाव, विभाव, अनुभाव आदि बनाये गये हैं :—

हार, भव, गम, कार, पत्ति, देश और गति ।

(५) प्रत्यय

वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अन्त में लग कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, 'प्रत्यय' कहलाते हैं, जैसे—लड़का+पन=लड़कपन, कमाना+ऊ=कमाऊँ, चाहना+वाला=चाहनेवाला, जीमना+अक्कड़=जिमक्कड़ ।

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं—[१] कृत् प्रत्यय और [२] तद्धित प्रत्यय ।

(क) कृत् प्रत्यय

वे प्रत्यय जो केवल क्रियापदों के अन्त में लग कर नये शब्द बनाते हैं, 'कृत् प्रत्यय' कहलाते हैं । कृत् प्रत्यय से बने हुए शब्द 'कृदन्त' कहलाते हैं, जैसे—

क्रिया	प्रत्यय	कृदन्त
गाना	वाला	गानेवाला
खाना	देया	खवेया
ऊडाना	ऊ	ऊडाऊ
जड़ना	इया	जड़िया
विछाना	अनीना	विछौना
सूँघना	नी	सूँघनी
रेतना	ई	रेती
चढ़ना	आव	चढ़ाव
भगड़ना	आलू	भगड़ालू
बुलाना	आवा	बुलावा

घबराना	आहट	घबराहट
भूलना	आ	भूला
भाड़ना	ऊ	भाहू
मारना	अ	मार
वचना	त	वचत
सिलना	आई	सिलाई
बोलना	ई	बोली
ऊड़ना	आन	ऊड़ान
मरना	इयल	मरियल
तै रना	आक	तैराक
खेलना	ड़ी	खिलाड़ी
लूटना	एरा	लुटेरा

सूचना—गाना, खाना, पीना, ऊड़ना आदि क्रियाओं में 'ना' केवल क्रिया का चिह्न-मात्र है। इनमें मूल क्रियाएँ गा, खा, पी, ऊठ आदि ही हैं। प्रत्यय इन मूल क्रियाओं के आगे ही लगाये जाते हैं।

अन्य उदाहरण

अड़ना	इयल	अड़ियल
चाटना	ओरा	चटोरा
पालना	क	पालक
कमाना	एरा	कमेरा
भागना	ओड़ा	भगोड़ा
भरना	हुआ	भराहुआ
सुनना	हुई	सुनीहुई
भूलना	आ	भूला
हँसना	आई	हँसाई
लड़ना	आई	लड़ाई
चढ़ाना	आवा	चढ़ावा

सजाना	वट	सजावट
ऊड़ना	आन	ऊड़ान
घुड़कना	ई	घुड़की
खपना	त	खपत
घोंकना	नी	घोंकनी

(ख) तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़ कर अन्य शब्दों के अन्त में लग कर उन नये शब्द बनाते हैं, 'तद्धित प्रत्यय' कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द 'तद्धितान्त' कहलाते हैं जैसे—

शब्द	प्रत्यय	तद्धितान्त
गाड़ी	वाला	गाड़ीवाला
तबल	ची	तबलची
खेल	ड़ी	खिलाड़ी
चाचा	एरा	चचेरा
तेल	ई	तेली
भूख	आ	भूखा
रंग	ईला	रंगीला
घन	वान	घनवान
बुढ़ा	पा	बुढ़ापा
बहुत	आयत	बहुतायत
साप	एरा	संपेरा
सोना	आर	सुनार
युवा	ती	युवती
ग्राम	य	ग्राम्य
चटक	ईला	चटकीला
खाक	सार	खाकसार
गुरु	ता	गुरुता
गुरु	त्व	गुरुत्व

लड़का	पन	लड़कपन
लघु	त्व	लघुत्व
लाठी	इया	लठिया
टाँग	ड़ी	टँगड़ी
कृपा	लु	कृपालु
दुकान	दार	दुकानदार
आनन्द	इत	आनन्दित
श्री	मान	श्रीमान
बेटा	इया	बिटिया
जुआ	री	जुआरी
चौड़ा	आई	चौड़ाई
दलाल	ई	दलाली

संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कठिन हैं, अतः संस्कृत-प्रत्ययों का ज्ञान न कराकर, उन प्रत्ययों से बने हुए कुछ अधिक प्रचलित शब्दों का ज्ञान करा देना ही पर्याप्त होगा।

शब्द	तद्धितान्त	शब्द	तद्धितान्त
शिशु	शैशव, शिशुकता	गुरु	गौरव, गुस्ता
कुल	कुलीन	सुन्दर	सुन्दरता, सौंदर्य
मेल	मलिन	धीर	धैर्य
मधुर	माधुर्य, मधुरता	दनु	दानव
पूर्ण	पूर्णमा	मनु	मानव
करु	कौरव	पुत्र	पौत्र
पांडु	पांडव	द्रुपद	द्रौपदी
जनक	जानकी	मास	मासिक
वासुदेव	वासुदेव	धर्म	धार्मिक
हिम	हैम	संसार	सांसारिक
दिन	दैनिक	अणु	आणविक
लोक	लोकिक	संस्कृति	सांस्कृतिक

अर्थ	आर्थिक	इतिहास	ऐतिहासिक
व्यवहार	व्यावहारिक	आत्मा	आत्मीय, आत्मिक
अन्त	अन्तिम	ग्राम	ग्रामीण, ग्राम्य
राष्ट्र	राष्ट्रीय	पति	पत्नी
मेघा	मेघावी	विद्वान्	विदुषी
श्रीमान	श्रीमती	तपः	तपस्वी
यदु	यादव	रघु	राघव

अभ्यास

१—उससर्ग और प्रत्यय में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाइए ।

२—कुन् प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अन्तर है ? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करिए ।

३—नीचे लिखे शब्द कुदन्त हैं वा तद्धितान्त ? बताइये—

भाड़न, ठंडक, वैष्णव, लघुता, खटास, छलिया, तल्लाई, वासुदेव, कृपालु, वनैला, गमन, चाल, वार्षिक, कमाऊ, शिवा, भूपट, बहाव, दिखावा, कतरनी, बौद्धिक, मार, लकड़हारा, बचत ।

४—नीचे लिखे शब्दों से तद्धितान्त शब्द बनाओ :-

सवार, कागज, बुड़डा, घर्म, सांप, खार, लम्बा, शरीर, सुमित्रा, वाप, पंख, सोना, टोकरी, पाठशाला, गुरु, नायक, मुख, भूत, नीति, नगर ।

(६) अन्य प्रकार से शब्द निर्माण

(क) कुछ जुड़े हुए शब्द हिन्दी में ऐसे प्रयोग में आ रहे हैं कि जिनमें एक शब्द तो सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक जैसे—

वात-बीत	काम-धाम	मेल-ठेला	माल-ताल
चाल-ढाल	भाड़-फूँक	नोक-भोंक	पान-वान
ठीक-ठाक	टाल-ढाल	दौड़-धूप	सौदा-बोदा
जोड़-तोड़	गौल-माल	देख-भाल	हल्ला-गुल्ला

(ख) कुछ जुड़े हुए शब्द ऐसे हैं कि जिनमें दोनों ही शब्द सार्थक हैं और प्रायः एक सा ही अर्थ रखते हैं, जैसे—

तन-मन	मार-पीट	जीव-जन्तु	आव-भगत
रोक-थाम	खाये-पीये	घास-पात	अनुनय-विनय
छान-बीन	हरा-भरा	कपड़े-लत्ते	जांच-पड़ताल
चीर-फाड़	हृष्ट-पुष्ट	खेल-कूद	डांट-फटकार
काट-छांट	नाच-कूद	बाल-बच्चे	किस्सा-कहानी
चमक-दमक	घर-द्वार	धन-धान्ये	ठोक-पीट

ग) कभी कभी अर्थ में दृढ़ता लाने के लिये शब्द की आवृत्ति कर दी जाती है, जैसे—

गांव-गांव	दिन-दिन	होते-होते	हाथों-हाथ
गली-गली	द्वार-द्वार	आगे-आगे	बातों-बात
घर-घर	कुछ-कुछ	साथ-साथ	कानों-कान
एक-एक	कोड़ी-कोड़ी	मारा-मारी	नीचे-नीचे

घ) कुछ शब्द ऐसे हैं जो आवश्यकता के अनुसार पदार्थ की यथार्थ वा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रख कर बना लिये जाते हैं ऐसे शब्द अनुकरण मूलक होते हैं, जैसे—

घड़ाम	घड़ाम-से	सनसन	सनसनाना
चट	चट-से	फड़कन	फड़फड़ाना
खटखट	खटखटाना	छपछप	छपछपाना

अन्य उदाहरण

सर-सर, धड़-धड़, टन-टन, टप-टप, ध्याऊँ, टेंटें, टर्-टर्, घुर-घुर, पी-पी, गांव-गांव, चूँ-चूँ, ची-ची, ख-खों, हुआ-हुआ, गुटरगूँ, वाँ-वाँ, कुंकड़कूँ
मनमिन ।

तीसरा अध्याय व्याकरण-बोध

जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध बोलने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे 'व्याकरण' (Grammar) कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के वाक्यों शब्दों, वर्णों आदि के भेद-प्रभेद अथवा बनावट आदि के पूरे-पूरे नियमों का ज्ञान हो जाता है; अतः व्याकरण का बोध अनिवार्य है।

(१) वर्ण-विचार

जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं—(१) स्वर और (२) व्यंजन। जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो सके, वह स्वर कहलाता है, जैसे—अ, ई, ऊ आदि। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना न हो वह व्यंजन कहलाता है, जैसे क, हे, भो आदि। यहां 'क' में अ, 'हे' में ए और 'भो' में ओ मिले हैं। इसी को अच्छी तरह समझने के लिए हम यों लिख सकते हैं :—

क+अ=क; ह+ए=हे; म+ओ=मो।

(१) स्वर (Vowel)

हिन्दी में कुल स्वर ११ हैं :—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इनमें अ, इ, उ और ऋ—ये चार स्वर ह्रस्व तथा शेष दीर्घ कहलाते हैं अ और आ, इ, और ई, उ और ऊ इसी प्रकार ऋ और ए परस्पर सवर्ण या सजातीय स्वर कहलाते हैं, क्योंकि अ—आ का उच्चारण स्थान एक है, इस प्रकार इ—ई, उ—ऊ आदि का भी। अ, इ, उ, ऋ आदि परस्पर असवर्ण व विजातीय स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण—स्थान भिन्न—भिन्न हैं। ए, ऐ, ओ और औ, ये चार स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये निम्न प्रकार असवर्ण स्वरों के मेल से बने हैं।

अ+इ=ए; अ+ए=ऐ; अ+उ=ओ; अ+औ=औ ।

ह्रस्व स्वर एक मात्रिक और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कहलाते हैं ।

(२) व्यंजन (Consonant)

हिन्दी में क से ह तक कुल ३३ व्यंजन हैं, जो निम्न प्रकार विभक्त हैं:—

(१) स्पर्श व्यंजन :—

क, ख, ग, घ, ङ — कवर्ग

च, छ, ज, झ, ञ — चवर्ग

ट, ठ, ड, ढ, ण — टवर्ग

त, थ, द, ध, न — तवर्ग

प, फ, ब, भ, म — पवर्ग-

(२) अन्तःस्थ व्यंजन:—य, र, ल, व ।

(३) ऊष्म व्यंजन:—श, ष, स, ह ।

सूचना:—(१) दो या दो से अधिक मिले हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे—क्+प=क्ष, त्+र=त्र, ज्+ञ=ज्ञ, त्+म्+य=त्म्य, क्+व=क्व, श्+र=श्र, प्+त=प्त, इत्यादि ।

सूचना:—(२) क्, ख्, ग्, आदि स्वर-रहित व्यंजन हल कहलाते हैं और हल का यह (,) चिह्न है ।

सूचना:—(३) स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त तीन अर्द्ध व्यंजन भी हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है । वे निम्नलिखित हैं:—

(क) विसर्ग (:), जैसे—प्रातः, दुःख, निःसंदेह, अतः ।

(ख) अनुस्वार (¨), जैसे—संगति, वंश, हंम, हिंसा ।

(ग) चन्द्र-विन्दु (ˆ), जैसे—हँसी, गंवार, घुआँ, कहाँ ।

सूचना:—(४) स्वर और व्यंजन दोनों समुदाय वर्णमाला (Alphabet) कहलाता है ।

सूचना:—(५) अनुस्वार का प्रयोग जब स्पर्श व्यंजनों के साथ किया जाता है तो अनुस्वार अपने वर्ग के पञ्चम अक्षर में बदल जाता है, जैसे—पंक और पङ्क, चंनु और चञ्चु, ठंडा और ठण्डा, कांत और कान्त, पंप

और पम्प । हिन्दी में दोनों ही रूप मान्य हैं । किन्तु स्पर्श व्यंजनों के अतिरिक्त अनुस्वार सदा अनुस्वार ही रहता है और वह कभी अर्द्ध न (व) में नहीं बदलता है, जैसे—अंश को अन्ध या हिंसा को हिंसा लिखना अशुद्ध माना जाता है ।

वर्णों का उच्चारण-स्थान

च्चारण स्थान	व्यंजन			स्वर	
	स्पर्श	अन्तःस्थ	ऊष्म	ह्रस्व	दीर्घ
कण्ठ	क, ख, ग, घ, ङ	—	ह	अ	आ
तालु	च, छ, ज, झ, ञ	य	श	इ	ई
मूर्द्धा	ट, ठ, ड, ढ, ण	र	ष	ऋ	—
दन्त	त, थ, द, ध, न	ल	स	—	—
ग्रोष्ठ	प, फ, ब, भ, म	—	—	उ	ऊ
कंठ-तालु	—	—	—	—	ए, ऐ
कंठीष्ठ	—	—	—	—	ओ, औ
इन्तीष्ठ	—	व	—	—	—
नासिका	ङ, ञ, ण, न, म	—	—	—	—

चना:—विसर्ग का कंठस्थान, अनुस्वार और चन्द्र-विन्दु का नासिका स्थान है ।

(२) शब्द-विचार

शब्द के मन्वन्ध में प्रथम और द्वितीय अध्याय में काफी विवेचन किया

जा चुका है, अतः यहां केवल वाक्य में प्रयोग करने की दृष्टि से शब्द के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, जिससे छात्रों को वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का परस्पर सम्बन्ध ज्ञात हो जाय ।

(अ) संज्ञा (Noun)

किसी वस्तु, व्यक्ति वा स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है । संज्ञा पांच प्रकार की होती है:—

१. व्यक्ति वाचक (Proper Noun) :—केवल एक ही निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाली, जैसे:—राम, गंगा, हिमालय, रामायण ।
२. जाति वाचक (Common Noun) :—एक जाति की सभी वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली, जैसे:—मनुष्य, नदी, नगर, मछली, बालक ।
३. समुदाय वाचक (Collective Noun) :—एक जाति को बहुत सी वस्तुओं के समुदाय का एक साथ ज्ञात कराने वाली, जैसे:—सेना, श्रेणी, परिवार, समिति ।
४. द्रव्य वाचक (Material Noun) :—खाद्य, पेय और खनिज पदार्थों का बोध कराने वाली, जैसे:—भोजन, दूध, चांदी, लोहा, मदिरा ।
५. भाव वाचक (Abstract Noun) :—किसी पदार्थ के धर्म, गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाली, जैसे:—शीतलता, खटास, बुढ़ापा, उतार, चढ़ाई, सफेदी ।

सूचना :—(१) व्यक्ति वाचक, समुदाय वाचक, द्रव्य वाचक और भाव वाचक संज्ञाएँ सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, बहुवचन में नहीं, और यदि इनका प्रयोग बहुवचन में हो, तो फिर ये जाति वाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं, जैसे :—

(क) मेरी कक्षा में तीन रामलाल हैं (जाति वाचक)

(ख) रामलाल एक परिश्रमी छात्र है (व्यक्ति वाचक)

(ग) इस पक्षी की चाल सुन्दर है (भाव वाचक)

(घ) मैं तुम्हारी सब चालों को समझता हूँ (जाति वाचक)

(ङ) तुम किस कक्षा में पढ़ते हो ? (समुदाय वाचक)

(घ) सभी कक्षाओं को छोड़ दो (जाति वाचक)

(छ) विदेशी मदिराएँ कीमती होती हैं (जाति वाचक)

(ज) मदिरा पीना बुरा है (द्रव्य वाचक)

सूचना:—(१) जाति वाचक संज्ञाएँ जब व्यक्ति-विशेष के लिए प्रयोग की जायें, तब वे व्यक्ति वाचक बन जाती हैं ।

जैसे :—(i) मिश्राजी इस चुनाव में अवश्य जीतेंगे ।

(ii) भटनागर साहब दर्शन-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं ।

वचन (Number)

हिन्दी में दो वचन होते हैं :—(१) एक वचन (Singular) जिससे एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जैसे—माता और (२) बहुवचन (Plural) जिससे एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, जैसे:—माताएँ ।

सूचना—कभी-कभी संज्ञाओं के वचन का ज्ञान प्रयोग से जाना जाता है अन्यथा नहीं, जैसे :—वृक्ष से फल गिरे । यहाँ फल शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है ।

लिङ्ग (Gender)

हिन्दी में केवल दो लिंग हैं—(१) पुलिग (Masculine) जिसमें नर का बोध हो और (२) स्त्रीलिग (Feminine) :—जिससे स्त्री (मादा) का बोध हो जैसे—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
पुत्र	पुत्री	वर	वधू
पति	पत्नी	भाई	बहिन
भैंसा	भैंस	विलाव	विल्ली

सूचना—(१) हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुलिग होते हैं, जैसे:—पक्षी, खटमल, हिमालय, सूर्य, चन्द्रमा तथा कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिग होते हैं, जैसे :—मिट्टी, आशा, दिशा, कमल, बुद्धि, सभा आदि ।

सूचना—(२) निर्जीव वस्तुओं का लिंग-ज्ञान उनके प्रयोग और नाम के अनुसार समझा जाता है, जैसे:—मैंने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है। मैंने ग्रन्थ पढ़ा। यहाँ ग्रन्थ शब्द पुल्लिंग है। उसका कुरता फट गया। यहाँ कुरता पुल्लिंग है। उसकी कमीज सिल गई। यहाँ कमीज स्त्रीलिंग है।

इस प्रकार विशेषण, सर्वनाम और क्रिया की सहायता से निर्जीव वस्तुओं का लिंग-ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

कारक (Case)

हिन्दी में आठ कारक होते हैं :—

१. कर्ता (Nominative) :—क्रिया का करने वाला, जैसे घोड़े ने घास खाई। इसका चिह्न 'ने' है।

२. कर्म (Objective) :—जिस पर क्रिया का फल गिरे, जैसे :—घोड़ों को घास डाल दो। इसका चिह्न 'को' है।

३. करण :—जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को करे, अर्थात् जो क्रिया करने का साधन हो। जैसे :—हरि ने कलम से लिखा। इसका चिह्न 'से' है।

४. सम्प्रदान :—जिसके लिए कुछ किया जाय, जैसे :—घोड़े के लिए घास लाओ। इसका चिह्न 'के लिए' है।

५. अपादान :—जिससे पृथक्ता प्रकट हो, जैसे :—हरि घोड़े से गिर गया। इसका चिह्न 'से' है।

६. सम्बन्ध (Possessive) :—जिसमें सम्बन्ध प्रकट हो, जैसे :—घोड़े की जीन। इसका चिह्न 'का' 'की' 'के' है।

७. अधिकरण :—जो क्रिया का आधार हो, जैसे :—बैच पर बैठो। पान में सुपारी नहीं है। इसका चिह्न 'में' 'पर' है।

८. सम्बोधन (Vocative) :—जो पुकारने में काम आए, जैसे :—हे राम ! तुम कहां थे ? इसका चिह्न 'हे' 'अरे' है।

सूचना (१) जब क्रिया सकर्मक हो और अपूर्ण भूत तथा हेतु हेतुमद् भूत को छोड़कर भूतकाल में प्रयोग की गई हो, तो कर्ता के पश्चात् 'ने' चिह्न

का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं। जैसे :—राम ने पढ़ा। राम ने पढ़ा था। राम ने पढ़ा होगा। राम ने पढ़ा है।

सूचना (२) करण और अपादान कारक में यह अन्तर है कि करण कारक का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ वस्तु क्रिया का कारण बने, अर्थात् वस्तु का सम्बन्ध कर्ता के साथ बना रहे, विच्छेद न हो, जैसे :—वह पैसिल से लिखता है। यहाँ पैसिल कर्ता के साथ है, उससे अलग नहीं हुई। इसके विपरीत अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विच्छेद होना अर्थात् पृथक् होना पाया जाता है, जैसे—वृक्ष से फल गिरा। यहाँ फल और वृक्ष में विच्छेद हो गया, वृक्ष और फल पृथक्-पृथक् हो गए। करण और अपादान दोनों ही कारकों का चिह्न 'से' है।

सूचना (३) जहाँ दो शब्द एक ही वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करने के लिए एक ही कारक में आवें, वहाँ पहला शब्द दूसरे शब्द का समानाधिकरण कारक (Case in apposition) होता है, जैसे :—हरि के भाई, सोहन ने, खीर खाई। यहाँ हरि का भाई और सोहन दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं और दोनों ही कर्ता कारक में हैं, अतः यहाँ 'भाई' सोहन का समानाधिकरण कारक है।

संज्ञा की पद-व्याख्या

संज्ञा की पद-व्याख्या में नीचे लिखी बातें बतानी चाहिएँ :—१. संज्ञा का प्रकार, २. वचन, ३. लिंग, ४. कारक और ५. सम्बन्ध (क्रिया या अन्य शब्दों में)

उदाहरण

१. राम ! वे छात्र जो संगीत में निपुण थे, छठी श्रेणी से निकाल दिये गए।

राम :—व्यक्ति वाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, सम्बोधन कारक।

छात्र :—जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, सम्बोधन कारक।

संगीत में :—भाव वाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण, कारक।

श्रेणी से :—समुदायवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, अपादान-कारक।

(आ) सर्वनाम (Pronoun)

वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, 'सर्वनाम' कहलाते हैं। सर्वनाम सान प्रकार के होते हैं।

१. पुरुष वाचक (Personal) जिससे पुरुष का बोध हो।

पुरुष वाचक तीन होते हैं—(१) उत्तम पुरुष (First Person) जैसे—मैं, हम, मेरा, हमारा (२) मध्यम पुरुष (Second Person), जैसे—तू, तुम, तेरा, तुम्हारा (३) अन्य पुरुष (Third Person) जैसे—वह, वे, उसका, उनका।

२. सम्बन्ध वाचक (Relative)—जो पूर्वागत संज्ञा से सम्बन्ध प्रकट करे, जैसे—जो, जिससे, जिसको, जिनको आदि।

सूचना—सम्बन्ध वाचक सर्वनाम का सम्बन्ध अपने 'नित्यसम्बन्धी' (Antecedent) शब्द से अनिवार्य है, जैसे :—वे महाशय जो अभी यहां ख थे, कहां गये ? यहाँ 'जो' सम्बन्धवाचक सर्वनाम है जो अपने 'नित्य सम्बन्धी' 'महाशय' से सम्बन्ध प्रकट करता है।

३. निश्चय वाचक (Definite Demonstrative)—जो निश्चित संज्ञ के बदले में आवे अथवा जिससे निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं का निश्चित ज्ञान हो जैसे—यह, ये, वह, वे।

४. अनिश्चय वाचक (Indefinite)—जो किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराए, जैसे—कोई, कुछ, सब, कई।

५. प्रश्न वाचक (Interrogative) यह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होकर प्रश्न का बोध कराए जैसे—कौन, क्या, किसको।

६. निजवाचक (Reflexive):—वह सर्वनाम जो अपनापन प्रकट करे, जैसे—आप, अपना।

७. प्रत्येक बोधक (Distributive) :—जो बहुतों में से प्रत्येक का बोध कराने वाला हो जैसे:—प्रत्येक, एक-एक।

संज्ञाओं के समान ही सर्वनामों में भी लिंग, वचन और कारक होते हैं।

सर्वनाम की पद व्याख्या

सर्वनाम की पद-व्याख्या में नीचे लिखी बातें बतानी चाहिए—

(१) सर्वनाम का प्रकार (२) यदि पुरुष वाचक सर्वनाम हो तो उसका

पुरुष (३) लिंग (४) वचन (५) कारक और (६) सम्बन्ध (क्रिया आदि शब्दों से) ।

उदाहरण

१. इनमें से प्रत्येक ने उस युद्ध को देखा है जो सन् १६१४ में हुआ था ।

इनमें से—निश्चयावाचक सर्वनाम, बहुवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक ।

प्रत्येक ने—प्रत्येक बोधक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, 'देखा है' क्रिया का कर्ता ।

जो—सम्बन्ध वाचक सर्वनाम, इसका नित्य सम्बन्धी 'युद्ध' है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, 'हुआ था' क्रिया का कर्ता ।

२. राम ने मुझ से पूछा कि तुम क्या खाते हो ?

मुझसे—पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, 'पूछा' क्रिया का कर्म ।

तुम—पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, 'खाते हो' क्रिया का कर्ता ।

क्या—प्रश्न वाचक सर्वनाम, कर्म कारक, 'खाते हो' क्रिया का कर्म ।

(इ) विशेषण (Adjective)

जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, दशा, संख्या आदि विशेषताओं को प्रकट करे, वह 'विशेषण' कहलाता है ।

विशेषण आठ प्रकार के होते हैं—

१. व्यक्ति वाचक (Proper) जो व्यक्ति वाचक संज्ञा से बना हुआ हो, जैसे—भारतीय, चीनी, पंजाबी तथा रामानन्दी ।

२. गुणावाचक (Adj. of Quality)—जो संज्ञा वा सर्वनाम का गुण, दशा, रंग आदि बतावे । जैसे—लाल, हरा, छोटा, बड़ा, टुट्ट, बुढ़ा, जवान ।

३. परिमाण वाचक (Adj. of Quantity)—जो नाप, तोल, परिमाण बतावे, जैसे—थोड़ा, बहुत, अधिक, किंचित्, अल्प, कुछ ।

४. निश्चित संख्या वाचक (Definite Number)—जो निश्चित संख्या का बोध करावे, जैसे—पाँच, मात, छठा, चौथा, पन्द्रह, दुगुना, चौगुना ।

५. अनिश्चित संख्या वाचक (Indefinite Number)—जो अनिश्चित संख्या का बोध कराये, जैसे—सब, कुछ, कई, बहुत ।

६. संकेत वाचक (Demonstrative)—जो संकेत करे, जैसे—यह, ये, वह, वे, तथा ऐसे ।

७. प्रत्येक बोधक (Distributive)—जो बहुतों में से प्रत्येक का बोध करावे, जैसे—प्रत्येक, दो-दो, हर, तीसरा ।

८. प्रश्न-वाचक (Interrogative)—जो प्रश्न करे, जैसे—कौनसा, क्या । विशेषण को तीन अवस्थाएँ (Degrees) होती हैं ।

१. मूलावस्था (Positive Degree)—जो विशेषण का सामान्य रूप हो, जैसे—लघु, प्रिय तथा उत्कृष्ट ।

२. उत्तरावस्था (Comparative Degree)—जहाँ दो वस्तु वा व्यक्तियों की तुलना की जाय, जैसे—लघुतर, प्रियतर, अधिक, उत्कृष्ट । इसमें विशेषण के सामान्य रूप के आगे 'तर' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, किन्तु केवल तत्सम रूपों में ही, मर्वत्र नहीं, जैसे—

यह पुस्तक उससे श्रेष्ठतर है । यह कार्य उस कार्य से अधिक उत्कृष्ट है । गुरुजी सोहन को मोहन से प्रियतर समझते हैं । यह बकरी उस बकरी से कम काली है ।

३. उत्तमावस्था (Superlative)—जहाँ सब में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाय अर्थात् बहुतों में से एक का चुनाव किया जाय, जैसे—लघुतम, प्रियतम, सबसे उत्कृष्ट आदि । तत्सम रूपों में 'तम' प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे—

इन रचनाओं में आपकी श्रेष्ठतम रचना कौनसी है ? राम दशरथ का प्रियतम पुत्र था । सबसे अधिक लम्बी घड़ी कहीं है ?

सूचना (१) विशेषण जिस संज्ञा वा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वह 'विशेष्य' कहलाता है ।

विशेषण के लिंग और वचन अपने विशेष्य (संज्ञा) के अनुसार ही होते हैं ।

जैसे—छोटा बालक, छोटी पुस्तक, छोटे लड़के आदि । काला कुत्ता, काले कुत्ते, काली कुत्तिया आदि ।

सूचना (२) कुछ सर्वनाम और कुछ विशेषण नाम तथा कार्य में मिलते हुए होते हैं ।

जैसे—निश्चय वाचक सर्वनाम और संकेत वाचक विशेषण; प्रत्येक दोषक सर्वनाम और अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण । इनका अन्तर समझने के लिए याद रखना चाहिए कि यदि ये किसी संज्ञा वा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तब तो ये विशेषण होते हैं और जब स्वयं किसी संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं तब वे सर्वनाम होते हैं, जैसे—

बाल में कुछ है (अनिश्चित-वाचक सर्वनाम)

कुछ छात्र गणित में कमजोर हैं (अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण)

वह कहाँ गया है (पुरुष वाचक सर्वनाम)

यह भवन अच्छा है, किन्तु वह उतना अच्छा नहीं (निश्चयवाचक सर्वनाम)

वह छात्र गणित में प्रवीण है । (संकेत वाचक विशेषण)

तुम्हें क्या बस्तु चाहिए ? (प्रश्न वाचक विशेषण)

वह क्या खाता है ? (प्रश्न वाचक सर्वनाम)

विशेषण की पद-व्याख्या

विशेषण की पद-व्याख्या करने में नीचे लिखी बातें बतानी चाहिएँ :—

(१) प्रकार (२) अवस्था (३) लिंग (४) वचन और (५) सम्बन्ध (विशेष्य से)

उदाहरण

१. इस काली गाय का दूध प्रत्येक गनुष्य की लाभप्रद है ।

इस :—संकेत-वाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन इसका विशेष्य 'गाय' है ।

काली :—गुण—वाचक विशेषण, मूलावस्था, स्त्रीलिंग, एक वचन, इसका विशेष्य 'गाय' है ।

प्रत्येक :—प्रत्येक—बोधक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, इसका विशेष्य 'मनुष्य' है ।

लाभप्रद :—गुण वाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एक वचन, इसका विशेष्य दूध है ।

चीनी कन्याएँ चार काम दिन मे करती है ।

चीनी :—व्यक्ति वाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन, इसका विशेष्य 'कन्याएँ' हैं ।

चार :—निश्चित संख्या—वाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, इसका विशेष्य 'काम' है ।

(ई) क्रिया (Verb)

जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय, उसे क्रिया कहते है ।

क्रिया आठ प्रकार की हैं :—

• अकर्मक क्रिया (Intransitive Verb) :—जो क्रिया कर्ता तक ही सीमित हो, जिममें कर्म की आवश्यकता ही न पड़े ? जैसे :—राम सोता है । वे जाते हैं ।

• सकर्मक क्रिया (Transitive Verb) :—जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े । जैसे :—वह दूध पीता है । मैं पत्र लिखता हूँ ।

• अपूर्ण अकर्मक क्रिया (A Verb of Incomplete Predication) :—जो क्रिया, कर्ता से अपना तात्पर्य पूरा न होने के कारण अन्य शब्द (पूरक) की अपेक्षा रखे, जैसे :—श्याम (मूर्ख) प्रतीत होता है । राम (एक चतुर छात्र) है ।

• अपूर्ण सकर्मक क्रिया (Factitive Verb) :—जो सकर्मक क्रिया कर्म के होते हुए भी अपना तात्पर्य पूरा करने के लिए अन्य शब्द (पूरक) की अपेक्षा रखे, जैसे :—मैंने हरि को (उदास) पाया । राम ने विभीषण को (लङ्का का राजा) बनाया ।

सूचना:—अपूर्ण अकर्मक क्रिया के पूरक को उद्देश्य-पूरक (Subjective Complement) और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के पूरक को विधेय-पूरक (Objective Complement) कहते हैं ।

५. संयुक्त क्रिया (Compound Verb) :—जो दो वा दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक क्रिया बनी हो । जैसे:—हरि मोहन को एक रूपया दे सकता है । राम गा रहा होगा ।

६. द्विकर्मक क्रिया (A Verb with Two Objects) :—जिस क्रिया के साथ मुख्य (Direct) और गौण (Indirect) दो कर्म (Objects) रहते हों । जैसे:—गुरुजी ने मुझे इतिहास पढ़ाया । इस वाक्य में 'पढ़ाया' क्रिया का मुख्य कर्म 'इतिहास' और गौण कर्म 'मुझे' है ।

७. सजातीय क्रिया (A Verb with Cognate Object) :—जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हों । जैसे :—पाण्डवों ने कौरवों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी । इस वाक्य में 'लड़ना' क्रिया से 'लड़ी' सजातीय क्रिया बनी है । और 'लड़ाई' सजातीय कर्म (Cognate Verb) बना है । वह एक दौड़ दौड़ा—में दौड़ा क्रिया सजातीय है ।

८. प्रेरणार्थक क्रिया (Causative Verb) :—जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य से करावे, जैसे :—उसने अपने घोड़े को कुदाया ।

सूचना:—(१) क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय लगा कर जो क्रिया बनाई जाती है, उसे 'नाम' धातु क्रिया कहते हैं । जैसे:—हाथ से हथियाना, गांठ से गांठना, बड़ बड़ से बड़ बड़ाना ।

(२) मूल क्रिया (धातु) के आगे 'कर' वा 'करके' लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है, उसे 'पूर्व-कालिक क्रिया' कहते हैं, जैसे:—स्नान करके भोजन करो । वह वाग जाकर दौड़ लगाता है ।

(३) जिस क्रिया में आज्ञा, उपदेश, अनुमति आदि पाए जायँ उसे 'विध्यर्थक क्रिया' कहते हैं, जैसे:—सच दोना । आपको नियत समय पर आना चाहिए ।

काल (Tense)

जिससे क्रिया का समय सूचित हो, उसे काल कहते हैं । काल के मुख्य तीन भेद होते हैं:—

१. भूत (Past) :—जिसमें क्रिया भूत काल में हुई हो जैसे :—उसने पुस्तक पढ़ी । वह गा रहा था ।
२. वर्तमान (Present) :—जिसमें क्रिया वर्तमान में हो रही हो, जैसे :—वह पुस्तक पढ़ता है । वे हँस रहे हैं ।
३. भविष्यत् (Future) :—जिसमें क्रिया का भविष्य में होना पाया जाय, जैसे :—वह पुस्तक पढ़ेगा । तुम दो वजे जाओगे ।

वाच्य (Voice)

जिसके द्वारा क्रिया का विधान कर्ता, कर्म या भाव में जाना जाय उसे 'वाच्य' कहते हैं ।

वाच्य के तीन भेद होते हैं :—

१. कर्तृवाच्य (Active Voice) :—जिस क्रिया में कर्ता प्रधान हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हों, जैसे:—डा़त्र गए । राधा आई ।
२. कर्मवाच्य (Passive Voice) :—जिस क्रिया में कर्म प्रधान हो और कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो जैसे :—पुस्तक पढ़ी गई । रुपया दिया गया ।
३. भाव वाच्य (Impersonal Voice) :—जिसमें केवल भाव ही प्रधान हो । भाव वाच्य सदा अकर्मक क्रिया से बनाया जाता है और यह क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष के अनुसार होती है, जैसे:—मुझ से नहीं सोया जाता है । उनसे नहीं हँसा गया ।

क्रिया की पद-व्याख्या

क्रिया की पद-व्याख्या में नीचे लिखी बातें बतानी चाहिएँ :—(१) प्रकार (२) काल (३) वाच्य (४) लिंग (५) वचन (६) पुरुष (७) सम्बन्ध, कर्ता या कर्म से ।

१. राम ने कहा कि सोहन को रूपया दो ।

कहा :—सकर्मक क्रिया, भूतकाल कर्तृवाच्य, पुल्लिङ्ग, एक वचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'राम' और कर्म 'कि सोहन को रूपया दो' पूर्ण वाक्य है ।

दो :—द्विकर्मक (विध्यर्थक) क्रिया, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, पुल्लिङ्ग, एक वचन, मध्यम पुरुष, इसका कर्ता 'तुम' (छिपा हुआ) और मुख्य कर्म 'रूपया' और गौण कर्म 'सोहन' है ।

२. मोहन से यह पूँछा गया कि अब उससे क्यों नहीं हँसा जाता ।

पूँछा गया :—सकर्मक संयुक्त क्रिया, भूतकाल, कर्मवाच्य, पुल्लिङ्ग, एक वचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'मोहन' और कर्म 'यह' है ।

हँसा जाता :—अकर्मक संयुक्त क्रिया, वर्तमान काल, भाववाच्य, पुल्लिङ्ग, एक वचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'उससे' है ।

३. इसका नाम हरी है ।

है :—अपूर्णा अकर्मक क्रिया, वर्तमानकाल, कर्तृवाच्य, पुल्लिङ्ग, एक वचन अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'नाम' और इसका पूरक 'हरि' है ।

सूचना—पूरक की पद व्याख्या में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो भी शब्द हों, उसकी उस ही ढङ्ग से पद-व्याख्या करके अन्त में कारक और सम्बन्ध के स्थान में यह लिख देना चाहिए कि 'यह' इस क्रिया का 'पूरक' है, जैसे-उपर्युक्त वाक्य में-हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन, पुल्लिङ्ग, 'है' अपूर्णा क्रिया का पूरक है ।

(३) अव्यय

जिनका रूप कभी न बदले, सदा ही एक रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं । अव्यय चार प्रकार के हैं ।

१. क्रिया विशेषण अव्यय (Adverb):—ये आठ प्रकार के होते हैं :—

(क) काल वाचक (Adverbs of time):—क्रिया का काल बतलाने वाला जैसे :—आज, पहिले, बहुवा, कल, परसों, प्रायः ।

(ख) स्थान वाचक (Adverbs of place):—क्रिया का स्थान बतलाने वाला जैसे :—वहाँ, उपर, पास, जहाँ, उम, और, इधर, उधर, नीचे ।

(ग) संख्या वाचक (Adverbs of Number):—क्रिया की संख्या बतलाने वाला, जैसे:—एकदा, अकेले, दुबारा ।

(घ) रीतिवाचक (Adverbs of Manner) क्रिया की रीति प्रकट करने वाला, जैसे:—जाते-जाते, धीरे धीरे, शनैः शनैः, जोर से ।

(ङ) प्रश्न वाचक (Interrogative Adverbs) :—जिसके द्वारा प्रश्न का बोध हो, जैसे:—कहाँ, कब, कितनी बार, कैसे, कितना, क्यों ।

(च) परिमाण वाचक (Adverbs of degree) क्रिया का परिमाण बतलाने वाला, जैसे—कम, थोड़ा, पर्याप्त, अत्यधिक ।

(छ) स्वीकार वाचक (Adverbs of Affirmation):—क्रिया की स्वीकृति सूचित करने वाला, जैसे—हां, जी, ठीक ।

(ज) निषेध वाचक (Adverbs of Negation):—क्रिया का निषेध सूचित करने वाला, जैसे:—नहीं, मत, न ।

२. सम्बन्ध बोधक अव्यय (Preposition)—स्वतन्त्र भी आता है और सम्बन्ध कारक के साथ भी, जैसे—गुरु सहित, गुरु के सहित ।

सम्बन्ध बोधक अव्यय के अन्य उदाहरण :—

बिना, बदले, योग्य, समान, सा, कारण और भीतर, परे, तरह ।

३. संयोजक अव्यय (Conjunction):—ये दो प्रकार के होते हैं:—

(क) समानाधिकरण संयोजक (Coordinate Conjunction)—जो संयोजक, विभाग, विरोध और परिणाम प्रकट करे, जैसे—और, तथा, अथवा, किया, किन्तु, पर, अतः अतएव ।

(ख) व्याधिकरण संयोजक (Subordinate Conjunction):—जो कारण, उद्देश्य, संकेत, आदि प्रकट करे, जैसे—क्योंकि, किं, जिससे यद्यपि, यदि ।

४. विस्मयादि बोधक अव्यय (Interjection):—जैसे—ह्या ! अरे ! छिः ।

अव्यय की पद-व्याख्या

अव्यय की पद व्याख्या में केवल अव्यय का प्रकार और वाक्य में उसका अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताना

उदाहरण

१. हैं ! तुम आगरे से अभी चले आए और उसे अपने साथ नहीं लाए ।

हैं :—विस्मयादि बोधक अव्यय, आश्चर्य प्रकट करता है ।

अभी :—काल वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, 'चले आये' क्रिया का काल सूचित करता है ।

और :—समानाधिकरण संयोजक अव्यय है । 'चले आए' और 'उसे नहीं लाए' इन दो वाक्यों को जोड़ता है ।

साथ :—सम्बन्ध बोधक अव्यय 'अपने' का सम्बन्ध 'लाए' से सूचित करता है, नहीं : निषेध वाचक क्रिया-विशेषण अव्यय, 'लाए' क्रिया की विशेषता प्रकट करता है ।

अभ्यास

निम्नलिखित वाक्यों के सब शब्दों की पद व्याख्या करो :—

१. शीतल चन्द्र की किरणों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है
२. एक रुपये का पांच सेर दूध आता है, परन्तु अनजान दस सेर ।
३. भगवान कृष्ण का अवतार दुष्ट अत्याचारियों का नाश करने के लिए हुआ था ।
४. संसार में सदैव सहयोग और संगठन से चीर महापुरुषों ने सफलता प्राप्त की है ।
५. अहा ! प्रातःकाल भी कितना सुहावना समय है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं तथा कृषक अपने बैलों को लिए हुए खेत जोतने बहुत धीरे-धीरे मस्त होकर जा रहे हैं ।
६. बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा मा जल रहा ।
है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा ॥

(३) वाक्य-विरलेपण (Analysis)

शब्दों का ऐसा समूह, जिसका पूरा-पूरा अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है, जैसे—मोहन आगरे गया । हरि ने छड़ी से उसको पीटा ।

वाक्य तीन प्रकार के होते हैं :—

१. साधारण वाक्य:—(Simple Sentence):—जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया हो, जैसे—सोहन ने मुझे कल वाग में जाते हुए देखा। यहां 'सोहन' एक ही कर्ता है और 'देखा' एक ही मुख्य क्रिया है। किन्तु यदि किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों अथवा मुख्य क्रियाएँ एक से अधिक हों तो फिर वह साधारण वाक्य नहीं होगा जैसे—राम और कृष्ण दम्बई गये। यहां 'राम' और 'कृष्ण' दो कर्ता हैं अतः यह वाक्य साधारण वाक्य नहीं है। इसी प्रकार 'विमल ने पत्र लिखा और फाड़ डाला' में दो मुख्य क्रियाएँ हैं, अतः यह भी साधारण वाक्य नहीं है।

साधारण वाक्य का विश्लेषण या विग्रह

साधारण वाक्य के विग्रह करने में कर्ता, कर्ता का विस्तार, मुख्य क्रिया, सविस्तार कर्म, सविस्तार पूरक और क्रिया का विस्तार—इस प्रकार छः बातें बतानी चाहिए। उदाहरण के लिए यहां पांच वाक्यों का विश्लेषण करके समझा दिया जाता है—

वाक्य

१. मैं यह कार्य किसी-न-किसी तरह कर लूँगा।
२. स्वयं विद्या-विहीन मनुष्य दूसरों को कैसे विद्वान बना सकता है।
३. पिताजी की आज्ञा मान कर वह तुरन्त चल दिया।
४. शिवाजी भारत के एक प्रसिद्ध वीर पुरुष हैं।
५. मैं आगरे से लौटते समय मथुरा होता हुआ जयपुर पहुँचा।

विरलेपण

वाक्य संख्या	कर्ता	कर्ता का विस्तार	मुख्य क्रिया	सविस्तार कर्म	सविस्तार पूरक	क्रिया का विस्तार
१	मैं	—	कर लूँगा	यह कार्य	—	किसी-न-किसी तरह
२	मनुष्य	स्वयं विद्या-विहीन	बना सकता है	दूसरों को	विद्वान	कैसे
३	वह	—	चल दिया	—	—	१. पिताजी के आज्ञा मान क
४	शिवाजी	—	हुए है	—	भारत के एक प्रसिद्ध वीर पुरुष	२. तुरन्त— —
५	मैं	—	पहुँचा	जयपुर	—	आगरे से लौटते समय मथुरा होता हुआ

२. संयुक्त वाक्य (Compound Sentence) — जिस वाक्य के सभी उपवाक्य समानाधिकरण (Co-ordinate) हों, अथवा कम से कम एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण हो जैसे—

- (क) तुम आये और वह गया यहाँ दोनों उपवाक्य समानाधिकरण हैं।
 (ख) उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, परन्तु यदि डाक्टर अनुमति दे दे तो मैं

आपके साथ चल सकता हूँ । यहाँ 'परन्तु मैं आपके साथ चल सकता हूँ' यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य 'उसने कहा' का समानाधिकरण है ।

३. मिश्र वाक्य (Complex Sentence)—जिस वाक्य में केवल एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष सब आश्रित उपवाक्य हों, जैसे—मोहन ने कहा कि वह पुस्तक, जो कल मुझे आपने दी थी, बहुत अच्छी है ।

इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं—

१—मोहन ने कहा—प्रधान उपवाक्य

२—कि वह पुस्तक बहुत अच्छी है—आश्रित उपवाक्य

३—जो कल मुझे आपने दी थी—आश्रित उपवाक्य

संयुक्त और मिश्र वाक्यों के विग्रह को भली प्रकार समझने के लिए उपवाक्य और उसके भेद-प्रभेदों का ज्ञान आवश्यक है, अतः अब उपवाक्य के भेद समझाये जाते हैं ।

उपवाक्य की परिभाषा—एक बड़े वाक्य के उस अंश को उपवाक्य (Clause) कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो । एक बड़ा वाक्य कई छोटे-छोटे वाक्यों से मिल कर बनता है । एक बड़े वाक्य के ये छोटे-छोटे वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं ।

उपवाक्य-भेद

उपवाक्य के मुख्य तीन भेद होते हैं—

१. प्रधान उपवाक्य (Principal clause)—वह उपवाक्य जो स्वतन्त्र हो, किसी के आश्रित न हो, जैसे—

(क) जब आप आये तब हरि चला गया था ।

(ख) यदि आप सत्य न बोलते तो वे नाराज हो जाते ।

(ग) उसने पूछा कि कल आप कहा गये थे ।

ऊपर के तीनों वाक्यों में मोटे टाइट में उपवाक्य स्वतन्त्र है, किसी के आश्रित नहीं हैं, अतः ये प्रधान उपवाक्य हैं ।

२. आश्रित उपवाक्य (Subordinate Clause)—वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के या अन्य किसी उपवाक्य के आश्रित हो, जैसे—

(क) जब तक वह क्षमा न माँगेगा, मैं उसको घर में न घुसने दूँगा ।

- (ख) उसने कहा कि मैं कलकत्ता जाऊँगा ।
 (ग) यदि आप आते तो मैं आपके साथ अवश्य चलता ।
 (घ) वह मनुष्य जो कल यहाँ आया था, आज आगरे गया ।

ऊपर के चारों वाक्यों में मोटे टाइप में उपवाक्य स्वतन्त्र नहीं हैं, वे आश्रित हैं ।

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं :—

(क) संज्ञा उपवाक्य (Noun clause)—जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम का काम करे अर्थात् जो किसी क्रिया का कर्ता, कर्म वा पूरक हो या इनका नमानाधिकरण (Case in apposition) हो, जैसे—

- (१) जो कुछ उसने कहा बिल्कुल ठीक है । (कर्ता)
- (२) उसने कहा कि मैं कल आप से मिलूँगा । (कर्म)
- (३) ऐसा प्रतीत होता है कि आज वर्षा अवश्य होगी । (पूरक)
- (४) यह सुसम्बन्ध की आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये, अति आनन्द-कर है । (कर्ता समानाधिकरण)
- (५) यह चर्चा कि वह संसार से चल बसा, मैंने कल सुनी । (कर्म-समानाधिकरण)
- (६) प्रश्न यह है कि यह भगड़ा किस प्रकार निबटारा जाय (पूरक समानाधिकरण)

ऊपर के वाक्यों में मोटे टाइप में उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं ।

(ख) विशेषण उपवाक्य (Adjective clause)—जो उपवाक्य विशेषण का काम करे अर्थात् जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाये । जैसे—

- (१) यह वह छात्र है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ।
- (२) यह वही क्षेत्र है जहाँ कितनी ही बार भारत के भाग्य का निबटारा हो चुका है ।
- (३) वह मनुष्य जिसने कल चोरी की थी, आज पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है ।
- (४) जो खायगा सो मरेगा ।

ऊपर के वाक्यों में मोटे टाइप में उपवाक्य विशेषण उपवाक्य हैं।

(ग) क्रिया विशेषण उपवाक्य (Adverb clause)—जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का काम करें, जैसे—

- (१) यदि ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष खूब अनाज होगा ।
- (२) जहाँ चाह, तहाँ रह ।
- (३) जब मैं परिश्रम करता हूँ तब मुझे रुपया मिलता है ।
- (४) डाक्टर आने भी न पाया था कि रोगी चल बसा ।
- (५) वह अवश्य सफल होगा क्योंकि उसने जी-तोड़ परिश्रम किया है ।

ऊपर के वाक्यों में मोटे टाइप में उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं ।

(३) समानाधिकरण उपवाक्य (Co-ordinate clause)—वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या कितनी आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो, सम-कक्ष ही, बराबर के दर्जे का हो और वह समानाधिकरण संयोजक अव्यय (Co-ordinate Conjunction) द्वारा जुड़ा हुआ हो, समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है, जैसे—

- (१) श्याम निर्बल है किन्तु है परिश्रमी ।
- (२) यहाँ से तुरन्त चल दीजिए अन्यथा आप पछंतायेगे ।
- (३) इस कार्य को या तो आप ही कर लीजिए या मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए ।
- (४) वह न हँसता है, न रोता है ।
- (५) उसने कहा कि मैं कल अवश्य आऊँगा और आपके रुपये लेता आऊँगा ।

ऊपर के पाँचों वाक्यों में मोटे टाइप में उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य हैं, क्योंकि वे समानाधिकरण संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं और जिस उपवाक्य के साथ वे आये हैं, उसके समान-अधिकार वाले हैं ।

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करते समय सर्व-प्रथम मुख्य उपवाक्य ढूँढो । तदनन्तर उसके समानाधिकरण उपवाक्य ढूँढो । तत्पश्चात् इनके आश्रित उप-

वाक्यों का सम्बन्ध जिस उपवाक्य से हो, उसे बतलाओ। नीचे लिखे उदाहरणों द्वारा संयुक्त वाक्य का विश्लेषण भली प्रकार समझ में आ जायगा।

१. सीता परिश्रमी है और राधा आलसी।

विग्रह—

(क) सीता परिश्रमी है—मुख्य उपवाक्य

(ख) और राधा आलसी (है)—(क) का समानाधिकरण उपवाक्य
यह पूर्ण वाक्य एक संयुक्त वाक्य है।

२. वह कविता जो आचार का विरोध करती है, एक प्रकार से जीवन का प्रत्याख्यान करती है, और वह कविता जो आचार को उपेक्षा-दृष्टि से देखती है, स्वयं जीवन की उपेक्षा करती है।

विग्रह—

(क) वह कविता एक प्रकार से जीवन का प्रत्याख्यान करती है—मुख्य उपवाक्य।

(ख) जो आचार का विरोध करती है—(क) का विशेषण उपवाक्य।

(ग) और वह कविता स्वयं जीवन की उपेक्षा करती है—(क) का समानाधिकरण उपवाक्य।

(घ) जो आचार को उपेक्षा-दृष्टि से देखती है—(ग) का विशेषण उपवाक्य।
यह पूर्ण वाक्य एक संयुक्त वाक्य है।

मिश्र वाक्य का विश्लेषण

मिश्र वाक्यों का विग्रह करते समय सर्व-प्रथम मुख्य उपवाक्य ढूँढो, तदनन्तर अन्य आश्रित उपवाक्यों से उसका सम्बन्ध बतलाओ। यदि वाक्य में कहीं पर कर्ता, कर्म, क्रिया आदि छिपे हुए हों तो उन्हें कोष्ठक में प्रकट कर दो। जैसे—

१. उसने कहा कि वह छंद जिसमें तुक न हो, यदि पढ़ा जाय तो कानों को अच्छा नहीं लगता।

विग्रह—

(क) उसने कहा—मुख्य वाक्य।

(ख) कि वह छंद कानों को अच्छा नहीं लगता—संज्ञा उपवाक्य, (क) में 'कहा' क्रिया का कर्म ।

(ग) जिसमें तुक न हो—विशेषण उपवाक्य, (ख) में 'छन्द' की विशेषता प्रकट करता है ।

(घ) यदि (है) पढ़ा जाय—क्रिया विशेषण उपवाक्य, (ख) में 'अच्छा नहीं लगता' की विशेषता प्रकट करता है । यह पूर्ण वाक्य एक मिश्र वाक्य है ।

२. यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इस प्रकार के सैकड़ों कर्मवीर मिलेंगे, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से वे कार्य भी कर दिखलाये जो असंभव समझे जाते थे ।

विग्रह—

(क) इस प्रकार के सैकड़ों कर्म वीर मिलेंगे—प्रधान उपवाक्य ।

(ख) यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो—क्रियाविशेषण उपवाक्य, (क) में 'मिलेंगे' क्रिया की विशेषता प्रकट करता है ।

(ग) जिन्होंने अपने दृढ़दिखलाये—विशेषण उपवाक्य, (क) में कर्मवीर की विशेषता प्रकट करता है ।

(घ) जो असंभव समझे जाते थे—विशेषण उपवाक्य, (ग) में 'कार्य' की विशेषता प्रकट करता है । यह पूर्ण वाक्य एक मिश्र वाक्य है ।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में साधारण, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य छांटों और उनका

विग्रह करो :—

१. सेठ ने मुनीम से कहा कि उस रुपये का आधा जो व्याज में प्राप्त हुआ है, काश्मीर रिक्तीफ फंड में दे दो जिसमें लोगों की राहत मिले ।
२. उद्योगी पुरुष सदैव सफलता प्राप्त करते हैं ।
३. आप पधारेंगे या मैं वहां आऊँ ।
४. यदि दिल्ली जाओ तो मुझमें मिलते जाना ।
५. वह रुपया जो कल मिला था, आज जेब से गिर गया ।

६. बात यह है कि प्रतिभाशाली कवि सरल से सरल भाषा में श्रेष्ठ कविता करता है ।
७. जिस कविता से हृदय की कली विकसित न हो उठे और चित्त तन्मय न हो जाय, वह कविता कविता नहीं ।
८. उसने कहा कि मैं आज से आपको नोकरी छोड़ रहा हूँ, अतः मेरा हिसाब कर दीजिए ।
९. बिना सोचे-विचारे कोई काम न करना चाहिए ।
१०. चाबुक की मार के भय से घोड़ा अब ठीक चलने लग गया है ।
११. जो ग्रन्थ इस प्रयोजन से लिखे जाय कि सर्ध-साधारण उसमें लाभ उठाएँ तो उनकी भाषा ऐसी सरल होनी चाहिए कि वे सर्व-बोधगम्य हों ।
१२. जो जिस प्रान्त का वासी है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा तो उसी प्रान्त की भाषा में हो, पर साधारण शिक्षा हिन्दी में, क्योंकि हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन चुकी है ।
१३. यह सत्य है कि भक्ति के ऊपर जो कुछ सूर और तुलसी कह चुके, वह ग्रन्थ कवियों की सामर्थ्य से परे है ।
१४. वास्तव में वही लेखक सफल होता है जिसने मानव-जाति और विश्व का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया है ।
१५. जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब हम उदास हो जाते हैं और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं ।

(४) विराम चिन्ह

बोलते समय बीच-बीच में जो ठहरना वा रुकना पड़ता है, उसे 'विराम' वा विश्राम कहते हैं और लिखते समय विराम की जगह जो चिह्न लगाया जाता है, उसे 'विराम चिन्ह' कहते हैं उपयुक्त विराम चिन्हों के प्रयोग करने से बोलने वा लिखने वाले व्यक्ति का भाव वा विचार स्पष्ट समझ में आ जाता है । अतः छात्रों को विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और बोलते तथा लिखते समय उनका अवश्यमेव यथास्थान प्रयोग करना चाहिए । यदि यथास्थान विराम-चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जायगा तो भाषण

धा लेख त्रुटिपूर्ण होगा और संभव है कि उपयुक्त स्थानों पर विराम-चिन्हों के अभाव में कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाय । जैसे—

‘रोको, मत जाने दो ।’ और ‘रोको मत, जाने दो ।
 ‘तुमने भोजन कर लिया ।’ और ‘तुमने भोजन कर लिया ?
 ‘राम, नवमी आ गई है ।’ और ‘राम-नवमी आ गई है ।’

इन वाक्य युग्मों के अर्थ और अभिप्राय में विराम चिन्हों के प्रयोग ने कितना अन्तर उपस्थित कर दिया है, यह देखने की वस्तु है । विराम-चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किन्तु सोच समझकर । अब विराम-चिन्हों के नाम, चिन्ह प्रयोग आदि नीचे लिखे जाते हैं;—

१. अल्प विराम :—इसका चिह्न (,) है इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है । (क) वाक्य में जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो, जैसे-यह भी खूब लड़का है, न कुछ कहता है, न सुनता है । (ख) एक ही जाती वा प्रकार के शब्दों के बीच में, जैसे—मैं किसी से झेप नहीं रखता, मेरे लिए हिन्दू, मुसलमान, जैन, मित्र, ईसाई सब बराबर हैं । (ग) समानाधिकरण शब्द के दोनों ओर, जैसे—लंकाधिपति, रावण, राम से मारा गया । (घ) उद्धरण-चिन्ह के पूर्व, जैसे राम ने कहा, “मैं कल दिल्ली जाऊँगा” । (ङ) विशेषण, क्रिया-विशेषण और समानाधिकरण उपवाक्यों को पृथक् करने के लिए, जैसे—वह, जहाँ कि उम जाना चाहिए था, नदी गया । वह मनुष्य, जो चोरी करता है, कभी-न-कभी पकड़ा ही जाता है । वह निर्धन है, परन्तु है ईमानदार । (च) जहाँ किसी शब्द का लोप हो जाय, वहाँ जैसे—राम ने चार लड्डू खाये, शंकर ने, दो । (छ) सम्बोधन के पश्चात्, जैसे—राम ! तुम कहाँ गये थे ? (ज) समय-सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे—श्री नेहरू कल दिनांक २० अगस्त, सोमवार, मायं ५ बजे रामनिवास-वाग में भाषण देंगे । इनके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता-नुसार अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है ।

२. अर्द्धविराम :—इसका चिन्ह (;) है । पढते समय वाक्य में जब अल्प विराम की अपेक्षा अधिक स्का जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाना

है। जैसे—जीवन प्रकृति का सिरमौर है; उसमें उद्योग का पर्यवसान है। इनकी कल खूब पिटाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं; इनकी सूरत देख कर ही यह बात जानी जा सकती है। धन जाय सम्पत्ति नष्ट हो जाय, गम नहीं; पर प्रतिष्ठा को मैं उस समय तक न जाने दूँगा जब तक शरीर में प्राण है।

३. पूर्ण विरामः—इसका चिन्ह (।) है। वाक्य के पूर्ण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—मेरे देखते-देखते वह सन्दूक लेकर चलता बना। मैंने विचार किया कि यदि मैं इस वर्ष पास हो गया तो कलकत्ता चला जाऊँगा।
४. प्रश्न-सूचक चिन्ह :—इसका चिन्ह (?) है। प्रश्नात्मक वाक्यों एवं शब्दों के अन्त में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्यों?
५. विस्मय-सूचक चिन्ह :—इसका चिन्ह (!) है। विस्मयादि बोधक शब्द अथवा वाक्यों के अन्त में लगाया जाता है, जैसे—हे राम! तूने यह क्या किया!
६. विवरण-चिन्ह :—इसका चिन्ह (:—) है। विषय को समझाने वा किसी कथन की व्याख्या करने में वाक्य के अन्त में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—राम तीन है :— रामचन्द्र, परशुराम, दलराम।
७. निर्देशक चिन्ह :—इसका चिन्ह (—) है। विचार धारा में स्कावट उपस्थित होने पर, एक वक्तव्य में दूसरा वक्तव्य प्रकट करने पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—मोहन—परमात्मा उसका भला करे—बड़ा परोपकारी है। आन पर जान देना, रण में पीछे न हटना, शरणागत का पालन करना—ये राजपूतों के विशेष गुण हैं।
८. योजक चिन्ह :—इसका चिन्ह (—) है। दो शब्दों वा शब्द-खंडों के जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—नर-नारी, पुस्तक-विक्रेता रघु-कुल-तिलक।
९. उद्धरण चिन्ह :—इसका चिन्ह (“ ”) है। किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—हरि ने कहा,

“कल छुट्टी है।” राम ने कहा, “बिना अवधि समाप्त हुए मैं अयोध्या कैसे लौट चलूँ।” यदि कथन के भीतर भी दूसरा कथन हो वा वाक्य में कुछ शब्दों को विशेष अभिप्राय से प्रकट करना हो, तब इन्हें उद्धरण चिह्न (' ') का प्रयोग किया जाता है, जैसे—‘कल’ शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है।

१०. कोष्ठक चिह्न :— इसके चिह्न (), { }, [], हैं। इसका प्रयोग किसी वाक्य या वाक्यांशो को पृथक् करने वा किसी वाक्य वा वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने में किया जाता है, जैसे—वह अपनी बात पर अड़ा रहेगा (चाहे वह उसका दुराग्रह ही क्यों न हो), परन्तु वह भुकेगा नहीं; क्योंकि इसमें उसकी इज्जत का सवाल है। सत्कर्म करने वाला चारों पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) प्राप्त कर लेता है।
११. लोप चिह्न :— इसके चिह्न (+ + + ,) है। जब किसी कथन में कुछ अंश लुप्त हो गया हो वा छोड़ दिया गया हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—यदि यहाँ रहना है तो मन लगाकर काम करो, नहीं तो.....। यदि वह मेरे पास आता तो मैं + + + , परन्तु वह आया ही नहीं।
१२. लाघव चिह्न :— इसके चिह्न (. , °) हैं। किसी बड़े शब्द के संक्षिप्त रूप लिखने में जो अक्षर काम में लाये जाते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—एम्. ए०; बी० ए०; पं० रमाकान्त; डि० ३ अग्रस्त, सन् १९६२ ई०।
१३. हंस-पद वा भूल-चिह्न :— इस का चिह्न (.) है। लिखते समय भूल से यदि कुछ रह जाय वा आवश्यकता-वश कुछ और जोड़ना पड़े, वहाँ नीचे इस चिह्न को लगाकर उस छूटे हुए अथवा जोड़े जाने स्टेशन पर वाले अंश को लिख देते हैं, जैसे—मैंने उसे ठीक पांच वजे (.) मिलने को कहा था, परन्तु वह नहीं आया।
१४. तुल्यता-सूत्रक चिह्न :— इसका चिह्न (=) है। बराबर या समानार्थक बतलाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे—रवि=सूर्य। एक रुपया=१०० नये पैसे।

इनके अतिरिक्त कुछ चिह्न और भी हिन्दी में कभी-कभी काम में लाये जाते हैं, जैसे—अपूर्णा विराम या कोलेन (:), पुनरुक्ति सूचक चिह्न (,,) समाप्ति-सूचक चिह्न (-०-) आदि। अब अभ्यास के लिए कुछ अवतरण लिखे जाते हैं, छात्रों को चाहिए कि वे इनमें विराम-चिह्नों के प्रयोगों को समझें और हृदयंगम करें :—

- (क) वा० जयशंकर प्रसाद एक सर्व-प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार थे। वे कवि, उपन्यास-लेखक, कहानी लेखक, नाटककार और निबन्ध-लेखक सभी कुछ थे।
- (ख) वीरगाथा काल की सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ केवल दो हैं—'पृथ्वीराज रासो' तथा 'आल्हा खंड'।
- (ग) भारतेन्दु जी ने क्या गद्य, क्या पद्य, दोनों में ही उत्कृष्ट रचना की।
- (घ) थोड़ी देर पश्चात् वृद्धा ने पूछा—“बेटी, मलवे के नीचे तेरी किसने रक्षा की ?”
- (ङ) “जैसे भी हो, बेटा, तेरे लिए दवाई लाता हूँ”—यह कह कर लक्ष्मण पागल की भाँति भागा। लोग चिल्लाते-पुकारते रह गये—अरे, अब मत जा, किसके लिये दवा लायेगा ? किन्तु लक्ष्मण ने कुछ न सुना। उसका हृदय 'दवा-दवा' चिल्ला रहा था।
- (च) पं० ईश्वर चन्द्र विद्या-सागर का जन्म दि० २६ सित० सन् १८२० ई० में हुआ था।

अभ्यास

निम्नलिखित अवतरणों में उपयुक्त स्थानों पर विराम-चिह्नों का प्रयोग करिए :—

- (क) राम, हरि मोहन, और सोहन आज प्रातः काल दिल्ली गये।
- (ख) उन्होंने जो कुछ ज्ञानोर्जन किया, वह सब मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया और अपने प्रबुद्ध जीवन से जो आत्म त्याग का एक सर्वोच्च उदाहरण है वे भारत में नवजीवन भर गये। धन्य धन्य उनके जीवन को
- (ग) पहला स्पष्ट ही सुनना चाहते हो
दूसरा क्या कहने का अर्थ है

तीसरा तब यह अग्नि परीक्षा की चर्चा ही कैसे हुई
चौथा हाँ हाँ कहो न

(घ) हिन्दी में गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे उनमें पटुता आने लगी भाषा
प्रांजल होने लगी और उसकी व्याकरण बढ़ने लगी

(ङ) बन्दर भभकी साधारण अर्थ है बन्दर की घुड़की परन्तु विशेष
अर्थ है थोड़ी धमकी जैसे राम मोहन शीघ्रता क्यों नहीं करता पिताजी
यदि नाराज हो गये तो वे तुम्हें दण्ड दिये बिना न रहेंगे मोहन चल चल
ऐसी बन्दर भभकी में मैं नहीं आने का

(च) जितने कभी पुस्तक उठा कर ही नहीं देखी कहिए वह कैसे पास होगा

(छ)

साहित्य कुटरी

दरिया गंज आगरा

दि ३० ८ ६२ ई

प्रिय मुन्नी

सौभाग्यवती हो आज तुम्हारा कुशल पत्र प्राप्त हुआ तुमने जो ससुराल
वालों के व्यवहार का वृत्तान्त लिखा वह मराहनीय है यह कहने में कुछ भी
अत्युक्ति नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले अत्यधिक सभ्य व्यवहार कुशल और
कुलीन हैं तुम अपने मृदु व्यवहार से सबको प्रसन्न रखना मैं शीघ्र ही तुम्हें बुलाने
का प्रयत्न करूँगी चिन्ता मत करना यहां सब सकुशल है

तुम्हारी माँ

(ज) शेष कुशल पत्रोत्तर देते रहो घर पर सबसे यथायोग्य कहो परीक्षा
समीप है पढ़ाई का ध्यान रखना ।

चौथा अध्याय मुहावरे और लोकोक्तियाँ

(१) मुहावरे

जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न बताकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराये, तब उसे 'मुहावरा' कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग सदा विशेष अर्थ में ही होता है, सामान्य अर्थ में नहीं, और यदि किसी वाक्यांश का प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में ही हो तो फिर वह मुहावरा नहीं कहलायेगा, जैसे— 'कान काट लेना'—इस वाक्यांश का सामान्य अर्थ है 'कानों का काट लेना' जैसे—'मोहन ने चाकू से हरि के कान काट लिये'। परन्तु इसी वाक्यांश का विशेष अर्थ है 'किसी से आगे बढ़ जाना' और जब इसी विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जायगा तब यह 'मुहावरा' कहलायेगा, जैसे—अभिमन्यु ने युद्ध में अद्भुत वीरता प्रदर्शित करके बड़े-बड़े महारथियों के कान काट लिये' इसी प्रकार 'कलम तोड़ना' 'नानी याद आना' 'पापड़ बेलना' आदि वाक्यांशों का प्रयोग इसके सामान्य और विशेष दोनों अर्थों में ही किया जाता है, परन्तु छात्रों को स्मरण रखना चाहिए कि मुहावरे का प्रयोग वे सदा उसके विशेष अर्थ में ही करें अब हम छात्रों की सुविधा और अभ्यास के लिए कुछ मुहावरों का प्रयोग करके गमभाते हैं, वे उन्हें समझे और तदनन्तर शेष मुहावरों का अर्थ समझकर वे स्वयं अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करें।

१—अँगूठा दिखाना=तिरस्कारपूर्वक मना करना।

• प्रयोग—मैंने सारी उम्र उसकी सहायता की, परन्तु आज जब काम पड़ा तो उसने मुझे साफ अँगूठा दिखा दिया।

२—अपना उल्लू सीधा करना=अपना मतलब बनाना।

प्रयोग—जो सदा अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं, वे दूसरों का क्या भला करेंगे ।

३—अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना=स्वयं अपनी प्रशंसा करना ।

प्रयोग—अपने मुँह मियाँ मिट्टू कौन नहीं बन सकता; किन्तु जिसकी सब सराहना करें, वास्तव में वही सराहनीय है ।

४—आँख लगना=सो जाना, प्रेम होना ।

प्रयोग—दच्चे की रोते-रोते अभी आँख लगी है । किशोरी की कयल से जब आँख लड़ गई तब दोनों का एक दूसरे के घर आना-जाना आरम्भ हो गया ।

५—आँखें फेर लेना=प्रेम तोड़ देना ।

प्रयोग—विपत्ति में कौन किमका साय देता है । जिसको हम अपना हिन्दू समझते हैं वे भी आँख फेर लेते हैं ।

६—आँखों में धूल भोंकना=धोखा देना ।

प्रयोग—मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, तुम्हारे कारनामों से परिचित हूँ, तुम मेरी आँखों में धूल नहीं भोंक सकते ।

७—आसमान पर चढ़ाना=अतिशय प्रशंसा करना ।

प्रयोग—प्रथम तो इसे कुछ आता जाता ही नहीं, फिर ऐसी-ऐसी बातें करके आप इसको आसमान पर और चढ़ा देते हैं ।

८—उलटी माला फेरना=किसी का अन्तिम चिन्तन करना ।

प्रयोग—भगवान् ने आपकी सुन ली, अब आप हमारी भी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए; कहीं ऐसा न हो कि हमें उलटी माला फेरनी पड़े ।

९—उड़ती चिड़िया पहचानना=किसी के दिल की बात ताड़ जाना ।

प्रयोग—अरे, हमसे झूठ बोलते हो, हम फौरन उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं ।

१०—खटाई में डालना=कमरे या उलझन में पटकना ।

प्रयोग—अब की बार तो मैंने प्रयत्न करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी, फिर भी उसने मेरा मामला खटाई में डाल ही दिया ।

११—गुड़-भोवर कर देना=काम बिगाड़ देना ।

प्रयोग—मैंने घंटे भर तक समझा-बुझा कर उसको राजी किया था, किन्तु राम ने आते ही सब गुड़-गोबर कर दिया ।

१२—गिरगिट की तरह रंग बदलना=अपने सिद्धांत पर न डटे रहना ।

प्रयोग—ऐसे लोगों का जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कैसे विश्वास किया जाय ?

१३—घी के दीपक जलाना=बहुत ज्यादा खुशी मनाना ।

प्रयोग—रामचन्द्रजी के पुनः अयोध्या आने पर नगर-वासियों ने घर-घर में घी के दीपक जलाये ।

१४—चूड़ियाँ पहनना=स्त्रियों की भांति डरना या कायरता दिखाना ।

प्रयोग—भाई, बहुत ही चुका, अब मैं वरदाश्त नहीं कर सकता । मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, मुझे इसका प्रतिकार करना ही होगा ।

१५—छप्पर फाड़ कर देना—विना परिश्रम किये यों ही प्राप्त हो जाना ।

प्रयोग—राम की उधर तो लाटरी फल गई, इधर दो लाख चाँदी के सट्टे में कमा लिये; व्यापार खूब चल ही रहा है, सच है भगवान जब कियो पर खुश होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है ।

१६—छाती पर मूँग दलना=किसी का अत्यधिक दिल दुखाना ।

प्रयोग—मैं कही भी नहीं जाऊँगी, यही रहकर मैं तुम्हारी छाती पर मूँग दलूँगी ।

१७—जान पर खेलना=अत्यधिक साहस के साथ किसी काम को करना ।

प्रयोग—समुद्र में से मोती निकालना जान पर खेलना है ।

१८—जीती मक्खी निगलना=जान बूझ कर बेईमानी करना ।

प्रयोग—मैं भूठ कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ कि मैंने रुपये नहीं लिये । चाहे ! भी हो, मुझसे तो यह जीती मक्खी नहीं निगली जायगी ।

१९—टका-सा जवाब देना=साफ़ इन्कार कर देना ।

प्रयोग—जब उससे घड़ी के बारे में पूछा गया तो उसने तत्काल टका सा जवाब दे दिया ।

२०—टस से मस न होना=जरा भी प्रभावित न होना ।

प्रयोग—देखो जी, कैसा लड़का है। इतना समझाता हूँ, परन्तु यह उस से मस नहीं होता।

२१—ठोकरें खाना=भूलें करना।

प्रयोग—ठोकरें खाने के बाद ही अक्ल आती है।

२२—ढाक के तीन पात=सदैव तंग हाल।

प्रयोग—इतना बड़ा कुटुम्ब और आय कम। बिचारा करे तो क्या करे, जब देखो तब वही ढाक के तीन पात।

२३—दाँत खट्टे करना=बहुत परेशान करना।

प्रयोग—अभिमन्यु ने चक्रव्यूह-भेदन कर बड़े-बड़े महारथियों के दाँत खट्टे कर दिये।

२४—दाँत काटी रोटी होना=घनिष्ट प्रेम होना।

प्रयोग—राम और मोहन सदा साथ रहते हैं, एक के बिना दूसरे को क्षण भर भी चैन नहीं पड़ता, वे तो दाँत-काटी रोटी हो रहे हैं।

२५—दाल न गलना=वश न चलना।

प्रयोग—आपकी दाल यहाँ न गलेगी, आप यहाँ से चले जाइए।

२६—टुम दबा कर भागना=डर के मारे भाग जाना।

प्रयोग—बहुत देर से वह शेखी बघार रहा था, किन्तु राम के घर से निकलते ही वह टुम दबा कर भाग गया।

२७—नाक का बाल होना=किस्ती के बहुत ज्यादा मुँह लगना।

प्रयोग—यदि काम बनाना है तो गुप्तजी से मिलो, क्योंकि आजकल वे ही आचार्य महोदय के नाक के बाल हो रहे हैं।

२८—नाक रगड़ना=खुशामद करना।

प्रयोग—मुझे क्या गरज कि मैं वहाँ जाऊँ। उसे काम करवाना होगा तो दस बार यहाँ आयेगा और नाक रगड़ेगा।

२९—नाम न लेना=दूर रखना, याद न करना।

प्रयोग—तुमने शान्ति का विवाह कर लिया और हमारा नाम तक न लिया।

३०—नौ दो ग्यारह होना=भाग जाना।

प्रयोग—घटना-स्थल पर पुलिस के आते ही उपद्रवकारी नौ दो ग्यारह हो गये।

३१—पापड़ बेलना=जीवन-यापन के लिए कठोर श्रम करना ।

प्रयोग—विचारे सुरेश को कभी सुख नहीं मिला । उसका तो सारा जीवन ही पापड़ बेलते बीता ।

३२—पानी भरना=दूसरी से तुलना करने पर किसी वस्तु विशेष का निकृष्ट होना ।

प्रयोग—चम्पा के सहज सौन्दर्य के सामने नगर की अन्य सुन्दरियाँ पानी भरती हैं ।

३३—पानी के मोल=बहुत सस्ता ।

प्रयोग—आजकल बाजार में इतना आम आता है कि कभी-कभी तो वह पानी के मोल ही मिल जाता है ।

३४—फूला न समाना=अत्यन्त प्रसन्न होना ।

प्रयोग—रामू को ससुराल से इतना धन मिला कि रामू की माँ फूली नहीं समाई ।

३५—बीड़ा उठाना—उत्तरदायित्व लेना ।

प्रयोग—राजा ने सब सामन्तों की ओर देख कह कहा—'कौन इस कार्य को करने का बीड़ा उठाता है ?

३६—बायें हाथ का खेल=अत्यन्त सरल ।

प्रयोग—महेश को कुश्ती में हराना मेरे बायें हाथ का खेल है ।

३७—वाल बाँका न होना=कुछ भी विगाड़ न होना ।

प्रयोग—मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक तुव यहाँ रहोगे, तब तक तुम्हारा वाल भी बाँका न होगा ।

३८—भाड़ भोंकना=नुच्छ काम करना ।

प्रयोग—अरे रामू, क्या दिल्ली जाकर भी भाड़ ही भोंका ?

३९—भंडा फोड़ना=भेद खोलना ।

प्रयोग—या तो आप अपने वचनों पर हड़ रहिए और मुझे दी हजार रुपये दे दीजिए, अन्यथा मैं सब भंडा फोड़ दूँगा ।

४०—मुँह की खाना=हार खाना ।

प्रयोग—पं० बनारसीदास अपने आपको बहुत समझते थे । यहाँ उन्होंने सब

पर अपन पाडट्य का आंतक जमा रखा था । कल जब पं० शंखधर से उनका शास्त्रार्थ हुआ तब उन्होंने ऐसी मुँह की खाई कि वे रात्रि को ही यहाँ से चले गये ।

४१—मुठ्ठी गरम करना=धूस देना, रिश्वत देकर काम निकालना ।

प्रयोग—आज न्याय नहीं है । आज तो मुठ्ठी गरम करो और चाही सो करवालो ।

४२—मुँह मोड़ना=किसी काम से विरक्त होना वा दूर हटना ।

प्रयोग—यदि उद्योग से मुँह मोड़ोगे तो अवनति का द्वार देखोगे ।

४३—रंग चढ़ना=प्रभाव पड़ना ।

प्रयोग—रमेश पर आजकल उस गर्वये का रंग चढ़ रहा है ।

४४—रंग सियार=ढोंगी, धूर्त ।

प्रयोग—वह रंग सियार है, जरा उससे बच कर रहना ।

४५—लुटिया डुबोना=काम बिगाड़ देना ।

प्रयोग—मैंने काम बनाने में कसर नहीं की, किन्तु उसने वहाँ पहुंचते ही लुटिया डुबो दी ।

४६—सिर उठाना=विरोध प्रकट करना, उपद्रव करना ।

प्रयोग—केन्द्रिय शासन के ढीला होते ही प्रान्तीय सरकारें सिर उठाने लगीं ।

४७—सिर पड़ना=जिम्मे आना ।

प्रयोग—भाग्य की बात है, घड़ी तोड़ी तो किसने और सिर पड़ी मेरे ।

४८—सितारा चमकना=भाग्योदय होना ।

प्रयोग—अच्छे दिन के बाद बुरे दिन भी आते हैं । क्या सदा ही सितारा चमकता है ?

४९—हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना=कुछ न करना ।

प्रयोग—भाई, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना से काम नहीं चलेगा । निराशा त्याग कर बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ करना ही होगा ।

५०—हवा लगना=प्रभाव पड़ना ।

प्रयोग—पता नहीं, आजकल मोहन को कैसी हवा लगी है कि वह अपनी माँ का भी कहना नहीं मानता है ।

१ ५१—हाथ साफ करना=खा जाना, मारना ।

प्रयोग—क्या जमींदार और क्या महाजन, दोनों ही बेचारे किसान की पसीने की कमाई पर हाथ साफ करते थे ।

५२—हाथ पैर बचाना=सावधान होकर चलना ।

प्रयोग—जमाना खराब है, हाथ पैर बचा कर काम करो । यदि कहीं पकड़े गये तो इज्जत तो खराब होगी ही, जेल की हवा और खाओगे ।

५३—हाथ धोकर पीछे पड़ना=जी जान से लगना ।

प्रयोग—देखो मोहन, यह काम दिखता ही सरल है, परन्तु है बड़ कठिन । जब तक तुम हाथ धोकर इसके पीछे नहीं पड़ोगे, सफलता नहीं मिलने की ।

५४—पेट में चूहे कूदना=जोर की भूख लगना ।

प्रयोग—भाई ! काम की बात बाद में करना । पहले कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं ।

५५—शहद लगाकर चाटना=निरर्थक चीज को यत्न से रखे रखना ।

प्रयोग—लो, इसे तुम शहद लगाकर चाटो, मेरा काम तो इसके बिना यों ही चल जायगा ।

५६—भीगी विल्ली बनना=भय वा स्वार्थवश अत्यन्त नम्र बनना ।

प्रयोग—जब तो बड़-बड़ कर बातें कर रहे थे, अब उनके सामने भीगी विल्ली क्यों बन रहे हो ?

५७—हाथ फैलाना=याचना करना ।

प्रयोग—दूसरों के सामने हाथ फैलाना अपने को नीचा गिराना है ।

५८—गंगा नहाना—किसी कठिन काम को पूरा कर लेना, कृतकार्य होना ।

प्रयोग—राम को सरला के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था, जो मिले थे वे दहेज माँगते थे । भाग्य से एक शिक्षित युवक ने बिना दहेज लिए सरला के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया । सरला का विवाह करके अब राम गंगा नहा लेगा ।

५९—खटाई में पड़ना=किसी बात का उलझन में पड़ना ।

प्रयोग—साहब के नोट लगा देने से मेरी तरक्की का मामला खटाई में पड़ गया ।

६०—एक लाठी से हँकना=सब के साथ एक सा व्यवहार करना ।

प्रयोग—राम योग्यायोग्य को नहीं देखता, वह तो सबको एक लाठी से हँकता है ।

६१—आसमान पर चढ़ना=गर्व से इतराना, मिजाज बहुत बढ़ जाना ।

प्रयोग—आज तुम्हारे पास पैसा हो गया है, किन्तु तुम्हें आसमान पर पर नहीं चढ़ना चाहिए । लक्ष्मी चंचला है, आज है कल नहीं ।

६२—ग्रा लेना=पकड़ लेना, पहुँच जाना ।

प्रयोग—जेब कतरा भागा तो बहुत, किन्तु रामू ने चौपड़ तक पहुँचते-पहुँचते उसे आ लिया ।

(क) शरीर सम्बन्धी

(१) चोटी

१. चोटी का=सबसे ऊँचा ।

२. चोटी काटना=काबू में लेना ।

३. चोटी कटवाना=वशीभूत होना ।

४. एड़ी से चोटी तक जोर लगाना=भरसक प्रयत्न करना ।

५. चोटी खोलना=प्रतिज्ञा करना ।

६. चोटी बाँध कर कार्य करना=भरसक प्रयत्न करना ।

(२) बाल

७. बाल बाल वचना=आपत्ति से वचना ।

८. बाल बाँका न होना=कुछ भी हानि न होना ।

९. बाल की खाल निकालना=सूक्ष्म से सूक्ष्म बात खोजना ।


१०. बाल बनवाना=हजामत करवाना ।

११. बाल उखाड़ना=बिगाड़ करना ।

१२. बाल उड़ाना=ठोकना, पीटना ।

(३) सिर, मूँड या माथा

१३. सिर मारना=बहुत प्रयत्न करना ।



१४. सिर उठाना=सामना करने को तैयार होना ।
१५. सिर मूँडना=ठगना ।
१६. सिर पर चढ़ाना=आदत विगाड़ना ।
१७. सिर पर चढ़ना=धृष्ट (गुस्ताख) होना ।
१८. सिर खाना=परेशान करना ।
१९. सिर का पसीना एड़ी को आना=कठिन परिश्रम करना ।
२०. सिर पटकना=कठोर श्रम करना ।
२१. सिर होना=किसी को तंग करना, पीछे पड़ना ।
२२. सिर लड़ाना=प्रयत्न करना ।
२३. वे सिर पैर की=ऊट-पटांग बात ।
२४. सिर देना=त्याग करना ।
२५. सिर मुड़ाना=चेला बनना ।
२६. मूँड़ पचाना=व्यर्थ की बातों में तंग करना ।
२७. मूँड़ फोड़ना=भगड़ना ।
२८. मूँड़ भिड़ाना=भगड़ा करना ।
२९. मूँड़ मुँड़ाना=सन्यास लेना, कार्य आरम्भ करना ।
३०. मूँड़ लड़ाना=सोचना ।
३१. मूँड़ चढ़ना=आदत विगाड़ना ।
३२. माथा पचाना=प्रयत्न करना, तंग करना ।
३३. माथा-पच्ची करना=प्रयत्न करना ।
३४. माथा फोड़ी करना=भगड़ना ।
३५. माथा टेकना=नमस्कार करना ।
३६. माथे चढ़ना=वैपरवाह रहना ।
३७. माथे चढ़ाना=विगाड़ना ।
३८. माथे होना=कर्जा होना ।
३९. माथा भिड़ाना=भगड़ा करवाना ।
४०. माथा लगाना=प्रयत्न करना, सोचना ।
४१. माथा जोड़ी करना=सलाह करना ।

(४) आँख

४२. आँख खुलना=भ्रम नष्ट होना, समझ आना ।
 ४३. आँख चुराना=नजर बचाना, सामने न आना ।
 ४४. आँख बिछाना=प्रेम से स्वागत करना ।
 ४५. आँख दिखाना=धमकाना ।
 ४६. आँख फिर जाना=पहले जैसा प्रेम न होना ।
 ४७. आँख मारना=इशारा करना ।
 ४८. आँख लगना=सो जाना, प्रेम होना ।
 ४९. आँख मिचना=मर जाना ।
 ५०. आँखें चार होना=सामने होना ।
 ५१. आँखों से गिरना=नजरों से उतरना, प्रतिष्ठा कम होना ।
 ५२. आँखों का तारा=अत्यन्त प्यारा ।
 ५३. आँखों पर ठीकरी रखना=वेशरम होना ।
 ५४. आँखों में झूल झोका=भोखा देना ।
 ५५. आँखों में चर्बी छाना=घमण्ड होना ।

(५) नाक

५६. नाक काटना=अपमानित करना । प्रतिष्ठा भंग करना ।
 ५७. नाक में दम करना=तंग करना ।
 ५८. नाकों चने चवाना=बहुत ज्यादा तंग करना ।
 ५९. नाक कटाना=कमी दिखाना, प्रतिष्ठा खोना ।
 ६०. नाक बजाना=अधिक बोलना ।
 ६१. नाक रगड़ना=चापलूसी करना ।
 ६२. नाक भौं सिकोड़ना=घृणा करना ।
 ६३. नाक रखना=इज्जत बचाना ।
 ६४. नाक सिकोड़ना=घृणा करना ।
 ६५. नाक पर मक्खी बैठना=कमी के कारण बदनामी करवाना ।
 ६६. नाक चढ़ाना=घृणा करना ।
 ६७. नाक का बाल=अत्यन्त मुख्य ।

(६) मूँछ

६८. मूँछ पर हाथ फेरना=शेखी बवारना ।
 ६९. मूँछ फटकारना=वीरता दिखाना ।
 ७०. मूँछ कटवाना=हार मानना ।
 ७१. मूँछ नीची कर लेना=नम्रता दिखाना ।

(७) कान

७२. कान का कच्चा=शीघ्र विश्वास करने वाला ।
 ७३. कान पर जूँ न रेंगना=ध्यान न देना ।
 ७४. कान भरना=बुगली खाना ।
 ७५. कान काटना=नीचा दिखाना ।
 ७६. कान खाना=अत्यधिक बोलना ।
 ७७. कान खड़े होना=भयभीत होना ।
 ७८. कान में तेल डालना=ध्यान न देना, कुछ भी परवाह नहीं करना
 ७९. काना फूसी करना=बुपचाप बात करना ।
 ८०. कान मसलना=समझाना, सजा देना ।
 ८१. कान उखाड़ना=सजा देना ।

(८) गाल

८२. गाल बजाना=अपनी प्रशंसा आप करना ।
 ८३. गाल लाल करना=सजा देना ।
 ८४. गाल फोड़ना=पीटना ।
 ८५. गाल फूलाना=रूठना ।

(९) दांत, जीभ

८६. दांत पीसना=क्रोध करना ।
 ८७. दांत उखाड़ना=ठोकना, मारना ।
 ८८. दांत निकालना=हँसना ।
 ८९. दांत बजाना=बड़बड़ाना, लड़ाई करना ।
 ९०. दांत दिखाना=चिढ़ाना ।

६१. दांत तोड़ना=मारना, नीचा दिखाना ।
 ६२. दांत भाड़ना=लड़ाई करना ।
 ६३. दांतों तले अंगुली दवाना=आश्चर्य करना ।
 ६४. दांत में तिनका लेना=लज्जित होना, क्षमा मांगना ।
 ६५. दांत काटी रोटी=घनिष्ट प्रेम ।
 ६६. दांतों के बीच जीभ देना=शान्त रहना ।
 ६७. जीभ दिखाना=चिढ़ाना ।
 ६८. जीभ लड़ाना=प्रेम करना ।
 ६९. जीभ हिलाना=मुँह खोलना, बोलना ।
 १००. जीभ करना=अधिक बोलना ।

(१०) मुँह

१०१. मुँह मोड़ना=इन्कार करना ।
 १०२. मुँह बनाना=चिढ़ाना, मुँह विकृत करना ।
 १०३. मुँह की खाना=अपमानित होना ।
 १०४. मुँह उतरना=उदास होना ।
 १०५. मुँह में लगाम न होना=मनमानी बकना ।
 १०६. मुँह में पानी भरना=इच्छा होना ।
 १०७. मुँह फक्क होना=घबराना, डर जाना ।
 १०८. मुँह फट होना=स्पष्ट बात कहना ।
 १०९. मुँह लगना=चापलूसी करना ।
 ११०. मुँह लगाना=ढीठ बनाना ।
 १११. मुँह लेकर रह जाता=लज्जित होना, उदास होना ।
 ११२. मुँह पर हवाई उड़ना=दुखी होना ।
 ११३. मुँह दिखाना=शान से बात करना ।
 ११४. मुँह देखे की प्रीत=दिलावटी प्रेम ।
 ११५. मुँह काला होना=बदनामी होना, धब्दा लगना ।

(११) गला या गर्दन

११६. गले पड़ना=सिर होना ।

११७. गला काटना=अन्वय करना, वंचित रखना ।
 ११८. गर्दन पर सवार होना=पीछे पड़ना ।
 ११९. गर्दन पर लुरी फेरना=अत्याचार करना ।
 १२०. गला भरना=गद् गद् होना ।
 १२१. गले डालना=सुपुर्द करना ।
 १२२. गला पकड़ना=दवा देना ।
 १२३. गला बैठना=आवाज कम होना ।
 १२४. गले लगना=प्रेम करना ।
 १२५. गले का हार=अत्यन्त प्यारा ।
 १२६. गला कटाना=लोभ में पड़कर हानि उठाना ।
 १२७. गला घोटना=दवाना, मार देना ।

(१२) छाती

१२८. छाती ठोकना=हिम्मत से कहना ।
 १२९. छाती पर मूँग दलना=अधिक तंग करना ।
 १३०. छाती पर बाल होना=हिम्मत होना ।
 १३१. छाती के बल चलना=जबरदस्ती वात जमाना ।

(१३) पेट

१३२. पेट फोड़ना=हानि पहुँचाना ।
 १३३. पेट में रखना=गुप्त रखना ।
 १३४. पेट भरना=निर्वाह करना ।
 १३५. पेट पालना=निर्वाह करना ।
 १३६. पेट दिखाना=दशा बतलाना, खाने के लिए कुछ माँगना ।
 १३७. पेट की आग बुझाना=भोजन करना ।
 १३८. पेट काटना=बचत के लिए कम खाना ।
 १३९. पेट का हलका=श्रीछे मिजाज का ।
 १४०. दाईं से पेट छिपाना=जानकार से गुप्त रखना ।

(१४) पीठ या कमर

१४१. पीठ दिखाना=हार कर भाग जाना ।

१४२. पीठ फेरना=विमुख होना ।
 १४३. पीठ ठोकना=उत्साहि करना, प्रशंसा करना ।
 १४४. कमर बांधना=तैयार होना ।
 १४५. कमर कसना=तैयार होना ।

(१५) कलेजा

१४६. कलेजा मुँह को आना=घबराना ।
 १४७. पत्थर का कलेजा करना=कठोर होना ।

(१६) हाथ

१४८. हाथ खीचना=सहायता न करना ।
 १४९. हाथ बँटाना=सहायता देना ।
 १५०. हाथ उठाना=मारने को तैयार होना ।
 १५१. हाथ पीले करना=विवाह करना ।
 १५२. हाथ डालना=किसी कार्य में भाग लेना ।
 १५३. हाथ पसारना=याचना करना ।
 १५४. हाथ धोना=ग्राशा खो देना ।
 १५५. हाथ धोकर पीछे पड़ना=जी जान से लग लाना ।
 १५६. हाथ लगना=मिल जाता ।
 १५७. हाथ धो बैठना=खो देना ।
 १५८. हाथ तंग होना=खर्च के लिए धन की कमी होना ।
 १५९. हाथ भारना=चोरी करना ।
 १६०. हाथ दिखाना=वीरता दिखाना ।
 १६१. हाथ कटाना=लिवकर दे देना, वश में होना ।
 १६२. हाथ आना=प्राप्त होना ।
 १६३. हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना=कुछ न करना ।
 १६४. हाथ मलना=पश्चाताप करना ।
 १६५. हाथों-हाथ=शीघ्र ।
 १६६. हाथ का मैल=तुच्छ पदार्थ ।

१६७. हाथ-पैर फूलना=डर से घबराना ।

१६८. हाथ-पैर चलना=परिश्रम करना ।

१६९. आड़े हाथों लेना=खरी-खरी सुनाना ।

(१७) कन्धा

१७०. कन्धा लगाना=सहारा देना ।

१७१. कन्धे से कन्धा भिड़ाना=साथ-साथ कार्य करना ।

(१८) मुठ्ठी

१७२. मुठ्ठी गर्म करना=घूस देना ।

१७३. मुठ्ठी-भर=बहुत थोड़ा ।

१७४. मुठ्ठी में लेना=वश में करना ।

१७५. मुठ्ठी भरना=घूस देना ।

(१९) हथेली

१७६. हथेली चूमना=प्यार करना ।

१७७. हथेली लगाना=सहारा देना ।

१७८. हथेली पर सरसों जमाना=जल्दवाजी करना ।

(२०) अँगूठा

१७९. अँगूठा दिखाना=चिढ़ाना ।

१८०. अँगूठा पूजना=आदर करना ।

(२१) पैर या पाँव

१८१. पैर पूजना=प्रतिष्ठा करना, सम्मानित करना ।

१८२. पैर पटकना=कौशिक करना ।

१८३. पाँव उखाड़ना=भगा देना ।

१८४. पाँव उखड़ जाना=भाग आना ।

१८५. पाँव जमाना=स्थिर होना ।

१८६. पाँव तले से जमीन खिसक जाना=भयभीत होना ।

१८७. पाँवाढोक कहना=प्रणाम कहना ।

(२२) चाल

१८८. चाल चलना=बोखा देना ।

१८६. चाल डालना=समस्या पैदा करना ।

१८७. चाल दिखाना=प्रभाव डालना ।

१८८. चाल समझना=बात जानना ।

१८९. चाल करना=धोखा देना ।

(२३) ठोकर खाना

१९३. ठोकर लगाना=घृणा के साथ किसी वस्तु को छोड़ना ।

१९४. ठोकर खाना=कष्ट भेलना ।

१९५. ठोकर भेलना=कष्ट का सामना करना ।

१९६. ठोकर मारना=प्राप्त वस्तु को छोड़ देना ।

(ख) पशु सम्बन्धी

१. भीगी विल्ली बनना=डर के मारे चुप हो जाना ।

२. बछिया का ताऊ=महामूर्ख ।

३. रंगा स्यार होना=धूर्त या धोखे वाज होना ।

४. बन्दर-भभकी=योयी धमकी ।

५. गिरगिट की तरह रंग बदलना=एक बात पर न रहना ।

६. जीतो मक्खी निगलना=सरासर वेईमानी करना ।

७. काठ का उल्लू=महा मूर्ख ।

८. अनाज के साथ धुन पिसना=दोषी के साथ निर्दोषी को सजा मिलना ।

९. साँप छहूँदर की गति=भ्रम में पड़ना ।

१०. खिसयानी विल्ली=लल्जा के मारे क्रोध करना ।

११. लोमड़ी के अंगूर=न मिलने वाली वस्तु ।

१२. हाथी के पीछे कुत्तों का भोंकना=बड़ों के पीछे छोटों का चिल्लाना ।

१३. हाथी के दाँत=दिखावटी वस्तु ।

१४. मेंढकी को जुकाम=साधारण मनुष्य को घमंड होना ।

१५. दुधारु गाय की लात=स्वार्थवश क्षमा करना

१६. साँप लोटना=निराश होना, इच्छा करना ।

१७. अक्ल बढ़ी या भँस=बुद्धि या पदार्थ में से कौनसा अच्छा ।

१८. अन्धे के हाथ बटेर=भाग्यवश असम्भव बात का संभव होना ।

१६. उल्लू सीधा करना=काम बनाना या निकलवाना ।

२०. उल्लू बनाना=मूर्ख बनाना ।

(ग) क्रियावाची मुहावरे

(१) आना

१. आ वतना=अवसर हाथ लगना ।

२. आ लगना=ठिकाने पहुँचना ।

३. आ पड़ना=यकाकक आ जाना ।

४. आ लेना=पकड़ लेना ।

(२) उठाना

५. उठ खड़ा होना=चलने को तैयार होना ।

६. उठ जाना=चल बसना ।

७. उठते-बैठते=हर समय ।

८. उठना-बैठना=मेल जोल ।

(२) उलटना

९. उलट-पुलट=गड़बड़, अस्त व्यस्त

१०. उलट-फेर=परिवर्तन ।

११. उलटा-संघा=सही-गलत ।

१२. उलटी खोपड़ी का=मूर्ख ।

(४) काटना

१३. काटखाना=डंक मारना, घायल कर देना ।

१४. काटने दौड़ना=बहुत गुस्से में धौलना ।

१५. काटे खाना=-पूनेपन का अनुभव करना, मन को क्लेश देना ।

१६. काट-झाँट=संशोधन, घटा-चढ़ी ।

(५) चढ़ना

१७. चढ़ दौड़ना=चढ़ाई करना ।

१८. चढ़ बनना=मनचाही होना ।

१९. चढ़ बैठना=दवा लेना ।

२०. चढ़ा-चढ़ी=लाग उाट ।

(६) दौड़ल

२१. दौड़-धूप=बहुत कोशिश ।
 २२. दौड़ लगाना=बार-बार आना-जाना ।
 २३. दौड़ा-दौड़ी=जल्द बाजी ।

(७) धरना

२४. धर-पकड़=गिरफ्तारी ।
 २५. धरा-धराया=संचित किया हुआ, रखा हुआ ।
 २६. धरा रह जाना=उपयोग में न आना ।
 २७. धर पकड़ना=भाग कर पकड़ना ।

(८) होना

२८. हो चुकना=खर्च हो जाना, मर जाना ।
 २९. हो गुजरना=घटित होना ।
 ३०. होने लगना=किसी काम का आरम्भ होना ।
 ३१. होना-हवाना=होना-जाना ।

विविध (अ)

१. अन्धे की लकड़ी=एक मात्र सहारा ।
 २. आँख का अन्धा, गाँठ का पूरा=मूर्ख धनी ।
 ३. आँखों का तारा=अत्यन्त प्रिय ।
 ४. इने गिने=थोड़े से ।
 ५. आँधी के आम=बिना प्रयास अधिक लाभ ।
 ६. ईद का चाँद=बहुत दिनों बाद दिखाई देना ।
 ७. उधेड़-बुन=सोच-विचार ।
 ८. काठ का उल्लू=निरा मूर्ख ।
 ९. कान का कच्चा=शीघ्र विश्वास करने वाला ।
 १०. गीदड़ भमकी=कोरी धमकी ।
 ११. गधे के सींग=जिसका अस्तित्व ही न हो ।
 १२. गुलर का फूल=जिसका अस्तित्व ही न हो ।
 १३. गुरु-घण्टाल=मूर्त ।

१४. घर-वैठे=बिना परिश्रम किए ।

१५. चिकना घड़ा=जिस पर कोई असर न हो ।

१६. चिराग तले थधेरा=जहाँ जैसी आशा हो, वहाँ वैसा न मिलना ।

१७. छटा हुआ=बदमाश ।

१८. छिपा रस्तम=जिसका भेद प्रकट न हो ।

१९. टक्कर का=मुकाबले का ।

२०. टेढ़ी खीर=अत्यन्त कठिन ।

२१. ढाक के तीन पात=सदैव तंग हाल ।

२२. तू-तू मैं-मैं=गाली-गलौज ।

२३. थाली का बैंगन=जो कभी किसी पक्ष में और कभी किसी पक्ष में ।

२४. दाना-पानी=जीविका ।

२५. द्रोपदी का चीर=जिसका अन्त न हो ।

२६. घोखे की टट्टी=भ्रम में डालने वाली वस्तु ।

२७. नादिरशाही=घोर अत्याचार ।

२८. नाक का बाल=अत्यन्त प्रिय, मुख्य ।

२९. पांचों घी में=खूब लाभ होना ।

३०. पानी के मोल=बहुत संस्ता ।

३१. पुराना घाघ=धनुमवी ।

३२. वेवैन्दे का लोटा=जो अपनी बात पर स्थिर न रहे ।

३३. वन्दर-घुड़की=थोड़ी घमकी ।

३४. बगुला-भगत=कपटो, घूर्त ।

३५. बछिया का ताऊ=महा मूर्ख ।

३६. भाड़े का टूट्ट=किराये का आदमी ।

३७. मक्खी-चूस=कंजूस ।

३८. माई का लाल=बली, साहसी ।

३९. मिट्टी के माघो=मूर्ख ।

४०. रंगा सियार=घोड़ेवाज ।

४१. लंगोटिया यार=घनिष्ठ मित्र ।

४२. लोहे के बने=कठिन कार्य ।
 ४३. सफेद भूँठ=विल्कुल भूँठ ।
 ४४. शवरी के वेर=साधारण भेंट ।
 ४५. हराम का=बेईमानी का ।
 ४६. हाथ का मौल=नुच्छ ।

विविध (अ)

४७. अक्ल पर पर्दा पड़ना=बुद्धि नष्ट होना ।
 ४८. अड्डा जमाना=नित्य बने रहना ।
 ४९. आग वरसना=बहुत गर्मी पड़ना ।
 ५०. आसमान में थैगली लगाना=असम्भव बात को कर दिखाना ।
 ५१. आकाश पाताल एक करना=घोर परिश्रम करना ।
 ५२. आग का पुतला=अत्यन्त क्रोधी ।
 ५३. इलाज करना=ठीक कर देना (आदत) ।
 ५४. इति श्री होना=कार्य समाप्त हो जाना ।
 ५५. ईद का चांद होना=कभी-कभी दिखाई देना ।
 ५६. ईंट से ईंट भिड़ाना या वजाना=नष्ट कर देना ।
 ५७. उल्टी गंगा बहाना=परम्परा के विरुद्ध कार्य करना ।
 ५८. उठ जाना=मर जाना ।
 ५९. उल्टे हुरे से मूँडना=मूर्ख बनाकर ठगना ।
 ६०. औथा होना=घमण्ड करना ।
 ६१. कलई खुलना=वास्तविकता का ज्ञान हो जाना ।
 ६२. कट जाना=लज्जित होना ।
 ६३. कलम तोड़ना=बहुत अच्छा लिखना ।
 ६४. कुत्ते की मौत मरना=बुरी मृत्यु होना ।
 ६५. काम आना=युद्ध में मारा जाना ।
 ६६. कीचड़ फेकना=काम बिगाड़ना, बिगाड़ करना ।
 ६७. खयाली पुलाव=थोथे विचार ।
 ६८. खाक उड़ाना=वदनामी करवाना ।

६६. खाक छानना=भटकना ।

७०. खाक में मिलना=दरवाद होना ।

७१. खून बहाना=मारकाट करना ।

७२. खून उबलना=क्रोध आना ।

७३. गांठ का पूरा=धनवान ।

७४. गुलछरें उड़ाना=आनन्द मनाना ।

७५. गुदड़ी का लाल=गरीब परन्तु बुद्धिमान ।

७६. गुड़ गोवर होना=काम द्विगुना ।

७७. घाट-घाट का पानी पानी=विशेष अनुभव प्राप्त करना ।

७८. घी के दिये जलाना=आनन्द मनाना ।

७९. घी में ऊंगलियां होना=लाभदायक परिस्थिति होना ।

८०. चकमा देना=धोखा देना ।

८१. चम्पत होना=खिमक जाना ।

८२. चाल चलना=धोखा देना ।

८३. चूँ करना=कुछ न कहना ।

८४. चूना लगाना=धोखा देकर ठगना ।

८५. चौका लगाना=सर्वनाश करना ।

८६. चिराग तले अन्वेरा=स्वयं को लाभ न पहुँचा कर अन्य को लाभ पहुँचाना ।

८७. छप्पर फाड़ कर देना=विना परिश्रम प्राप्ति, अनजान तरीके तथा स्था से प्राप्ति ।

८८. छठी का दूध याद आना=घोर संकट में पड़ना ।

८९. छत्रके छूटना=धवरा जाता ।

९०. छिपा स्तम्भ=ऊपर से भला, अन्दर से धूर्त ।

९१. जले पर नमक छिड़कना=दुखी को अधिक दुखी करना ।

९२. जलती आग में घी डालना=क्रोध बढ़ाना ।

९३. जहर की घूँट पीना=असह्य बात सहन करना ।

९४. जान के लाले पड़ना=संकट में फँसना ।

९५. जी छोटा करना=उदास होना ।

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

६६. जो चुराना=मन न लगना ।
६७. जो खट्टा होना=नाराज होना ।
६८. जूँसी चटकाना=बेकार फिरना ।
६९. भूख मारना=बेकार परिश्रम करना ।
१००. भिक-भिक करना=भगड़ना, धैर्य की वीत करना ।
१०१. टपक पड़ना=अचानक आना ।
१०२. टकासा जवाब देना=कोरा उत्तर देना ।
१०३. टस से मस न होना=जरा भी न हिलना या भागना ।
१०४. टांय टांय फिस=आयोजन बहुत बड़ा परन्तु, फल कुछ नहीं ।
१०५. टीका टिप्पणी करना=आलोचना करना ।
१०६. टोह रखना=पता रखना, जाँच रखना ।
१०७. ठठ्ठा करना=हँसी-मजाक करना ।
१०८. डकार तक न लेना=बिल्कुल हजम कर जाना ।
१०९. डींग मारना=भूँठी प्रशंसा करना ।
११०. डंके की चोट=खुल्लम खुल्ला ।
१११. ढोल पीटना=प्रचार करना ।
११२. ढोल लगाना=नीलाम करवाना ।
११३. ढोल की पोल होना=ढोंग होना ।
११४. ढाक के तीन पात=सदैव दुखी या तंग रहना ।
११५. ताक में रहना=तलाश में रहना ।
११६. तिलमिलाना=दुखी होना ।
११७. तिलाञ्जली देना=छोड़ देना ।
११८. तीन तेरह होना=अगल-अलग होना ।
११९. तूती बोलना=भूव चलती रहना ।
१२०. थूक उछालना=भोया भगड़ा करना ।
१२१. थूकाफजीती करना=बुराई या बदनामी करना ।
१२२. थूक कर चाटना=वात कह कर बदल जाना ।
१२३. दम के दम में=बहुत जल्दी, अति शीघ्र ।

१२४. दाल में काला=सन्देह युक्त बात ।
 १२५. दाल न गलना=वश न चलना ।
 १२६. दाल गलना=अर्थ सिद्ध होना ।
 १२७. दवे पांव निकल जाना=छुप-चाप चले जाना ।
 १२८. दो कौड़ी का=अति तुच्छ ।
 १२९. दो टुक बात कहना=साफ-साफ कहना ।
 १३०. द्रोपदी का चीर होना=समाप्त न होने वाली बात ।
 १३१. दिन काटना=समय व्यतीत करना ।
 १३२. दिन फिरना=फिर से अच्छा समय आना ।
 १३३. दिन रात एक कर देना=कठिन परिश्रम करना ।
 १३४. दंग रहना=चकित होना ।
 १३५. घटा बताना=टाल देना, छोड़ देना ।
 १३६. नमक मिर्च लगाना=बड़ा कर कहना ।
 १३७. नाम करना=प्रसिद्ध होना ।
 १३८. नाम धरना=दोष लगाना ।
 १३९. नानी मर जाना=प्राण सूख जाना ।
 १४०. नानी याद आना=होश ठिकाने आना ।
 १४१. निन्तानवे के फेर में पड़ना=माया जाल में फँसना ।
 १४२. नुक्ता चीनी करना=दोष निकालना ।
 १४३. नौ दो ग्यारह होना=नुरन्त भाग जाना ।
 १४४. पते की कहना=ठीक ठीक कहना ।
 १४५. पट्टी पढ़ाना=बुरी सलाह देना ।
 १४६. पानी पड़ना=अत्यधिक लज्जित होना ।
 १४७. पानी का बुलबुला=क्षण-भंगुर ।
 १४८. पानी भरना=अधीन होना, निरुद्ध होना ।
 १४९. पिंड लुड़ाना=सम्बन्ध न रखना ।
 १५०. पानी फिर जाना=नष्ट हो जाना ।
 १५१. पाप काटना=भगड़ा दूर करना ।

१५२. पार पाना=जीतना ।
 १५३. पानी-पानी हो जाना=लज्जित हो जाना ।
 १५४. पापड़ बेलना=दुःखमय जीवन व्यतीत करना ।
 १५५. पाला पड़ना=काम पड़ना, नष्ट होना ।
 १५६. पौ बारह होना=खूब लाभ होना ।
 १५७. फजीती करना=वदनाभी करना ।
 १५८. फूँक फूँक कर पैर रखना=सावधानी से कार्य करना ।
 १५९. बट्टा लगाना=कलंकित करना ।
 १६०. बट्टा लगना=कलंकित होना ।
 १६१. बात की बात में भटपट बात बढ़ना=भगड़ा होना ।
 १६२. बाँसों उछलना=खूब खुश होना ।
 १६३. बीड़ा उठाना=जिम्मेदारी लेना ।
 १६४. बात का बतंगड़ बनाना=छोटी बात को बड़ा करना ।
 १६५. बाग-बाग होना=प्रसन्न होना ।
 १६६. बालू की भीत=शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु ।
 १६७. बात का घनी=वचन का पक्का ।
 १६८. बात बनाना=चुराई करना, भूठ बोलना ।
 १६९. बाज न आना=आदत न छोड़ना ।
 १७०. बोली मारना=ताना देना ।
 १७१. वे-पेंदे का लोटा=स्थिर सिद्धांत का न होना ।
 १७२. भाड़ फोंकना=व्यर्थ समय खोना ।
 १७३. भोह चढ़ाना=क्रुद्ध होना ।
 १७४. भंडा फोड़ करना=भेद खोल देना ।
 १७५. भूत सवार होना=जिद् करना, हठ पकड़ना ।
 १७६. मन मैला करना=उदास होना, असंतुष्ट होना ।
 १७७. मन मुटाव होना=वैमनस्य होना ।
 १७८. मन मारना=उदास होना ।
 १७९. मन-माना=यथेष्ट ।

१८०. माल बनाना=धन कमाना ।
 १८१. माला जपना=संतोष से बैठना, कार्य होना ।
 १८२. रफू चक्कर होना=भागकर गायब हो जाना ।
 १८३. रोड़ा अटकाना=बाधा डालना ।
 १८४. रंग लाना=असर दिखाना ।
 १८५. रंग दिखाना=कार्य करके दिखाना ।
 १८६. लट्टू होना=मोहित होना ।
 १८७. लाल पीले होना=नाराज होना ।
 १८८. लुटिया डुबोना=काम विगाड़ना ।
 १८९. लोहे के बने=कठिन कार्य ।
 १९०. लोहा मानना=हार स्वीकार करना ।
 १९१. वाह वाह होना=प्रशंसा होना ।
 १९२. सितारा चमकना=भाग्योदय होना ।
 १९३. सिक्का जमाना=बाक जमाना ।
 १९४. सुदामा के चावल=साधारण भेंट ।
 १९५. शवरी के बैर=तुच्छ भेंट ।
 १९६. श्री गणेश करना=कार्य आरम्भ करना ।
 १९७. हवा लगना=संगति का प्रभाव पड़ना ।
 १९८. हवा लगाना=उड़ाना ।
 २००. हवा से बातें करना=बहुत तेज चलना ।
 २०१. हक्का बक्का रह जाना=भौंचक्का होना ।
 २०२. हजामत करना=ठगना, लूटना ।
 २०३. हवाई किले बनाना=थोथे विचार होना ।
 २०४. हवा हो जाना=भाग जाना ।
 २०५. हवा निकलना=डर जाना ।
 २०६. हवा खिसकाना=डराना ।
 २०७. हवाईयाँ उड़ना=उदाम होना ।
 २०८. हवा के घोड़े पर सवार होना=बहुत शीघ्र कार्य करना ।

२०६. हवा बाँधना=मजाक उड़ाना ।
 २१०. होश आना=समझ आना ।
 २११. होश-हवास=सुध-बुध ।
 २१२. होश उड़जाना==धवरा जाना, आश्चर्य चकित हो जाना ।
 ११३. होश न रहना=खबर न रहना ।
 २१४. होश फाख्ता होना=हक्का बक्का हो जाना ।
 २१५. होश सँभालना=सयाना होना, बड़ा होना ।
 २१६. होश हिरण होना=धवरा जाना, अक्ल खोना ।
 २१७. होश में आना=समझदार बनना, सयाना होना ।

(२) लोकोक्तियाँ

मुहावरों की भाँति लोकोक्तियों का प्रयोग भी भाषा में लालित्य और चमत्कार लेने के लिए किया जाता है। 'लोकोक्ति' वह लोक-प्रसिद्ध उक्ति वा कहावत है जो समय समय पर किसी अभिप्राय को प्रकट करने के लिए लोगों द्वारा कही और सुनी जाती है। लोकोक्ति में मनुष्य का सँकड़ों वर्षों का अनुभव भरा पड़ा है। यही कारण है कि लोकोक्तियाँ कभी तो उपदेश का काम देती हैं, और कभी नीति का अंग बनती हैं और कभी युक्ति एवं प्रमाण का काम करती हैं। मुहावरों के प्रयोग की अपेक्षा लोकोक्तियों का प्रयोग कुछ कठिन है अतः छात्रों के समझने के लिए कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग नीचे किया जाता है :—

१. लोकोक्ति:—हाथ कंगन को आरसी क्या ?

अवसर:—जब कोई प्रत्यक्ष बात को भी न माने और हठ करे ।

अर्थ:—प्रत्यक्ष को प्रमाण भी की कोई आवश्यकता नहीं ।

प्रयोग:—यदि आप इस पुस्तक की उपयोगिता में सन्देह करने हैं तो पढ़ कर देख लीलिए 'हाथ कंगन को आरसी क्या ?

२. लोकोक्ति:—साँप मरे, न लाठी टूटे ।

अवसर:—जब किसी कार्य को सहूलियत (सुविधा) के साथ करवाना हो ।

अर्थ:—काम भी सिद्ध हो जाय और हानि भी न उठानी पड़े ।

प्रयोग:—यदि उनको अधिक डराओगे, धनकाओगे तो संभव है कि वह

तुम्हारे विरुद्ध हो जाय, अतः इस ढंग से काम को करो कि 'साँप मरे न लाठी टूटे' ।

३. लोकोक्ति—देखें ऊँट किस करवट बैठता है ।

अवसरः—जब कोई विवादास्पद, वपय चल रहा हो वा दो दलों में संघर्ष छिड़ा हुआ हो ।

अर्थः—देखें क्या परिणाम निकलता है ।

प्रयोगः—आजकल केरल में साम्यवादियों और कांग्रेसियों के बीच संघर्ष चल रहा है एक सत्तारूढ़ है, दूसरा सत्ता प्राप्त करना चाहता है । दोनों ही ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, अब देखना यह है कि 'ऊँट किस करवट बैठता है' ।

४. लोकोक्तिः—नाच न जाने आँगन टेढ़ा ।

अवसरः—जब कोई अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों पर मढ़े ।

अर्थः—अपनी अयोग्यता स्वीकार न करना ।

प्रयोगः—जब-जब भी मोहन से लिखित कार्य के लिए पूछा गया तब-तब ही उसने कोई-न-कोई बहाना बना लिया । आज जब उसे कक्षा में ही निबन्ध लिखकर दिखाने को कहा गया, तब पहले तो उसने यह कहा कि पैर में स्याही कम है, फिर जब उसने, लिखना आरम्भ किया तो बोला कि निब ही ठीक नहीं चलता । तब अध्यापक ने उससे कहा 'ठीक है, नाच न जाने आँगन टेढ़ा' ।

५. लोकोक्तिः—सब घान वाईस पंसेरी ।

अवसरः—योग्यता एवं पात्रता का विचार न करके जब सब के साथ एक सा व्यवहार किया जाय ।

अर्थः—अच्छे वुरे का कोई विचार नहीं ।

प्रयोगः—यह बात यहाँ ही देखने को मिली कि एक मिडिल पास का भू सौ रुपया मासिक और एक प्रेज्युट को भी सौ रुपया मासिक । दोनों की योग्यता में कोई अन्तर ही नहीं । क्या यहाँ सब घान वाईस पंसेरी विकते हैं

६. लोकोक्ति:—का वर्षा जब कृषि सुखाने ।
 अवसर:—जब कोई समय निकल जाने पर सहायता दे ।
 अर्थ:—उपयुक्त अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ ।
 प्रयोग:—महिने भर पहले जब मुझे अत्यन्त आवश्यकता थी, तब मैंने आपसे सहायता मांगी थी, उस समय तो आपने न दी । आज जब मेरी फ़ैक्टरी बिक चुकी, तब आप सहायता कर रहे हो । अब यह सहायता मेरे किस काम की—‘का वर्षा जब कृषि सुखाने’ ।
७. लोकोक्ति:—यह मूँह और मसूर की दाल ।
 अवसर:—जब कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से अधिक की इच्छा करे ।
 अर्थ:—अपनी हैसियत से अधिक की कामना करना ।
 प्रयोग:—आज विमला ने अपनी सास से कहा, ‘अम्माजी, मुझे भी मोतियों के गहने गढ़वा दो’ । सास ने कहा—‘यह मुँह और मसूर की दाल’ । मिया जी कमाते तो दो कोड़ी भी नहीं और बहू को मोतियों के गहने भाते हैं ।
८. लोकोक्ति:—घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ।
 अवसर:—जब कोई किसी को बिना कुछ परिश्रमिक दिये यों ही काम करवाना चाहे ।
 अर्थ:—मेहनताने में लिहाज कैसा ।
 प्रयोग:—मोहन ने अपने वकील से कहा—‘क्या आप इस जरा से काम भी पैसे लेंगे ? वकील ने कहा ‘भाई, मेहनताना तो देना ही होगा ‘घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ?’ यदि लोगों के ये जरा-जारा से काम यों ही करने लग जाय तो फिर हम पेट कैसे भरें ।
९. लोकोक्ति:—अन्धे के आगे रोवे, अपना दीदा खोवे ।
 अवसर:—जब कोई समझाने पर भी न समझे ।
 अर्थ:—मूर्ख को समझाना निष्फल है ।
 प्रयोग:—राम को मैंने कितनी ही बार समझाया कि वह गंगू की संगति न रहे, किन्तु भाई ! ‘अन्धे के आगे रोवे, अपना दीदा खोवे’ । गं करार है और राम हत्या के अपराध में पकड़ लिया गया है ।

१. लोकोक्तिः—आये थे हरि-भजन को ओटन लगे कपास ।
 अवसरः—जब कोई अपने लक्ष्य को छोड़कर भटक जाय ।
 अर्थः—लक्ष्य-भ्रष्ट होना ।
 प्रयोगः—माणिक की प्रेक्टिस यहाँ अच्छी चलती थी । होमियोपैथी का विशेष अध्ययन करने के लिए गत वर्ष वह कलकत्ता चला गया । अध्ययन के साथ वह एक फर्म में पार्ट टाइम काम भी करने लगा । इस वर्ष उसने अध्ययन छोड़ कर वहाँ नौकरी ही करली—‘आये थे हरि-भजन को, ओटन लगे कपास’ ।
२. लोकोक्तिः—ऊँट के मुँह में जीरा ।
 अवसरः—जब किसी हृष्ट-पुष्ट बलवान मनुष्य को खाने के लिए पूरे परिमाण में न दिया जाय ।
 अर्थः—बड़े अपहार वाले को अल्प भोजन ।
 प्रयोगः—इतनी बड़ी देह को एक रसगुला ऊँट के मुँह में जीरा’ हैं ।
३. लोकोक्तिः—दान की बच्छिया के दाँत नहीं देखे जाते ।
 अर्थः—मुफ्त में प्राप्त होने वाली वस्तु के गुण-दोषों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।
 प्रयोगः—‘यार, सुसराल से रेड़ियो तो मिला लेकिन मस्ता और पुराना’ । यह सुनकर रमेश के भिन्न ने कहा—‘दान की बच्छिया के दाँत नहीं देखे जाते’ ।
४. लोकोक्तिः—पाँड़े जी पछताओगे, वही चने की खाओगे ।
 अवसरः—जब कोई काम किसी को विवश होकर करना ही पड़े ।
 अर्थः—भक मारकर वही काम करना ।
 प्रयोगः—देखो भाई, हम कहें बैसा करो, हट न करो नहीं तो तुम्हें इम क्हावत का अनुसरण करना पड़ेगा ‘पाँड़ेजी पछताओगे, वही चने की खाओ’ ।
५. लोकोक्तिः—कगाली में आटा गीला ।
 अवसरः—एक मुसीबत के होते हुए दूसरी मुसीबत और आजाय ।
 अर्थः—कष्ट पर कष्ट आना ।

प्रयोग:—राजकन कपड़ा वैसे ही नहीं मिलता। रात को चोर घर से कपड़े और चुरा ले गये। सच है—'कंगाली में आटा गीला।

१५. लोकोक्ति:—थोड़ा चना बाजे घना।

अवसर:—जब कोई अयोग्य व्यक्ति आत्म-प्रशंसा करने लगे।

अर्थ:—गुण-विहीन व्यक्ति का डींग मारना।

प्रयोग:—तुम कुछ करने-धरते तो हो नहो, केवल लम्बी चौड़ी बातें बनाते हो। हमने खूब देख लिया 'थोड़ा चना बाजे घना'।

लोकोक्ति

अर्थ

१. अटका बनिया देय उधार=दवा हुआ मनुष्य सब कुछ करने को तैयार रहता है।
२. अन्धी पीस कुत्ते खॉय=परिश्रम करे कोई, लाभ हमरे उठावें।
३. अन्धों में काना राजा=मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी आदर पाता है।
४. अपनी-अपनी ढरुली अपना-अपना राग=पव एक मत न होना।
५. अल खामोशी नीम रजा=चुप रहना स्वीकृति का लक्षण है।
६. अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे=अभी तो तुम निरे बच्चे हो।
७. अब पड़ताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत=समय निकल जाने पर पश्चाताप प्रकट करना व्यर्थ है।
८. अपनी पगड़ी अपने हाथ=अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ होती है।
९. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है=अपने घर में निर्बल मनुष्य भी बल दिखाता है।
१०. अपनी करनी पार उतरनी=अपने कर्मरुल अपने ही को भोगने पड़ते हैं।
११. अंधजल गगरी छलकत जाय=ओछा मनुष्य इतरा कर चलता है।
१२. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता=अकेला मनुष्य कठिन काम नहीं कर सकता।
१३. अन्धे के हाथ बटेर लगी=जब किसी को अनायास ही कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाय।
१४. अन्धा बांटे रेवणी फिर फिर अपनी ही को दे=अधिकार प्राप्त मनुष्य जब बार-बार अपने जानकारों की ही सहायता करे।

१५. आंख फेरी माल दोस्तों का=योड़ी असावधानी के कारण किसी वस्तु का चुरन्त ही गायब हो जाना ।
१६. आंख से दूर, दिल से दूर=दूर रहने से प्रेम कम हो जाता है ।
१७. आंख के अन्धे नाम नयन-मुख=गुण के विरुद्ध नाम होना ।
१८. आग लगने पर कुआ खोदना=विपत्ति के सिर पर आ जाने पर उससे बचने का उपाय सोचना ।
१९. आगे कुआ पीछे खाई=दोनों ओर से विपत्ति से घिरने पर ।
२०. आज किधर चांद निकला है=किसी का बहुत दिनों पश्चात् मिलना ।
२१. आप काज महा काज=स्वयं का कार्य स्वयं से ही ठीक होता है ।
२२. आप मरे जग परले होय=पृथु के पश्चात् की चिन्ता करना बृथा है ।
२३. आम के आम गुठलियों के दाम=किसी वस्तु से दो प्रकार का लाभ होना ।
२४. आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम=काम की बात न कर निरर्थक बात करना ।
२५. आई मौज फकीर की, दिया भोंपड़ा फूँक=विरक्त मनुष्य को किसी से ममता नहीं होती ।
२६. इस हाथ देना, उस हाथ लेना=तत्काल फल मिलना ।
२७. इन तिलों में तेल नहीं=यहां से कुछ भी मिलने की आशा नहीं ।
२८. ऊँखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर=कठिन काम हाथ में पर परिश्रम से नहीं डरना चाहिए ।
२९. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे=प्रपराध स्वीकार न करना और दूसरो क्रोध प्रकट करना ।
३०. उलटे वांस बरेली को=विपरीत कार्य करना ।
३१. ऊँची दुकान, फीका पकवान=केवल अधिक आडम्बर का होना, कुछ नहीं ।
३२. ऊधो का लेना, न भावो का देना=हर प्रकार से निश्चिन्त स्वतन्त्र होना ।
३३. एक और एक ग्यारह होते हैं=एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है ।

३४. एक तन्दुरुस्ती हजारं नियांयत=सम्पत्ति से स्वास्थ्य कई गुना अच्छा होता है ।
३५. एक तो चोरी, दूसरे सीना-जोरी=बुरा काम करके आंखें दिखाना ।
३६. एक पन्थ दो काज=एक वार के परिश्रम से दो प्रकार का फल मिलना ।
३७. एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती=एक स्थान पर दो समान मनुष्यों का टिकाव सम्भव नहीं ।
३८. एक हाथ से ताली नहीं बजती=एक मनुष्य के भगड़ा करने से भगड़ा नहीं होता ।
३९. एक ही लकड़ी से सब को हांकना=अच्छे वुरे सब के साथ एक सा व्यवहार करना ।
४०. ओछे के मुंह लगना अपनी इज्जत खोना=दुष्ट मनुष्य से कभी विवाद नहीं करना चाहिए ।
४१. ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती=थोड़ी वस्तु से तृप्ति नहीं होती ।
४२. कंगाली में आटा गीला=आपत्ति पर आपत्ति आना ।
४३. कफन सिर पर बांधे फिरना=मरने के लिए सदैव तैयार रहना ।
४४. कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर=समय पर एक को दूसरे की मदद की जरूरत होना ।
४५. करमहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े=भाग्यहीन मनुष्य का किसी भी काम में सफल नहीं होना ।
४६. करेगा सो भरेगा=अपराध करने वाला उसका दण्ड भी भोगेगा ।
४७. काटो तो खून नहीं=डर के मारे सन्न हो जाना ।
४८. काठ की हांठी वार-वार नहीं चढ़ती=कपट का व्यापार एक ही वार चलता है ।
४९. काबुल में क्या गधे नहीं होते=मूर्ख मनुष्य सब जगह होते हैं ।
५०. काला अक्षर भैंस दरावर=अनपढ़ मनुष्य, महा मूर्ख ।
५१. का वर्षा जब कृषि सुखाने =अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ ।
५२. कोठी वाला रोये, छप्पर वाला सोये=धनिकों से निर्धन निश्चिन्त रहते हैं ।
५३. कोयलों की दलाली में काले हाथ=बुरों की संगति से कलंक लगना ।

५४. क्या पिही और क्या पीही का शोरवा=छोटी चीज से बड़ा कार्य नहीं हो सकता ।
५५. खग जाने खग ही की भाषा=साथ रहने वाले ही असलियत जान सकते हैं ।
५६. खरी मजूरी चोखा काम=नकद और पूरी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है ।
५७. खुदा गंजे को नाखून न दे=अत्याचारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए ।
५८. खूँटे के दल बछड़ा कूदता है=दूसरे की शक्ति के सहारे काम करना ।
५९. खेती खसम सेती=कोई भी घन्घा अपने मालिक की देख-रेख में ठीक चलता है ।
६०. खोदा पहाड, निकली चुहिया=अधिक परिश्रम से साधारण लाभ होना ।
६१. गंगा गये गंगा दास, जमुना गये-जमुना दास=मुँह देखी बात कहना ।
६२. गवाह चुस्त, मुद्ई सुस्त=स्वयं तो कार्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं करे और दूसरे उसके लिए व्याकुलता तथा उत्सुकता दिखाएँ ।
६३. गागर मे सागर भरना=बहुत बहुत बड़े भाव या विचार को थोड़े से शब्दों में प्रकट करना ।
६४. गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज=दिखावटी परहेज ।
६५. गुड़ दिये मरे तो जहर क्यों दे=समझाने से ही मान जाय तो दण्ड क्यों दे ।
६६. गुड़ न दे, गुड़ की बात तो करे=किसी को कुछ दे न, परन्तु बातें तो मीठी मीठी करे ।
६७. गोव मे छोरा शहर मे ढिंढोरा=वस्तु पास में होना और उसे इधर उधर खोजना ।
६८. घर की मुर्गी दाल बराबर=घर की वस्तु की अधिक प्रतिष्ठा नहीं होती ।
६९. घर का भेदी लंका ढावे=घर मे फूट हो जाने से अधिक हानि होती है ।
७०. घर-घर मटियाले चूल्हे है=सब की एक ही दशा है ।
७१. घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या=मेहनताने में लिहाज कैसा ।
७२. घोड़ों को घर कितनी दूर=काम करने वाले समय नहीं पूछते ।
७३. चन्दन की छुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ=अच्छी चीज तो थोड़ी भी अच्छी और निकम्मी बहुत भी खराब ।

७४. चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय=अत्यन्त कंजूसी करना ।
७५. चलती का नाम गाड़ी=अच्छे समय में सब कोई पूछते हैं ।
७६. चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता=निर्लज पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता ।
७७. चिराग तले अन्वेषण=दूसरों को उपदेश देना और स्वयं वैसा न करना ।
७८. चुपड़ी और दो दो=दुतरफा लाभ होना ।
७९. चोर की दाढ़ी में तिनका=दोषी स्वयं डर जाता है ।
८०. चोर के पैर नहीं होते=अपराधी मनुष्य परीक्षा की कसौटी पर नहीं ठहरता ।
८१. चोरी का माल मोरी मे=दुरे कामों की कमाई दुरे वामों में ही खर्च होती है ।
८२. छल्लन्दर के सिर में चमेली का तेल=अयोग्य को उत्तम वस्तु मिलना ।
८३. छटांक चून, चौबारे रसोई=अधिक दिखावट-अनावट करना ।
८४. छोट्टे मुँह बड़ी बात=योग्यता से बढ़ कर बात करना ।
८५. जमात करामात=संगठन में अपूर्व बल है ।
८६. जल में रह कर मगर से धैर=जिसके आश्रय में रहे, उमी से शत्रुता करना ।
८७. जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई=जिसने कभी दुःख नहीं उठाया, वह दूसरे के दुःख को क्या जाने ।
८८. जान बची लाखों पाये=अपनी जान को अधिक प्यारी समझना ।
८९. जान है तो जहान, और जर है तो दुनिया=जान और माल ही सब कुछ है ।
९०. जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ=विना परिश्रम कुछ नहीं मिलता ।
९१. जिसकी लाठी, उसकी भँस=बलवान ही विजयी होता है ।
९२. जैसा देश वैसा भेष=समयानुसार कार्य करना ।
९३. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं=डींग मारने वालों से काम नहीं होता ।
९४. जो बोले सो कुण्डी खोले=जो उपाय बताये वो ही करे ।
९५. झूठ के पाँव नहीं होते=झूठा आदमी विवाद में नहीं ठहर सकता ।
९६. झोंपड़ी में रहे महलों के स्वाव देखे=न मिल सकने वाली वस्तु की आकांक्षा करना ।

६७. टके के वास्ते मस्जिद ढाना=लालच में वशीभूत होकर अनूचित काम करना ।
६८. ढाक के वही तीन पात=किसी मनुष्य का सदैव एक सी ही निर्धन हालत में रहना ।
६९. ढोल में पोल=बड़ी जगह भी अन्धेर ।
१००. तबेले की बला बन्दर के सिर=करे कोई, नामी पकड़ा जाय ।
१०१. तिनके की ओट पहाड़=थोड़े सहारे से बड़ा काम सिद्ध होना ।
१०२. तीर नहीं तो तुक्का ही सही=काम हो जाय तो ठीक, नहीं तो खैर ।
किसी को काम करने के लिए प्रोत्साहन देना ।
१०३. तू डाल-डाल में पात-पात=एक चालाक का दूसरे से अधिक चालाक होना ।
१०४. तेल तिलों से निकलता है=उदार आदमी ही कुछ दे सकता है ।
१०५. थोया बना बाजे घना=आडम्बर-प्रिय मनुष्य में तत्व नहीं होता ।
१०६. दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती है=शक्तिशाली मनुष्य भी अपराध करने पर कमजोरों की बातें सुनता है ।
१०७. दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जाति पहचानी गई=जब कोई थोड़ी सी चीज के लिए बेईमानी करे ।
१०८. दादा ले और पोता बरते=बहुत मजबूत चीज के लिए ।
१०९. दीवार के भी कान होते है=गुप्त सलाह एकान्त में करनी चाहिए ।
११०. दुधारु गाय की लात भली=लाम पहुँचाने वाले की घुड़कियां भी सहन करनी पड़ती हैं ।
१११. दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम=अनिश्चित रहने के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता ।
११२. दुनिया ठगिये भक्कर से, राटी खाइये शक्कर से=जो छल से संसार को ठगते हैं, आराम से अपनी जिन्दगी बिताते हैं ।
११३. दूध का जला छाछ को फूँक-फूँक कर पीता है=एक बार का धोखा खाया हुआ मनुष्य दूसरी बार सावधानी से काम करता है ।

११४. दूर के ढोल सुहावने=दूर की वस्तुएँ जब तक उनका अनुभव न हो जाता, बहुत अच्छी लगती हैं ।
११५. देखें ऊँट किस करवट बैठता है=देखें परिणाम क्या निकलता है ।
११६. दोनों हाथ लड्डू हैं=दोनों तरफ से लाभ की संभावना होना ।
११७. घोदी का कुत्ता घर का न घाट का=जिनका कोई स्थायी आश्रय न हो ।
११८. घोबिन पर बस न चले, गधैया के कान ऐंठे=बलवान से बश न चलने पर निर्बल को सताना ।
११९. नंगी क्या नहायेगी और क्या नीचोड़ेगी=निर्धन मनुष्य दूसरों की क्या सहायता करेगा ।
१२०. नक्कारखाने में तूती की आवाज=बड़े लोगों द्वारा छोटी की पुकार पर ध्यान न देना ।
१२१. न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी=ऐसी शर्तें रखना जो संभव न हो सके ।
१२२. नया नौ दिन पुराना सौ दिन=पुरानी वस्तु ही अधिक काम की होती है ।
१२३. न रहे बांस, न बजे बांसुरी=दुःख के मूल कारण को ही नष्ट कर देना चाहिए ।
१२४. नटनी जब बांस पर चढ़ी तो धूँघट क्या=जब काम करना ही है तो शरम कैसी ।
१२५. नाम बड़े दर्शन थोड़े=भूठी प्रसिद्धि ।
१२६. नेकी और बूझ बूझ=भलाई करने में क्या पूछना ।
१२७. नौ दिन चले अढ़ाई कोस=बहुत सुस्ती से काम करना ।
१२८. नौ नगद न तेरह उधार=उधार से अधिक लाभ होने की आशा हो तो वह भी बुरी है ।
१२९. पढ़े तो हैं, पर गुने नहीं=अनुभव-हीन ।
१३०. पढ़े फारसो बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल=भाग्य-वश शिक्षित व्यक्ति का मारा मारा फिरना ।
१३१. पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं=परतंत्रता बड़ी बुरी वस्तु है ।
१३२. पहले लिख और पीछे दे, कमती हो तो मुझसे ले=बराबर लिखते रहने से हिसाब में गड़बड़ी नहीं पड़ती ।

१३२. पहले अपनी ही दाढ़ी की आग बुझाई जाती है=पहले अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए ।
१३४. पांचों ऊँगली घी में हैं=हर तरह से लाभ, सब प्रकार से खुशी ।
१३६. पांचों ऊँगलियां बराबर नहीं होती=सब समान नहीं होते ।
१३६. पांचों सवारों में नाम लिखाना=दूसरों के समान अपने को भी बड़ा समझना ।
१३७. पिये रुधिर पय ना पिये, लगी पयोवर जौक=नीच मनुष्य दूसरों के अबगुण ही ग्रहण करते हैं ।
१३८. प्यासा कुए के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं आता=जिसे गरज होती है, वही दूसरों के पास जाता है ।
१३९. फरा सो भरा और बरा सो बुताना=सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती ।
१४०. बड़े बोल का सर नीचा=घमंडी को नीचा देखना पड़ता है ।
१४१. बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद=वस्तु-विशेष का मूल्य न पहचानना ।
१४२. वद अच्छा वदनाम बुरा=भूठा कलंक लगाने की अपेक्षा बुरा प्रमाणित होना अधिक अच्छा है ।
१४३. वाप न मारी मँढकी, वेटा तीरन्दाज=जब कोई अधिक डींग हाँके ।
१४४. बार-बार चोर की, एक बार शाह की=कभी-न-कभी चालाकी खुलती ही है ।
१४५. बारह बरस दिल्ली में रहे, भाड़ ही भोंका=अच्छे स्थान पर रह कर भी कुछ उत्तति न करना ।
१४६. वावन तोले पाव रत्ती=जब कोई वस्तु बिल्कुल ठीक हो ।
१४७. विच्छ का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे=मीठी मार बहुत बुरी है ।
१४८. विन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख=जो वस्तु मिलनहार होती है, स्वयं मिल जाती है ।
१४९. विना रोये तो मां भी दूध नहीं पिलाती=विना प्रयत्न कुछ भी प्राप्त नहीं होता ।
१५०. बैठे से वेगार भली=बैठे रहने से तो मुपत का भी अच्छा (क्योंकि आदत तो खराब नहीं होती)

१५१. बाध और दकरी एक घाट पानी पीते हैं=कोई किसी को नहीं सता सकता (उत्तम शासन के लिए) ।
१५२. बिल्ली के भाग्य से छोका टूटना=आशा से अधिक की अनायास प्राप्ति ।
१५३. भई गति सांप-छछूँ दर केरो=ऐसी अवस्था जिसमें किसी काम के करने से भी हानि और न करने से भी हानि ।
१५४. भैंस के आगे दोन दजावे, भैंस खड़ी पगुराय=मूर्खों के आगे ज्ञान की बातें करना वा कहना व्यर्थ ।
१५५. भेड़ की लात घुटनों तक=जब अधिक हानि होने की संभावना न हो ।
१५६. भागते भूत की लंगोटी ही सही=जहां से कुछ भी मिलने की आशा न हो, वहां से जो कुछ मिल जाय, वही अच्छा है ।
१५७. मन के लड़इयों से भूख नहीं मिटती=कोरो कल्पना से काम नहीं चलता ।
१५८. मन चंगा ती कठोती में गंगा=जिसका हृदय पवित्र है, उसके लिए घर में ही गंगा है ।
१५९. गन भावे, मूँड हिलावे=अच्छा लगने पर भी दिखावटी इत्कार करे ।
१६०. मरस्त. क्या न करता=जो जान पर खेलने को तैयार हो, वह सब कुछ कर सकता है ।
१६१. मान न मान मैं तेरा मेहमान=जबरदस्ती गले पड़ना ।
१६२. माया तेरे, तीन नाम, परसू, परसा, परसराम=धनी की सब जगह पूछ होती है, गरीब को कोई नहीं पूछता ।
१६३. मालेमुप्त, दिले बेरहम=दूसरे का माल उड़ाने में किसको दर्द ।
१६४. मानो तो देव नहीं पत्यर के लेव=विश्वास बड़ी चीज है ।
१६५. मियाँ की जूती, मियाँ के सिर=जिसकी चीज हो, उसीके विरुद्ध उसका प्रयोग करना ।
१६६. मुँह मांगी तो भोत भी नहीं मिलती=जैसी अभिलाषा हो, वैसा प्राप्त न होना ।
१६७. मुद्ई सुरत गवाहं चुरत=जिसका काम हो, वही दिलचस्पी न ले ।
१६८. मुल्ला की दीड़ मस्जिद तक=काम करने की योग्यता और शक्ति को सीमित होना ।

१६६. मुख में राम, बगल में छुरी=कपट का व्यवहार ।
१७०. मैठकी को भी जुकाम=छोटे और नीच आदमी का नखरे करना ।
१७१. मेरी ही बिल्ली और मुझ से ही म्याऊँ=अपनी भलाई करने वाले को ही हानि पहुँचाने का प्रयत्न करने पर ।
१७२. यह मुँह और मसूर की दाल=हैसियत से अधिक की इच्छा करना ।
१७३. यथा नाम तथा गुण=नाम के अनुसार ही गुण भी हों ।
१७४. यथा राजा तथा प्रजा=जैसे स्वामी, वैसे ही सेवक ।
१७५. रस्सी जल गई, पर ऐंठ न गई=अन्त तक अकड़े रहना, अन्त तक आत पर डटे रहना । बरवाद होने पर भी घमंड न जाना ।
१७६. रानी लूठेगी अपना सुहाग लेगी=कोई नाराज होकर जो कुछ देगा, न देगा ।
१७७. रात भर पीसा पारी में सकेला=अधिक परिश्रम का बहुत थोड़ा फल ।
१७८. रोज कुआँ खोदना, रोज पानी पानी=नित्य कमाना और पेट भरना ।
१७९. राम-राम जपना, पराया माल अपना=छल-कपट करना ।
१८०. रहें भोंपड़ी में, स्वप्न देखें महलों का=ऐसी कल्पनाएँ करना जो मूर्त धारण न कर सकें ।
१८१. रोग का घर खांसी, रार का घर हांसी=खांसी रोग की जड़ है और हँसा-मजाक भगड़े की जड़ है ।
१८२. सातों के देव बातों से नहीं मानते=नीच प्रकृति के मनुष्य बिना सार के सोचे रास्ते पर नहीं आते हैं ।
१८३. लाल गुदड़ी में नहीं छिपते=अच्छे मनुष्य शोचनीय स्थिति में भी अपने गुण नहीं त्यागते ।
१८४. लेना एक न देना दो=हिंसाव विल्कुल साफ ।
१८५. विष दे विश्वास न दे=विश्वास-घात करने से विष पिलाना अच्छा है ।
१८६. विषस्य विषमौषधम्=जहर जहर से ही उतरता है ।
१८७. शक्कर खोर को शक्कर और करम फोड़ को टक्कर हर जगह मिलती है=जो जिस योग्य होता है, ईश्वर उसे वैसा ही देता है ।
१८८. शुभस्य शीघ्रम्=जो कार्य शुभ हो, उसे शीघ्र ही कर डालना चाहिए ।
१८९. समर्थ को नहीं दोष गुसाईं=समर्थ के दोष को दोष नहीं समझा जाता ।

१६०. साधन सूखा न भादों हरा=सदा एक सी स्थिति में रहना ।
१६१. सीधी उँगली से धी नहीं निकलता=सोधेपन से काम नहीं चलता ।
१६२. सांप के निकल जाने पर लकीर पीटने से क्या लाभ=भीका चूक जाने पर पछताने से क्या फायदा ।
१६३. सहज पके सो मीठा होय=जो काम आसानी से हो जाय, वही अच्छा है ।
१६४. साव को आंच कहाँ=सच्चा कभी नहीं डरता ।
१६५. सिर मुँडते ही ओले पड़ना=कार्य के आरम्भ में ही विघ्न पड़ना ।
१६६. मोने में सुगन्ध=अच्छी चीज में एक खूबी और आजाना ।
१६७. हथेली पर सरसों नहीं जमती=जल्दी में कोई काम नहीं होता ।
१६८. हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और=कहे कुछ और करे कुछ ।
१६९. होनहार बिरवान के होत चीकने पात=होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगजाते हैं ।
१७०. हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है=गुण की परिक्षा गुणी ही कर सकता है ।
२०१. हल्दी लगै न फिट्करी रंग चीखा आजाय=मुफ्त में या आसानी से काम बन जाय ।

पांचवाँ अध्याय रचना-बोध

सुन्दर और सुव्यवस्थित रचना के लिए शब्द-ज्ञान, शब्दों का उचित प्रयोग, व्याकरण ज्ञान, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग, विराम चिह्नों का प्रयोग यदि कई बातें आवश्यक हैं, जो पिछले अध्यायों में समझा दी गई हैं। सुन्दर वाक्य-रचना के लिए यह आवश्यक है कि वाक्या-विन्यास शिथिल और जटिल न हो और शब्दों का क्रम भी ठीक हो। वाक्य-रचना त्रुटि-विहीन हो और उसमें ठीक-ठीक अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो। एक वाक्य के शब्दों में परस्पर आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम का सम्बन्ध बना रहना चाहिए। वाक्यों में एक शब्द को सुनकर उससे आगे आने वाले शब्द के सुनने को इच्छा 'आकांक्षा' कहलाती है, जो अर्थ समझने एवं शब्दों का परस्पर सम्बन्ध जोड़ने में सहायक होता है। 'योग्यता से तात्पर्य अर्थ-संगति का है। सन्तुष्ट वाक्य का ऐसा अर्थ निकले जो संगत हो। जैसे—'वह रोटी पीता है' वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, परन्तु यहाँ अर्थ-संगति नहीं; क्योंकि रोटी खाने की वस्तु है न कि पीने की। अतः इस वाक्य में, 'योग्यता' का अभाव है। 'वह रोटी खाता है' वाक्य में ही शब्दों में परस्पर अर्थ प्रकट करने की योग्यता है, क्योंकि रोटी और खाने का परस्पर सम्बन्ध है, न कि रोटी और पीने का। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में यथास्थान शब्द-योजना न हो तो अर्थ में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उदाहरण के लिए 'मोटर पर सड़क चलती है' वाक्य में शब्द यथास्थान नहीं हैं, अतः अर्थ में गड़बड़ी उपस्थित होती है। यथास्थान शब्द रख कर यदि इस वाक्य को लिखा जाय तो वाक्य बनेगा—'सड़क पर मोटर चलती है' जो ठीक-ठीक अर्थ प्रकट करता है।

अब छात्रों के लिए रचना-सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनकी जानकारी होने पर वे बहुत से दोषों से बचे रहेंगे और उत्तम वाक्य-

रचना कर सकेंगे । वाक्य में कितने ही प्रकार की अशुक्तियां हो सकती हैं—वर्तनी की, शुद्ध शब्द के स्थान पर अशुद्ध शब्द की, लिंग सम्बन्धी, वाक्य में शब्दों के पररपर क्रम सम्बन्धी वा अनव्यय सम्बन्धी, क्रिया काल सम्बन्धी आदि-आदि । इसके पहले कि छात्र अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखें, उन्हें नीचे लिखे स्तम्भों में वर्णित बातों का सम्यक् अध्ययन कर लेना चाहिए । इनके अचञ्ची तरह हृदययंगम कर लेने पर ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ वे उत्तम और शुद्ध रचना भी कर सकेंगे ।

(१) लिंग परिवर्तन

यहां केवल उन शब्दों का लिंग-ज्ञान कराया गया है जो विद्यार्थियों के दृष्टि कोण से कठिन है और जिन के लिंग बदलने में वे गलती कर सकते हैं ।

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
विद्वान्	विदुषी	पति	पत्नी
श्रीमान्	श्रीमती	राजा	रानी
पंडित	पंडती	ज्येष्ठ	ज्येष्ठा
सभापति	सभानेत्री	सम्राट	सम्राज्ञी
कवि	कवयित्री	गायक	गायिका
युवा	युवती	वर	वधू
पुत्रवान्	पुत्रवती	विधुर	विधवा
आयुष्मान्	आयुष्मती	रङ्गुआ	रांड
महार्	महती	अध्यापक	अध्यापिका
बुद्धिमान्	बुद्धिमती	पाठक	पाठिका
विद्यावान्	विद्यावती	अधिकारी	अधिकारिणी
गृही	गृहिणी	दावू	ववुआइन
पापी	पापिनी	विलाव	विल्ली
हस्ती	हस्तिनी	जाट	जाटनी
कर्ता	कर्त्री	मोर	मोरनी
कहार	कहारिनी	हा	चूहिया

(२) भाव वाचक संज्ञाएँ

कभी-कभी छात्र एक ही शब्द में दो भाव-वाचक प्रत्यय लगाने देते हैं, जैसे—सौन्दर्यता, महत्त्वता आदि में किन्तु दो प्रत्यय लगाना गलत है; और कभी-कभी वे भाव-वाचक संज्ञा का रूप ही गलत बना लेते हैं। इसलिए छात्रों की जानकारी के लिए मुख्य-मुख्य भाव-वाचक संज्ञाएँ जिनके लिखने वा प्रयोग करने में छात्र अशुद्धि करते हैं, नीचे लिख दी जाती हैं :—

शब्द	भाववाचक संज्ञा	शब्द	भाववाचक संज्ञा
मनुष्य	मनुष्यत्व, मनुष्यता	प्रभु	प्रभुता, प्रभुत्व
स्वस्थ	स्वस्थता, स्वास्थ्य	मधुर	मधुरता, माधुर्य
सुन्दर	सुन्दरता, सौन्दर्य	कर्तृ	कर्तृत्व
लघु	{ लघुत्व, लघुता लघिमा, लाघव	मीठा	मिठास
गुरु	{ गुरुत्व, गुत्ता गौरिमा, गौरव	बूढ़ा	बुढ़ापा
प्रचुर	प्रचुरता, प्राचुर्य	चौड़ा	चौड़ाई
मृदु	मृदुता, मार्दव	लिखना	लिखावट
महत्त्व	महत्त्व, महता, महिमा	अहम्	अहंकार
पंडित	पंडितता, पांडित्य	चढ़ना	चढ़ाई, चढ़ाव
लवण	लवणता, लावण्य	कठिन	कठिनता, कठिन्य
धीर	वीरता, धैर्य	कठिनाई	कठिनाई
सदृश	सदृशता, सादृश्य	सुजन	सुजनता, सौजन्य
		मलिन	मलिनता, मालिन्य
		उदार	श्रीदार्य
		कुलीन	कुलीनता, कौलीन्य

(३) अनेक शब्दों के बदले एक शब्द

अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग वाक्य-विस्तार एवं वाक्य-संक्षेपण में छात्रों की बड़ी सहायता देगा, अतः जानकारी के लिए कुछ शब्द यहाँ लिख दिये जाते हैं :—

१. वह जिसको अच्छी तरह शिक्षा मिली है—सुशिक्षित
२. वह जिसका कोई संरक्षक नहीं है—अनाथ
३. वह जो दूसरे के किये हुए उपकार को नहीं मानता—कृतघ्न
४. वह जो साहित्यिक गुण-दोष की विवेचना करता है—समालोचक
५. वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो—विधुर
६. वह स्त्री जिसका पति जीवित है—सधवा
७. जो यह न समझ सके कि मुझे क्या करना है—किर्कतव्य-विमूढ़
८. वह जो दूर (आगे) तक की सोचे—दूरदर्शी
९. जब तक जीवन रहेगा तब तक—आजीवन
१०. वह स्त्री जिसका कोई पति न हो (विवाह होने के पश्चात्)—विधवा :-
११. वह स्त्री जिसका कोई पति न हो (विवाह होने से पूर्व)—क्वारी, अविवाहिता
१२. वह पुरुष जिसमें बल न हो—निर्बल
१३. वह मनुष्य जो सबका भला चाहता है—परोपकारी
१४. जिस मकान के बाहर दरवाजे हों—बारहदरी
१५. जिसके समान कोई दूसरा न हो—अद्वितीय
१६. कोई (बात या घटना) जो पहले कभी न हुई हो—अपूर्व
१७. वह जो दूसरे के किये हुए उपकार को माने—कृतज्ञ, आभारी
१८. वह जिसका आचरण श्रेष्ठ हो—सदाचारी
१९. वह जो अपना ही मतलब साधता हो—स्वार्थी
२०. वह जिसका आचारण बुरा हो—दुराचारी
२१. वह जो सदैव पैसे के पीछे फिरे—लोभी
२२. वह जो कभी मांस न खाने वाला हो—शाकाहारी
२३. वह जो किसी से न डरे—निडर
२४. वह जो सब कुछ जानता हो—सर्वज्ञ

२५. वह जो ईश्वर में विश्वास रखता हो—आस्तिक
 २६. वह जो ईश्वर में विश्वास वा आस्था न रखता हो—नास्तिक
 २७. वह जो धन का दुरुपयोग करता हो—अपव्ययी
 २८. वह पुत्र जो अपना खुद का हो—औरस
 २९. वह पुत्र जो गोद लिया हुआ हो—दत्तक
 ३०. वह जो भूख से कम भोजन करने वाला हो—मिताहारो
 ३१. वह जिसने इन्द्रियों को जीत लिया हो—जितेन्द्रिय
 ३२. वह जो जानने की इच्छा रखता हो—जिज्ञासु
 ३३. वह जो मीठी बोली बोलता हो—मिठबोला
 ३४. वह जिसके बारह सींग हों—बारहसीगा
 ३५. वह जिसमें लवण (नमक) न पड़ा हुआ हो—अलोना
 ३६. वह स्थान जहाँ कोई जग (व्यक्ति) न रहता हो—निर्जन
 ३७. वह किसकी नाक कटी हुई हो—नकटा
 ३८. वह जिसका कान कटा हुआ हो—कनकटा
 ३९. वह स्त्री जिसके कोई सन्तान न होती हो—वन्ध्या, वांछिणी
 ४०. वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो—बंजर, ऊसर
 ४१. वह स्त्री जिसके कोई पुत्र न हो—निपूती, अपुत्रा
 ४२. वह जिसके तीन नेत्र हैं—त्रिलोचन
 ४३. वह जिसके नयन मृग के नयनों समान हों—मृगनयनी
 ४४. वह स्थान जहाँ पाँच वट-वृक्षों का समूह हो—पञ्चवटी
 ४५. वह व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो—सच्चरित्र
 ४६. वह अन्न जो न भक्षण करने योग्य हो—कदन्न
 ४७. वह व्यक्ति जो सदा घर में घुसा रहने वाला हो—घरघुस, घर-घुसड़ा
 ४८. वह व्यक्ति जो काम से जी चुराता हो—काम-चोर
 ४९. वह जो जन्म से अन्धा हो—जन्मान्ध
 ५०. जो प्राणी रात्रिको दिवहरण करते हैं—निशिचर, निशाचर
 ५१. वे जो स्वयं अपने आपको मारते हैं—आत्महत्या
 ५२. वह दस्तु जो कठिनाई से प्राप्त की जा सके—दुर्लभ, दुष्प्राप्य

५३. वह जिसका स्वास्थ्य अच्छा न हो—रोगी, अस्वस्थ
 ५४. जो पदार्थ नष्ट होने वाले हों—विनाशगील, नश्वर
 ५५. वह जो सदा देश की भलाई चाहता हो—देश-भक्त
 ५६. वह वस्तु जो कभी प्राप्त ही न हो सके—अलभ्य
 ५७. वह जिसका काम ही लड़ने का हो—लड़ाकू
 ५८. वह जो थोड़ी ही देर में मिट जाने वाला हो—अगाभंगुर
 ५९. वह वस्तु जो निन्दा करने योग्य हो—निन्दनीय
 ६०. वह जिसका ठीक-ठीक वर्णन न किया जा सके—अनिर्वचनीय
 ६१. वह जो अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखनेवाला हो—आत्म-सयंमी
 ६२. वह जिसकी कोई नाप-तौल न हो सके—अपरिमेय
 ६३. वह जो लेने वा स्वीकार करने योग्य न हो—अपरिग्राह्य
 ६४. जो अनिवार्य हो, जिसका कोई परिहार न हो सके—अपरिहार्य.
 ६५. वह व्यक्ति जो पहले किसी पद पर रह चुका हो—भूतपूर्व

(४) वाक्य-विस्तार एवं वाक्य संक्षेपण

लिखने और कहने के दो ढंग हैं—(१) किसी भी बात को बढ़ा कर लिखना वा बोलना और (२) जो कुछ कहना है उसे संक्षेप में लिखना वा बोलना। कुछ लोग एक साधारण वाक्य को भी विस्तार दिये बिना नहीं रहते और कुछ संक्षिप्तता के गुण को महत्व देते हैं, उनका कहना है—*Brevity is the soul of wit.*

(क) वाक्य-विस्तार

वक्ता या लेखक जब किसी वाक्य को बढ़ाकर बोलता वा लिखता है जिससे उसका भाव स्पष्टतया समझ में आजाय, तब 'वाक्य-विस्तार' कहलाता है जैसे—

वाक्य

१. पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं।

विस्तारित वाक्य

१. जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है, वे सब मर्त्य हैं।

२. नीरोग होकर वह मुखी होगया।

२. जब उसका रोग नष्ट हो गया तब वह सुख का अनुभव करने लगा।

३. सच्चरित्र सर्वत्र सम्मान पाता है।
४. दीनों को मत सताओ।
५. यह एक श्रीपघालय है।
६. उद्योगी सदा व्यस्त रहते हैं।
७. इस संस्था में केवल अविवाहित ही काम कर सकेंगे।
३. जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ ही सम्मानित होता है।
४. जो लोग दीन-हीन हैं, हमें उन्हें नहीं सताना चाहिए।
५. यह एक ऐसा स्थान है जहाँ रोगियों को श्रीपघ वितरण की जाती है।
६. जो उद्योग करने वाले होते हैं, वे सदा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं।
७. इस संस्था में केवल वे व्यक्ति, जिन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है और जो भविष्य में भी विवाह न करने का विचार रखते हों, सेवा-कार्य कर सकेंगे।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों का विस्तार करो, परन्तु यह ध्यान रखो कि वाक्य के आशय में अस्पष्टता न आये—

- (१) परोपकारी सदा दूसरों का भला चाहते हैं।
- (२) दुराचारी सब जगह ठोकरें खाते हैं।
- (३) बिना परिश्रम फल हो जाओगे।
- (४) निर्धन सदा दुखी रहते हैं।
- (५) कार्य-वश मुझे दिल्ली जाना पड़ा।
- (६) आपके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
- (७) पापी लोग दुःख भोगते हैं।
- (८) यौवनावस्था में हिताहित का ज्ञान नहीं रहता।
- (९) सूर्योदय से पूर्व कमल नहीं खिलते।
- (१०) निरामिष-भोजी क्रोधी नहीं होते।
- (११) सफल होने वाले छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
- (१२) ईश्वर आपको चिरायु करे।

(ख) वाक्य संक्षेपण

जब किसी विस्तृत वाक्य के उद्देश्य वा विधेय में प्रयुक्त शब्द समूह को केवल एक शब्द में बदल देते हैं अथवा किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ऐसा शब्द जो उसका आशय स्पष्टतया प्रकट करता हो, रख देते हैं, और वाक्य छोटा बन जाता है। इसी को 'वाक्य-संक्षेपण' कहते हैं, जैसे—

विस्तृत वाक्य

संक्षिप्त वाक्य

- | | |
|--|---|
| १. जिसने मेरा उपकार किया है उसे मैं जब तक जीऊँगा, नहीं भूलूँगा। | १. मैं अपने उपकारी को आजन्म नहीं भूलूँगा। |
| २. जिस मनुष्य में बुद्धि है वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। | २. बुद्धिमान ऐसा काम कभी नहीं करेगा। |
| ३. जब मनुष्य का बुढ़ापा आता है तब वे भले घुरे के विवेक को खो देता है। | ३. बुढ़ापे में मनुष्य विवेकशून्य हो जाता है। |
| ४. यदि तुम स्कूल में उपस्थित न रहोगे तो तुम्हें दण्ड मिलेगा। | ४. स्कूल में अनुपस्थित रहने पर तुम्हें दण्ड मिलेगा। |
| ५. मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। | ५. मृत्यु अपरिहार्य है। |
| ६. आपकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। | ६. ईश्वर आपको सफलता दे। |
| ७. वह व्यक्ति जो अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला हो, मंत्र-सिद्ध कर सकता है। | ७. आत्म-संयमी ही मन्त्र सिद्ध कर सकता है। |

अभ्यास

(१) जो लोग परिश्रम नहीं करते वे भूखों मरते हैं। (२) वह उत्तीर्ण होना चाहता है, इसलिए परिश्रम कर रहा है। (३) जब तक हम न दौड़ेंगे, हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। (४) यद्यपि वह शत्रु से हार चुका था तथापि वह लड़ता ही रहा। (५) मोहन ने जो एक खिलाड़ी लड़का है, लडके की

टांग तोड़ दी। (६) वे मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, दुःखी रहते हैं। (७) जितनी वस्तुएँ पृथ्वी पर विद्यमान हैं वे सभी अस्थायी हैं। (८) इस स्थान में बालकों को पाठ पढ़ाया जाता है। (९) उस भूमि में भी जिसमें बहुत पैदा होती है, यदि पानी का अभाव हो तो अधिक नहीं उपजता। (१०) मैं उन व्यक्तियों के विषय में आप से कुछ कहना चाहता हूँ, जो सदा देश की भलाई में ही लगे रहते हैं।

(५) रिक्त स्थानों की पूर्ति

किसी वाक्य में एक वा अधिक शब्दों के स्थान रिक्त हो तो छात्रों को वाक्यों के अर्थ पर दृष्टि रख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कोई विशेष नियम नहीं, केवल व्याकरण ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे—(१) सोहन.....मोहन बाजार गये (सोहन और मोहन बाजार गये)। (२) जब तक वह मुझे पैसा न देगा,.....मैं यहाँ से न उड़ूँगा (जब तक वह मुझे पैसा न देगा, तब तक मैं यहाँ से न उड़ूँगा)। (३) दीवार .. चित्र.....लटकाये है? दीवार पर चित्र किसने लटकाये है? (४) कौन.....है जिसको पेट की ज्वाला न.....हो? (कौन ऐसा है जिसको पेट की ज्वाला न सताती हो)।

छात्रों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का अच्छा अभ्यास हो जाय इसलिए नीचे संकेत सहित अभ्यास दिये जाते हैं :—

(क) निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिये गये अव्ययों को भरो :—

(१).....चाह,राह (जहाँ तहाँ)। (२) हरि.....उदण्ड है.....बाचाल भी है (न केवल, प्रत्युत)। (३)वहाँ आओगे.....ही रुपया दूँगा (जब, तब)। (४)ध्यानपूर्वक न सुनोगे.....कैसे उत्तर दोगे (यदि, तो)। (५)मैंने उसको समझाया.....वह उलटा पड़ता गया (ज्यों-ज्यों, त्यों-त्यों)। (६) उनके लिए घोड़ा.....गधा.....ही बराबर है (और, दोनों)। (७).....चलो.....ठोकर खाकर गिर पड़ोगे (धीरे-धीरे, बरना)। (८) पढ़ो.....फेल हो जाओगे (नहीं तो)। (९) उद्योग सब करते है.....फल भाग्य के अनुसार मिलता है (परन्तु)। (१०) तुम्हारी अगँठी.....है? (कहाँ)।

ख) नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिये गये सर्वनाम भरो :—
 (१) कमरे में...है (कौन) ? (२) क्या ये वे पुस्तकें हैं...आपने गत वर्ष खरीदी थी ? (जो) । (३).....पैसा है, उसी को मिलेगा (जिसका) (४) समय ऐसा है किसाथ भेलाई करो.....शत्रु बन जाता है (जिसके, वही) । (५) बोटल मेंभरा है ? (क्या) । (६) सब.....कहते हैं, परन्तु...करता.....नहीं (ऐसा, कोई) । (७).....चाहे लाख प्रयत्न कर, परन्तु.....हिस्से में से...एक छदाम भी न दूँगा (तू, मैं, मेरे, तुम्हें) । (८) राम ने.....पूछा कि...जयपुर कब आरहे है (मुझसे, आप) (९) तुम.....काम करो (अपना) । (१०).....सम्मति से वह प्रस्ताव पास हो गया (मव की) ।

ग) नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठक में लिखी हुई क्रियाएँ भरो:—
 (१) रमेश से पत्र नहींजाता (लिखा) । (२) मेरी टांग में दर्द है, इसलिए मैं चल नहीं.....(गकूँगा) (३) आज आकाश में बादल.....रहे हैं (छा) । (४) क्या तुम से चिट्ठी नहीं.....? (पढ़ी गई) ? (५) राम से रावण.....गया (भाड़ा) । (६) तुमने इस निरपराध को क्यों.....? (सताया) । (७) वह बम्बई पहुँच.....होगा (गया) । (८) क्या दरियाँ.....हैं ? (विछाई जा रही) ।

घ) रिक्तस्थानों में कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों को भरो :—
 (१).....घास चर रहे हैं (गधे) । (२) ईश्वर का.....करो (भजन) । (३) तुमको सदा गरीबी की.....करनी.....(सहायता, चाहिए) । (४) राम ने.....मारा (रावणको, बाणों से) । (५) मैं किसी भी... पर तुम्हारा कहना.....मानूँगा (शर्त, न) । (६) यह तरबूज बड़ा.....है (स्वादिष्ट) । (७) मुझे.....गीत अच्छे लगते हैं (राजस्थानी) । (८) यह पुस्तक... कही अच्छी है (उससे) । (९) सारा सामानराख हो गया (जल-कर) । (१०) मैं.....को दिल्ली जाऊँगा (सोमवार) । (११) वह बम्बई.....जा रहा है ? (कब) (१२) हरि.....कक्षा में पढ़ता है (छठी) । (१३) गोपाल के.....कौन आया है ? (साथ) (१४) मैं आपको.....कष्ट नहीं देता; किन्तु.....करूँ,.....हूँ । (इतना, क्या, विवश) । (१५) बाल...

होते हैं (काले) । (१६) उस.....लक्ष्मी की.....है (पर, कृपा) । (१७).....
छात्रों को भाषण-प्रतियोगिता में.....लेना चाहिए (उत्साही, भाग) ।

अभ्यास

नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :—

१. यह बात सुनते ही उसको आँखों में आँसू.....आये । २. तेज प्रकाश में आँखें.....जाती हैं । ३. गधे.....रहे थे और घोड़े.....रहे थे ।
४. शराबी..... कर पिर पड़ा । ५. जहाँ मीठा होता है.....मक्खियाँ..... करती है । ६. आशा है.....विलम्ब के लिए आप.....करेंगे । ७. अब पछताये होत क्या जब.....खेत । ८. इन चोरियों का..... लगाना.....का काम है । ९. शिवाजी की.....से औरंगजेब की आशाओं पर.....फिर गया । १०. घोवी कपड़ों पर.....करता है । ११. इस वृक्ष में लम्बे फल.....हैं । १२. हमारे.....से विश्व की अशान्ति का..... साम्राज्यवाद की.....है । १३. यहीं रह, मैं.....जाता हूँ । १४. मैंने.....जैसे कई देखे हैं । १५. पानी में.....पड़ा है । १६. भारत में.....कोई नहीं.....अपनी प्रशंसा न करे । १७. शरवत में.....पड़ा है ? १८. पहला और दूसरा तेज है,.....आलसी । १९.....विल्लीपी गई । २०. यह भोजन.....स्वादिष्ट है । २१. थोड़े लड़के जा.....हैं । २२. चेला गुरु से.....है । २३. विद्वान का स्त्रीलिंग.....है । २४. रमेश शारदा से कपड़े.....है । २५. क्या तुम स्नान कर.....? मे काम करता..... । २६. देखो गाड़ी.....आया है । २७. तुमको पांच वर्ष और उसी में काम करना..... । २८. मुझसे हँसा नहीं..... २९. वह अब तक वहाँ पहुँच..... होगा । ३०. यदि मैं एम. ए. कर लेता.....किसी..... में प्राध्यापक..... ३१. लड़के शोर..... होंगे । ३२. ईश्वर करे तुम्हारे पास.....जाओ । ३३. हमें माता-पिता की सेवा..... चाहिए । ३४. मैं नहीं.....सकता कि वह घर पहुँचा या..... । ३५. कृपया दर्शन देते..... । ३६. कहिये, आपके.....क्या लाऊँ । ३७. मेरे लिये.....चाय..... । ३८. क्या यह काम मैं.....? ३९. मैं भोजन करता..... नहीं बोलता हूँ । ४०. इस मरे.....को क्यों मारते..... । ४१. गाड़ी से

उतरते.....मैंने तांगा किया । ४२.....शर्म के उसने मेरी.....देखा तक नहीं ।

- (अ) १. राम से पत्र.....जाता है । २. यह चिट्ठी राम से नहीं लिखी.....।
 ३. यह क्या किया.....रहा है ? ४. मैं.....सात मील चला हूँगा । ५.
 जो काम ... किया जाता है,.....अच्छ होता है । ६. इधर क्या रखा
 है,.....जाओ । ७. किसी कोसताओ । ८. जैसा करोगे.....
 भरोगे । ९. जहाँ-जहाँ असन्तों के पैर पड़ते हैं.....उपद्रव.....होते हैं ।
 १०. पेड़ के.....छाया है । ११. यहाँ मुझमें.....कौन आया था ?
 १२. दूध पीओगे... चय । १३. राम दरिद्र है.....है ईमानदार ।
 १४. जो होना था..... हो गया । १५. मोरी में कीड़े.....रहे हैं ।
 १६. बगीचे में.....कूकहै । १७.....फूल लताओं पर ही देते
 है । १८. उस का गाना बड़ा.....है । १९. खेलने में जो प्रवीण
 होता है, उसे हीकहते हैं । २०. अब वह नित्यानत्रे के.....में पड़
 गया । २१. दूसरों के मुख से अपनी.....सुनने के लिए किस का.....
 अधीर नहीं होता । २२. अपना मित्र ही यदि शत्रु बनकर गले पर.....
 फेरे तो इसे समय के.....के सिवा और क्या कहूँ । २३. नवयुवक.....हीं
 उद्वुड क्यों.....हो, किन्तु थोड़े ही समय में परिवार का.....पड़ते ही
 वह धैर्यशील बन जाता है । २४. इन.....को खाने से मेरे.....खट्टे
 हो गये । २५. वसन्त की.....वड़ी.....लगती है । २६. सिंह अपनी
 वीरता के कारण ही.....कहलाता है । २७. पति.....आज्ञा का.....
 करना.....का परम कर्तव्य है । २८. मेरी पुस्तक के.....किसने.....
 डाले ? २९. मोहन जब.....में सो रहा था.....रामा ने.....पर
 पानी.....दिया । ३०. आज मेरे.....स्वामीजी जा..... थे । ३१.
 दीवारचित्र लटकाये.....रहे है । ३२. में आँख कर चलो....
 कपड़े.....हो जायेंगे । ३३. देखें..... कौन जाता है । ३४. उसकी....
 की प्रशंसा शिला लेखों.....अब.....दिद्यमान है । ३५. जब
 सुशीला.....सुना.....उसके पति.....से आ रहे हैं तो उसके.....
 की सीमा.....रही । ३६. विद्यादान का दड़ा.....है । ३७. पके आम

देखकर.....मन नहीं.....। ३८. मिश्रुक ने.....दिया कि.....
 तुम्हारा कल्याण.....३९. भारतवर्ष.....कृषिप्रधान.....है । ४०.
 बनारस.....से.....मील.....है । ४१. आपत्ति में कौन.....का
 साथी.....होता । ४२. तुम.....कौन से.....में.....हो । ४३. तुम
 यहाँ.....से.....प्रतीक्षा कर रहे.....? ४४. मुझे.....आने से.....
 लाभ.....हुआ । ४५. संसार में बुद्धिमानों.....प्रतिष्ठा.....है । ४६.
 मैं इतना.....अपने.....पर लेने.....नहीं प्रस्तुत हूँ । ४७. वह गान
 विद्या मे अति.....था । ४८. टिकट.....पर बड़ी .. थी ।
 ४९. तुमने खाया.....उसने । ५०. तुम कुछ भी कहो.....मुझे विश्वास
 नहीं ५१. पढो.....पास न हो सकोगे । ५२. मैं चुप हूँ.....बोलना
 नहीं चाहता । ५३. वे इस प्रकार बोलते हैं.....हम से बड़े हों ।

(६) अशुद्धि-शुद्धि

छात्रों को चाहिए कि नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूपों को ध्यान से पढ़ें और अशुद्धियों और उनके कारणों पर ध्यान दें ।

१. अशुद्ध—क्या आपने जयपुर देखा है ।

शुद्ध—क्या आपने जयपुर देखा है ?

२. अशुद्ध—शपथ के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं ।

शुद्ध—‘शपथ’ के लेखक हरिकृष्ण ‘प्रेमी’ हैं ।

३. अशुद्ध—मैं सबको चाहे कितने ही हों एक मिनट में हरा दूँगा ।

शुद्ध—मैं सबको—चाहे कितने ही हों—एक मिनट में हरा दूँगा ।

४. अशुद्ध—वे लोग जो दूसरों की बुराई करते हैं, वे कभी अच्छा फल नहीं पाते ।

शुद्ध—वे लोग जो दूसरों की बुराई करते हैं, कभी अच्छा फल नहीं पाते ।

५. अशुद्ध—ऐसे बच्चे जो बचपन में नहीं खेलते, वे जवानी में सुस्त रहते हैं ।

शुद्ध—ऐसे बच्चे जो बचपन में नहीं खेलते, जवानी में सुस्त रहते हैं ।

६. अशुद्ध—वह आम बहुत मीठा निकला जो कल आपने मुझे दिया था ।

शुद्ध—वह आम जो कल आपने मुझे दिया था, बहुत मीठा निकला ।

७. अशुद्ध—चाहिए मुझे एक नोकर ऐसा जानता हो जो खाना बनाना ।

शुद्ध—मुझे एक ऐसा नोकर चाहिए जो खाना बनाना जानता हो ।

८. अशुद्ध—आया राम देकर रुपये और चलता बना ।
शुद्ध—राम आया और रुपये देकर चलता बना ।
९. अशुद्ध—वे जहाँ उन्हे जाना था चले गये ।
शुद्ध—वे, जहाँ उन्हे जाना था, चले गये ।
१०. अशुद्ध—बंगाली चावल खाते है, पंजाबी चपाती ।
शुद्ध—बंगाली चावल खाते हैं; पंजाबी, चपाती ।
११. अशुद्ध—नोकर का मोहन बुला गया है मुझे अभी-अभी ।
शुद्ध—मोहन का नोकर मुझे अभी-अभी बुला गया है ।
१२. अशुद्ध—राम अथवा बिहारी कोई आयेगे ही ।
शुद्ध—राम अथवा बिहारो कोई आयेगा ही ।
१३. अशुद्ध—संभव है मैं आज बम्बई जाऊँगा ।
शुद्ध—संभव है मैं आज बम्बई जाऊँ ।
१४. अशुद्ध—मैंने उनका दर्शन किया ।
शुद्ध—मैंने उनके दर्शन किये ।
१५. अशुद्ध—क्या ये आपका हस्ताक्षर है ?
शुद्ध—क्या ये आपके हस्ताक्षर है ?
१६. अशुद्ध—यह बात आँखों से देखी है, भूँठ नहीं हो सकती ।
शुद्ध—यह बात आँखो देखी है, भूँठ नहीं हो सकती ।
१७. अशुद्ध—तुम को पाँच साडी दी जाती है ।
शुद्ध—तुम को पाँच साडियाँ दी जाती हैं ।
१८. अशुद्ध—भौरा भिन भिनाता और बन्दर चूँ चूँ करता है ।
शुद्ध—भौरा गुञ्जार करता और बन्दर खों-खो करता है ।
१९. अशुद्ध—माता-पिता की शुश्रूषा करना हमारा धर्म है ।
शुद्ध—माता-पिता की सेवा करना हमारा धर्म है ।
२०. अशुद्ध—नगर सेठ की मृत्यु मे सारे नगर में दुःख छा गया ।
शुद्ध—नगर-सेठ की मृत्यु से सारे नगर मे शोक छा गया ।
२१. अशुद्ध—चिन्ता एक ऐसी व्याधि है जो शरीर को क्षीण कर देती है ।
शुद्ध—चिन्ता एक ऐसी आधि है जो शरीर को क्षीण कर देती है ।

२२. अशुद्ध—उस जोहरी के पास एक अमूल्य हीरा है ।
शुद्ध—उस जोहरी के पास एक बहुमूल्य हीरा है ।
२३. अशुद्ध—वह वहाँ गया और पत्रिका उठाई ।
शुद्ध—वह वहाँ गया और उसने पत्रिका उठाई ।
२४. अशुद्ध—तब कोयल की आवाज है वसन्त जब पड़ती है सुनाई मधुर ध्वनि ।
शुद्ध—जब वसन्त आता है तब कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है ।

नीचे लिखे वाक्यों में मोटे टाइप के शब्दों के स्थान पर सामने कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों को रखकर शुद्ध करो—

१. मेरे घर पाँच कुरसियाँ हैं । (घर पर या घर में)
२. आप कितन-कितन प्रश्नों का उत्तर दिया है ? (आपने)
३. उसने वहाँ नहीं जाना है । (उसको)
४. आपने उन्हें कितनी पुस्तकें भेंट किया । (भेंट की)
५. मैंने घर की चिट्ठी लिख दिया । (लिख दी)
६. मेरे को तो यह बात मालूम नहीं है । (मुझ को, मुझे)
७. ताजमहल की सौन्दर्यता पर हम मुग्ध हो गये । (सुन्दरता या सौंदर्य)
८. अनेकों राजे महाराजे वहाँ पधारे थे । (अनेक)
९. हमने यह काम आज करना है । (हमको)
१०. भावना से कर्तव्य बड़ी है । (बड़ा)
११. प्रत्येक मनुष्य खेल में कार्य करेंगे । (करेगा)
१२. दोनों लड़कों में राम श्रेष्ठतम है । (श्रेष्ठतर)
१३. तुमने हमारे को क्यों मारा ? (हमको)
१४. उसकी उपेक्षा वह श्रेष्ठ है । (अनेका)
१५. तुम हमारे पास कब आयेगा ? (आओगे)
१६. श्याम और मोहन खेलता है । (खेलने है)
१७. आपने मेरा भला किया है, मैं सदा आपका कृतघ्न रहूँगा । (कृतज्ञ)
१८. आप कौन मकान में रहते हैं ? (कोन से, किस)
१९. तुम हर समय क्यों बोलता है ? (बोलते हो)
२०. दुर्वासा ने क्रुद्ध होकर कहा—'मैं तुम्हें थ्राप दे दूँगा' (शाप)

११. सीता अब युवक हो गई है। (युवती)
१२. उनकी सौजन्यता पर कौन मुग्व नहीं होगा। (सुजनता, के सौजन्य)
१३. आप तो सदा ही बेफिजूल बातें करते हैं। (फिजूल)
२४. पं० नेहरू भारत के सम्राज्ञ है। (सम्राट)
२५. वह दिल्ली से कल आगये। (आ गया)
२६. तुमको अब कितना ऋण और देना है? (बुकाना)
२७. एम ए. पास करके कमला विद्वान बन गई। (विदुषी)
२८. राजों को कौन दण्ड दे सकता था। (राजाओं को)
२९. रिषी किसी के रिनी नहीं होते। (ऋषि, ऋणी)
३०. इन पुस्तकों को प्रथक-प्रथक रखी। (पृथक्-पृथक्)
३१. सभापति के आते ही सभा-मंडप में सब एकत्रित हो गये। (एकत्र)
३२. मैं व्यवहारिक बातों को नहीं समझता हूँ। (व्यावहारिक)
३३. महादेवी रहस्यवाद की गायक और कवित्री हैं। (गायिका, कवयित्री)
३४. दर असल में यह बात ही गलत है। (दरअसल)
३५. यह बात सुनते ही उसका प्राण निकल गया। (उसके प्राण निकल गये)
३६. अपने कियों का फल कौन नहीं भोगता? (किये)
३७. जो निरोग हैं, वे ही जीवन का आनन्द ले सकते हैं। (नीरोग)
३८. सम्बत् २०१६ में पुनः स्वयम्बर की प्रया चालू हो गई। (संबत्, स्वयंबर)
३९. आपके सम्मानार्थ यह सब आयोजन करना पडा। (सम्मानार्थ, पंडा)
४०. हँसी और खाँसी दोनों ही भगड़े की जड़ हैं। (हँसी, खाँसी)
४१. कल विमला का माता-पिता बम्बई से आ गये। (के)
४२. महाशय, आप तो आ गये, पर तुम्हारा सामान कहाँ है? (आपका)
४३. भेड़ और बकरी दोनों चर रहे हैं। (चर रही हैं)
४४. उसने रामुंके मुँह में दम कर दिया। (नाक में)
४५. मैंने सब काप, उसके इच्छानुसार किया। (उसकी)
४६. नगर के नर-नारियों के उल्लास की सीमा न रही। (की)
४७. आप और मैंने यह भगड़ा खड़ा किया है। (आपने)

४८. लड़के और लड़कियाँ कित्ला रहे हैं। (रही है)

अभ्यास

(क) नीचे के वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके शुद्ध वाक्य बनाओ :—

१. विश्व शान्ति में है भाग बड़ा अहिंसावाद का महात्मा गांधी के।
२. जाने में बम्बई दो मुझे वण्टे लगे वायुयान से।
३. चाहते हैं भला सदा परोपकारी दूसरों का।
४. हो गया नष्ट रोग उत्तका जब वह लगा तो अनुभव सुख करने।
५. उनसे निर्धन हैं मत करो लोग जो धृष्टा।
६. संस्कृत की नहीं रही भाषा अब बोल वाल।
७. वेदों में युग में वैदिक भारतवामी प्रमाण है यथेष्ट कि आर्य व...
समुद्र-यात्रा इस बात के लिए करते थे।
८. इनको स्वर सुन्दर रंग के साय-साध भी मधुर था बड़ा।

(ख) नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखो :—

१. वह रात-दिन परिश्रम करने हैं।
२. स्मशान में जाकर कौन विरक्त नहीं होता ?
३. उन्हीं से अब कुछ भी नहीं होना-जाना।
४. तुम हमारे कब आयेगा।
५. दिन में तारे नहीं देखता।
६. तुम व्यर्थ में ऐसी बातें सुना रहे हो।
७. जब आपने कहा तो हम नहीं सुनी।
८. उस काम को करने के लिए कितने बीड़े उठाये।
९. जब-जब वह यहाँ आता है, बहुत शोर मचाता है।
१०. अब मेरी तो किसी भी काम करने की इच्छा नहीं है।
११. उस भयानक काण्ड को देखकर किसके रोंगटे सीधे न होंगे।
१२. वन में एक सिंह और एक सिंहनी घास खा रहे थे।
१३. मीरा के भावों में जो तन्मयता और माधुर्यता है, वह अत्य दुर्लभ है।

१४. यद्यपि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, परन्तु वह पाम होने की पूर्ण आशा रखता है ।
१५. राम, मोहन, सोहन और हरि सब पढ़ने में अच्छे हैं ।
१६. अब चीन ऐसा शान्ति-प्रिय देश भी भारत पर आक्रमण कर रहा है ।
१७. वे बड़े अच्छे वक्ता हैं, इनके भाषण में मधुरता के साथ-साथ रोचकता भी होती है ।
१८. मैं, तुम और हरि वृन्दावन चलेंगे ।
१९. पेंसिल, कागज और पुस्तकें सब मेज पर रखी है ।
२०. तुमने हमारे क्यों मारा ?

छटा अध्याप

अपठित

अपठित का अर्थ है वह अवतरण जो पढ़ा न हो। परीक्षा में गद्य वा पद्य का एक ऐसा अवतरण आता है जो पाठ्य-पुस्तकों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वह अवतरण कहीं से भी किसी पुस्तक वा पत्र-पत्रिका से दे दिया जाता है। उस दिये हुए अवतरण के नीचे कुछ प्रश्न किये हुए होते हैं, जिनको उत्तर विद्यार्थियों को उस अपठित अवतरण के आधार पर, अपने बुद्धि-बल से देना पड़ना है। यह कार्य विद्यार्थियों को कुछ कठिन प्रतीत होता है। कारण यह है कि आज का विद्यार्थी जब पूरी पाठ्य पुस्तकें ही नहीं पढ़ता तब वह अतिरिक्त पुस्तकों का विशेष अध्ययन कहाँ से करेगा? उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का भी अध्ययन करें जिससे उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो, और साथ ही वे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नित्य नूतन परिवर्तनों से भी परिचित होते रहें।

अपठित अवतरण पर पूछे गये प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना सरल कार्य नहीं है; किन्तु अभ्यास एक ऐसी वस्तु है जो कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना देती है। छात्रों को, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ एवं इतर सामान्य-ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिये, जिससे उनमें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों, एवं स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं के समझने की योग्यता बनी रहे। छात्रों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। जो छात्र ऐसा नहीं कर सकते, वे कम से कम प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये अपठित गद्य-पद्य के अवतरणों को तो अवश्यमेव ध्यान से पढ़ें और समझने का यत्न करें। अभ्यास करना प्रत्येक दशा में आवश्यक है। अभ्यास के साथ-साथ एक

बात और सीखनी है और वह है एक अपठित अवतरण को हल करने का चातुर्य वा कला ।

अपठित अवतरण चाहे सरल से सरल ही क्यों न हो, प्रथम बार पढ़ने पर वह ऐसा प्रतीत होता है मानों छात्र उसे कर ही नहीं सकेंगे । किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । छात्रों को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए । उस अवतरण को समझ-समझ कर उन्हें दो-तीन बार पढ़ना चाहिए । तदनन्तर अवतरण के नीचे लिखे हुए प्रश्नों को दो-एक बार पढ़ना चाहिए । ऐसा करने पर उन्हें अवतरण के सम्बन्ध में बहुत सी बातें—कौन कर रहा है ? किससे कह रहा है ? क्या कहा गया है ? आदि—मालूम हो जायेंगी । प्रश्नों को समझ कर यदि वह अवतरण पुनः पढ़ा जायगा तो छात्रों को अवतरण की अधिकांश बातें समझ में आ जायेंगी । इस प्रकार थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम करने पर छात्र सब कुछ समझ लेंगे और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगेगा मानों वह अवतरण उनका कहीं पढ़ा हुआ है । हाँ, एक बात अवश्य याद रखनी है और वह है धैर्य रखना अर्थात् जल्दबाजी न करना ।

अब उन प्रश्नों पर भी, जो अपठित अवतरण पर पूछे जाते हैं, थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तर संक्षिप्त और सीधे हों, सरल भाषा में हों, यथा-संभव उनमें अवतरण की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए । प्रश्न का उत्तर मन-गढ़न्त न हो, अवतरण के आधार पर हो अर्थात् भाव वा विचार तो अवतरण का ही हो, किन्तु उसको व्यक्त करने का अपना स्वतंत्र ढंग हो । अब सामान्य प्रश्नों को छोड़ कर कुछ विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में छात्रों को जानकारी दी जाती है । छात्रों को चाहिए कि वे इन प्रश्नों की प्रकृति एवं आशय को भले प्रकार समझलें और पूछे गये प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर दें ।

- (क) किसी भी अवतरण का शीर्षक देते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि शीर्षक छोटा हो, अवतरण के समूचे सार को अपने में समेटे हुए हो, आकर्षक हो और पढ़ते ही अवतरण के सम्बन्ध में स्थूल जानकारी दे दे ।
- (ख) मोटे टाईप के स्थलों का अर्थ लिखते समय वा उनकी व्याख्या करते समय इस बात का ध्यान रहे कि केवल मोटे टाईप के स्थल का ही उपयोग

किया जाय, उसके साथ इधर-उधर के शब्दों को उसके साथ न मिलाया जाय । यदि केवल अर्थ पूछा गया है तो वह ऐसा हो जो उसके मूल अंश के स्थान पर रखा जा सके और वाक्य-संगठन में वह कोई दोष उत्पन्न न करे । यदि व्याख्या पूछी गई है तो मोटे टाईप के स्थल के मूल भाव या विचार को विशद विवेचना करनी है और आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण आदि देकर उसे स्पष्ट करना है । व्याख्या में अपना मत भी दिया जा सकता है ।

- (ग) आशय, अभिप्राय और तात्पर्य—तीनों का एक ही अर्थ है । अवतरण के मूल भाव वा विचार को अवतरण में हूँढ़ कर संक्षेप में प्रकट करना ही तात्पर्य, आशय या अभिप्राय कहलाता है ।
- (घ) सार से अभिप्राय है संक्षिप्त अर्थ का । अवतरण की मुख्य-मुख्य बातों का भले प्रकार समझा कर थोड़े से शब्दों में कह देना ही 'सार' है ।
- (ङ) मारांश में नपे-नुचे एक दो वाक्यों में अवतरण के सार को प्रकट क देना है ।
- (च) व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न यदि पूछे गये हों तो उनका उत्तर उनके रूप का देखकर व्याकरण के नियमानुसार दिया जाना चाहिए ।

अब उदाहरण के लिए कुछ अपठित अवतरणों को हल करके समझाया जाता है ।

गद्य-अवतरण

शिक्षण-कार्य में वक्तृता की अपेक्षा लेखन का अधिक महत्त्व-पूर्ण स्थान है । अपने मनोगत भावों और विचारों को संयत, प्रवाह पूर्ण और परिमार्जित भाषा में व्यक्त करना सहज कार्य नहीं है, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है । अध्ययन और चिन्तन विचार-शक्ति को बढ़ाते हैं, और जिसकी विचार-शक्ति जितनी तीव्र और प्रशस्त होगी, वह उतना ही विचारशील और सुयोग्य लेखक बन सकेगा । हमारी परीक्षाएँ लिखित रूप में ही होती हैं, हमको अपने विचार पद-पद पर लिख कर ही प्रकट करने पड़ते हैं । इसी उद्देश्य को सन्मुख रख कर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को लेखन-कला

का अभ्यास कराया जाता है, उन्हें प्रतिदिन कुछ-न-कुछ कार्य लिख कर लाने को दिया जाता है। जिन छात्रों की प्रवृत्ति लिखने की ओर नहीं होती, वे परीक्षाओं में ही नहीं, जीवन में भी कम सफलता प्राप्त करते देखे गये हैं। निरन्तर लिखने का अभ्यास करने से उसकी भाषा में प्रांजलता, शैली में व्यक्तित्व और विचारों में प्रौढ़ता आती है, विचारशक्ति तीव्र और बलवती होती है। चकचकता के सदृश ही लेखन भी एक कला है और भाव-प्रकाशन का एक उच्चतम स्थायी साधन है।

१. उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

२. जो व्यक्ति विचारशील और सुयोग्य लेखक बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए ?

३. जीवन में लेखन-कला का क्या महत्व है ?

४. निरन्तर लिखने का अभ्यास करने से क्या-क्या लाभ है ?

५. मोटे टाईप के स्यलो की व्याख्या करिए।

६. उपयुक्त अवतरण का सारांश लिखिए।

७. महत्वपूर्ण, प्रतिदिन, छात्र-छात्र और भाव-प्रकाशन शब्दों का सविग्रह समास लिखिए।

उपयुक्त सब प्रश्नों के क्रमशः उत्तर :—

१. लेखन-कला का महत्व।

२. जो व्यक्ति विचारशील और सुयोग्य लेखक बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वह निरन्तर कुछ-न-कुछ लिखता रहे, क्योंकि लगातार लिखते रहने से भाषा का परिमार्जन होगा और विचारों में प्रौढ़ता आयेगी। इसके अतिरिक्त लेखक बनने वाले को चाहिए कि वह सदा अध्ययनशील रहे, सदा चिन्तन और मनन करता रहे, जिससे उसकी विचार-शक्ति तीव्र और बलवती हो।

३. जीवन में लेखन-कला का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाव-प्रकाशन का उच्चतम स्थायी साधन लेखन-कला ही है। परीक्षाओं में ही नहीं, अन्यत्र भी जीवन में सब स्थायी कार्य लिखित रूप में ही किये जाते हैं। अपने दूरस्थ मित्रों एवं सम्बन्धियों को अपने विचार लिखित रूप में ही प्रेषित

किये जाते हैं। फिर कहने और लिखने में भी महान अन्तर है। किर्स को कहा कुछ भी जा सकता है, परन्तु लिखा नहीं जा सकता; क्योंकि कह हुआ अस्थायी होता है, क्षणभर बाद भुला दिया जाता है, और लिख हुआ अमिट होता है, स्थायी होता है, सुरक्षित रहता है, अवसर आने पर वह पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लिखा हुआ शुद्ध और संयत हो तो कुछ का कुछ अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए भी जीवन में लेखन-कला का बड़ा महत्व है।

४. निरन्तर लिखने का अभ्यास करने से लेखक की भाषा का परिमार्जन होता है, भावों और विचारों में पक्वता और प्रोढ़ता आती है और शैली में विशिष्टता उत्पन्न होकर अपनापन आता है। निरन्तर लिखते रहने से ही व्यक्तित्व-पूर्ण शैली का विकास होता है।

५. मोटे टाइप के स्थलों की व्याख्या :—

(क) 'शिक्षण-कार्य मेंसहत्व पूर्ण स्थान है'।

शिक्षालयों में छात्रों को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। बोलना सिखाने के लिए विद्यालयों में वा-वर्द्धिनी सभाएँ स्थापित की जाती हैं, समय-समय पर भाषण-प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं, कभी-कभी कक्षाओं में भी छात्रों को प्रश्नों का मौखिक उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किन्तु छात्रों के लिए बोलने से भी लिखना सीखना अधिक आवश्यक है, इसका कारण है विद्यालयों की सब परीक्षाओं का लिखित रूप में होना। वे छात्र, जिनको ठीक-ठीक लिखना आता है, विषय का थोड़ा ज्ञान रखते हुए भी पास हो जाते हैं; और वे छात्र, जो बोल तो अच्छा लेते हैं और उन्हें अपने पाठ्य विषय का ज्ञान भी पूर्ण है, परन्तु वे अपने विचारों को शुद्ध और संयत भाषा में लिखने में असमर्थ हैं, परीक्षा में असफलता का मुँह देखते हैं। इसलिए शिक्षालयों में वक्तृत्व की अपेक्षा लेखन-कला को अधिक महत्व दिया जाता है।

(ख) 'अध्ययन और चिन्तन विचार-शक्ति को बढ़ाते हैं'।

मनुष्य का ज्ञान अध्ययन और चिन्तन से ही बढ़ता है। केवल पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का ही नहीं, अपितु जिस वातावरण में वह रह रहा है,

उसका भी उसको अध्ययन करना चाहिए। उसको अपने नेत्र खुले हुए रख कर चारों ओर देखते रहना चाहिए, और जो कुछ वह देखे वा पढ़े, उस पर उसे मनन करना चाहिए। इस प्रकार निरन्तर अध्ययन एवं चिन्तन से ही विचार-शक्ति का विकास होता है।

(ग) 'वक्तृता के सदृश ही..... स्थायी साधन है'।

बोलना जिस प्रकार एक कला है, उसी प्रकार लिखना भी एक कला है। ये दोनों ही कलाएँ हमारे हृदयगत भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन हैं। दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि बोलने की अपेक्षा लिखने की कला में स्थायित्व है, क्योंकि किसी का कहा हुआ कुछ समय पश्चात् भुला दिया जाता है जैसे भी मौखिक रूप से जो कुछ कहा जाता है, उनका लिखित की अपेक्षा कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके विपरीत, जो कुछ लिखा हुआ होता है, वह स्थायी होता है। मौखिक रूप से प्रकट किये भाव वा विचार हवा में उड़ जाते हैं, किन्तु वे ही भाव वा विचार जब लिखित रूप में प्रकट किये जाते हैं तो साहित्य की स्थायी निधि बन जाते हैं।

६. प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने बतलाया है कि लिखना एक जीवनोपयोगी उत्तम कला है, क्योंकि हमारे भावों और विचारों को प्रकट करने का यही एक स्थायी साधन है।

७. शब्द	विग्रह	समास
महत्वपूर्ण	महत्व से पूर्ण	तत्पुष्प
प्रतिदिन	दिन-दिन (प्रत्येक दिन)	अव्ययीभाव
छात्र-छात्रा	छात्र और छात्रा	द्वन्द्व
भाव-प्रकाशन	भावों का प्रकाशन	तत्पुष्प

पद्य-अवतरण

सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम,
 राखियौ हमें तो सीमा रावरी बढायेंगे।
 तजिहो हरखि के तो बिलगु न मानें कहु,
 जहाँ-जहाँ जैहैं तहाँ दूनुँ जस गायेंगे।

सुरन चढेंगे नर-सिरन चढेंगे हम,
 सुकवि 'अनीस' हाथ-हाथन दिकायेंगे ।
 देश में रङ्गे परदेश में रङ्गे, काहू—
 भेष मे रङ्गे तऊ रावरे कहायेंगे ॥

१. उपयुक्त अवतरण मे कौन किससे कह रहा है ?
२. 'उपयुक्त पद्य-अवतरण का सरलार्थ करिए ।
३. इस पद्य का भावार्थ लिखिए ।
४. 'काहू भेष में रङ्गे' का आशय स्पष्ट करिए ।
५. मोटे टाईप के शब्दों का आशय स्पष्ट करिए ।

उपयुक्त सब प्रश्नों के क्रमशः निम्नलिखित उत्तर हैं :—

१. उपयुक्त अवतरण में फूल अपने वृक्ष से प्रार्थना कर रहे हैं ।
२. सरलार्थ :—प्रस्तुत पद्य मे फूल अपने स्वामी वृक्ष से प्रार्थना कर रहे वे कह रहे है कि प्रभो ! हम तो आप ही के हैं (किसी अन्य के नहीं) । यदि आप हमें अपने पास रखेंगे तो हम आपकी शोभा बढ़ायेंगे अर्थात् हमारे आपके पास रहने से आप की शोभा बढ़ेगी । यदि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें छोड़ देंगे, हमारा त्याग कर देंगे, तो भी हम बुरा न मानेंगे (क्योंकि सेवक को स्वामी के प्रति कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है) । आपसे अलग होकर हम जहाँ-जहाँ जायेंगे, वहाँ-वहाँ हम आपका यशोगान करेंगे (अपनी सुरभि द्वारा आपका यश फैलायेंगे) । फूल पुनः वृक्ष से कह रहे हैं कि आपके त्यागने पर हम चाहे अच्छी स्थिति में रहें या बुरी में, परन्तु प्रत्येक दशामें हम आपके ही कहलायेंगे । आप से अलग होकर चाहे हम देवताओं पर चढ़ाये जायँ वा हम मनुष्यों के सिर पर चढ़ें और चाहे हम हायों-हाथ विकते फिरें (अपमान पूर्ण जीवन व्यतीत करें), चाहे हम अपने देश में रहें चाहे विदेश में और हम चाहे किसी भी वेश में या किसी भी रूप मे रहें, किन्तु हम रहेंगे सदा आपके ही ।
३. भावार्थ :—इस पद्य में अन्योक्ति अलंकार है । किसी पर डार कर किसी को कहना या सुनाना 'अन्योक्ति' अलंकार कहलाता है । वृक्ष एक राजा

के रूप में है और उसके फूल उसके सेवक के रूप में हैं। कोई राजा या स्वामी किसी कारण से अपने सेवक समूह को त्याग रहा है, सेवकों को अपने स्वामी को छोड़कर जाते हुए कुछ दुःख हो रहा है। वे अपने स्वामी से विनय पूर्वक कह रहे हैं कि यदि स्वामी उन्हें त्याग भी देगा तो भी वे रहेंगे उसी के अर्थात् उनके साथ उनके स्वामी का नाम तो खुड़ा ही रहेगा। जहाँ कहीं भी वे जायेंगे, अपने स्वामी का ही यशोगान करेंगे। भाव यह है कि स्वामी को ऐसे अपने स्वामी-भक्त सेवकों को अलग नहीं करना चाहिए।

४. फूल अपने वृक्ष रूपी महाराज से कह रहे हैं कि हम किसी भी भेप में रहें अर्थात् चाहे हम देवताओं पर चढ़ाये जायें, चाहे हम हार में गूँथे जायें, गुलदस्ते में सजाये जायें या मसल कर फँक दिये जायें। इस प्रकार फूल अपनी विभिन्न प्रत्याशित भावी दशाओं का काल्पनिक चित्र 'काहू भेप में रहेंगे कह कर अपने स्वामी वृक्ष के सामने रख रहे हैं।

शब्द		अर्थ
पहुप	—	फूल
विलगु	—	बुरा
रावरे	—	आपके

(क) गद्य-अवतरण

(१)

पुस्तकों के हम सबसे अधिक ऋणी हैं। ये ऐसे अध्यापक हैं जो हमको बिना दण्ड-लकुट-प्रहार के बिना कठोर शब्द कहे, बिना क्रोध किये और बिना द्रव्य लिये हुए ही शिक्षा दे सकते हैं। ये दिन-रात, प्रातः सायं, जब चाहो तब, सहायता देने के लिए तैयार हैं। यदि आप इनके सन्निकट जायें तो ये ऊँघते या सोते न मिलेंगे। यदि आप जिजासु हैं इनसे कुछ प्रश्न करते हैं तो ये आपसे कुछ परोक्ष न रखेंगे, यदि आप इनके रूप को ययार्थ न समझ पाये तो ये भुनभुनायेंगे नहीं, भल्लायेंगे नहीं, यदि आप अज्ञानी हैं तो ये आपकी मूर्खता पर हँसेंगे नहीं। यदि आप विश्रांत हैं तो ये आपका मनोरंजन करेंगे, यदि आप विपन्न हैं तो ये आपको धैर्य वेंधायेंगे, यदि आप शोकाकुल हैं तो

ये आपको सान्त्वना प्रदान करेंगे। प्रत्युपकार की भावना न रखने वाले सच्चे मित्र की भाँति ये सदा आपका पथ-प्रदर्शन करेंगे। इसलिए बुद्धि तथा ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकें इस लोक की समस्त सम्पत्ति से बहुमूल्य हैं, किसी भी अन्य स्पृहणीय वस्तु से इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

१. उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनकर लिखिए।
२. पुस्तकों की तुलना अध्यापको से क्यों की गई है ?
३. पुस्तकें किस प्रकार सच्चे मित्र के समान पथ-प्रदर्शन करती हैं ?
४. 'अच्छी पुस्तकें इस लोक की समस्त सम्पत्ति से भी बहुमूल्य हैं' किस प्रकार ?
५. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए।

(२)

चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव करती हुई कैकेयी से राम बार-बार इसलिए मिलते हैं कि उसे यह निश्चय हो जाय कि उसके मन में उस कुटिलता का ध्यान कुछ ही नहीं है और उसकी ग्लानि भी दूर हो। वे बार-बार उसके मन में यह बात जमाना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है। अपने साथ बुराई करने वाले के हृदय को शांत और शीतल करने की चिन्ता राम के सिवा और किसको हो सकती है ? दूसरी बात यह ध्यान में देने की है कि राम का यह शील-प्रदर्शन उस समय हुआ, जिस समय कैकेयी का अन्तःकरण अपनी कुटिलता का पूर्ण अनुभव करने के कारण इतना द्रवीभूत हो गया था कि शील का संस्कार उस पर सब दिन के लिए जम सकता था। गोस्वामी जी के अनुसार हुआ भी ऐसा ही:—

कैकेयी जो लौं जियत रही ।

तौ लौं बात मानु सो मुँह भरि भरत न भूलि कही ।

मानी राम अधिक जननी तैं, जननि हूँ गँस न गही ।

इतने पर भी क्या गँस रह सकती है ?

१. उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक लिखिए।
२. चित्रकूट में कैकेयी अपनी किस कुटिलता का अनुभव कर रही थीं

३. राम कैकेयी से चित्रकूट में बार-बार क्यों मिलते थे ?
४. राम के इस प्रकार मिलने का कैकेयी पर क्या प्रभाव पड़ा ?
५. इस अवतरण का सार लिखिए ।
६. मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ लिखिए ।

(३)

प्रेमचन्द का यथा-समय भारतीय साहित्य में वही सम्मान होगा जो डिकिस और टाल्स्टाय को योरोपीय साहित्य में प्राप्त है। भारत का हृदय कलकत्ते की गलियों में नहीं है, न वह शिक्षित जनों की अट्टालिकाओं में है। उसका हृदय देहात में है, किसानों के टूटे-फूटे भौपड़ों में है। हरे-भरे खेतों को देखकर उसे शान्ति मिलती है; अनावृष्टि से वह सूख जाता है। उस-हृदय का मार्मिक चित्र जिसने खींचा है, वह देश भर का धन्यवाद का पात्र है। अभी भारतीय किसानों में शिक्षा का अभाव है। अभी उन्हें नहीं मालूम है कि उन्हीं के समान किस सरल-प्रकृति तथा अस्वस्थ व्यक्ति ने शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ भेलते हुए उनके दुःखों और आशाओं की कथा कही है। जब वे शिक्षित हो जायेंगे, तब उनकी आँखें खुलेंगी, और अपने पूर्वजों का चित्र जब वे इन उपन्यासों और कहानियों में देखेंगे, तब इनके विधाता की पूजा होगी, अभी कुछ समय तक नहीं।

१. उपयुक्त अवतरण का सार संक्षेप में लिखिए ।
२. प्रेमचन्द जी ने किम प्रकार अपनी कहानियों और उपन्यासों द्वारा समाज-सेवा की ?
३. प्रेमचन्द जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
४. उपयुक्त अवतरण में मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ स्पष्ट करिए ।

(४)

यों तो अभिमान बुरा समझा जाता है और उसको व्यक्ति-विशेष के पतन का कारण माना जाता है, परन्तु जिस अभिमान से मनुष्य की आत्मा सुविचारी मनुष्यों की दृष्टि में किसी प्रकार कलुषित न प्रतीत होती हो और जो अभिमान मनुष्य के ऐहिक एवं पारलौकिक कार्यों में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध

... .. एकात्म्य का हाथा भ ह । याद अब मा हमने
 पराम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं । एक अनोखी मनो-

न उपस्थित करता हो, वह अभिमान मनुष्य का दूषण नहीं, प्रत्युत भूषण ! सर्वथा उपादेय और उभयलोक साधक है। इसीलिए अपने देश का, वे का, भाषा का, जातीयता का, धर्म का, सदाचार का एवं अन्य मनुष्योचित विषयों का अभिमान दूषित नहीं समझा जाता, वरन् ऐसे उत्तम अभिमान से अलंकृत पुरुष को देश का, समाज का और कुल का आभूषण समझा जाता है।

१. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिए ?
२. अभिमान पतन का कारण क्यों माना जाता है।
३. किस प्रकार का अभिमान दूषण नहीं, भूषण है।
४. मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
५. उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
६. सुविचारी, उभयलोक, सदाचार और मनुष्योचित शब्दों में सविग्रह समास बताइए।

(५)

आधुनिक जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है और उसके साथ कानून जटिलताएँ भी बढ़ती जा रही हैं। विधान-मंडलों और संसद द्वारा नित्य नये कानून बनते रहते हैं और सामान्य नागरिकों को उनकी पूरी जानकारी भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त न्याय काफी खर्चीला और विलम्बकारी भी होता जा रहा है। 'विलम्ब से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं रहता', इस उक्ति को भुला दिया गया है। देश की न्याय-व्यवस्था में सुधार के उपाय सुझाने के लिए विधि-आयोग की सिफारिशों सरकार के सामने विचाराधीन हैं। विधि-मंत्री ने लोक-सभा में यह आश्वासन दिया है कि न्याय को शीघ्रगामी और कम खर्चीला बनाने का प्रयत्न किया जायगा। वर्तमान अवस्था में गरीबों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन हो गया है; वे उसका भारी खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं रखते। किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए न्याय प्राप्त हो सके कि वह गरीब और साधनहीन है तो इससे बड़ा अन्याय दूसरा नहीं हो सकता। भारत सरकार का विधि-मन्त्रालय इस अन्याय का परिमार्जन करने का उपाय सोच रहा है।

१. उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए ।
२. गरीबों को ठीक तरह न्याय प्राप्त क्यों नहीं होता है ? इसके कारणों पर प्रकाश डालिए ।
३. विधि-मन्त्री ने लोक सभा में किस बात का आश्वासन दिया है ?
४. आपको दृष्टि में गरीबों को सस्ता न्याय किस प्रकार सुलभ हो सकता है ?
५. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

न्याय-व्यवस्था, साधनहीन, विचाराधीन और शीघ्रगामी शब्दों का विग्रह करके समास बताइए ।

(६)

कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस शक्ति की परीक्षा का राम-चरित-मानस से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहीं मिल सकता है ? जीवन-स्थिति के इतने भेद और कहीं दिखाई पड़ते हैं ? इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता को और कोई नहीं पहुँच सकता। जो केवल दाम्पत्य रति ही में अपनी भावुकता प्रकट कर सकें वा वीरोत्साह का ही अच्छा चित्रण कर सकें, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे जा सकते ! पूर्ण भावुक वे हैं, जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सकें और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्द-शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें। हिन्दी के कवियों में इस प्रकार की सर्वाङ्गपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वामी जी में ही है, जिसके प्रभाव से रामचरित मानस उत्तरीय भारत की सारी जनता के गले का हार हो रहा है।

१. उपयुक्त अवतरण के मोटे टाइप के स्थलों की व्याख्या करिए ।
२. रामचरित मानस की लोक-प्रियता का क्या कारण है ?
३. किस कवि को आप पूर्ण भावुक कह सकते हैं ?
४. कवि किस प्रकार अपने भावों को दूसरों तक पहुँचाता है ।
५. हिन्दी कवियों में गोस्वामी जी का क्या स्थान है ?

(७)

दुःख की कोटि में जो स्यान् भय का है, आनन्द की कोटि में वही स्थान उत्साह का है। भय में हम आगामी दुःख के निश्चय से दुखी और प्रयत्नवान भी होते हैं। मूल दुःख से भय की विभिन्नता प्रयत्नावस्था और अप्रयत्नावस्था दोनों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, पर आगामी सुख के निश्चय क प्रयत्न जून्य आनन्द कुछ इतना नहीं जान पड़ता। यदि किसी भावी आपत्ति की सूचना पाकर कोई एकदम ठस हो जाय, कुछ भी हाथ-पैर न हिलाये, तो भी उसके दुःख को साधारण दुःख से अलग करके भय की संज्ञा दे जायगी, पर यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप आनन्दित होकर बैठे रहें वा थोड़ा हँस भी दें तो यह हमारा उत्साह नहीं कह जायगा। प्रयत्न या चेष्टा उत्साह का अनिवार्य लक्षण है। प्रयत्न-मिश्रित आनन्द ही का नाम उत्साह है।

१. उपयुक्त अवतरण का सार लिखिए।
२. भय और उत्साह में क्या अन्तर है? स्पष्ट करिए।
३. उत्साह का अनिवार्य लक्षण क्या है?
४. मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ स्पष्ट करिए।

(८)

द्विवेदी जी की साहित्य-सेवा का पुनीत आदर्श हिन्दी-भाषा का प्रचार करना था। इसकी चिन्ता में वे चौबीसों घण्टे व्यस्त रहते थे। इसी से हिन्दी की अस्थिर लेखन-शैली को स्थिरता प्रदान करने, भाषा-संस्कार, भाषा की काट-छाँट, व्याकरण के नियमों की प्रतिष्ठा, वाक्य-विन्यास की व्यवस्था आदि वे साय-साय हिन्दी को साधारण बोल चाल की भाषा के निकट लाकर उसमें विचारों के प्राण फूँकने का भागीरथ प्रयत्न उन्होंने किया। प्रेरणा और प्रोत्साहन वे द्वारा अनेकानेक नवीन लेखकों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। अँग्रेजी की ओर झुके हुए हिन्दी भाषा-भाषियों को हिन्दी की ओर खींचा, अन्य भाषाओं से ढूँढ ढूँढ कर रत्न निकाले और उनसे हिन्दी का सिंहासन सुसज्जित किया। हिन्द को उस समय उन्होंने चमकाया जब उसमें कोई चमक नहीं थी।

१. उपर्युक्त गद्य-अवतरण का भार लिखिये ।
२. द्विवेदी जी की हिन्दी-सेवा पर अपने विचार प्रकट करिये ।
३. उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक दीजिये ।
४. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिये ।

(९)

काश्मीर के सौन्दर्य-कोष में सबसे मूल्यवान मणि वहाँ के शालामार और निशात बाग माने जाते हैं और वास्तव में सम्राज्ञी नूरजहाँ और सम्राट् जहाँगीर की स्मृति से युक्त होने के कारण वे हैं भी इसी योग्य । शालामार में बैठकर तो अनायास ही ध्यान आ जाता है कि यह उसी सौन्दर्य-प्रतिमा का प्रमोद-वन रह चुका है जिसे सिंहासन तक पहुँचने के लिए उसके अधिकारी को स्वयं अपने जीवन की सीढ़ी बनानी पड़ी और जब वह उस तक पहुँच गई तब उसकी गुरुता से संसार काँप उठा । यदि ये उन्नत, सघन और चारों ओर वरद हाथों की तरह शाखाएँ फैलाये हुए चिनार के वृक्ष बोल सकते, यदि आकाश तक अपने सजल उच्छ्वासों को पहुँचाने वाले फव्वारे बसा सकते, तो न जाने कौन सी करुण-मधुर कहानी सुनने को मिलती । उन बगीचों की जिन रजकणों पर कभी रूपसियों के राम-रंजित सुकोमल चरणों का न्यास भी धीरे-धीरे होता था, उन पर जब आज पर्यटकों एवं यात्रियों के भारी जूतों के शब्द से युक्त कठोर पैर पड़ते हैं, तब ऐसा लगता है मानो वे पीड़ा से कराह रहे हों ।

१. शालामार और निशात बाग किस काल में बने हैं और वे क्यों प्रसिद्ध हैं ?

२. शालामार किस का प्रमोद वन रह चुका है । उसके विषय में आप क्या जानते हैं ?

३. मोटे टाइप के स्थलों का सरलार्थ करिए ।

४. उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक दीजिए ।

(१०)

आज हमारा देश स्वतन्त्र है । हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी है । अतः अन्य भाषा-भाषियों से भी हिन्दी की सेवा होने की सम्भावना

है और आशा है कि भविष्य में अधिक मुसलमान हिन्दी सेवा में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। भाषा विचारों की वाहिका है। इससे पारस्परिक दूरत्व घट कर नैकट्य बढ़ता है और बीच की भिन्नता समाप्त होती है। अतएव जिन मुसलमान साहित्यकों ने हिन्दी भाषा में अपने विचार व्यक्त करके सहृदयता दिखाई है, उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया है। अतएव हिन्दी भाषा उनकी चिर-ऋणी है। उनकी साहित्य सेवा को ध्यान में रखकर हम यह निस्सन्देह कह सकते हैं कि यदि हिन्दू साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य-वृक्ष को रोपा है तो मुसलमान साहित्यकारों ने उसको सिंचित करके पुष्पित और फलित करने में पर्याप्त योग प्रदान किया है।

१. उपर्युक्त अवतरण का सार लिखिए।

२. क्या भाषा की एकता द्वारा दो भिन्न जातियों के बीच भिन्नता समाप्त हो सकती है? इस पर अपने विचार प्रकट करिए।

३. मोटे टाइप वाले स्थलो का सरलार्थ लिखिए।

४. हिन्दी भाषा मुसलमानों की किस बात के लिए चिर-ऋणी है?

(११)

वर-प्राप्ति और दहेज-सम्बन्धी साधारण कठिनाईयों के उपरान्त विमला की दो बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। अब विमला ही केवल माता-पिता की चिन्ता का विषय बनी हुई थी। निरन्तर प्रयत्न करते रहने पर भी उन्हें कोई सफलता न मिली थी। विमला जन्म से ही बोलती न थी। लोग समझते थे कि वह न कुछ बोल सकती है और न कुछ समझ सकती है, अतः वे उसके सम्मुख ही उसके भविष्य के विषय में वार्तालाप करते थे। किन्तु विमला ने अपनी शैशवावस्था से ही यह भली प्रकार समझ लिया था कि वह अपने वंश के लिए ईश्वर-प्रेषित एक अभिशाप है, इसलिए वह, जहाँ तक सम्भव होता, लोगों से बचती और एकान्त में रहकर अपने दुःख को भुलाने का प्रयत्न करती थी वह चाहती थी कि लोग उसे भूल जायँ, किन्तु कष्ट को कौन भूल सकता है। अहर्निश उसके कारण उसके माता-पिता चिन्तित रहते थे। उसकी माता तो उसको, अपन ही एक अङ्ग होने के कारण, एक व्याक्तगत कलंक समझती

और उससे घृणा करती थी, किन्तु विमला के पिता जगदीश अपनी इस पुत्री अन्य पुत्रियों से अधिक चाहते थे और प्यार करते थे ।

१. उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए ।
२. उपयुक्त अवतरण का सार लिखिए ।
३. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।
४. विमला अपने आपको एक ईश्वर-प्रेषित अभिशाप क्यों समझती थी ?
५. निरन्तर, शैशवावस्था, एकान्त और जगदीश शब्दों में सन्धि-विच्छेद करिए ।

(१२)

जो भाव जिसे अच्छा लगता है, उसी से वह ईश्वर की अर्चना करता है । कोई ईश्वर को राखा, कोई स्वामी, कोई बालक समझता है और उसी भाव से उसकी उपासना करता है । यहाँ तक किसी-किसी ने शत्रु-भाव से भी उसकी भक्ति की है । इस दशा में यदि गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति-भाव से भजा तो उन पर कलङ्क का आरोप क्यों ? या तो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझिए या गोपियों पर वैसा आरोप करना छोड़िए । दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं । यदि श्रीकृष्ण परमात्मा थे और गोपियों ने उन्हें पति-भाव से ग्रहण किया तो वे सर्वथा निर्दोष ही नहीं, मंगल-वृत्ति समझी जाने योग्य और समस्त संसार की दृष्टि में पूजनीय हो चुकीं । आप श्रीमद्भागवत को सरसरी दृष्टि से ही पढ़िए । आप देखेंगे कि गोपियों ने अपने इष्टदेव को जहाँ प्रिय, प्रियतम, अङ्ग-सखा इत्यादि शब्दों से संबोधन किया है, वहाँ उन्हें वे बराबर ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहती आई हैं । अतएव उनके प्रेम के सम्बन्ध में दुर्भावना के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है ।

१. उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनिए ।
२. गोपियों के ऊपर किस बात का आरोप लगाया गया था और क्या वह सच है ?
३. श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य थे वा ईश्वरावतार ? अपने विचार प्रकट करिए ।

४. क्या शत्रु-भाव से भी भक्ति की जा सकती है ? यदि कोई उदाहरण वाद हो तो दीजिए ।

५. वे कौन सी दो बातें हैं जो एक साथ नहीं हो सकतीं ?

६. श्रीमद्भागवत क्या है ? इस पर एक टिप्पणी लिखिए ।

७. शत्रु-भाव, मंगल-मूर्ति, इष्टदेव, दुर्भावना और अङ्ग-सखा शब्दों में समास बताइए और विग्रह भी करिए ।

(१३)

चिकित्सा-विज्ञान की नूतन खोजों ने, जो गत दस या बारह वर्षों में ही हुई हैं, भली प्रकार प्रमाणित कर दिया है कि मन और रोगों का विशेष सम्बन्ध है। मानसिक दशाओं का रोगोत्पत्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसिक उद्विग्नता, चिन्ताएं, परिस्थितियों का भय, ईर्ष्या आदि अनेक रोगों का कारण है। इन दशाओं का हृदय पर जो तात्कालिक प्रभाव पड़ता है वह तो अति प्राचीन काल से मालूम था। क्रोध, भय, घृणा, शीत आदि से हृदय की घड़कन का बढ़ना, नाड़ी का वेग से चलना, मुख का लाल हो जाना, माथे पर पसीना आ जाना—ये साधारण बातें तो सब को ज्ञात है। किन्तु वैज्ञानिक अनुसंधान ने प्रमाणित कर दिया है कि पाचन के विकार, आमाशय के ब्रण, अंतड़ी की सूजन, अम्ल-पित्त, हृदय के रोग, यकृत के विकार, वक्त्र आदि के रोग, डाय-बिटीज तथा अन्य अनेक रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण ये मानसिक दशाएँ ही होती हैं। उनमें भी रक्तचाप की तो विशेष कर। अभी तक इस रोग के कारण का पता नहीं चला था, किन्तु अब संसार के सभी बड़े-बड़े विद्वान सहमत है कि यह रोग मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है।

१. उपर्युक्त अवतरण में मोटे टाइप के वाक्यांशों की व्याख्या करिए ।

२. मन और रोगों का क्या सम्बन्ध है ? सहोदाहरण समझाइए ।

३. मानसिक दशाएँ किन-किन रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण बताई गई हैं ?

४. 'रक्तचाप' किस बीमारी का नाम है ? इसके सम्बन्ध में यदि आप कुछ जानते हों तो लिखिये ।

५. उपयुक्त अवतरण का शीर्षक लिखिए ।

६. प्रमाणित, मानसिक, तात्कालिक, वैज्ञानिक शब्दों के उन मूल शब्दों को लिखिए जिनसे ये शब्द बने हैं ।

(१४)

जम्मू-काश्मीर राज्य के मध्य में राज्य की शीत कालीन राजधानी जम्मू नगर से पन्चीस मील उत्तर में हिमाचल प्रदेश को छूता हुआ भद्रवाह का अति सुन्दर प्रदेश है, जहाँ १४२४१ फुट की ऊँचाई पर श्वेत हिम-शिखरों द्वारा घिरी हुई वासक-कुण्ड नामक झील है। प्रत्येक तीसरे वर्ष रक्षा-बन्धन से दो सप्ताह पश्चात् अमावस्या को प्रदेश के सहस्रों पहाड़ी लोग इस झील के तट पर उत्सव मनाने के लिए एकत्र होते हैं। यह यात्रा वासक नाम की यात्रा कहलाती है। इन अवसर पर नृत्य तथा संगीत के रसिक एवं रंग-बिरंगे वस्त्रों के शौकीन इन भोले पहाड़ी लोगों के रीति-रिवाज देखने में बहुत आनन्द आता है। ये लोग गद्दी कहलाते हैं। देव-भूमि की उपमा जो इस भूमि को दी गई है, वह मिथ्या नहीं है। गगन-बुन्दी हिम-शिखरों की प्राकृतिक छटा और उत्तम लकड़ी से युक्त सघन वन, जो कि भद्रवाह के लिए धन का भण्डार है, इस प्रदेश की सुन्दरता में चार चाँद लगाते हैं। यहाँ असंख्य नदी नालों का दुग्ध-सदृश जल जो प्रस्तरों एवं चट्टानों के वक्ष को चीरता हुआ मद-भरी गति से आगे को निकल जाता है, गाते हुए भरने, पर्वतीय दलानों पर वारों ओर विस्तृत सीढ़ियों की भाँति हरे-भरे खेत, प्रत्येक समय छाये रहने वाले सूर्य से आँख-मिचौनी खेलते उमड़ते-धुमड़ते बादल—ये सभी मिल मिल कर इस सुन्दर घाटी को और भी अधिक मनमोहक बना देते हैं। इसलिए संस्कृत में भद्रवाह को 'भद्रव-काशी' कहा गया है।

१. वासक यात्रा क्या है और कब की जाती है ?
२. काश्मीर को देवभूमि की उपमा किस लिए दी जाती है ?
३. भद्रवाह क्या है ? संक्षेप में इसकी सुन्दरता का वर्णन करिए ।
४. उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए ।
५. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

६. हरे-भरे, देव-भूमि, असंख्य, दुग्ध-सदृश और मद-भरी शब्दों का सविग्रह समास लिखिए ।

(१५)

कवीर मस्त-मौला थे । जो कुछ कहते थे, स्पष्ट कहते थे । जब मौज में आकर रूपक और अन्योक्तियों पर उतर आते थे तब वे जो कुछ कहते थे, वह सनातन सत्य का श्रृंगार होता था । उनकी कविता से कभी सनातन सत्य खिंचित नहीं हुआ । वे जो कुछ कहते थे, अनुभव के आधार पर कहते थे । इसीलिए सभी रूपक सुलभे हुए और उक्तियाँ वेधने वाली होती थी । उनके राम जब उनके प्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम मत्ता भुला नहीं दी जाती । उनके प्रेम में वह गलदश्रु भावुकता नहीं थी जो जरा सी आँच से ही पिघल जाय । उनका प्रेम ज्ञान, नीति और श्रद्धा द्वारा अनुगमित था । वियोग की बात भी वे उसी मौज से कह सकते थे जिस तरह संयोग की । उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला था, वह ज्ञान के महुए और गुड़ से बनी थी । इसीलिए अन्व-श्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उममें एकान्त अभाव था । भक्ति के अतिरेक में कभी उन्होंने अपने को पतित नहीं समझा । सिर से पैर तक वे मस्त मौला थे—बेपरवाह, दृढ़ और उग्र ।

१. उपर्युक्त अवतरण का सार लिखिए ।

२. कवीर को मस्त-मौला और मौजी क्यों कहा गया है ?

३. रूपक और अन्योक्ति से आप क्या समझते हैं ? उदाहरणों द्वारा समझाइये ।

४. कवीर के प्रेम में क्या विशेषता थी ?

५. मोटे टाइप के शब्दों की व्याख्या करिए ।

६. प्रेमोन्माद, गलदश्रु, अन्योक्ति शब्द का संघि विच्छेद करिए ।

(१६)

स्त्री-पुरुष दोनों को अपने भाग्य-निर्धारण का समुचित एवं समान अवसर प्राप्त होना चाहिए । यदि एक बार भूल हो जाती है तो उसके सुधार का मौका दोनों को मिलना चाहिए । यद्यपि मानव समाज के वन्धनों में स्वयं ही

जकड़ा हुआ है, तथापि उसने स्त्री-जाति पर अत्याचार करने में भी कसर नहीं उठा रखी है। उसने त्याग और समर्पण की प्रतिमा देवियों को न केवल सन्देह तथा शंका की दृष्टि से देखा है, प्रत्युत उनके सतीत्व का अपहरण कर उन्हें अपनी हिंसक वृत्ति के कारण घर से अर्ध-चन्द्र भी दिया है। किन्तु पुरुष की कभी न बुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने जीवन को तिल-तिल जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने क्या कभी दो वृन्द आँसू पाने का भी अधिकारी समझा है ? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। मनुष्य ने सीता और सावित्री के ऊँचे आदर्शों पर डटी रहने वाली नारियों को अबला बनाने की ठान ली है, किन्तु यदि स्त्रियाँ अपने शिशुओं को गोद में लेकर साहस से कह दे कि बर्बर पुरुषों ! तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब कुछ ले लिया, परन्तु आज हम तुम्हें इस अत्याचार का प्रतिफल विवाह-विच्छेद (तलाक) द्वारा देती हैं, तो स्त्री-जाति पर होने वाले अत्याचारों का नाटकीय अन्त पलक भाँपने से पहले ही हो जाए। इस प्रकार तलाक स्त्री का संकट-मोचन तथा पुरुष की मर्यादा-रक्षा का अमोघ अस्त्र है।

१. उपयुक्त अवतरण का सार लिखिये।
२. इस अवतरण के लिये उपयुक्त शीर्षक बताइए।
३. मोटे टाइप के स्थलों की व्याख्या करिये।
४. पुरुष ने स्त्री-जाति पर क्या-क्या अत्याचार किये हैं ?
५. क्या तलाक से वास्तव में स्त्री का संकटमोचन हो सकता है ?
६. क्या स्त्रियाँ वास्तव में त्याग और समर्पण की प्रतिमा हैं ?
७. भाग्य-निर्धारण, अर्ध-चन्द्र, अबला, वासनाग्नि और संकटमोचन शब्दों का सविग्रह समास लिखिए।

(१७)

योरोप की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था से भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था में आकाश-पाताल का अन्तर है। हमारा भारतवर्ष भूमण्डल के मध्य ऊर्ध्व कटिवन्ध पर स्थित एक कृपि-प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति और प्रकृति मानव जाति में एक ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न करती है जो योरोप के निवासियों की मनोवृत्ति के सर्वथा प्रतिकूल है और उसके कारण भारतवासियों

में एक विशेष प्रकार के जीवन के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। हमारे देश में परम्परा से यह शिक्षा चली आ रही है कि समस्त भौतिक विभूतियाँ निःसार एवं निरर्थक हैं, अतएव सरल जीवन व्यतीत करके धर्म-चिन्तन में समय व्यतीत करना ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। इस शिक्षा के कारण मनुष्य के हृदय में एक विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और यही एक ऐसी बात है जिसके कारण पूर्व और पश्चिम कभी नहीं मिल सकते। विचारधारा और प्रवृत्ति के ही कारण जब कभी हमारे देशवासी पाश्चात्य सम्यता तथा नीति का कुछ थंश अस्वभाविक भाव से ग्रहण कर लेते हैं, तब उनसे सामंजस्य नहीं आता, उनके उस पूर्व और पश्चिम सम्मिश्रण में तेल और जल का सा पार्थक्य स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है। वास्तव में हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही कठिन बात है कि पाश्चात्य संस्कारों को ग्रहण करके अपने जीवन में इस प्रकार मिला लें कि उनमें जरा भी कृत्रिमता न मालूम पड़े। हमारे नागरिक जीवन में धीरे-धीरे पाश्चात्य रीति-नीति की बहुत सी बातें सम्मिलित हो गई हैं तथापि ग्राम्य जीवन में यह बात नहीं है। देहातों का जीवन नागरिक जीवन से बहुत ही भिन्न प्रकार का है। आज भी देहातों में हमारी कुछ प्राचीन प्रथाएँ बहुत ही अधिक मात्रा में अपनी प्रभुता स्थापित किये हुए हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन में इस प्रकार की भिन्नता का कारण है वहाँ की आर्थिक भिन्नता।

१. उपयुक्त अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइये।

२. भारत और योरोप की अवस्था और विचार पद्धति में क्या अन्तर है और क्यों ?

३. पूर्व और पश्चिम नहीं मिल सकते—इसका आशय स्पष्ट करिये और बताइये कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता।

४. हमारे ग्रामीण और नागरिक जीवन में क्या भिन्नता है ?

५. भारतवासियों का दृष्टिकोण क्या है ?

६. मोटे टाईप के स्थलों की व्याख्या करिये।

७. प्रतिकूल, निरर्थक, व्यतीत, सम्मिश्रण और अस्वाभाविक शब्दों में

उपसर्ग और मूल-शब्द-पृथक्-पृथक् बताइये।

(१८)

अमेरिका के निवासी अपनी मौलिकता और नूतन आविष्कार-प्रियता के लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं, परन्तु अनुकरण करने में भी उनसे बढ़ कर कोई नहीं मिल सकेगा। फल यह होता है कि नये व्यवसाय या आविष्कार की छीछालेदर, उसका दुरुपयोग और पतन जितना अधिक वहाँ होता है उतना अन्यत्र नहीं होता। वहाँ संसार का छोटे-से-छोटा और बड़े से बड़ा व्यापार नवोनता और मौलिकता के आकर्षक वस्त्रों से ढक दिया जाता है। ज्योंही दूसरे लोग उसकी सफलता और लाभ को देखने हैं, त्योही उस व्यापार में एक दो नहीं सहस्रों मनुष्य कूद पड़ते हैं, वहाँ का व्यापारी जन-समुदाय समुद्र के ज्वार-भाटे की भाँति बड़े वेग से एक ही ओर दौड़ पड़ता है और अन्त में सब-के-सब किसी चट्टान से टकरा कर दिवालिये बन जाते हैं। भारतीयों में भी धीरे-धीरे यही प्रवृत्ति घर कर रही है। आज भारतवर्ष के कई नगरों में बकीलो और डाक्टरों के व्यवसाय की प्रायः यही दशा है। कुछ लघु उद्योग के सम्बन्ध में भी यही बात लागू है। किसी मनुष्य के बुद्धि-बल द्वारा हूँढे गये किसी लाभकारी उद्योग में इस प्रकार की भीड़ करने से उसमें होने वाली प्राय बहुत अधिक घट जाती है। यह आवश्यक नहीं कि विश्वविजयी बनने के लिए कोई नैपोलियन किसी सिकन्दर की पुरानी तलवार को हूँढता फिरे।

१. उपयुक्त अवतरण का सार लिखिए।
२. मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ स्पष्ट करिए।
३. अनुकरण करने से क्या हानि होती है ?
४. अमेरिका किस बात के लिए प्रसिद्ध है ?

(१९)

देश और धर्म, जाति और वर्ग आदि अनेक संकुचित क्षेत्रों में सीमित एवं कल्पित संघर्षों में संलग्न मानवता, यदि कहीं इन संकीर्णताओं के ऊपर उठ पाती है, यदि वह पारस्परिक वैमनस्य खोकर मनुष्य-मनुष्य के बीच एकता और आत्मीयता का विकास कर पाती है, तो वह कला के क्षेत्र में। कला मानव-मात्र की रचनात्मक-शक्ति की सौन्दर्यमय अभिव्यक्ति

राम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं। एक अनोखी मनो-

है। सभी मनुष्यों में समान शक्तियाँ हैं। एक में जिस शक्ति का विकास होला है, दूसरे में वह कुंठित हो जा सकती है और इसके राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक आदि अनेक कारण हो सकते हैं। किन्तु मानव की किसी रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति मानव-मात्र के लिए आकर्षण रखती है। उसकी उपयोगिता सार्वभौम होती है। कारण यह है कि कला मनुष्य की उन भावनाओं के स्रोत से उत्पन्न होती है, जहाँ किसी प्रकार की मलीनता नहीं होती। ये भावनाएँ अथवा मनुष्य की मूलप्रवृत्तियाँ साधारणतः मानव मात्र में समान होती हैं, स्वभावतः सबको वे प्रभावित भी करती हैं। कलाओं का प्रभाव मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। इसलिए कला का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो कला जितनी अधिक विकसित होती है, जिसमें उन्नत मानसिक शक्ति तथा भावनाओं का सुन्दर सम्मिश्रण होता है, वह अधिक व्यापक होती है और वही अधिकसे अधिक लोगों को प्रभावित करती है। कला और जीवन का अभिन्न सम्बन्ध है। किसी भी युग-विशेष की कला-कृतियों को देखकर उस युग के जीवन की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

१. कला की क्या परिभाषा है ?

२. कला किस प्रकार मनुष्य-मनुष्य के बीच एकता और आत्मीयता का विकास करती है।

३. 'कला मनुष्य की उन भावनाओं के स्रोत से उत्पन्न होती है, जहाँ किसी प्रकार की मलीनता नहीं होती'—इसका आशय स्पष्ट करिए।

४. 'जीवन और कला का अभिन्न सम्बन्ध है'। किस प्रकार ?

५. मोटे टाइप के स्थलों का अर्थ स्पष्ट करिए।

६. 'जो कला जितन अधिक.....प्रभावित करती है'—इस वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करिए।

(२०)

काव्य का उद्देश्य हृदय-गत वृत्तियों का परिष्कार है और यह परिष्कार होता है रसमग्न होने से, मन के रमने से। अतः काव्य का स्वरूप ठहरता है भावों का विधान करके रसमग्न करने वाली रचना अथवा थोड़े शब्दों

। रमणीयता । उसका चरम उद्देश्य ठहरता है वृत्तियों का शोधन । इस प्रकार काव्य या साहित्य समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण ठहरता है । उसे कोरे मनोरंजन की वस्तु मान कर समाज के लिए गौण या उपयोगी बतलाना हृदयहीन होने का परिचय देना तो है, ही बुद्धिहीन होने का भी उंका पीटना है । जैसे पश्चिम में समाजतत्व की आड़ में आज काव्य या साहित्य कोरी भावुकता का उद्दीपक मान कर समाज के लिए अनुपयोगी कहा जाने लगा है, वैसे ही पूर्व में भी धर्म की आड़ में काव्य का वर्जन किया गया था । पर इसके उद्देश्य पर ध्यान देते ही स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म का लक्ष्य है, वही काव्य का भी लक्ष्य है । वृत्तियों का परिष्कार लोक-दृष्टि से धर्म भी करता है और काव्य भी । अन्तर यही है कि पहले मे स्वर्गादि का लोभ तथा नरकादि का भय दिखला कर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है और दूसरे में लोभ या भय साधन नहीं, वर्ण्य हैं । फिर लोभ या भय भी तो काव्य के ही मूल तत्व हैं । अतः काव्य या साहित्य का पद धर्म, समाज-तत्व या राजनीति किसी स कम कैसे कहा जा सकता है ।

१. उपर्युक्त गद्यांश पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :—

(क) काव्य का उद्देश्य क्या है ?

(ख) पश्चिम तथा पूर्व की काव्य सम्बन्धी धारणाओं में क्या अन्तर है ?

(ग) काव्य तथा धर्म में क्या सम्बन्ध है ?

(घ) काव्य का समाज के लिए क्या उपयोग है ?

२. उपर्युक्त अवतरण के मोटे टाइप के अंशों का अर्थ सरल भाषा में लिखिए ।

३. उपर्युक्त गद्यांश का संक्षिप्त सारांश अपने शब्दों में लिखिए ।

(२१)

अब विज्ञान इने-गिने आदमियों तक ही परिमित नहीं है । यूनिवर्सिटी और विद्यापीठों में विज्ञान की शिक्षा पाने वालों की संख्या खासी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है । अब कित्ती एक पीढ़ी में जितने वैज्ञानिक मौजूद होते हैं उतने पहले कई-कई पीढ़ियों में भी नहीं हुए । हर देश में कितने ही आदमी विज्ञान की धुन में लगे रहते हैं और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते हैं । फिर छापेखानों की सहायता से विज्ञान सम्बन्धी साहित्य घर-घर पहुँच रहा है । कोई आविष्कार बहुत समय तक रहस्य नहीं

प्राराम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं । एक अनोखी मनो-

रहता। कोई संस्था, जाति या देश अपने आपको हमेशा के लिए उसका एकाधिकारी नहीं कह सकता। इससे जाहिर है कि भविष्य में विज्ञान के ह्रास की आशंका नहीं है। इसकी उन्नति ही होते रहने की आशा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आदमी ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है, फिर भी इसकी वृद्धि और प्रचार के लिए अभी अनन्त क्षेत्र पड़ा है। विज्ञान ने मनुष्य जाति को बहुत सुख और सुविधाएँ दी हैं, पर अभी उसे और भी बहुत काम करना है।

उपर्युक्त अवतरण को पढ़ कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :—

१. आज विज्ञान की क्या स्थिति है और मानव उसके लिए क्या करने को तैयार है ?
२. छापेखानों के कारण विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा ?
३. इस अवतरण का सारांश लिखिए।
४. मोटे टाइप के अर्थ लिखिए।

(२२)

मारना सब जानते हैं, पर मरना जानने वाले सभी युगों में और सभी स्थानों पर बहुत थोड़ी संस्था में हुए हैं। दूसरों को मार कर मर जाना भी बहुत से जानते हैं, इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें बदले का नशा होता है, प्रतिहिंसा की आग धधकती रहती है, शत्रु का खून पीने के लिए जोश चढ़ा रहता है, परन्तु स्वेच्छापूर्वक मरना वास्तव में सब में कठिन है। स्वेच्छापूर्वक मरने से दुखी होकर आत्म-घात करने का अभिप्राय नहीं है। आत्म हनन या आत्म-घात तो लौकिक दृष्टि से महान अपराध और पारलौकिक दृष्टि से महान पाप समझा जाता है और उसमें केवल आत्मा की दुर्बलता का ही पता लगता है। यहाँ मरने का तात्पर्य कुल-मर्यादा देश-रक्षा, विश्व-कल्याण आदि किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर आत्मोत्सर्ग से है जिसको आत्मा की उदात्त सात्त्विक वृत्ति से प्रेरणा प्राप्त होती है। राजस्थान की वीर रमणियों ने समय समय पर जौहर की लपटों में हँसते-हँसते कूद कर जो आत्मोत्सर्ग किया है, वह इस प्रकार के मरने का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। संसार के किसी भी कोने में कोई भी देश वा प्रान्त ऐसा न होगा जहाँ इस प्रकार सहस्रों की संख्या में स्त्रियों ने एक साथ जौहर की धधकती ज्वाला में स्वेच्छापूर्वक प्रवेश कर आत्मोत्सर्ग किया हो।

उपर्युक्त अवतरण को पढ़ कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :—

१. स्वेच्छा पूर्वक मरना सबसे कठिन क्या है ? यहाँ स्वेच्छा-पूर्वक मरने से क्या अभिप्राय है ?
२. आत्म-घात को क्यों बुरा बताया गया है ?
३. राजस्थान की वीर रमणियों के आत्मोत्सर्ग से क्या तात्पर्य है ।
४. जौहर क्या वस्तु है और कब किया जाता है ?
५. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिए ।
६. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ सरल भाषा में लिखिए ।

(२३)

मनुष्य सुख में हो वा दुःख में वह गाये बिना नहीं रह सकता । सुख में गाकर वह उल्लसित होता है और दुःख में गाकर वह दुःख को भूलता है । गान मानव-जीवन का भोजन है, मानव हृदय की स्वाभाविक तान है । मानव आदि काल से गाता चला आया है । हम देखते हैं कि हल चलाने वाले किसान, ऊँट दाले, गाड़ीवाले, भेड़-बकरी चराने वाले, कुँए पर काम करने वाले बारिए और कीलिए, ईंट और गारा ढोने वाले मजदूर सभी गान में मस्त होकर जीवन की कठोरता को भूल जाते हैं । गान उनके कार्य को तो सुगम बनाता ही है, उनके जीवन में सरसता का भी संचार करता है । आदिम मनुष्य-हृदय के इन्हीं गानों का नाम लोक-गीत है । मनुष्य के समस्त सुख-दुःख की कहानी इन लोक-गीतों में चित्रित है । लोक-जीवन की माधुरी और सच्चा भाव-स्पन्दन हमें लोक-गीत में ही मिल सकता है । लोक-गीत आदिकाल से चले आ रहे हैं और अनन्त काल तक चलते रहेंगे । काल का प्रभाव इन्हें नष्ट नहीं कर सकता । ये अलिखित होते हुए भी अमर हैं । लोक-गीत लोक-जीवन के सच्चे चित्र हैं । लोक-जीवन में जब कभी कोई प्रबल उमंग उठ खड़ी होती है, तभी एक नवीन गीत की सृष्टि हो जाती है । कालान्तर में लोक-गीतों का वाह्य रूप परिवर्तित हो जाता है, भाषा का आवरण धीरे-धीरे बदल जाता है, पर भीतरी प्राणतत्व में कोई अन्तर नहीं आता ।

उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ कर निम्नालिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

१. गान किस प्रकार मानव जीवन का भोजन है ?

२. मनुष्य गाये बिना क्यों नहीं रह सकता ?
३. लोक-गीत किसे कहते हैं ?
४. 'लोक-गीत लोक-जीवन का सच्चा चित्र है'—इसका आशय स्पष्ट करिए ।
५. लोक-गीतों को अमर क्यों कहा गया है ?
६. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

(२४)

लेखक के लिखने या अपने भाव प्रकट करने का ढंग ही उसकी शैली है । जैसे हम अपने परिचित मित्रों वा सम्बन्धियों की चाल को देख कर वा आवाजें सुनकर ही उन्हें पहचान लेते हैं, उसी प्रकार अपने परिचित लेखकों के वाक्यों वा छन्दों को सुनकर वा पढ़कर शीघ्र ही पहचान लेते हैं कि यह वाक्य वा छंद अमुक लेखक वा कवि का है । जैसे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न चालें और आवाजें होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक लेखक की शैली भी भिन्न-भिन्न होती है । वास्तव में शैली का कोई निश्चित संख्या नहीं है । जितने लेखक उतनी ही शैलियाँ । जिस प्रकार एक व्यक्ति के चलने वा कहने का ढंग दूसरे से नहीं मिलता, उसी प्रकार एक लेखक के भाव, विचार, अनुभव, कल्पना, आदर्श आदि-आदि दूसरे लेखक से मेल नहीं खाते । जब प्रत्येक लेखक का व्यक्तित्व भिन्न है तो प्रत्येक के लिखने का ढंग भी भिन्न ही होगा । यही कारण है कि एक लेखक के भावा तथा विचारों को प्रकट करने की प्रणाली में दूसरे लेखक से नवीनता वा भिन्नता पाई जाती है और वही उसकी शैलीगत विशेषता है । वास्तव में शैली वह साधन है जिसके द्वारा कोई कलाकार अपने व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण करने में सफल होता है । कला की प्रेषणीयता शैली पर ही निर्भर है । कोई सुन्दर भाव वा विचार सुन्दर ढंग से कहे जाने पर ही श्रोता वा पाठक को प्रभावित करता है । इसीलिए कहते हैं कि शैली ही व्यक्ति है ।

उपर्युक्त अवतरण को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :—

१. शैली किसे कहते हैं ?
२. भिन्न-भिन्न लेखकों की भिन्न-भिन्न शैलियाँ क्यों होती हैं ?
३. कला की प्रेषणीयता से क्या अभिप्राय है और उसका शैली से क्या सम्बन्ध है ?
४. 'शैली ही व्यक्ति है'—इसका आशय स्पष्ट करिए ।
५. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

अध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य में नैतिकता की भावना जागृत रखती है। भौतिकता का बाह्यरूप अत्यधिक आकर्षक है, उसके सामने साधारण जनता के हृदय से अध्यात्मिकता एक दम लुप्त हो गई है। परिणाम स्वरूप आज का मानव इस संसार को ही स्वर्ग समझ बैठता है। येन-केन-प्रकारेण धन-संग्रह और सांसारिक सुखों का उपभोग ही उसके जीवन का उद्देश्य हो गया है। त्याग का स्थान लोलुपता और सन्तोष का स्थान वृष्णा ने ले लिया है। सुरसा के मुख के भाँति यह वृष्णा प्रति-दिन बढ़ती है। निर्धनों की तो बात ही क्या, करोड़ों रुपये के अधिपतियों को भी वास्तविक शान्ति उपलब्ध नहीं। ज्यों-ज्यों संसार शान्ति के लिए प्रयत्नशील हो रहा है, त्यों-त्यों वह उससे कोनों दूर भागती जा रही है। वास्तविक बात तो यह है कि भौतिकता के पुजारी के लिए सुख और शान्ति सदा स्वप्न ही बने रहेंगे।

उपर्युक्त गद्य-भाग को ध्यान से पढ़ कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :—

- (क) आज का मानव संसार को ही स्वर्ग क्यों समझता है ?
- (ख) आज जीवन का उद्देश्य क्या है ?
- (ग) प्रस्तुत अवतरण के मोटे टाइटल वाले अंकों का अर्थ सरल भाषा में समझाइए।

(घ) उक्त गद्यांश का कोई सुन्दर शीर्षक चुनिए।

(पद्य-अवतरण)

(१)

“इस ओर देखो, रक्त की यह कीच कौसी मच रही।
है पट रही खंडित हुए बहु रुण्ड-मुण्डों से मही।
कर-पद असंख्य कटे पड़े, शस्त्रादि फैले हैं तथा,
रगस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो गया।
दुर्योधन-जुन हैं पड़े ये भीम के मारे हुए,
कम्बोज-मुप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए।
यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त हैं,
पर कौरवों का ताज अब भी कर रहे ये व्यक्त हैं।

प्राराम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं। एक अनोखी मनो-

बल-विभव में कुहराज सबमुच दूसरा सुरराज है,
पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ ! तुमने आज है” ।
श्री कृष्ण के प्रति वचन तब बोले धर्मजय भक्ति से—
“क्या कार्य कर सकता हरे ! मैं आप अपनी शक्ति से ?
है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही वीर मैं,
भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर में” ।

१. उपर्युक्त अवतरण में किस प्रसिद्ध युद्ध की वर्धा है ? यह युद्ध किन-किन के बीच हुआ था ?
२. युद्ध-भूमि में पड़ी हुई किन-किन वस्तुओं का इस अवतरण में उल्लेख किया गया है ?
३. कुहराज का वास्तविक नाम क्या था ? किस कारण उसकी तुलना सुरराज से की गई है ?
४. श्री कृष्ण के इस कथन—‘पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ ! तुमने आज है’—का अर्जुन ने क्या उत्तर दिया ?
५. उपर्युक्त अवतरण में मोटे टाईप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

(२)

रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर !
पर फिरा हमें गांडीव, गदा, लौटा दे अर्जुन, भीम वीर !
कह दे शंकर से आज करें, वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार ।
सारे भारत में गूँज उठे ‘हर-हर-बम’ का फिर महोन्वार ।
ले अँगड़ाई उठ, हिले घरा, कर निज विराट स्वर में निनाद ।
तू शैल-राट् ! हुँकार भरे, फट जाय कुहा, भागे प्रमाद !
तू मौन त्याग, कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का न काल,
नवयुग शंखध्वनि वजा रहा, तू जाग जाग, मेरे विशाल ।
मेरी जननी के हिम-किरीट ! मेरे भारत के दिव्य भाल ।
जागो नगपति ! जागो विशाल !

१. उपर्युक्त अवतरण में कौन किससे कह रहा है ?
२. उपर्युक्त अवतरण का आशय अपने शब्दों में लिखिए ।

३. प्रथम दो पंक्तियों में युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने देने एवं वीर अर्जुन और भीम को लोटा देने के लिए क्यों कहा गया है ?
४. मोटे टाईप के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करिए ।

(३)

कृष्ण :—

भामिनि ! देहुँ द्विजै सब लोक, तजौ हठ, मेरे यहै मन भाई ।
लोक वतुर्दश की मुख-सम्पत्ति लागति विप्र विना दुखदाई ॥
जाय बसों उनके गृह में करिहीं द्विज-दम्पति की सेवकाई ।
तो मन मांहि रुचै न रुचै सो, रुचै हमैं तो वह ठौर सदाई ॥

शुक्मिणी :—

नेकु न कानि करो द्विज ने नृग से नृप की नरकी करि डारो ।
साप दियो पुनि शंकर को अब लों मख तैं सिव-भाग विसारो ॥
विप्रन फेरि विजै-जय को तुम देखत घोर कुयोनि में डारो ।
सो तुम जानि सबै गुन-दोष करौ फिरिहू द्विज को पतियारो ॥

१. उपयुक्त अवतरण में श्री कृष्ण ने शुक्मिणी से क्या कहा और शुक्मिणी ने श्री कृष्ण को उमका क्या उत्तर दिया ?
२. उपयुक्त अवतरण किस प्रसंग के है ?
३. मोटे टाईप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

(४)

सिन्धु-सा विस्तृत और अयाह, एक निर्वासित का उत्साह ।
दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह रहा ॥
धर्म का ले-ले कर लो नाम, हुआ करती बलि, कर दो बन्द ।
हमी ने दिया शान्ति-संदेश, सुखी होकर देकर सानन्द ॥
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रहो धरा पर धूम ।
भिक्षु होकर रहते सम्राट्, दया दिखलाते घर-घर धूम ॥
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि ।
मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि ॥

राम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं । एक अनोखी मनो-

१. उपयुक्त अवतरण में वर्णन किये गये भावों का सारांश सरल हिन्दी में लिखिए ।
२. उपयुक्त पद्यांश में मोटे टाईप के अंशों की व्याख्या करते हुए उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए ।

(५)

चाँदनी का शृंगार समेट अध-खुली आँखों की यह कोर,
 लुटा अपना यौवन अनमोल, ताकती किस अतीत की ओर ?
 जानते हो यह अभिनव प्यार,
 किसी दिन होगा कारागार ?
 कौन वह है सम्मोहन राग, खीच लाया तुमको सुकुमार ?
 तुम्हें भेजा जिसने इस देश, कौन वह है निष्ठुर कर्तार ?
 हँसो, पहनों, काँटों के हार,
 मधुर भोलेपन के संसार ।

१. उपयुक्त अवतरण का सारांश लिखिए ।
२. मोटे टाईप के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करिए ।

(६)

नेही महा, ब्रज-भाषा-प्रवीण 'औ' सुन्दरताई के भेद कौ जानै ।
 जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना-भेद-स्वरूप को ठानै ॥
 चाह के रंग में भोज्यो हियो विचुरे मिले प्रीतम सांति न मानै ।
 भाषा-प्रवीण, सुखन्द सदा रहै सो 'धन' जी के कवित बखानै ॥

१. 'घनानन्द' कवि के कवित्तों की समझाने के लिए किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है—उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए ?
२. मोटे टाईप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(७)

कवि अमूठे कलाम के बल से
 हैं बड़ा ही कमाल कर देते ।
 वेधने के लिए कलेजों को

हैं कलेजा निकाल घर देते ॥१॥
 है निराली निपट अद्वूती जो
 है वही सूझ काम मे लाते ।
 कम नहीं है कमाल कवियों में
 है कलेजा निकाल दिखलाते ॥२॥
 भेद उसने कौन से खोले नहीं
 कौन सी बातें नहीं उसने कही ।
 दिल नहीं उसने टटोले कौन से
 घुस गया कवि किस कलेजे मे नहीं ॥३॥

१. उपयुक्त पद्यांशों का भावार्थ लिखिए ।
२. मोटे टाईप की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए ।

(८)

कहा रसखानि सुख सम्पति सुमार कहा,
 कहा तन जोगी है लगाये तन छार को
 कहा साधे पञ्चानल कहा सोये बीच जल,
 कहा जीति लाए राज सिन्धु आर-पार को
 जप बार बार तप संजम वयार व्रत,
 तीरथ हजार अरे बुझत लवार को
 कीन्हों नहीं प्यार नहीं सेयो दरवार चित्त—
 चाह्यो न निहार जो पै नन्द के कुमार को ॥

१. उपयुक्त छन्द किस कवि का बनाया हुआ है ?
२. उपयुक्त छन्द में कवि ने जो कुछ कहा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए ।
३. मोटे टाईप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(९)

भैसा गाड़ी पर लदा हुआ
 जा रहा चला मानव जर्जर ।
 है उसे चुकाना सूद-कर्ज
 है उसे चुकाना अपना कर

आराम न छाड़ा ता हमारी दशा सुंघरने की नहीं । एक अनोखी मनी-

जितना खाली है उसका घर
 उतना खाली उसका अन्तर ।
 नीचे जलने वाली पृथ्वी
 ऊपर जलने वाला अम्बर
 और कठिन भूख की जलन लिए
 नर बैठा है बन कर पत्थर ।
 पीछे है पशुता का खंडहर
 दानवता का सामने नगर
 मानव का कृश कंकाल लिए
 चरमर-चरमर चूँ चरर-मरर
 जा रही चली भैसा-नाड़ी

१. उपर्युक्त अवतरण में किसकी किस दशा का क्या वर्णन किया गया है ? अपने शब्दों में लिखिए ।
२. मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१०)

क्रान्ति-घात्रि ! कविते ! जग, उठ, आडम्बर में आग लगा दे ।
 पतन, पाप, पाखण्ड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे ।
 विद्युत् की इस चकाचौंध में देख, दीप की लौ रोती है,
 अरी हृदय को थाम, महल के लिए भोंपड़ी बलि होती है ॥
 देख, कलेजा फाड़ कृपक दे रहे हृदय-शोणित की धारें,
 और उठी जाती उन पर ही वैभव की ऊंची दीवारें ।
 घन-पिशाच के कृपक भेद्य में नाच रही पशुता मतवाली,
 आगन्तुक पीते जाते हैं दीनों के शोणित की प्याली ॥

१. उपर्युक्त अवतरण के भावों को अपने शब्दों में लिखिए ।
२. इस कविता को आप किस 'वाद' के अन्तर्गत रख सकते हैं ?
३. मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(११)

जिन ढूँढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठि ।
 मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे बैठि ॥१॥
 तीर तुपक से जो लड़ै, सो तो सूर न होय ।
 माया तजि भगती करै, सूर कहावै मोय ॥२॥
 लगी लगन छूटै नहीं, जीभ जोंव जरि जाय ।
 भीठा कहा अंगार मे जाहि चकोर च्वाय ॥३॥
 पानी केरा बुदबुदा अम मानुष की जाति ।
 देखत ही छिप जायगी ज्यों तारा परभात ॥४॥

१. उपयुक्त दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए ।
२. मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१२)

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।
 जिन तनु दिये ताहि विसरायो, ऐमो नोन-हरामी ॥
 भरि-भरि उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी ।
 हरिजन छांड़ि हरि विमुखन की निसदिन करत गुलामी ॥
 पापी कौन बड़ो है मोतें, सब पतितन में नामी ।
 'सूर' पतिति को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

१. उपयुक्त पद का सरलार्थ करिए ।
२. मोटे टाइप के शब्दों पर टिप्पणी लिखिए ।

(१३)

पंचवटी की छाया में है, सुन्दर पराँ-कुटीर बना,
 उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर, वीर, निर्भीक-मना,
 जाग रहा यह कौन घनुर्धर, जब कि भुवन-भर सोता है ?
 भोगी कुसुमायुध योगी-सा बना दृष्टि-गत होता है ॥
 किस व्रत में है व्रती धीर यह निद्रा का यों त्याग किये ?
 राज-भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए ?

म न छाड़ा ता हमारा दशा सुधरन का नहा । एक अनात्ता मना-

बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है,
जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है, मन है, जीवन है ?

- (१) उपर्युक्त अवतरण में किसका किस समय का वर्णन किया गया है ?
(२) मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१४)

वह राम-भक्ति का भूखा था, पर अघा गया श्रीमन्तों की ।
पय पुण्य प्रेम का पिला गया, नर-नारी, सन्त-असन्तों को ॥
भर गया सभी आतुर उर में कुछ भाव गजब का नया-नया ।
कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी-दल जैसा बना गया ॥
था भक्त, सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था ॥
माता हिन्दी के मन्दिर का वह एक अनन्य पुजारी था ॥
मृदु, 'मानस' का सर्वज्ञ सुलभ अक्षय प्रवाह वह बहा गया ॥
कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी-दल जैसा बना गया ॥

- (१) उपर्युक्त पद्य-अवतरण में तुलसीदास जी के जिन-जिन गुराओं वा विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए ।
(२) मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१५)

बारे-बड़े उमड़े सब जैसे को, हॉ न तुम्है पठवाँ, बलिहारी ।
मेरे तो जीवनु 'देव' यही धनु, या ब्रज पायो मैं भोख तिहारी ॥
जाने न रीति अघाइन की, नित गाइन में अन-भूमि-विहारी ।
याहि कोऊ पहिचाने कहा, कछु जाने कहा मेरो कु-ज-विहारी ॥१॥
जादव-बृद्ध जो लेन पठाये, ततौ धनु गोधनु ले सब जैसे ।
या लरिकाहि कहा करि है नृप ? गोप-समूह सबै संग हैये ।
तौ लागि जीवन मो ब्रज जौ लागि खेलत साथ लिए बल भैये ।
सर्वसु कंसु हरो न अघे किन, आंखिन ओट करौ न कन्हैये ।

- (१) उपर्युक्त पद्यांशों का सरांश लिखिए ।
(२) यशोदा ने कृष्ण को कंस के पास न भेजने के लिए क्या-क्या दलीलें दी हैं ? अपने शब्दों में लिखिए ।
(३) मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१६)

प्रीति करि काह सुख न लह्यो ।
 प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपै प्रान दह्यो ।
 अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सो, संपुट मांभ गह्यो ।
 सारंग प्रीति करी जु नाद सो, मनमुख वान सह्यो ।
 हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कह्यो ।
 'सूरदास' प्रभु बिन दुख दूनो, नैननि नीर बह्यो ॥

(१) उपर्युक्त पद मे सूरदास जी ने प्रेम की किस विशेषता का वर्णन गोपियों द्वारा कराया है ?

(२) उपर्युक्त पद का आशय अपने शब्दों में लिखिए ।

(३) मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१७)

कर लै सूँधि सराहि कै, सधै रहे गहि मीन ।
 गंधी अन्ध, गुलाब की गँवई गाहक कौन ॥१॥
 को कहि सकै बडेनु सो, लखे बड़ी ह भूल ।
 दीन्हँ दई गुलाब की, इन डारिन वे फूल ॥२॥
 जप माला छापा तिलंक, सरै न ऐकौ काम ।
 मन काँचै, नाचै वृथा, साँचे राचे राम ॥३॥
 नेहु न, नैननि को कछु, उँपजी बड़ी बलाँइ ।
 नीर-भरे नित प्रति रहँ, तऊ न प्यास बुझाई ॥४॥

(१) उपर्युक्त दोहों का पृथक्-पृथक् भावार्थ लिखिए ।

(२) मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(१८)

आते जो यहाँ है ब्रजभूमि की छंटा वे देख,
 नेक न अघाते होते मोद-मद-माते हैं ।
 जिस ओर जाते उस ओर मन-भाये दृश्य;
 लोचन लुमाते और चित्त को चुराते हैं ।

पलभर को वे अपने को भूल जाते सदा,
 सुखद अतीत सुखसिन्धु में समाते हैं ।
 जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ,
 मैया-मैया टेरते हैं, मैया को चराते हैं ।

(१) उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए ।

(२) छोटे टाइप के अंशों का अर्थ समझाइए ।

(१६)

भूल कर भी कहीं नहीं लगता
 अपने जी को जो हम लगाते हैं ।
 जलता रहता है जल नहीं जाता
 यों किसी का भी जी जलाते हैं ।
 बेबसी में पड़े तड़फते हैं
 हम कुछ ऐसी ही चोट खाते हैं ।
 जो हमारा जला ही करता है
 आँसू कितना ही हम बहाते हैं ।
 मर मिटेंगे, तुम्हें न भूलेंगे
 नेम अपना सभी निभाते हैं ।
 हम मरेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें
 जी-जलों को भी यों सताते हैं ?

(१) उपयुक्त अवतरण का सारांश लिखिए ।

(२) उपयुक्त अवतरण में कवि ने किस मुहावरे का बार-बार प्रयोग किया है ?

(२०)

तुम होंगे सुकरात, जहर के प्याले होंगे ।
 हाथों में हथकड़ी पदों में छाले होंगे ।
 ईसा-से तुम और जान के लाले होंगे ।
 होंगे तुम निश्चेष्ट, डस रहे काले होंगे ।
 होना मत व्याकुल कही, इस भव-जनित विषाद से ।
 अपने आग्रह पर अटल रहना बस प्रह्लाद से ॥

- (१) उपयुक्त अवतरण में कवि ने क्या प्रेरणा दी है ?
- (२) सुकरात अथवा ईसा पर एक टिप्पणी लिखिए ।
- (३) मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करिए ।

(२१)

दानी भये नये, मांगत दान हो, जानि है कंस तो बन्धन जैही ।
 हूट छरा बछरादिक गोधन जो धन है मो सबै धन वैहौ ॥
 रोकत हो बन मे रसखानि चलावत हाथ, धनो दुख पैहो ।
 जैहै जो भूपन काहू तिया को, तो मोल छला के लला न विकौ हो ॥

१. उपयुक्त पद्य का आशय स्पष्ट करिए ।
२. मोटे टाइप के शब्दों का अर्थ लिखिए ।

(२२)

निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
 मृत्यु एक है विश्राम-स्यल ।
 जीव जहाँ से फिर चलता है,
 धारण कर नव जीवन सम्बल ॥
 मृत्यु एक सरिता है जिसमे,
 श्रम से कातर जीव नहा कर ॥
 फिर नूतन धारण करता है,
 काया रूपी वस्त्र बहा कर ॥

१. उपयुक्त अवतरण का संक्षेप में आशय स्पष्ट करिए ।
२. उपयुक्त अवतरण में किस बात का क्या सन्देश दिया गया है ?
३. मोटे टाइप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(२३)

यह काँप उठे संसार कही, अँगुली यदि एक उठा दे तू,
 गिर जायें गगन के तारे भी, आँखें यदि लाल दिखा दे तू ।
 पर्वत भी चूर-चूर होवे, अपना यदि ध्यान जमा दे तू,
 क्यों निष्क्रिय होकर खोता है, जीवन अनमोल बता दे तू ।

वेदान्त तुझे कह रहा ब्रह्मा, कह जग-वितान अपने को तू,
ए नौ जवान, सुन अमर गान, पहिचान आप अपने को तू ॥

१. उपर्युक्त अवतरण में किसने किसको क्या चेतावनी दी है ?
२. मोटे टाईप के शब्दों के अर्थ लिखिए ।

(२४)

पूर्व चलने के, बटोही, बाट की पहचान कर ले ।
पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी,
हाल इसका ज्ञात होता है न ओरों की जवानी,
अनगिनत राही गये इस राह से, उनका पता क्या,
पर गये कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी,
यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है,
खोल इसका अर्थ, पंथी, पंथ का अनुमान कर ले,
पूर्व चलने के, बटोही, बाट की पहचान कर ले ।


१. उपर्युक्त अवतरण में कवि ने किस पथ की ओर संकेत किया है ?
२. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिए ।

(२५)

रण-धीच चौकड़ी भर-भर कर चेतक बन गया निराला था ।
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था ॥
गिरता न कभी चेतक-तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था ।
वह दौड़ रहा अरि-मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था ॥
जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था ।
राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था ॥
कौशल दिखलाय चालों में, उड़ गया भयानक भालों में ।
निर्भीक गया वह ढालों में, मरपट दौड़ा कर वालों में ॥

१. उपर्युक्त अवतरण में किस घोड़े के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? अपने शब्दों में लिखिए ।
२. मोटे टाईप के अर्थ लिखिए ।

सातवां अध्याय पत्र-लेखन



पत्र रचना भी एक कला है। अन्य कलाओं की भाँति इसमें भी कलाकार का व्यक्तित्व पूर्णरूप से प्रकट होना चाहिए। अतः पत्र-लेखक को चाहिए कि वह अपने विचारों को लिपिवद्ध करने से पूर्व, भले प्रकार एकत्र कर ले और उन्हें पत्र में इस ढंग से व्यक्त करे कि पाठक के हृदय पर उनका चित्र-सा अंकित हो जाय। पढ़े-लिखे और अनपढ़ सबको अपने जीवन में पत्र-व्यवहार की आवश्यक पड़ती है। जिस व्यक्ति के प्रति कुछ कहना हो, यदि वह सम्मुख ही उपस्थित हो, तो परस्पर संभाषण वा बातचीत से ही काम चल जाता है, परन्तु उसकी अनुपस्थिति में अपने विचारों को उस तक पहुँचाने का एक मात्र साधन पत्र ही है।

पत्र की परिभाषा—पत्र उस सरल और संक्षिप्त रचना को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तिगत विचारों को लिखित रूप में दूसरों पर प्रकट करता है वा दूसरों के पास भेजता है।

पत्र के प्रकार—पत्र कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के लिखने की पद्धति भी भिन्न भिन्न होती है। सुभीते के लिए हम पत्र के निम्नांकित प्रकार कर सकते हैं :—

१. व्यक्तिगत वा निजि पत्र—जो पत्र अपने किसी सम्बन्धी (माता-पिता आदि), मित्र, गुरु और विशिष्ट परिचित व्यक्ति को लिखा जाय।

२. सरकारी वा प्रार्थना पत्र—जो उच्च अधिकारी को लिखा जाय और जिसमें नोकरी, अवकाश, वा अन्य किसी बात के लिए प्रार्थना की गई हो।

३. अर्ध-सरकारी पत्र—जो पत्र जनता वा व्यक्ति विशेष द्वारा किसी अधिकारी को लिखा जाय जिसमें कोई शिकायत हो वा किसी अन्य बात के लिए उससे प्रार्थना की गई हो।

४. व्यावसायिक वा व्यापारिक पत्र—जो लेन-देन क्रय-विक्रय आदि के सम्बन्ध में किसी फर्म वा व्यापारी को लिखा जाय।

५. विविध पत्र—निमंत्रण-पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन आदि-आदि ।
पत्र के अङ्ग—प्रत्येक पत्र में निम्नांकित छः बातें अवश्य किसी न किसी रूप में लिखी जानी चाहिएँ ।

१. पत्र भेजने वाले का पता ।
२. पत्र लिखने की तिथि ।
३. प्रशस्ति वा सम्बोधन ।
४. समाचार वा मुख्य विषय ।
५. समाप्ति वा निवेदन ।
६. पत्र प्राप्त करने वाले का पता ।

घरेलू वा निजी पत्रों में निम्नलिखित बातें निम्न प्रकार लिखी जानी चाहिएँ :—

१. मांगलिक शब्द—पत्र के सिरे पर बीचों-बीच ओ३म्, श्रीः, श्रीहरिः, श्री गणेशाय नमः, आदि लिखा जाय । आजकल लोग इस ओर कम ध्यान देते हैं ।

२. प्रेषक का पता तथा तिथि—पत्र के सिरे पर दाहिनी ओर भेजने वाला अपना पूरा पता तथा उससे नीचे तिथि लिखे ।

३. संबोधन—पत्र के बाईं ओर किनारे पर पूज्यपाद, प्रियवर, पूजनीय, प्रिय मित्र आदि कोई आदर सूचक वा स्नेह-सूचक शब्द लिखकर व्यक्ति-विशेष का नाम यदि आवश्यक हो तो लिखा जाय ।

४. अभिवादन—संबोधन के नीचे की पंक्ति में थोड़ा सा हट कर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, जयहिंद, प्रसन्न रहो, चिरायु हो आदि लिखा जाय ।

५. समाचार वा मुख्य विषय—अभिवादन के नीचे की पंक्ति से पत्र का मुख्य विषय लिखा जाय ।

६. निवेदन—पत्र के मुख्य विषय के समाप्त होने पर उससे नीचे की पंक्ति में दाहिनी ओर 'आपका आज्ञाकारी', भवदीय, विश्वासप्राप्त, आपका मित्र, तुम्हारा पिता' आदि लिखा जाय और ठीक उसके नीचे अपना नाम ।

७. पता—लिफाफे वा क्राई पर पता लिखा जाय जहाँ कि पत्र भेजना है ।

सूचना (१)—प्रार्थना-पत्रों में प्रार्थी को चाहिए कि 'मांगलिक शब्द' न लिखे, अपना पता पत्र के ऊपर के सिरे पर दाहिनी ओर न लिख कर पत्र समाप्त होने पर निवेदन के नीचे लिखे। इसी प्रकार तिथि भी पत्र के सिरे पर न लिख कर निवेदन के बाईं ओर जो स्थान रिक्त रहे, वहाँ लिखे।

सूचना (२)—व्यावसायिक पत्रों में प्रेषक अपना पता लिखने के साथ-साथ, जहाँ पत्र भेजना है, वहाँ का पता भी पत्र के सिरे पर ही बाईं ओर लिख देता है।

नमूना

(१) श्री गणेशाय नमः

(२) शान्ति-सदन,
जौहरी बाजार,
जयपुर।

(३) प्रिय रमेश,

दि० १५ सितम्बर, सन् १९६२ ई०

(४) प्रसन्न रहो।

(५) आज तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई.....

.....पत्र का उत्तर शीघ्र देना, भूल न करना।

(६) तुम्हारा शुभ-चिन्तक
सुरेश

(७) पता (लिफाफे पर)

टिकिट

श्री रमेशचन्द्र जैन,
कक्षा ग्यारही बी (कला)
जैन सुबोध इन्टर कालेज,
जयपुर,
(राजस्थान)

किसको क्या लिखा जाय ?

१. अपने से बड़े सम्बन्धियों को

संबोधन में—पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, मान्यवर, पूज्यपाद आदि ।

अभिवादन में—प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्ते, चरण-स्पर्श आदि ।

निवेदन में—आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह-भाजन, चरण-सेवक, आपका प्रिय भ्राता आदि ।

२. छोटे सम्बन्धियों, बराबर वालों वा मित्रों को

संबोधन में—प्रिय, प्रियवर, प्रियतम, प्राणनाथ, मित्रवर्य, आयुष्मान्, चिरंजीव, प्रिय बहिन आदि ।

अभिवादन में—नमस्ते, शुभापीः, आशीर्वाद, जय जिनेन्द्र, जय हिन्द, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो आदि ।

निवेदन में—तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ-चिन्तक, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जेठ भ्राता, आपकी सहचरी आदि ।

३. परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को

संबोधन में—प्रिय महाशय, महोदय, श्रीमन्, श्रीमतीजी, महोदया आदि ।

अभिवादन में—नमस्ते, नमस्कार, जय गोपाल जी की, राम-राम आदि ।

निवेदन में—आपका दर्शनाभिलाषी, भवदीय कृपाकांक्षी, आदि ।

प्रार्थना-पत्रों में

संबोधन में—श्रीमान्, मान्यवर, आदरणीय, माननीय, महाशय आदि ।

अभिवादन में—प्रार्थना-पत्रों में कुछ नहीं लिखा जाता ।

निवेदन में—भवदीय, आज्ञाकारी, आपका विश्वास-प्राप्त, प्रार्थी, कृपा पात्र, आपका कृपाकांक्षी आदि ।

अब विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने नीचे दिये जाते हैं । छात्रों को चाहिए कि इन्हें पढ़कर वे भली प्रकार समझ लें और अभ्यास में दिए जाने वाले

पत्रों को दिए हुए नमूनों के आधार पर स्वयं लिखकर पत्र-रचना का अभ्यास करें।

१. व्यक्तिगत वा निजी-पत्र

(१) पुत्र की ओर से पिता को

॥ श्रीहरि ॥

श्याम भवन,

चौड़ा रास्ता,

जयपुर।

१७ सितम्बर, सन् १९६२ ई०

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम।

आज आपका कृपा-पत्र मिला। यह पढ़ कर अत्यन्त हर्ष हुआ कि रमेश और सुरेश दोनों ने ही अच्छे अंको से आठवी कक्षा पास कर ली है। दोनों ही भाई मुझे होनहार प्रतीत होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को अपने ही पास रख कर योग्य बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रमेश को डाक्टर और सुरेश को इंजिनियर बनाऊँ। आप इन्हें यहाँ भेज दीजिए, मैं इनकी भावी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दूँगा। आपके यहाँ यद्यपि हायर सेकेन्ड्री स्कूल है, तथापि वहाँ का वातावरण और व्यवस्था ठीक नहीं, इसके अतिरिक्त अध्यापकों का अभाव तो प्रायः वहाँ बना ही रहता है। ऐसी स्थिति में इन्हें वहाँ पर ही रख कर शिक्षा दिलाना मैं उचित नहीं समझता। फिर जैसी आपकी इच्छा।

पूज्य माताजी को चरण-स्पर्श कर्हें तथा मुन्नी और चुन्नु को प्यार करें। कृपा-पत्र शीघ्र देने की कृपा करें।

आपका प्रिय पुत्र,
महेश

(२) पिता की ओर से पुत्र को

साहित्य-सदन,

न्यू कॉलोनी, बनारस।

दि० २०-९-६२ ई०

प्रिय रमेश,

चिरंजीव रहो ।

इन दिनों तुम्हारा कोई कुशल-पत्र नहीं आया, इसलिए हम सबको बड़ी चिन्ता हो रही है । अतः पत्र पढ़ने के साथ ही अपनी कुशलता के समाचार भेजना, भूल न करना, जिससे हम सब लोगों की चिन्ता दूर हो ।

यहाँ हम सब सानन्द हैं तथा आशा करते हैं कि तुम भी वहाँ सकुशल अध्ययन कर रहे होंगे । तुम्हारी परीक्षा समीप है । यही समय अध्ययन करने का है । अतः अपना अधिक समय पढ़ने में लगाना जिससे अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो सको । तुम सदा से परिश्रमी रहे हो और परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता पाते रहे हो, किन्तु इस परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने पर ही तुम्हारा भावी जीवन अच्छा बन सकता है, क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का है, इसमें वही व्यक्ति सफल होता है जो सब प्रकार से योग्य हो ।

प्रिय पुत्र, अध्ययन के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखना नियमित रूप से भोजनोपरान्त सायंकाल के समय टहलना जारी रखना । दूध, वादाम आदि पौष्टिक पदार्थों एवं फलों का सेवन करते रहना । रुपये पैसे की चिन्ता मत करना । मैंने आज ही सौ रुपये मनिआर्डर द्वारा तुम्हारे पास भेजे हैं । यदि अधिक की आवश्यकता हो तो और मंगवा लेना, मैं शीघ्र ही भेज दूंगा ।

परीक्षा समाप्त होते ही घर चले आना । मैंने एक महिने की छुट्टी ले ली है । ग्रीष्मावकाश में अब की बार आवू पहाड़ पर चलने का इरादा है । सब के सब चलेंगे, ध्यान रहे । लौटती डाक से पत्र लिखना न भूलना ।

तुम्हारा पिता,

मुरली मनोहर

(३) बहिन की ओर से छोटे भाई को

श्री हरिः

लक्ष्मी-निवास

उदयपुर

दिनांक २१-६-६२ ई०

प्रिय विमल,

आशीर्वाद ।

बहुत समय से तुम्हारा पत्र नहीं आया, इस कारण मुझे बड़ी चिन्ता है । पत्र पढ़ते ही उत्तर देना जिससे चिन्ता दूर हो । मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम पत्र लिखने में बड़े आलसी हो । प्रिय भाई, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि विदेश में गये हुए व्यक्तियों का मिलन तो पत्र द्वारा ही होता है । यहाँ तुम्हारा पत्र विलम्ब से आने पर सब घरवालों को बड़ी चिन्ता हो जाती है और विशेषतः माताजी को । माताजी एक तो रुग्ण रहती है, दूसरे तुम्हारा पत्र विलम्ब से आता है तो वे और भी व्याकुल हो जाती है । तुम बुद्धिमान होते हुए भी पत्र समय पर क्यों नहीं भेजते हो ? माताजी बार बार मुझ से तुम्हारे पत्र के विषय में पूछती रहती है ।

मैं अभी यहाँ एक मास और रहूंगी । मुझे भी तुम से मिले हुए बहुत समय हो गया है । यदि अवकाश मिल सके तो कुछ दिनों के लिए आजाना, मिलना हो जायगा । साथ में बच्चों को भी लेते आना । मुझे छोटा मुन्ना याद आता है । यदि हो सके तो पचास रुपये तक का एक बढिया सा शाल लेते आना, रुपया मैं यहाँ दे दूँगी । पत्र देने में विलम्ब मत करना ।

तुम्हारी बहिन,
सरला 'विदुषी'

२. प्रार्थना-पत्र

(१) छुटी के लिए प्रधानाध्यापक की

श्रीमान् हैड मास्टर साहब,
जयसिंह हायर सेकेण्ड्री स्कूल,
खेतड़ी

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता का शुभ विवाह दि० १८ मार्च सन् १९६२ ई० को होना निश्चित हुआ है । अतः मेरा घर जाना अनिवार्य

हो गया है। इस लिए सादर प्रार्थना है कि दिनांक १५ मार्च से २१ मार्च तक ए सप्ताह का मुझे अवकाश प्रदान करें इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा

दिनांक १५ मार्च, १९६२ ई०

आपका आज्ञाकारी शिष्य,

प्रभुदयाल गुप्ता

कक्षा ग्यारह

(२) सभापति, जिला कांग्रेस की ओर से जिलाधीश को

श्रीमान् जिलाधीश,

पाली (राजस्थान)

महोदय,

यह निवेदन करते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि आजकल पाली जिले में अन्न-वितरण व्यवस्था बड़ी खराब है। राशन की दुकानों पर ठीक समय पर अन्न का आयात नहीं होता और जो अन्न विलम्ब से आता भी है, उसमें कूड़ा-कचरा और मिट्टी अत्यधिक मात्रा में मिले हुए रहते हैं। जब दुकानदारों से साफ करके देने को कहा जाता है तो वे अनसुनी करते हैं, बिचारी भूखों मरती हुई जनता को जैसा जो कुछ मिलता है, खरीदना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राशन के दुकानदार भी पक्षपात से बनाये जाते हैं।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जिले की अन्न-वितरण-व्यवस्था शीघ्र सुधरनी चाहिए जिससे जनता के कष्ट का निवारण हो। राशन की दुकानें सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। अन्न का आयात ठीक समय पर हो और यदि उसमें कूड़ा वा मिट्टी हो तो वह साफ किया जा कर बेना जाय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान् जनता को प्रार्थना पर अवश्यमेव ध्यान देकर तथा तत्संबंधी आवश्यक जांच-पड़ताल करके जनता को इस सामयिक कष्ट से मुक्त करेंगे। इस कृपा के लिए जनता आपकी आभारी रहेगी।

आपका हितैषी

दिनांक १७-६-१९६२ ई०

नटवर बिहारीलाल माथुर,

एम. ए., एल एल बी.,

सभापति, जिला कांग्रेस,

पाली (राजस्थान)

(३) शुल्क माफ कराने के लिये अध्यक्ष महोदय को

अध्यक्ष महोदय,
जैन सुबोध कालेज,
जयपुर ।

मान्यवर,

सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं आपके कालेज में गत दो वर्ष से पढ़ रहा हूँ । इस वर्ष दशम कक्षा पास करके मैं पी० यू० सी० कक्षा में आया हूँ । अब तक मैं बराबर फीस देता रहा हूँ । परन्तु इस वर्ष एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण मैं फीस देने में असमर्थ हूँ । मेरे पिता, जो एक थड़ी-होल्डर थे, अचानक हृदय की गति रुक जाने के कारण एक महिने पूर्व स्वर्ग सिधार गए । परिवार के छः व्यक्तियों के भरण-पोषण का सब भार उन्हीं के कंधों पर था । मैं ही उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ । अब घर का खर्च चलाना ही कठिन हो गया है । मैंने पन्द्रह रुपया महीने की एक ट्यूशन लगा ली है जिससे मैं अपना निजी खर्च चला सकूँ । इस वर्ष विश्वविद्यालय की परीक्षा देनी है, इसलिए मैं और अधिक समय अध्ययन के सिवाय अन्य किसी कार्य के लिए देना नहीं चाहता । ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कालेज की मासिक एवं अन्य फीस से मुझे मुक्त कर दें ।

आशा है आप मेरी दीन दशा पर अवश्य ध्यान देंगे और मुझे फीस से मुक्त कर मेरे जीवन को बनाने के भागी बनेंगे ।

दि० ७ जुलाई, १९६२ ई०

आपका आज्ञाकारी शिष्य,

चूहामल

प्री-यूनीवर्सिटी कक्षा (बी)

(४) नौकरी प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र

श्रीयुत् सेक्रेटरी महोदय,
पब्लिक सर्विस कमीशन,
अजमेर ।

मान्यवर,

‘राजस्थान राज-पत्र दि० ११-९-६२ ई० में प्रकाशित एक विज्ञापन देख कर मुझे ज्ञात हुआ है कि राजकीय हाई स्कूलों एवं मिडिल स्कूलों में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए कुछ ग्रेज्युएट अध्यापकों की आवश्यकता है। अतः उक्त स्थानों में से एक के लिए मैं भी अपना निवेदन-पत्र भेजता हूँ।

मेरी योग्यता का विवरण निम्न प्रकार है—

मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से गत वर्ष बी० ए० की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में महाराजा कालेज से पास की है। मेरे विषय—अंग्रेजी साहित्य, अर्थ-शास्त्र और इतिहास थे। मैंने सन् १९६१ में साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से ‘साहित्य-रत्न’ की परीक्षा भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है।

अपने कालेज जीवन में मैं एक अच्छा खिलाड़ी और वक्ता रहा हूँ। मैंने पाठनेतर सभी प्रवृत्तियों में भाग लिया है। वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में मैंने कई बार कालेज का प्रतिनिधित्व किया है।

मैं गत वर्ष जैन श्वेताम्बर तेरापंधी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य कर चुका हूँ। मैं २२ वर्ष का एक स्वस्थ नवयुवक हूँ मुझे अध्यापक-कार्य से विशेष रुचि है।

इस प्रार्थना-पत्र के साथ मैं अपने प्रमाण-पत्रों एवं प्रशंसा-पत्रों की प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ, आशा है वे मेरे उपर्युक्त कथनों को प्रमाणित करेंगे।

आशा है श्रीमान् सहानुभूतिपूर्वक मेरे निवेदन-पत्र पर विचार करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्य एवं आचरण से अपने अधिकारी वर्ग को संतुष्ट रखूँगा।

भवदीय

शान्ति स्वरूप शर्मा, बी० ए०

द्वारा श्री श्रीनिवास शर्मा

लाल भवन, चौड़ा रास्ता,

जयपुर।

दि० २० जून, १९६२ ई०

३. अर्थ-सरकारी पत्र

(१) पोस्ट मास्टर जनरल को शिकायत-पत्र

पोस्ट मास्टर जनरल महोदय,
अजमेर ।

मान्यवर,

यह लिखते हुए हमें अत्यन्त खेद हो रहा है कि स्थानीय ब्रांच पोस्ट मास्टर साहब का व्यवहार जनता के साथ बहुत ही बुरा है। वे अपनी इच्छानुसार काम करते हैं। डाकखाना न निश्चित समय पर खुलता है और न बन्द होता है। डाक-वितरण की व्यवस्था भी असंतोषप्रद है। मनि-आर्डर के रूप लोगों को एक-एक महीने बाद मिलते हैं। लोगों के साथ पोस्ट-मास्टर साहब का बर्ताव भी ठीक नहीं है। कभी-कभी तो सज्जनों के साथ भी वे अभद्र व्यवहार कर बैठते हैं। ग्राम के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पोस्ट-मास्टर साहब को निजी रूप से समझाने का भी प्रयत्न किया, परन्तु सब प्रयत्न व्यर्थ रहे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी उक्त शिकायतों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय

दि० जून २०, सन् १९६२ ई०

१. सेठ रतनलाल सोढ़ाणी
२. अमृतलाल वकील
३. रामस्वरूप वी. ए.
चिलवाड़ा (अजमेर)

(२) पंचायत बोर्ड के सरपंच को

सरपंच महोदय,
ग्राम-पंचायत बोर्ड,
सादड़ी (जोधपुर)

श्रीमान्,

सादर निवेदन है कि सादड़ी ग्राम की गलियां बड़ी अस्वच्छ रहती हैं

रात्रि के समय इनमें पूर्ण अन्धकार रहता है। गलियों में कुत्ते भी बहुत फिरा-करते हैं। कभी-कभी तो कुत्तों के कारण आने-जाने वालों की बड़ी परेशानी हो जाती है। वर्ष में दो-चार बार पागल कुत्ते के काटने की घटनाएं भी घटती रहती हैं।

अतः आपसे सांख्यिक प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र पंचायत बोर्ड के तत्वावधान में गलियों में रात्रि के समय प्रकाश का प्रबन्ध करें, कुत्तों को पकड़वा कर अन्यत्र छोड़वाने की व्यवस्था करें, गलियों में सड़कें और नलियां बन्दवा कर पूर्ण सफाई का प्रबन्ध करें। ग्राम की सब प्रकार से उन्नति करने का दायित्व आप पर ही है। आप जिस प्रकार का सहयोग हमसे लेना चाहें हम देने को तत्पर हैं। आशा है आप हमारे निवेदन पर शीघ्र ध्यान देकर ग्राम के इस सार्वजनिक कष्ट का निवारण करेंगे।

भवदीय

मुरारीलाल शर्मा,

मंत्री, नवयुवक मंडल

सादड़ी (भारवाड़)

दि० १८ जून, १९६२ ई०

४. व्यावसायिक पत्र

ग्राम-सेवा-उद्योग-मन्दिर को

१६ गांधी उद्यान,

अहमदाबाद।

दि० जून २३, सन् १९६२ ई०

श्रीयुक्त व्यवस्थापक,

राजस्वामि ग्राम-सेवा-उद्योग-मन्दिर,

अजमेर।

प्रिय महोदय,

इस वर्ष से इस विद्यालय में कृषि की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। आपका सूची-पत्र देखने से ज्ञात होता है कि आपके उद्योग-मन्दिर से कृषि-सम्बन्धी सामग्री हमें उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकती है। हमें आशा है कि आप

जो सामान भेजेंगे, वह हमें ठीक दशा में यहां प्राप्त होगा। कृपया निम्नलिखित कृषि-सम्बन्धी उपकरण रेलवे द्वारा शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

१. हल साधारण	२ नग
२. हल मरेटन	२ नग
३. फावड़े (बड़े)	१० नग
४. कुदाली	१२ नग
५. खुरपियां (बड़ी)	१५ नग
६. खुरपियां (छोटी)	२० नग

भवदीय,

कृष्णवीर सिंह गौड़

प्रधानाध्यापक

राजकीय कृषि विद्यालय

अहमदाबाद।

(२) निमन्त्रण-पत्र (उत्सव में सम्मिलित होने के लिये)

ॐ

श्रीयुत पं० लक्ष्मीधर शर्मा,

आपको यह जानकर परम हर्ष होगा कि सदा की भांति इस वर्ष भी हम कला-संस्थान का वार्षिकोत्सव दि० १७ जुलाई रविवार, सन् १९६२ ई० को मना रहे हैं। अतएव आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ उत्सव में सम्मिलित होकर हम लोगों को प्रोत्साहन देने की कृपा करें।

भवदीय

कलाधर पांडे

अध्यक्ष कला-संस्थान

जयपुर।

स्थान—जैन सुबोध कालेज, जयपुर।

समय—सायंकाल ५-३० से ११-० बजे तक।

पुनश्च—

कला संस्थान के कलाकारों के अतिरिक्त नगर के अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ कलाकार भी इस उत्सव में सक्रिय भाग लेंगे।

(६) सूचना-पत्र

आर्य-समाज, जयपुर

संख्या १२३

जयपुर,

दि० १८-६-६२ ई०

प्रिय महाशय,

यह सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि आज प्रातः काल ८ बजे आपके नगर में आर्य-समाज के प्रकाण्ड विद्वान स्वामी विरजानन्दजी पधारे हैं। वे यहां केवल दो दिन ठहरेंगे। आज और कल दोनों ही दिन सायंकाल छः बजे आर्य-समाज भवन के सामने किशनपोल बाजार में 'धर्म और समाज' विषय पर उनका व्याख्यान होगा। आपको अपनी शंकाओं के समाधान के लिए भी सग्रह दिया जायेगा। कृपया पधारने का कष्ट कर अनुगृहीत करें।

भवदीय

कार्ड के ऊपर पता

श्रीमान् पं० खंडहर शर्मा, ए० ए०,
ज्ञान-मंदिर, जयपुर।

कृष्ण-वल्लभ आर्य
मन्त्री-आर्य-समाज,
जयपुर।

(७) प्रशंसा पत्र

कामर्स कालेज,

शाहपुरा (राजस्थान)।

दि० १२-६-६२ ई०

मुझे यह प्रमाधित करते हुए बड़ा हर्ष है कि श्री राममाध शर्मा के सुपुत्र श्री प्रेमनाथ ने इस कालेज में गत वर्ष अध्ययन किया है। यह अपनी कक्षा में सदैव उच्चतम विद्यार्थियों में से रहा है। अध्ययन में तत्पर रहने के अतिरिक्त इसने गत वर्ष 'हिन्दी-साहित्य-समाज' के मन्त्री-पद पर भी कार्य किया है। वाद-विवाद-प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता और कालेज मैगेजिन के प्रकाशन का कार्य इसने बड़ी योग्यता के साथ सम्पादन किया है। शिक्षा सम्बन्धी बातों के

अतिरिक्त खेल-कूद में भी इसने बराबर भाग लिया है, और कितने ही पारितो-
तोषिक प्राप्त किये हैं ।

ऐसे सदाचारी, कार्य-निपुण और होनहार युवक को मैं किसी उत्तर-
दायित्वपूर्ण पद पर देखकर प्रसन्न हूंगा ।

बनारसी प्रसाद त्रिवेदी

अध्यक्ष,

कामर्स कालेंज,

शाहपुरा ।

(८) मान-पत्र (अभिनन्दन-पत्र)

सेवा में,

श्रीमान् नित्यानन्द देव, एम० ए०, बी० टी०

अध्यक्ष-शिक्षा विभाग, राजस्थान ।

मान्यवर,

आज हम दौसा-वासी अत्यन्त हर्ष और आदर के साथ आपका स्वागत
करते हैं । आपके शिक्षा विभाग में पदार्पण करने के उपरान्त शिक्षा की जो
चतुर्मुखी उन्नति हुई है, उसका श्रेय केवल आपको है । आपने अनेक कठिनाइयों
के होते हुए भी शिक्षा को सबके लिए सुलभ बना दिया है । कोई ग्राम, चाहे वह
कितना ही छोटा क्यों न हो, ऐसा न होगा जहां राजकीय शिक्षालय न हो ।

शिक्षा-प्रेमी,

शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा नई शिक्षा-पद्धतियां प्रचलित कर
आपके जो शिक्षा-क्षेत्र में परिवर्तन किया है, वह सराहनीय ही नहीं, शिक्षा के
स्तर को भी ऊँचा उठाने वाला है । शिक्षा-प्रणाली में सुधार, शिक्षकों में नवीन
स्फूर्ति और शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों में कार्य-तत्परता ला देने का श्रेय
आपको ही है ।

उदार-चेता,

आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अध्यापक-वृन्द का कभी बुरा
नहीं किया । उनकी ओर से गलतियां होने पर भी आपने कभी उन पर क्रोध
प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप मानव-कमजोरियों से भली प्रकार परीचित हैं ।

आपने सदा ही उन लोगों के साथ कृपा-पूर्वक उदारता का ही भाव रखा। यही कारण है कि आज शिक्षा-विभाग का प्रत्येक कर्मचारी आपका गुण गाता है।

सन्त्वरित्र,

आप प्रकांड विद्वान् होते हुए भी निरभिमानी, सत्ताधारी होते हुए भी वैयर्थवान, तथा सज्जन, विनम्र और दयालु हैं। वयोवृद्ध होते हुए भी आप शिक्षा के प्रसार में सदा लगे रहते हैं। यह आप की कर्मठता नहीं तो और क्या ?

आदरणीय,

हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें।

हम हैं,

आपके विनीत

शुभाकांक्षी,

दौसा वासी

दौसा,

१२ जूलाई, १९६२ ई०

(९) शोक-प्रस्ताव

शोक !

शोक !!

महा शोक !!!

राजकीय विद्यालय लाडलू के अध्यापक तथा छात्रों की यह सभा श्री निर्मल कुमार जी कौशिक, एम् ए., बी. टी., प्रधानाध्यापक, की पूज्य मातेश्वरी के स्वर्ग-वास होने पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। एवं परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को चिर-शान्ति एवं कुटुम्बियों को को वियोग-जन्य कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करें।

विद्यालय-भवन

हम हैं,

दि० १२-९-६२ ई०

आपके विद्यालय के अध्यापक तथा छात्र

(१०) आवश्यकता

आवश्यकता है एक ऐसे अनुभवी शिक्षक की जो हाई स्कूल परीक्षा में इसी वर्ष सम्मिलित होने वाले दो छात्रों को हिन्दी तथा गणित का सन्तोषप्रद अध्ययन करा सके। अध्यापक बी० ए० या एम्० ए० होना चाहिए। शुल्क योग्य-तानुसार। जो सज्जन यह कार्य करना चाहें, वे निम्न पते पर स्वयं किसी भी दिन प्रातः ९ से ११ बजे तक मिलने का कष्ट करें।

सेठ माणकचन्द मिनारिया,
४२, बी स्ट्रीट,
हरिसन रोड, कलकत्ता ।

(११) विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दि० २० जनवरी सन् १९६२ ई० को सायं काल ४ बजे माणक चौक में विद्यालय का पुराना सामान नीलाम किया जायगा । अतः जिन महानुभावों को कोई सामान (जैसे दरी, टेबिल, कुर्सी, पुरानी टाइप की मशीन, खेल का पुराना सामान आदि-आदि) खरीदना हो, वे नियत समय पर पधारने का कष्ट करें ।

सुनश्च—

सामान पुराना होते हुए भी बड़ा उपयोगी और टिकाऊ है ।

भवानी शंकर, एम० ए०

प्रधानाध्यापक,

मारवाड़ी विद्यालय,

कलकत्ता

(१२) निबन्धात्मक पत्र

नोट—

निबन्धात्मक पत्रों में आरंभ और अन्त तो पत्र जैसा होता है, केवल पत्र के मध्य भाग में घरेलू विवरण के स्थान में निबन्ध (बिना रूप रेखा के) लिख दिया जाता है । इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि वातावरण तो सर्वथा पत्र के अनुरूप और घरेलू हो, किन्तु पृष्ठ विषय का विवेचन भी अच्छी तरह हो जाना चाहिए । उदाहरण-स्वरूप एक-दो नमूने यहाँ दिये जाते हैं ।

१—वम्बई-निवासी शिवचरण लाल (पिता) की ओर से उनके पुत्र के नाम एक पत्र लिखिए, जिसमें व्यायाम के महत्व का विस्तृत वर्णन हो:—

कालवादेवी रोड,

वम्बई

प्रिय पुत्र,

चिरायु हो ।

कल तुम्हारा पत्र मिला और आज तुम्हारे मित्र हरीश का । दोनों पत्रों के पढ़ने से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य गिर रहा है और उसका प्रमुख कारण है तुम्हारा अत्यधिक अध्ययन-शील होना । अध्ययन करना और उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण होना बुरा नहीं है, किन्तु स्वास्थ्य खोकर तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए । क्या तुमने अपनी पढ़ी हुई कहावत *Healthy mind in a healthy body* भुला दी ? यह मैं मानता हूँ कि अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम खाना, पीना, निद्रा लेना और व्यायाम करना बन्द कर दो । तुम्हारा सब आहार-विहार नियमित होना चाहिए । प्रत्येक कार्य में नियमितता आवश्यक और अपेक्षित है । सुन्दर स्वास्थ्य बनाये रखने के कितने ही सिद्धान्त और नियम हैं, मैं उन्हें यहाँ लिखना पसन्द नहीं करूँगा । मैं तुम्हें यहाँ केवल व्यायाम के विषय में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ ।

व्यायाम शब्द का अर्थ है वह कार्य जिसमें विशेष श्रम करना पड़े । शरीर व बुद्धि से नियमित रूप से परिश्रम करना व्यायाम कहलाता है । व्यायाम का ही दूसरा नाम कसरत है । शरीर से जो नियमानुसार श्रम किया जाता है, वह शारीरिक व्यायाम कहलाता है और मन व बुद्धि के द्वारा जो नियमानुसार श्रम किया जाता है, वह मानसिक व बौद्धिक व्यायाम कहलाता है । जिस व्यायाम का प्रभाव शरीर के समस्त अंगों पर व मन की सम्पूर्ण वृत्तियों पर समान रूप से पड़े, वह साधारण व्यायाम कहलाता है और जिसका प्रभाव केवल अंग विशेष व वृत्ति विशेष पर ही पड़े, वह विशेष व्यायाम कहलाता है ।

शारीरिक व्यायाम करने के कई तरीके हैं—नियमित रूप से सांय-प्रातः दो-चार मील टहलना, घुड़-सवारी, तैरना, फुटबाल, वालीबाल आदि खेल खेलना, कुश्ती लड़ना, मुग्दर घुमाना, दण्ड-वैठक आदि लगाना । मानसिक व्यायाम में चिंतन, मनन, अध्ययन, प्राणायाम आदि हैं । विद्यार्थियों का मानसिक व्यायाम ती पर्याप्त मात्रा में होता रहता है, किन्तु शारीरिक व्यायाम

दिन प्रातः ६ से ११ बजे तक मिलने का कष्ट करें ।

की ओर वे उपेक्षा कर जाते हैं। मानसिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम की भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानसिक और शारीरिक शक्तियों में संतुलन रहना चाहिए। शरीर के दुर्बल रहने पर मानसिक शक्ति का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अतः छात्रावस्था में शारीरिक व्यायाम अत्यावश्यक है।

व्यायाम करते रहने से अनेक लाभ हैं। व्यायाम से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। व्यायाम करने से शरीर सुडील बनता है और अंग पुष्ट होते हैं, शरीर में स्फूर्ति आती है, आरोग्यता बढ़ती है, मांस-पेशियाँ मजबूत होती हैं, फेफड़े ठीक काम करते हैं, शरीर से दूषित वस्तुएँ पसीना, चिकनाहट आदि बाहर निकल जाते हैं। व्यायाम करने से पाचन शक्ति शीघ्र होती है, भूख खूब लगती है, जो कुछ खाया जाता है, सब हजम हो जाता है। निद्रा अच्छी आती है। चित्त शान्त और प्रफुल्ल रहता है। मस्तिष्क ठीक-ठीक काम करता है। चित्त डॉंवाडोल नहीं होता, उसमें एकाग्रता आती है। आलस्य और शैथिल्य दूर भाग जाते हैं, आगा और उत्साह का संचार होता है। इस प्रकार व्यायाम से शरीर और मन दोनों को अनेक लाभ हैं।

व्यायाम करने का भी एक ढंग होता है। आरम्भ में व्यायाम थोड़ा २ करना चाहिए, तदन्तर उसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि एक दम अधिक श्रम किया जायगा तो थकान आ जायगी और हतोत्साह कर देगी। इसलिए व्यायाम को क्रमशः बढ़ाना चाहिए। व्यायाम उतना ही किया जाना चाहिए। जितना आवश्यक है, जितना शरीर सहन कर सकता है। यदि आवश्यकता से अधिक व्यायाम किया जायगा तो हानि होने की संभावना है, क्योंकि अति सब की बुरी है। व्यायाम में नियमितता होनी चाहिए। यदि व्यायाम नियमित रूप से न किया जायगा तो लाभप्रद न होगा। दो-चार दिन व्यायाम किया, फिर दो-चार दिन नहीं किया—इस तरह व्यायाम नहीं किया जाता। व्यायाम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही किया जाना चाहिए। व्यायाम करने के अनन्तर थोड़ा विश्राम करना चाहिए। व्यायाम करते ही स्नान करना वर्जित है। व्यायाम करने के घन्टे-आधे घण्टे पश्चात् स्नान करना चाहिए और तब दूध, नाश्ता आदि लेना चाहिए।

प्रिय पुत्र, तुम स्वयं समझदार हो, अधिक क्या लिखूं। व्यायाम के नित्य-नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। व्यायाम मनुष्य को सदा स्वच्छ और निरोग रखता है। व्यायाम करने वाले के मुख-मंडल पर एक दिव्य ज्योति भलकती रहती है, वह सदा प्रसन्न-मुद्रा में रहता है।

यहाँ हम सब कुशल-पूर्वक हैं। तुम्हारी माताजी ने तुमको आशीर्वाद तथा चुन्नु-मुन्नु ने तुमको प्रणाम लिखवाया है। लल्ली तुम्हें बहुत याद करती है। किसी बात की चिन्ता मत करो। पैसे वीत गये हों तो और मंगवालो। अध्ययन खूब करो, मैं मना नहीं करता, किन्तु अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखो।

तुम्हारा शुभेच्छुः

शिवचरण लाल

अभ्यास

१. अपने पिता को एक पत्र लिखिए, जिसमें उनसे स्कूल की फीस तथा पुस्तकों के लिए रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो।
२. एक पत्र अपने विपत्ति-ग्रस्त मित्र को लिखिए, जिसमें उससे सहानुभूति प्रकट करते हुए सहायता भेजने की प्रतिज्ञा की गई हो।
३. अपने बड़े भाई को पत्र द्वारा सूचना दीजिए, कि तुम हाई स्कूल में पास हो गये हो और अब कालेज में प्रवेश चाहते हो। विषयों के चुनाव में भी उनसे सम्मति मांगिए।
४. नियम-बद्ध व्यायाम करने के लाभ अपने एक अस्वस्थ मित्र को पत्र द्वारा लिखिए।
५. अपनी बड़ी बहिन को बुलाने के लिए उसके सुसर को एक पत्र लिखिए।
६. अपने छोटे भाई को, जो पढ़ने में मन न लगा कर अपना अमूल्य समय खेल-कूद में व्यतीत करता हो, एक पत्र लिखिए जिसमें विद्याध्यन के लाभ वर्णन किये गये हों।
७. किसी पुलिस अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें चोर-डकैतों से गांव की रक्षा के लिए निवेदन किया गया हो।
८. स्वयं निर्धन और असहाय होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अपने

विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफ करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र लिखिए ।

९. किसी फर्म के व्यवस्थापक को एक पत्र लिखिए जिसमें माल के नमूने और मूल्य-सूची मँगाने के लिए कहा गया हो ।

१०. अपने कालेज के अध्यक्ष महोदय को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए जिसमें अपना सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) मँगवाने के लिए निवेदन किया गया हो ।

११. किसी स्थानीय कालेज के अध्यक्ष को एक आवेदन-पत्र लिखिए जिसमें प्रथम वर्ष कला में भरती होने की प्रार्थना की गई हो ।

१२. अपने ग्राम के पञ्चायत-बोर्ड के सरपंच को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए जिसमें अपने ग्राम में एक सार्वजनिक वाचनालय खोलने के लिए उपयुक्त सुझाव हों ।

१३. कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए जिसमें जिलाधीश की कठिनाइयों का विवरण हो ।

१४. किसी पत्र के सम्पादक को एक पत्र लिखिए जिसमें अश्लील विज्ञापनों को रूकवाने के लिए कहा गया हो ।

१५. किसी बड़े व्यापारी को पत्र लिख कर उससे ग्राम की सहयोग-समिति के लिए ग्रामोपयोगी वस्तुएँ मँगवाइए ।

१६. आपके नगर में किसी महान् नेता के आगमन पर उनके कार्यक्रम की सूचना जनता को दीजिए ।

१७. अपने मित्र को, उसके पिता के स्वर्गवास हो जाने पर, एक समवेदना-पत्र लिखिए ।

१८. देश के किसी महान् पुरुष की निधन-तिथि के लिए श्रद्धांजलि लिखिए ।

१९. अपने चाचा को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी भावी योजना के लिए उनसे परामर्श लिया गया हो ।

२०. अपने मित्र को पुत्र होने के उपलक्ष्य में पत्र द्वारा बधाई-संदेश भेजिए ।

२१. अपने किसी अध्यापक को उसके स्कूल छोड़ने के अवसर पर मान-पत्र लिख कर भेंट करिए ।

२२. किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए किसी परिचित व्यक्ति को आम-...

२३. 'नव भारत टाइम्स' के सम्पादक को एक पत्र लिखिये जिसमें उससे अपने विज्ञापन को छापने की प्रार्थना की गई हो। 'विज्ञापन' साथ में दीजिये।
२४. अपने मनि-आर्डर की रसीद न मिलने पर स्थानीय पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए।
२५. ठीक समय पर 'पत्र' न मिलने के कारण 'पत्र-हाट' के व्यवस्थापक के पास एक शिकायत-पत्र लिखकर भेजिए।
२६. अपने मित्र को नौकरी दिलवाने के लिए अपने एक उच्चपदाधिकारी सम्बन्धी को सिफारिशी-पत्र लिखिए।
२७. अपने प्रिय शिष्य को एक पत्र लिखिए जिसमें अधिक सिनेमा देखने का सकारण उल्लेख किया गया हो।
२८. लगान माफी के लिए ग्राम वालों की ओर से कलक्टर को एक प्रार्थना-पत्र लिखिए जिसमें लगान माफ करने के लिए ठोस कारण भी प्रस्तुत किये गये हो।
२९. अपनी माता को एक पत्र लिखिए जिसमें किसी आनन्द-यात्रा का वर्णन हो।
३०. अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आने वाली छुट्टियों में साथ-साथ रहने और घूमने का उल्लेख किया गया हो।
३१. आगरा के रमेश गर्ग की ओर से महाराजा कालेज जयपुर के प्रधानाचार्य के नाम उसी विद्यालय में टी० डी० सी० प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के निमित्त एक प्रार्थना-पत्र लिखिए।
३२. भालावाड़-निवासी कमलेश्वर भारद्वाज की ओर से उनकी पुत्री के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें 'विद्यार्थी और राजनिति' विषय का विस्तृत विवेचन हो।
३३. जयपुर के सुरेश माथुर की ओर से प्रयाग-निवासी उनके पिता के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय की विशेषताओं का विस्तृत उल्लेख हो।

आठवां अध्याय

निबन्ध-रचना

निबन्ध और उसके भेद

निबन्ध शब्द की परिभाषा देना बड़ा कठिन है। विभिन्न आलोचकों और विद्वानों ने निबन्ध की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। निबन्ध गद्य की कसौटी है। 'निबन्ध' शब्द संस्कृत का है जिसका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है विशेष प्रकार से बंधा हुआ। निबन्ध वह संक्षिप्त और सीमित गद्य-रचना है जिसमें हृदयस्थ भावों एवं विचारों का वर्णन ही। निबन्ध की सफलता की कसौटी है पाठक के साथ उसका मधुर आत्मीय सम्बन्ध। निबन्ध ही निबन्धकार की आत्माभिव्यक्ति को खुलकर प्रकट होने का पूर्ण अवसर मिलता है। इसलिए निबन्ध में वैयक्तिक प्रवाह होता है। उसमें न व्यवस्था है और न पूर्णता, न तर्क-पद्धति है और न औपचारिकता। निबन्ध में निबन्धकार अपने को लक्ष्य करके जीवन की व्याख्या करता है। वह अपनी सुनाता है, पाठक उसे अपनी समझता है, यही सहज आत्मीयता का भाव निबन्ध की सफलता है। निबन्धकार जीवन को इतिहासकार की तरह नहीं देखता, दार्शनिक की तरह उसे नहीं जाँचता, कवि की तरह कल्पनालोक में उसे नहीं ढूँढता। वह ही इन सब को मिलाकर जीवन को अर्थात् अपने को खोलकर सामने रख देता है। परन्तु वह बात स्मरण रखनी चाहिये कि उत्तम निबन्ध वही समझा जाता है जिसमें विचारों की प्रधानता हो, कल्पना और भावों को निबन्ध में गौण स्थान मिलना चाहिए।

निबन्ध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। चींटी से लेकर हाथी तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक—मूर्त-अमूर्त सभी विषयों पर एवं मनोवैगों पर निबन्ध लिखा जा सकता है। रचना गद्य-विधान, लेख, संदर्भ, प्रबन्ध आदि रूप और आकृति में निबन्ध जैसे ही लगते हैं, किन्तु इन्हें निबन्ध नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये निबन्ध का पूरा-पूरा भाव प्रकट नहीं करते हैं।

निबन्ध लिखना भी एक कला है। केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति निबन्ध लिखने में सफल होते हैं। अच्छा निबन्ध वही लिख सकता है जिस प्रतिभा के साथ साथ सूक्ष्म निरीक्षण और गम्भीर अध्ययन करने का उत्तम गुण भी हो। इसमें अनुभव और अभ्यास की भी महती आवश्यकता है। निबन्ध लिखते समय मुख्यतय उसको तीन भागों में बाँटा जाता है—प्रस्तावना (विषय प्रवेश) विवेचना (विस्तार) और उपसंहार। निबन्ध को विचार, कल्पना और मनोवैशेषों से सुसज्जित करने के लिए लेखक को भाषा, शब्द-योजना और शैली पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए तभी वह अपने निबन्ध में प्रभावोत्पादकता प्रदर्शित कर सकता है।

निबन्ध कितने प्रकार के हैं—यह कहना कुछ कठिन सा है। निबन्धों प्राप्त होने वाली विशेषताओं के आधार पर उनको विषय, वस्तु और शैली के आधार पर कितनी ही श्रेणियाँ की जा सकती हैं। साहित्य के मूल आधार भाव और विचार हैं, अतः निबन्धों के भी मूलतः दो ही भेद किये जाने चाहिए भावात्मक और विचारात्मक। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने निबन्ध के पाँच प्रकार स्वीकार किये हैं—(१) विचारात्मक वा विवेचनात्मक (२) भावात्मक (३) व्याख्यात्मक वा आत्मव्यंजक (४) वर्णनात्मक और (५) विवरणात्मक वा कथनात्मक। कुछ विद्वानों ने केवल विषय को लक्ष्य करके निबन्ध के केवल तीन ही भेद स्वीकार किये हैं—वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। विचारात्मक निबन्ध के अन्तर्गत ही उन्होंने भावात्मक और व्याख्यानात्मक निबन्ध को भी गिना है, क्योंकि उनमें भी विवेचन की ही प्रधानता रहती है। अब निबन्धों के विभिन्न प्रकार तथा उनके स्वरूप को व्याख्या की जाती है।

(१) विचारात्मक—(विवेचनात्मक)—जिन निबन्धों में यथातथ्य विवेचन एवं विचारों का बाहुल्य होता है वे विचारात्मक कहलाते हैं। ऐसे निबन्धों की भाषा शुद्ध तथा परिमार्जित, शब्द नपे-तुले एवं वाक्य छोटे होते हैं। विचार धारा कुछ गूढ़ और गुम्फित होती है। इनमें हृदय की अपेक्षा बुद्धि का योग अधिक रहता है। इस प्रकार के निबन्धों का उद्देश्य प्रतिहास्य विषय एवं विचारों का स्पष्टीकरण होता है किसी वस्तु का गुण-दोष-विवेचन किसी कविता लेखक की आलोचना, किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन, विज्ञान

मनोविज्ञान तर्क, दर्शन-शास्त्र आदि की व्याख्या इस प्रकार के निबन्धों के मुख्य विषय हैं।

(२) भावात्मक—जिन निबन्धों में लेखक अपने वा दूसरों के हृदय के सूक्ष्म भावों का वर्णन करता है, वे भावात्मक कहलाते हैं। ऐसे निबन्धों की भाषा लाक्षणिक, सरल और सरस होती है और शैली में थोड़ा आवेग पाया जाता है इन निबन्धों का उद्देश्य अपने हृदय के सूक्ष्म एवं तरल भावों के प्रभाव को पाठकों को अनुभव कराना है। इन निबन्धों में बुद्धि की अपेक्षा हृदय से अधिक सम्बन्ध होता है। श्रेष्ठ निबन्धकार अपने भावों की अभिव्यक्ति में लक्षणावृत्ति का अधिक उपयोग करता है। इस प्रकार के लिखे गये उत्तम निबन्ध कविता का सा आनन्द देते हैं और बड़े प्रभावोत्पादक होते हैं।

(३) व्याख्यानात्मक (आत्म-व्यंजक)—व्याख्यान-दाता की भाँति तार्किक शैली पर उक्ति-वैचित्र्य के साथ विषय विशेष का चमत्कारपूर्ण वर्णन जिस निबन्ध में किया जाता है, वह व्याख्यानात्मक कहलाता है। ऐसे निबन्धों में भाव और विचार दोनों का ही मिश्रण रहता है। इन निबन्धों में भाषा कही सरल कही टेढ़ी मेढ़ी ओजगुरुप्रधान रहती है। लेखक उदाहरण, दृष्टान्त, पुनरुक्ति, सादृश्य आदि के सहारे तर्कपूर्ण उक्तियों से अपने विषय का इस प्रकार प्रतिपादन करता है कि वह पाठक को आत्मसात् हो जाता है। इस प्रकार के निबन्धों में लेखक को झूट है कि वह किसी भी विषय को चुने और किसी भी शैली को अपनाये।

(४) वर्णनात्मक—जिन निबन्धों में निबन्धकार संसार के नाना दृश्यों वस्तुओं वा व्यापारों को अपनी कल्पना में उपस्थित कर पाठक के हृदय पर उनका व्योरेवार वर्णन अंकित करना चाहता है, वे वर्णनात्मक निबन्ध कहलाते हैं। इस प्रकार के निबन्धों में प्रकृति, नगर, भवन, त्योहार मेले आदि का वर्णन होता है। जिस किसी वस्तु का अंकन किया जाय वह संक्षिप्त, सजीव और वास्तविक हो। इन निबन्धों में उन्हीं विषयों का वर्णन किया जाता है जिनका बोध लेखक को स्वयं व्यक्तिगत रूप से होता है अथवा जिनकी वह यथार्थ कल्पना कर सकता है।

(५) विवरणात्मक (कथात्मक)—जिन निबन्धों में अतीत की घटनाओं, कथाओं, युद्धों, यात्राओं जीवनियों, सम्मेलनों वृत्तान्तों आदि का वर्णन होता

है। दूसरे को भलाई करना ही परोपकार कहलाता है।

है, वे विवर्णात्मक निबन्ध कहलाते हैं। इनमें वर्ण्य विषय का क्रम-वद्ध व्यवस्थित और विस्तृत वर्णन किया जाता है। ऐसे वर्णनों में लेखक का कर्त्तव्य है कि वह अपनी कल्पना का उपयोग कर विचार-शृंखला एवं घटना-क्रम को इस तरह सजावे कि निबन्ध में आदि से अन्त तक रोचकता बनी रहे।

शैली और उसके भेद

लेखक के लिखने वा अपने भाव प्रकट करने का ढंग ही उसकी शैली है। जैसे हम अपने परिचित मित्रों वा सम्बन्धियों की चाल देख कर वा आवाज सुनकर ही उन्हें पहचान लेते हैं, उसी प्रकार अपने परिचित लेखकों के वाक्यों वा पद्यों को सुनकर वा पढ़कर तुरन्त पहचान लेते हैं कि यह वाक्य वा पद्य अमुक लेखक वा कवि का है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की चाल और आवाज पृथक्-पृथक् होती है, दूसरे व्यक्ति की चाल और आवाज से मेल नहीं खाती, उसी प्रकार प्रत्येक लेखक की शैली भी दूसरे लेखकों से पृथक् होती है—भिन्न-भिन्न लेखकों की भिन्न-भिन्न शैलियाँ। इसलिए शैली के वास्तव में न कोई प्रकार हो सकते हैं और न संख्या ही निश्चित की जा सकती है। बात यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के चलने और कहने का ढंग दूसरे से नहीं मिलता है, उसी प्रकार एक लेखक के भाव, विचार, अनुभव, कल्पना आदर्श, मान्यताएं आदि दूसरे लेखक से नहीं मिलते। जब प्रत्येक का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न है, तब प्रत्येक के लिखने का ढंग भी भिन्न-भिन्न ही होगा। यही कारण है कि एक लेखक के भावों और विचारों को प्रकट करने की प्रणाली में दूसरे लेखक से भिन्नता पाई जाती है और यही लेखक की शैली की मौलिकता है।

शैली ही वह साधन है जिसके द्वारा कोई कलाकार अपने व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण करने में सफल हो सकता है। कला की प्रेषणीयता (प्रभावित करने की शक्ति) शैली पर ही निर्भर है। कोई सुन्दर भाव वा विचार सुन्दर ढंग से कहे जाने पर श्रोता या पाठक को प्रभावित करता है।

शैली के दो अंग हैं—एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक दृष्टि से शैली का संबंध लेखक के विचारों, भावों और कल्पना से है तथा बाह्य दृष्टि से शैली का सम्बन्ध भाषा, शब्दचयन, वाक्य-विन्यास, प्रवाह व्यंग्य आदि से है। आंतरिक दृष्टि से विचार करने पर शैली में विचारों की संगति तथा क्रम होना

चाहिए। भावों में सचाई और प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए। यत्र-तत्र यत्किंचित् कल्पना का पुट भी होना चाहिए। बाह्य दृष्टि से विचार करने पर भाव और विचार से अनुकूल भाषा होनी चाहिए। शैली के कितने ही भेद हैं, जैसे सरल शैली, गुफित शैली, परिचयात्मक शैली, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक आदि।

कुछ ध्यान देने योग्य बातें

विद्यार्थियों को निबन्ध लिखते समय नीचे लिखी हुई बातों पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए:—

१—प्रत्येक निबन्ध के लिखने से पहले विषय पर पूर्णतया विचार करके उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा तैयार कर लेनी चाहिए। ऐसा कर लेने से लेख पर पूर्ण प्रभाव डालने और लिखने में बड़ी सरलता हो जाती है।

२—भाव और विचारों के साथ-साथ रचना बदलती जाय और उनका यथा-क्रम वर्णन हो।

३—भाषा सुबोध और प्रवाह-युक्त हो।

४—लेख लिखने से पहले समय का भी ध्यान कर लेना चाहिए और समय के अनुसार ही लेख की रूपरेखा को विभाजित करके लिखना चाहिए।

५—परिच्छेदों व विराम चिह्नों का उचित ध्यान रक्खा जावे और लेख अनावश्यक व निरर्थक प्रश्नों का उल्लेख न किया जावे।

६—प्रत्येक लेख के आरम्भ, विस्तार और अन्त का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

७—संयोजक, वियोजक अव्ययों का प्रयोग करने में सावधानी रक्खी जावे। लेख में 'कि' 'तो' 'चूँकि' 'और' 'यानी' का प्रयोग बराबर नहीं करना चाहिए क्योंकि बार-बार प्रयोग करने से लेख भद्दा लगता है।

८—एक बार कही हुई बात को बार-बार नहीं दुहराना चाहिए।

९—लेख समाप्त कर देने पर कम से कम उसे एक बार अवश्य पुनः लेना चाहिए और जहाँ-जहाँ त्रुटियाँ रह गई हों उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए।

आदर्श निबन्ध

(१) दिवाली (दीपावली)

- १—भूमिका
- २—कब मनाया जाता है ?
- ३—मनाने के कारण
- ४—कैसे मनाया जाता है ?
- ५—उपयोगिता
- ६—त्रुटियाँ
- ७—उपसंहार

संसार के सब देशों में किसी-न-किसी रूप में जातीय त्यौहार मनाये जाते हैं। ये त्यौहार जातीय तथा राष्ट्रिय एकता एवं संगठन के प्रमुख साधन हैं। भारत-वर्ष में भी प्राचीन काल से कई त्यौहार मनाये जाते आ रहे हैं। इन त्यौहारों में मुख्य चार माने जाते हैं—रक्षा-बन्धन, दशहरा, दिवाली और होली। प्राचीन भारत में चार वर्ण थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का एक त्यौहार से विशेष सम्बन्ध माना जाता था अथवा यों कहिए कि चार वर्णों में चार त्यौहार बंटे हुए थे। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली वैश्यों का और होली शूद्रों का त्यौहार माने जाते थे। किन्तु ऐसी बात न थी कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के त्यौहार को न मनायें। ये त्यौहार राष्ट्रिय जीवन के प्रतीक हैं, इस लिए सभी लोग आनन्द और उल्लास से इन्हें मनाते हैं। वर्ण-वाचस्था भंग होने एवं जातिबन्धन ढीले पड़ते जाने के कारण अब ये त्यौहार वर्ण-विशेष के न रहकर सब के लिए समान महत्व रखते हैं।

दिवाली शब्द संस्कृत के दीपावली (दीप+अवली) शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है दीपकों की पंक्ति। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को प्रधानता: मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण १३ से कार्तिक शुक्ला २ तक बराबर पांच दिन तक चलता रहता है। त्रयोदशी का दिन

‘धन तेरस’ कहलाता है। इस दिन दूकानदार अपनी दूकानों को खूब सजा कर रखते हैं जिससे वर्तनों आदि की अच्छी विक्री हो। इस दिन यमराज का पूजन होता है और गृहस्थी दीपक जला कर अपने-अपने घरों के द्वार पर रखते हैं। चतुर्दशी ‘रूप चौदश’ या छोटी दिवाली कहलाती है, इसे ‘नरक चौदस’ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर प्रह्लाद की रक्षा की थी। इस दिन सायंकाल के समय घर घर में दीपक जलाते हैं। अमावस्या दीपावली महोत्सव का प्रधान दिवस है। इस दिन घरों में और बाजारों में खूब सजावट होती है और लक्ष्मी-पूजन होता है। प्रतिपद् की गोवर्द्धन पूजन होता है और अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है। द्वितिया का दिन ‘यम द्वितिया’ कहलाता है और इस दिन स्त्रियां ‘भैया-दूज’ मनाती है। स्त्रियां अपने भाइयों को मिष्ठान खिलाती हैं और भाई अपनी बहिनों को उपहार देते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इसलिए अयोध्यावासियों ने श्रीरामचन्द्र जी के पुनः अयोध्या पधार आने पर घी के दीपक जला कर एवं नगर को सजा कर उनका स्वागत किया था और अपने हृदय के उल्लास को व्यक्त किया था। जैनियों के अन्तिम तीर्थीकर महावीर स्वामी भी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को ही मोक्ष पधारे थे और इसी दिन आर्य-समाज के प्रवर्तक श्रीमद्-यानन्द सरस्वती ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। अतः भारत के प्रायः सभी प्रमुख धर्मावलम्बी इस त्यौहार को बड़ा पवित्र तथा महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय वैश्य समाज का व्यापारी संवत् इसी दिन से आरम्भ होता है।

इस त्यौहार के कुछ दिन पूर्व से ही लोग अपने घरों एवं दूकानों की मरम्मत, सफाई, रंग, सफेदी आदि करवाना आरम्भ कर देते हैं और उनको सुन्दर चित्र, भाङ्-फानूस, ध्वजा-पताका, विजली आदि से सजाने लगते हैं। अमावस्या को संध्या के समय अपने घरों और दूकानों को दीप-मालाओं से प्रकाशित करते हैं। स्त्री-पुरुष सब सुन्दर वस्त्र धारण करके अपने सम्बन्धियों से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। बाजार की सजावट और रोशनी देखने योग्य होती है। बच्चे अनेक प्रकार के बालू के खिलौने छुड़ाते हैं। रात्रि

के समय शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ती दिखाई देती है।

दिवाली का त्यौहार स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े महत्व का है। वर्षा समाप्त हो जाती है, शरद की सुहावनी छटा छाई रहती है। न अधिक शीत पड़ता है और न अनसुहावनी गर्मी। वर्षा-काल में जिन मकानों में सील आजाती है, वा वे टूट-फूट जाते हैं, उन सबकी मरम्मत हो जाती है। सफाई और सफेदी होने से मकान स्वच्छ हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कीटाणु जो वर्षा ऋतु के कारण जन्म ले लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों की रुचि स्वच्छता की ओर बढ़ती है। वारूद के खिलौने बच्चों का मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही वे अपने धुआँ से वायुमंडल के कीटाणुओं का भी नाश करते हैं। इस त्यौहार से पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना जागृत होती है। राष्ट्र में एकता आती है। यह त्यौहार जातीय जीवन का जीता-जागता उदाहरण है।

इस त्यौहार से लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं। केवल एक जुआ-खेलने की कु-प्रथा ने इसको कलंकित कर रखा है। दिवाली के दिनों में जुआ खेलना और अपने भाग्य को आजमाना कुछ लोग आवश्यक समझते हैं परन्तु यह उनकी मिथ्या धारणा है। इस कु-प्रथा से जुए की बुरी टेव पड़ जाती है और कितने ही व्यक्ति धनी से रंक बन जाते हैं। कितने ही सब-कुछ खोकर जेल की हवा खाते हैं। वारूद के खिलौनों से भी कभी-कभी बच्चे जल जाते हैं और घरों में आग लग जाती है।

कुछ भी हो, यह त्यौहार भारतीय आर्य-संस्कृति का उज्ज्वल तथा अनुपम स्मारक है। यदि इस दिन जुआ आदि बुरे खेल खेलने के बदले कोई श्रेष्ठ प्रतिज्ञा की जाय अथवा कोई देश-सेवा का व्रत लिया जाय वा कोई उत्तम कार्य प्रारम्भ किया जाय तो जीवन में कितना सुख और शान्ति प्राप्त हो और राष्ट्र की उन्नति हो।

(२) स्वर्ण-मुद्रा की आत्म कथा

१. भूमिका—सोते हुए स्वप्न देखना।

२. स्वर्ण-मुद्रा का बालिका में परिवर्तित होना।

३. जन्म से लेकर अब तक की अपनी आत्म-कहानी कहना ।

४. स्वप्न का अन्त—उपसंहार ।

सर्दी के दिन थे । कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था । दिसम्बर का महीना था । रात्रि को दस बजे थे । मैं अपने कमरे में लिहाफ में लिपटा हुआ पड़ा था । पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर मैंने अपना कोट उतार कर रख दिया था । उसकी अन्दर की जेब में एक स्वर्ण-मुद्रा रखी हुई थी जो मैंने उसी दिन अपनी पत्नी के लिए लाक़िट बनवाने को खरीदी थी ।

मुझे ज्ञात नहीं, पत्र पढ़ते-पढ़ते कब मेरी आँख लग गई । मैं निद्रा-देवी की गोद में किलोलें करने लगा । स्वप्न में देखता क्या हूँ कि स्वर्ण-मुद्रा जेब से निकल कर कुर्सी पर गिर पड़ी । धीरे-धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी । थोड़ी ही देर में न जाने कब और कैसे वह एक सुन्दर बालिका बन गई । मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा । जब मैंने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा तब वह मुस्कराने और कहने लगी—

मेरा घर पृथ्वी के गर्भ में था । मैं स्वर्ण के रूप में मैसूर की खान में अपनी सहचरी मिट्टी के साथ क्रीड़ा करती थी । एक दिन जब मैं विश्राम कर रही थी तब मैंने ऊपर से भूमि के खोदे जाने की आवाज़ सुनी । मेरा हृदय धक् धक् करने लगा । दूसरे दिन सचमुच कुछ लोग कुदाल और फावड़े लिये हुए वहाँ आ पहुँचे । हमें खोद-खोद कर बोरों में भरा गया और बाहर निकाल कर एक कारखाने में पहुँचा दिया गया । वहाँ मुझसे मिट्टी तथा अन्य वस्तुएँ जो मेरे साथ थी, अलग कर दी गईं । मुझे गला कर एक शलाका में ढाला गया । वहाँ से फिर मैं बम्बई की टकसाल में भेज दी गई । मेरी वहाँ पुनः अग्नि-परीक्षा हुई । मुझे गोल बना कर और कुछ अक्षर खोदकर सिक्के (मुद्रा) का रूप दिया गया । आप मानें या न मानें, वह मेरा रूप इतना आकर्षक और चमकता हुआ था कि मैं स्वयं अपने उस रूप पर मोहित थी । मैं अपने भाग्य की सराह रही थी । मुझे क्या पता था कि मेरा यह रूप और नाम (स्वर्ण-मुद्रा) मेरे लिए अहितकर सिद्ध होंगे ।

मैं अब स्वर्ण-मुद्रा थी, नई-नई और यौवन-मद से इठलाती हुई । मुझे अब सिवाय सैर-सपाटे और जीवन के मजे लूटने के काम ही क्या था । मैंने

कितने ही प्रसिद्ध नगरों की सैर की। जहाँ भी मैं जाती, वहाँ लोग घूर-घूर कर मुझे देखते, मेरे आलिंगन के लिए लालायित हो उठते। दुर्भाग्यवश एक बार मैं एक ऐसी जगह जा फँसी जहाँ से बड़ी कठिनाई से मेरा उद्धार हुआ। एक भले मानुष ने मुझे मेरी कुछ बहनों के साथ एक डिब्बे में बन्द कर गोदरेज की तिजोरी में कैद कर लिया। मेरी रक्षा के लिए बन्दूकधारी सैनिक नियुक्त था यह स्थान मेरे लिए कारागार से कम न था। मैं अत्यन्त दुःखी होकर वहाँ दिन रात पड़ी रहती। मैं गिन-गिन कर दिन काटने लगी। मेरा दम घुटने लगा। मैं अपने निस्तार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी।

एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अचानक मैं तिजोरी से निकाली गई और एक धनी व्यक्ति को सौंप दी गई। धनी बड़े आदर के साथ मुझे अपने घर ले गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी निन्यानवों बहनों वहाँ पहले से मौजूद थी—मुँह लटकाए हुए और चिन्तित। यह देखकर मैं सन्न रह गई। उस धनी को अपनी नव-विवाहिता पत्नी के लिए नये डिजाइन के आभूषण बनवाने थे परिणाम यह हुआ कि मेरी बहनों को जौहर की ज्वाला में जलकर जेवर के रूप में परिणत होना पड़ा। वे अब आभूषण बनकर धनी पत्नी के कोमलांगों की शोभा बढ़ा रही हैं। मेरा सौभाग्य था कि धनी ने मुझे लक्ष्मी-पूजन के लिए रख लिया। कुछ समय तक मैं धनी के घर निवास करती रही। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगाया गया, मेरा भी मुँह खूब मीठा हुआ, किन्तु रात्रि को प्रसाद के साथ-साथ मुझे भी एक चूहा उठा ले गया और उस धनी के पड़ोसी एक निर्धन के भोंपड़े में डाल आया।

प्रातःकाल जब निर्धन मनुष्य की स्त्री ने मुझे चमचमाते हुए पड़ी हुई देखा तो उसके आश्चर्य और आनन्द की सीमा न रही। रात्रि को वह लक्ष्मी से प्रार्थना करके सोयी थी कि वह उन लोगों पर भी थोड़ी कृपा किया करें। स्त्री ने मुझको अपने पति के सम्मुख उपस्थित किया। पति मुझको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला—'आज लक्ष्मी देवी तू ही है'। पति-पत्नी बड़े प्रसन्न थे, बार-बार लक्ष्मी की कृपा का बखान करते थे। उन्होंने बड़े यत्न से मुझे सम्भाल कर रखा। मेरा गुण और रूप लोगों का शीघ्र ही आकर्षित कर लेता है। मुझे पाकर लोग अपने को सुखी समझने लगते हैं, परन्तु मैं चंचल हूँ, ठहरती किसी

पास नहीं। उस निर्धन-दम्पति ने यह विचार करके कि मैं कहीं भाग न जाऊँ, मुझे कुछ रजत मुद्राओं के साथ खड्डा खोदकर भूमि में गाड़ दिया। मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया। वहाँ मुझे कई वर्ष तक कैद रहना पड़ा। बैंक के कारावास से भी मुझे वहाँ अधिक दुःख मालूम हुआ। बिना स्वच्छ वायु के मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं घुल-घुल कर मरने ही वाली थी कि एक चोर ने मेरा उद्धार किया। वहाँ से निकाल कर चोर ने मुझे एक मदिरा बेचने वाले को दे दिया। वहाँ से मैं केवल एक सप्ताह पूर्व ही सर्राफ की दूकान पर पहुँची। सर्राफ के यहाँ से आपने मुझे कल खरीद लिया और आज मैं अपना मन प्रसन्न कर रही हूँ। आप से अब यही प्रार्थना है कि मुझे गलाना मत, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। मैंने देखा सचमुच उस बालिका की-आँखों में आँसू छलछला रहे थे। मैं उसे सान्त्वना देने के लिए उठा तो मेरी आँसू खुल गई, देखा तो वहाँ कोई बालिका नहीं थी। मैं शीघ्रता से उठा और जेब सम्भाली। मुद्रा जेब में सुरक्षित पड़ी हुई थी।

(३) तुलसी सन्त-सुश्रम्व-तरु, फूल-फल परहेत

१. उक्ति का अर्थ और स्पष्टीकरण।
२. उक्ति का मुख्य भाव 'परोपकार'।
३. परोपकार की आवश्यकता और महत्व।
४. परोपकारो पुरुषों के कुछ उदाहरण।
५. उपसंहार।

यह उक्ति हिन्दी साहित्य गगन के प्रचण्ड-मार्तण्ड गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिनकी अविश्रान्त लेखिनी द्वारा हमारी मातृ-भाषा की अनुपम वृद्धि तथा अपूर्व कल्याण हुआ है। महानुभावों की उक्तियाँ बड़ी सारगर्भित होती हैं, जिनका यदि ध्यानपूर्वक मनन और अनुसरण किया जाय तो कदाचित् ही-कोई अभाग्य संसार में महापुरुष होने से वंचित रहे। इस उक्ति में 'तुलसी' ने बतलाया है कि इस संसार में सन्त पुरुष और स्वादिष्ट फल-युक्त वृक्ष दूसरों के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकृति तथा मानव जीवन का लक्ष्य दूसरे की भलाई करना ही है। दूसरे की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से पृथक् मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। अतः मनुष्य और समाज का नित्य सम्बन्ध है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं की सामाजिक भावनाओं से टक्कर होना अनिवार्य है। मनुष्य की भावनाओं का आधार उसकी मनोवृत्तियाँ हैं। यदि हम मनुष्य की मनोवृत्तियों का विश्लेषण करें तो हमें उममें दो प्रबल और मुख्य वृत्तियाँ दिखाई देती हैं—एक स्वार्थ मनोवृत्ति और दूसरी परमार्थ मनोवृत्ति। जब मनुष्य प्रथम वृत्ति के अधीन होता है, तब वह कभी कभी ऐसे काम कर बैठता है कि उसे लोग पाशविक कहने तक में नहीं चूकते; परन्तु जब मनुष्य परमार्थ-मनोवृत्ति में लीन होता है, तब उसकी भावनाओं में स्वार्थ का नितान्त अभाव हो जाता है, और वह प्राणीमात्र के लिए दुःख सहने और उनके हित-साधन के लिए सब प्रकार से तैयार रहता है। वास्तव में इस अवस्था में मनुष्य देवस्वरूप हो जाता है और कविवर गुप्तजी की यह उक्ति—‘आभूषण नर-देह का वस एक पर-उपकार है’ पूर्णतः चरितार्थ होती है।

परोपकार मनुष्य का आभूषण है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह इस नैसर्गिक आभूषण से अपने मनुष्यत्व की शोभा बढ़ावे। भारतीय सभ्यता का यह पम्परागत आदर्श है कि मनुष्य अपनी नैतिक उन्नति करे तथा अपने आचार को उच्च बनाये। मनुष्य जाति को इन आचार-सम्बन्धी भावनाओं को उत्कर्ष देने में परोपकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक मनुष्य स्वार्थ के संकुचित वायु-मण्डल से ऊँचा न उठेगा, तब तक उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना कठिन है। अतः मनुष्य हृदय में त्याग, बलिदान, अहिंसा, सत्य और न्याय की भावनाओं का वास्तविक प्रेरक परोपकार ही है, जिसके वशी-भूत होकर मनुष्य अपने मानवीय धर्म—प्राणी मात्र पर दया, दुःखी के साथ हार्दिक सहा-नुभूति निःस्वार्थ प्रेम, पतितों का उद्धार आदि—का पालन करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उस मनुष्य से अधिक भाग्यहीन कौन होगा, जो मानव शरीर पाकर भी परोपकार-तरणी द्वारा इस अगाध भवसागर को पार करने की चेष्टा नहीं कर सकता।

भारतीय-साहित्य ऐसे पूज्य महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने परोपकारार्थ अपने प्राणों तक की वाजी लगाने में कभी आगा-पीछा नहीं सोचा।

महाराजा शिवि ने छद्म-वेष धारी कपोत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जीमूतवाहन ने यशार्थ अपना शरीर देकर परोपकार का ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियाँ हँसते-हँसते देवताओं को सौंप दीं। कहीं तक लिखा जाय, भारत के तो जटायु जैसे वन के पक्षी ने भी सती सीता की रक्षार्थ अपने प्राण गंवा दिये। आधुनिक काल में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी आदि अनेक महापुरुष इसके जीते जागते उदाहरण हैं।

अस्तु, निष्कर्ष स्वरूप यही कहना पर्याप्त होगा कि देश और जाति के उद्धार के लिए परोपकार के समान दूसरी कोई वृत्ति नहीं। यदि मानव हृदय से परोपकार की उदार भावना लोप हो जाय तो समाज का अस्तित्व ही असंभव हो जायगा। अतः मनुष्यमात्र का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत लाभ को न देखकर समष्टिगत लाभ की ओर ध्यान दे, जिससे देश, जाति तथा राष्ट्र का कल्याण हो। हमारे धर्म शास्त्रों का तो सार ही यह है।

अष्टादश-पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय पर-पीडनम् ॥

(४) आलस्य

१. भूमिका—समस्त दुर्गुणों का जनक
२. मनुष्यों को काम-चोर बनाने वाला
३. उन्नति में बाधक
४. मानव की सम्पूर्ण शक्तियों को कुण्ठित करने वाला
५. उपसंहार

‘अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।

दास मलूका कह गए, सबके दाता राम ।’

उपयुक्त दोहा आलसियों के मुख से प्रायः सुना जाता है। आलस्य

का सबसे प्रबल शत्रु है—‘आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्यो महारिपुः’।

यह एक दुर्गुण ही ही नहीं, अन्य बड़े-बड़े दुर्गुणों का जनक भी है। जहाँ आलस्य ने डेरा डाला वहाँ उत्तम गुण नहीं उठर सकते। आलस्य पाप को प्रोत्साहन देता

है, इसलिए आलसी का जीवन भी पापमय हो जाता है। यद्यपि वह शरीर से कुछ श्रम नहीं करता, तथापि उसका मस्तिष्क सदैव बुरे विचारों से भरा रहता है। कहा भी है—'An empty mind is a Devil's workshop'.

मनुष्य प्रकृति से ही कामचोर है, वह श्रम से बचना चाहता है। वह सदा यही चाहता है कि वह कम से कम काम करे और अधिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करे। कार्य करने में लगन और उत्साह होना चाहिए, आलसी में उनका सर्वथा अभाव है। इसलिए वह जो कुछ करता है, वह भी विवश होकर। इसका परिणाम यह होता है कि वह सदा मलिन-मुख रहता है। प्रसन्नता उसके समीप नहीं आती। प्रसन्नता कार्य करने से प्राप्त होती है, आलसी कार्य से मुँह छिपाता है, अतः वास्तविक प्रसन्नता से वह सदा वंचित रहता है। जीवन का आनन्द वही व्यक्ति उठाता है जो श्रमशील और कष्ट-सहिष्णु होता है। आलसी के भाग्य में आनन्द का उपभोग कहाँ? इसलिए आलसी होना महान् अपराध है।

आलस्य की टेव बचपन से ही पड़ती है। जो बालक-बालिकाएं बचपन में आलसी होते हैं, वे वयस्क होने पर भी आलसी ही बने रहते हैं। युवावस्था में भी उनसे कुछ नहीं होता-जाता। आलस्य-वश वे अपनी उन्नति के कितने ही अवसरों को खो देते हैं। उनका शरीर तो बेकार हो ही जाता है, साथ ही बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वे उससे काम नहीं लेते। इसलिए मनुष्य को कुछ न कुछ निरन्तर करते ही रहना चाहिए। जब एक काम समाप्त हो जाय, तब तुरन्त दूसरा काम, जो पहले वाले काम से भिन्न प्रकार का हो सकता है, आरम्भ कर देना चाहिए। यह कहना मूर्खता का द्योतक है कि मेरे पास कोई कार्य नहीं है। कार्य का क्षेत्र अपरिमित है। संसार श्रम-उपासकों को चाहता है, आलसियों को नहीं। इसलिए आलस्य से कोसों दूर रहना चाहिए।

कुछ लोग दो कार्यों के बीच विश्राम लेना आवश्यक समझते हैं, परन्तु यह विश्राम भी शनैः शनैः आलस्य का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि विश्राम करने के बाद फिर काम करने की जो नहीं चाहता। काम करना भी एक प्रकार का नशा है, जोश है, यदि यह एक बार उतर गया तो फिर आसानी से बढ़ता नहीं। इसलिए मनुष्य को सदा कार्यरत रहना चाहिए। कुछ धनी और रईस

व्यक्ति आलसी होने का बुरा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किन्तु क्या उनके लिये काम का अभाव है ? यदि उनको अपने जीवन-यापन के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं तो उन्हें चाहिए कि वे दुखी और पीड़ित जनता को सुखी बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना सीखें। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दूसरे लोगों के अधिक सम्मान के भाजन भी वे बन सकेंगे।

आलसियों को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि संसार में बिना पुरुषार्थ के कौन बड़ा बनता है, बिना उद्यम के क्या वस्तु प्राप्त हो सकती है, बिना श्रम के कौनसा कार्य सिद्ध होता है—‘उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, न मनोरथैः।’ आलसी केवल सुखद कल्पना कर सकता है, श्रेय-चिह्नियों के से खयाली पुलाव पका सकता है, किन्तु वह सिद्धि-जन्य आनन्द को नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्मी आलसी से दूर रहती है, वह श्रमशीलों का ही आलिगन करती है। भाग्य भी उन्हीं का फैलता है जो आलस्य त्याग कर श्रम करते हैं। जो व्यक्ति अकर्मण्य होते हैं, वे भाग्य को व्यर्थ दोष देते हैं, क्योंकि वे उपयुक्त अवसर पर काम न करके प्राप्य लाभ को भी खो देते हैं। आलसी समय के महत्व को नहीं समझता, इसलिए वह जीवन का मूल्य नहीं जानता। समय नष्ट कर देने का अर्थ है शक्ति और सामर्थ्य का नाश और चरित्र का पतन। इसलिए जीवन का एक भी क्षण आलस्य में नहीं बिताना चाहिए।

निष्कर्ष यह है कि आलस्य एक महान् दुष्ट है, वह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। उदात्त और श्रेष्ठ वृत्तियों का विनाश करके आलस्य मनुष्य को अकर्मण्य और अस्वस्थ बना देता है। आलस्य मनुष्य को सच्चे सुख और शान्ति से वंचित रखता है। आलसी मनुष्य उस भिख-मंगे के समान है जो परिश्रम करके जीविकोपार्जन नहीं करता, वह दूसरों के सामने सिर नीचा किये हुए याचना करता है। आलसी व्यक्ति भी स्वयं कुछ न कर दूसरों से सहायता प्राप्त करने के लिए उनके मुख की ओर देखा करता है। आलसियों की इससे बड़ी दयनीय स्थिति क्या होगी ? भागवान ने हाथ-पैर दिये हैं कि वे काम करें, किन्तु वे हाथ-पैर होते हुए भी दूसरों की दया के पात्र बनते हैं—इससे बढ़कर और लज्जा-जनक क्या होगा ? आलसियों से सब दूर रहते हैं, संसार में उनका कोई सम्मान नहीं करता। आलस्य मानव शक्तियों को कुंठित कर देता है। मनुष्य

को आत्म-ग्लानि और घृणा का पात्र बना देता है। अतः जो व्यक्ति जीवन में सुख, शान्ति और आनन्द चाहता है, उसे आलस्य रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिये।

(५) वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के दोष

१. भूमिका-परीक्षा का उद्देश्य
२. अंक-प्रदान में दोष
३. श्रेणी-विभाजन में दोष
४. विषय के सांगोपांग अध्ययन का अभाव
५. मौखिक परीक्षा को कोई स्थान नहीं
६. सदोप प्रश्न-पत्र और उनमें वैकल्पिक प्रश्नों की भरमार
७. परीक्षा-केन्द्रों में गोलमाल
८. बहूमूल्य समय का नाश
९. उपसंहार

किसी देश की शिक्षा-प्रणाली ही जब दोष-पूर्ण हो, तब परीक्षा-प्रणाली दोष-मुक्त कैसे हो सकती है। वर्तमान परीक्षा-प्रणाली के अनुसार शिक्षार्थी का एक मात्र लक्ष्य है परीक्षा पास करना और शिक्षक का परीक्षार्थी को परीक्षा पास करा देना। बौद्धिक विकास, योग्यता-वृद्धि और पाठ्य विषयों के सम्पूर्ण अंगों के सम्यक परिशीलन को प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। परीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति है—'परि+ईक्ष+अ', जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु वा विषय के गुण-दोषों की सर्वतोभावेन जांच करना। वर्तमान परीक्षा-प्रणाली परीक्षार्थियों के पल्लवग्राही ज्ञान के अलपांश को ही कतिपय प्रश्नों द्वारा पूछ कर योग्यायोग्य का निर्णय कर उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान कर देने में ही अपने कर्तव्य की इति-श्री समझती है, किन्तु परीक्षा का जो वास्तविक ध्येय है, उससे वह कोसों दूर है।

आप अंक-प्रदान-क्रिया (Awarding of Marks) को ही लीजिये। परीक्षकों के द्वारा परीक्षार्थियों के लिखित उत्तरों का जो मूल्यांकन करे उन्हें अंक-प्रदान किया जाता है, वह लेश-मात्र भी न्याय-पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक ही प्रश्न को पृथक-पृथक परीक्षक विभिन्न दृष्टिकोणों से जांचते हैं और

मन-माने ढंग से अंक प्रदान करते हैं। किसी परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर में एक परीक्षक से दस में से चार अंक प्राप्त होते हैं तो दूसरे से उसी प्रश्न के उत्तर में छः और तीसरे से केवल तीन ही। वस्तुतः अंक प्रदान करने की कोई खास प्रक्रिया या कसौटी नहीं है जिसके द्वारा उत्तरों का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जा सके। प्रायः यह देखने में आता है कि उत्तर-पुस्तकों को जंचते समय परीक्षक की केवल मनोभावना व तरंग (The whim and Caprice of the examiner) ही काम करती है। जो परीक्षार्थी एक परीक्षक के द्वारा फेल कर दिया जाता है, किन्तु यदि उसकी उत्तर-पुस्तक दूसरे परीक्षक से जंचवाई जाय, तो वह पास हो जाता है। यह कैसा मखौल है।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली का श्रेणी विभाजन भी ठीक नहीं कहा जा सकता। श्रेणियाँ दो ही होनी चाहिए, तीन नहीं। तृतीय श्रेणी (Third Class) तो नाम ही बुरा। वास्तव में यदि देखा जाय तो तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों में कोई योग्यता भी नहीं पाई जाती है। यह बात समझ में नहीं आती कि केवल ३३ प्र. श. अंक प्राप्त करने वाले छात्र को किस प्रकार योग्य मानकर पास कर दिया जाता है जबकि उसमें प्रत्यक्षरूपेण ६७ प्र.श. योग्यता का सर्वथा अभाव रहता है। अब तक छात्र ५० प्र. श. व इससे अधिक अंक प्राप्त न कर ले, तब तक उसको पास करके योग्यता का प्रमाण-पत्र देना कदापि न्याय-संगत नहीं माना जा सकता।

परिचलित परीक्षा-प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि परीक्षार्थी विषय का पूर्ण (विषय के समस्त अंगों और उपांगों का) अध्ययन न करके केवल उत्तीर्ण होने लिए उन्ही अंगों वा अंशों का अध्ययन करते हैं जो उन्हें पास करा दें। इसका परिणाम यह होता है कि विषय के अन्य उपयोगी अंग वा अंश, जिनका ज्ञान छात्र के लिए परमपयोगी और अपेक्षित है, छोड़ दिये जाते हैं। ऐसी दशा में छात्रों में वास्तविक योग्यता कैसे उत्पन्न हो सकती है? उदाहरण के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। गणित, इतिहास, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी सभी विषय ऐसे हैं जिनका केवल ५०% अध्ययन करके ही विद्यार्थी सरलता से अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम-विधाता भी इस बात की भूल करते आ रहे हैं कि वे पाठ्य-क्रम में विषय के

विविध अंगों के लिए पहले से ही निश्चित अंक निर्धारित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही पाठ्य विषय के केवल उन्हीं अंगों वा अंशों को पढ़ते-पढ़ाते हैं जो सरल हों, जिनके अध्ययन-अध्यापन में अधिक श्रम न करना पड़े और जिसमें आसानी से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें इनका प्रत्यक्ष प्रमाण आजकल के छात्रों की योग्यता ही प्रकट कर रही है कि उनका शिक्षास्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है।

प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में यह भी एक दोष है कि सब परीक्षाएं प्रायः लिखित ही होती हैं, मौखिक परीक्षा को इसमें कोई स्थान नहीं है। विषय कितना ही गम्भीर और महत्वपूर्ण क्यों न हो, प्रश्न-पत्र में मुद्रित केवल पाँच-सात प्रश्नों के द्वारा ही परीक्षार्थी की जाँच करली जाती है। दो-अढ़ाई घंटे के समय में केवल कुछ प्रश्नों का संतोष-प्रद उत्तर ही परीक्षार्थी के लिए सफलता सूचक बन जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि जो छात्र लेखन-कला में प्रवीण हैं, और जिन्हें परीक्षकों को भले प्रकार भांसा देना आता है, वे फेल नहीं होते तब उन्हीं पाठ्य विषय का ज्ञान स्वल्प मात्रा में ही हो इसके विपरित वे छात्र, जिन्होंने उस विषय के विविध अंगों का सम्यक् अध्ययन और मनन किया है, यदि वे लेखन-कला में दक्ष नहीं हैं, तो उनके पास होने में भी संशय रहता है।

प्रश्न-पत्र निर्माताओं (Paper Setters) द्वारा छांटें गये प्रश्न-पत्र भी कभी कभी बड़े वेदों और ऊटपटांग आते हैं। उनमें या तो पिष्ट-पेषण पाया जाता है या आवश्यकता से अधिक छांटने वालों की अक्लमन्दी। इसके दो कारण हैं—एक तो यह है कि जो प्रश्न-पत्र-निर्माता नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें उस विषय की और विद्यार्थियों के स्तर की ठीक ठीक जानकारी नहीं होती। ये प्रायः बड़े लोग होते हैं, उच्च कक्षाओं को पढ़ाते हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ प्रश्न-पत्र-निर्माता होते ही ऐसे हैं जिनका ध्येय ही यह रहता है कि छात्र अधिक संख्या में फेल हों। उक्त दोनों ही प्रकार के प्रश्न-पत्र-निर्माता अवांछनीय हैं। वास्तव में प्रश्न-पत्र-निर्माता ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की स्थिति योग्यता आदि से पूर्णतया परिचित हो तथा उसे उस कक्षा के पाठ्यक्रम की भी पूर्ण जानकारी हो।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली में यह भी एक दोष है कि प्रश्न-पत्र में दिये गये प्रश्नों में विकल्प वा छूट (Alternatives or Choice) आवश्यकता से अधिक आती है। प्रश्नों में अधिक विकल्प देना अथवा छात्रों को इस प्रकार की छूट देना कि निम्नांकित (तेरह) प्रश्नों में से केवल पांच प्रश्न करो— विद्यार्थियों के लिये किसी भी प्रकार हितकर नहीं कहा जा सकता। इसका परिणाम प्रायः यह होता है कि छात्र, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, प्रथम तो विषय का पूर्ण अध्ययन करते ही नहीं, केवल पास होने के योग्य अंकों वा अंशों का अध्ययन कर लेते हैं, दूसरे, प्रश्नों में इस प्रकार विकल्प और छूट देना छात्रों को और भी निकम्मा और आलसी बना देता है। पाठ्य विषय के विविध अंगों का विश्व-विद्यालय वा बोर्ड द्वारा अङ्क-निर्धारण जिस प्रकार छात्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे विषय के किसी भी अंग वा अंश को निःसंकोच छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार प्रश्न-पत्र में छांटे गये प्रश्नों में विकल्प वा छूट देना उन्हें गारंटी के साथ इस बात का प्रोत्साहन देना है कि पास होने के लिए उनको विषय के सांगोपांग अध्ययन को कतई आवश्यक नहीं है। क्योंकि केवल चुनी हुई बातों (Selected Studies) को ही तैयार करके पास हो सकते हैं और वास्तव में ६० प्रतिशत होता भी यही है। वर्तमान छात्रों में योग्यता और ज्ञान का अभाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

परीक्षाएं निश्चित केन्द्रों पर होती हैं। यहां सैकड़ों छात्र एक साथ पास-पास बैठकर परीक्षा देते हैं। निरीक्षकों (Invigilators) के द्वारा भले प्रकार निरीक्षण-कार्य-होते रहने पर भी छात्र अपने साथ छिपा कर लाई हुई पुस्तकों और पंजिकाओं से टोपने तथा अपने साथियों की पंजिकाओं से नकल करने में संकोच नहीं करते हैं। इन साधनों वा उपायों को काम में लाकर कभी-कभी सर्वथा अयोग्य छात्र भी अच्छी श्रेणी से पास होते देखे हैं। कभी-कभी निरीक्षक भी किन्हीं कारणों से परीक्षार्थियों से दब जाता है (लाभ वा भय, दो ही कारण हो सकते हैं) और वह परीक्षा भवन में गोलमाल होते हुए भी परीक्षार्थियों को कुछ कहने का साहस नहीं करता। बलिहारी है ऐसी परीक्षा-प्रणाली की।

सब से बड़ा दोष इस प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में यह है कि यह

हमारे होनहार युवकों की आयु का बहुमूल्य भाग व्यर्थ खो रही है। घण्टों की मंजिल को यह दिनों में नहीं, महीनों में तै कर रही है। भारतियों की औसत आयु २५-२६ वर्ष है और यह देखा जाता है कि हमारे यहां के नवयुवक २०-२५ वर्ष तो विद्याध्ययन में ही बिता देने हैं। प्रति वर्ष हम देखते हैं कि कालेजों और स्कूलों में वर्ष भर में केवल पांच छः महिने पढ़ाई होती है, शेष सब समय अवकाश ही अवकाश। इसलिए हमारा सुभाव है कि कक्षाोत्तीर्ण परीक्षाएं (Class promotions) वर्ष में दो बार होनी चाहिए। बिना किसी दिक्कत के प्रासानी के साथ बीच में एक महिने का अवकाश देकर वर्ष में दो बार कक्षाोत्तीर्ण परीक्षाएं ली जा सकती है। ऐसा करने से यह होगा कि जो छात्र योग्य और कुशाग्र-बुद्धि हैं वे शीघ्र उन्नति कर सकेंगे और जो मंद-बुद्धि है, उनकी भी इससे हानि नहीं होगी, कुछ लाभ ही होगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समय की वचत होगी और १५-१६ वर्ष की अवस्था तक ही योग्य छात्र उपाधि-परीक्षा पास कर सकेंगे।

आशा है कि हमारे यहां के शिक्षा-शास्त्री उपयुक्त दोषों को दूर कर कोई ऐसी नवीन परीक्षा-प्रणाली निकालेंगे जो हमारे छात्रों के लिए सर्वथा उपयोगी और हितकर सिद्ध होगी।

(६) मनोरंजन के साधन

१. भूमिका - मनोरंजन की आवश्यकता
२. मनोरंजन के साधन—प्राचीन और अर्वाचीन
३. आधुनिक साधन—सिनेमा, रेडियों, ग्रामोफोन, खेल-तमाशे आदि
४. उपसंहार।

जीवन-यापन के लिए, अपनी भावी रक्षा के लिए और जीवन में सुख एवं शान्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक श्रम करना पड़ता है। इस वैज्ञानिक युग में जीवन की आवश्यकताएं पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई हैं, इसलिए आज के मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम भी पहले की अपेक्षा अधिक करना पड़ता है। परिश्रम कैसा भी किया जाय, उसमें शक्ति का हास होता ही है। मनुष्य निरन्तर काम करते रहने पर थकावट महसूस करता है; क्योंकि उसकी कार्य-क्षमता कम होती जाती है।

अतः अपनी कार्य-क्षमता को बनाये रखने के लिए एवं नष्ट हुई शक्ति को पूर्ति के लिए मनुष्य को विश्राम की महती आवश्यकता होती है। जिस प्रकार थके हुए शरीर को विश्राम देना पड़ता है। थके हुए मन को एक विषय से हटाकर अपनी रुचि के अनुकूल विषय में लगाना ही मनोरंजन की आवश्यकता है। यदि वे मनोरंजन न करें तो शीघ्र ही वे मानसिक रोगों के शिकार हो जायेंगे इसलिए दिन भर में कुछ समय के लिए मनोरंजन भी करना चाहिए जिससे हम थोड़ी देर के लिए अपनी दैनिक चिन्ताओं को भूल जायँ और मन को ठीक अवस्था में रख सकें।

मनोरंजन कई प्रकार से किया जाता है और यह अपनी-अपनी रुचि के ऊपर निर्भर है। किसी को ताश-चौपड़ खेलने में आनन्द आता है तो किसी को सैर-सपाटे में, किसी का मन संगीत में लगता है तो किसी का चित्र-कला में, किसी का मनोरंजन किस्से-कहानियों से होता है तो किसी का चित्र-पट देखने से। प्राचीन काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे—ताश, चौपड़, शतरंज आदि वरेंद्र खेल; कठ-पुतली, रास, नाटक आदि, देशाटन, आनन्द-यात्राएँ, प्रकृति-निरीक्षण आदि; घुड़-दौड़, रथ-दौड़, जानवरों की लड़ाई मल्ल-युद्ध आदि; संगीत, चित्र-कला आदि में रुचि; खेल-तमाशे, मेले, सार्वजनिक उत्सव आदि। प्राधुनिक समय में विज्ञान की उन्नति ने मनोरंजन के साधनों में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है। आज के युग में प्राचीन समय से चले आ रहे मनोरंजन के साधन तो उपलब्ध हैं ही, साथ ही चित्रपट, रेडियो, ग्रामोफोन, विभिन्न प्रकार के खेल-कूद और तमाशे, प्रदर्शनियाँ, सरकस, कार्नीवाल आदि लोगों का मनोरंजन करते हैं।

मनोरंजन के आधुनिक साधनों में चित्रपट (सिनेमा) का प्रमुख स्थान है। चित्रपट मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का एक वरदान है। चित्रपट से जितने लोग अपना मनोरंजन करते हैं, उतना अन्य किसी साधन से नहीं, और इसका कारण है इसकी सुलभता। गरीब और अमीर दोनों के लिए यह अपना द्वार खुला रखता है। अमीर लोग तो रेडियो से भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं, किन्तु गरीबों के लिए तो चित्रपट ही एकमात्र उत्कृष्ट साधन है जिससे वे थोड़े से पैसों में अपना मनोरंजन कर सकते हैं। आज नाटक का स्थान चित्रपट ने ले

लिया है। चित्रपट में अभिनेता और अभिनेत्रियां स्वयं रंगमंच पर नहीं आते, केवल उनके छाया-चित्र आते हैं। आधुनिक युग में फोटोग्राफी की कला में अत्यधिक विकास होने के कारण अब चित्रपट के पर्दे पर वास्तविक अभिनय के सभी अङ्ग ज्यों के त्यों दिखा दिये जाते हैं। चित्रपट में क्या चीज ऐसी है जो मनोरंजन नहीं करती। कहानी, नृत्य, गायन, प्राकृतिक दृश्य सभी कुछ सिनेमा में एक साथ मिल जाते हैं। वास्तव में चित्रपट के आविष्कार ने मानव-जाति का बड़ा उपकार किया है। मनोरंजन करने के साथ-साथ चित्रपट मनुष्य को अनेक प्रकार की शिक्षा देता है और उसके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाता है।

रेडियो भी चित्रपट की भाँति मनोरंजन का एक उत्कृष्ट साधन है, किन्तु यह अमीरों के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। देश के बड़े-बड़े नगरों में रेडियो स्टेशन बने हुए हैं जहाँ से निश्चित समय के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। विदेशों के सब कार्यक्रम भी रेडियो द्वारा सुने जाते हैं अपने कमरे में कुर्सी पर आराम से बैठे हुए या पलंग पर लेटे हुए हम अने प्रकार के कार्यक्रमों का आनन्द ले सकते हैं। सुई घुमाने की देर है कि हम गाने, समाचार, रेडियो नाटक, वार्तालाप, देहाती प्रोग्राम आदि जो चाहें, सुन सकते हैं। कभी-कभी तो रेडियो में इस प्रकार के प्रोग्राम आते हैं कि हम हँसते-हँसते लोटपोट हो जाते हैं। मनोरंजन के अतिरिक्त रेडियो हमारे सामान्य ज्ञान की वृद्धि करता है। इससे राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विषयों के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं जो हमारा ज्ञान-वर्द्धन करते हैं। तत्काल और सीधी खबरें प्राप्त करने का रेडियो ही एकमात्र साधन है। धीरे-धीरे रेडियो का प्रसार हो रहा है। अब पहले की अपेक्षा यह मूल्य में सस्ता होता जा रहा है और जनसाधारण भी इसे अपने घर में लगाने के लिए उत्सुक हो रहा है। आशा है कुछ समय पश्चात् रेडियो घर-घर में स्थान प्राप्त कर लेगा।

ग्रामोफोन भी मनोरंजन का एक अच्छा साधन रहा है, किन्तु चित्रपट और रेडियो के सामने अब इसे कोई नहीं पूछता। रेडियो की अपेक्षा यह बहुत कम मूल्य में आता है और इसमें न विजली की आवश्यकता है और न बैटरी की। ऐसे स्थान में जहाँ रेडियो नहीं है, वहाँ ग्रामोफोन ही मनोरंजन करता

है। यह हर कही ले जाया जा सकता है। इससे हम केवल मन-चाहे गाने ही सुन सकते हैं, अन्य किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं कर सकते।

खेल-कूद, खेल-तमाशे, मेले, प्रदर्शनियां, कार्नीवाल, धार्मिक एवं सामाजिक समारोह भी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं, किन्तु ये दैनिक नहीं, समय-समय पर ही इनका आयोजन किया जाता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, घुड़दौड़, खेलकूद आदि से सहस्रों की संख्या में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपना मनोरंजन करते हैं। कहीं हॉकी या क्रिकेट का मैच हो रहा हो वहां आप दर्शकों की भीड़ देखिए। कुछ दर्शक तो खेल देखकर इतने भावावेश में हो जाते हैं कि अपनी टोपियां और रूमाल उछालने और बुरी तरह समर्थन अथवा विरोध में चिल्लाने लगते हैं। समय समय पर आयोजित प्रदर्शनियां भी कम मनोरंजन नहीं करतीं। मेले और सामाजिक समारोह तो होते ही मनोरंजन के केन्द्र हैं। सरकस और कार्नीवाल में विविध प्रकार के व्यायाम और कलामिश्रित शक्ति प्रदर्शन देखकर किसका मनोरंजन नहीं होता। घरघुस व्यक्ति जो बाहर नहीं जाते, घरेलू खेलों—ताश, चौपड़, शतरंज, पिंगपॉंग, कैरम आदि से ही मनोरंजन करते हैं।

ललित कलाएं भी मनोरंजन के अच्छे साधन प्रस्तुत करती हैं। कोई संगीत की स्वर लहरी में मस्त है तो कोई चित्र में रंग भर रहा है। कोई कविता बना रहा है तो कोई भूति में प्राण निहित करने का प्रयास कर रहा है। फोटो ग्राफी भी मनबहलाव का अच्छा साधन है। कुछ लोगों का मनोरंजन पुस्तकों से होता है। वे उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रहसन आदि पढ़कर मनोरंजन करते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी मनोरंजन के साथ साथ पाठकों को संसार की वर्तमान गति विधियों से परिचित कराती हैं। पढ़ेलिखे लोगों के लिए अध्ययन से बढ़कर आनन्द नहीं। इसी उद्देश्य से आजकल स्यान स्यान पर वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किये जा रहे हैं।

मनोरंजन किस के लिए आवश्यक नहीं? साधारण मनुष्य से लेकर महापुरुष तक को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अपने अवकाश के क्षणों को सभी मनोरंजन में बिताना चाहते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति (दार्शनिक, विज्ञानवेत्ता, राजनीतिज्ञ आदि) अवकाश के समय अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन

करते हैं—कोई तबला बजाता है, कोई शतरंज खेलता है, कोई वाइलिन की शरणा लेता है और कोई वच्चों के साथ ही मनोरंजन करता है। सारांश यह है कि हमारे दैनिक जीवन में मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। मनोरंजन से ही मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इतना अवश्य ध्यान देने योग्य है कि मनोरंजन सीमा के भीतर हो, सामर्थ्य और रुचि के अनुकूल हो और मन की प्रसन्नता के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए हितकर हो।

(७) संस्कृति और साहित्य

१. भूमिका—संस्कृति का अर्थ और साहित्य से सम्बन्ध
२. साहित्य की परिभाषा
३. साहित्य समाज का दर्पण
४. संस्कृति विभिन्न आदर्शों की समष्टि है
५. उपसंहार

संस्कृति शब्द इतना गूढ़ और व्यापक है कि ठीक-ठीक शब्दों में इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। किसी जाति-विशेष की रहन-सहन, बोल-चाल, आचार-विचार, रुचि-अरुचि तथा धर्म, कला, साहित्य, नैतिकता आदि के प्रति उसका दृष्टिकोण सभी कुछ इसके भीतर आ जाता है। भिन्न-भिन्न जातियों के आदर्श भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः उनकी संस्कृति भी भिन्न-भिन्न होती है। जाति-भेद के अनुसार एक ही देश में कई प्रकार की संस्कृतियों का होना सम्भव है। संस्कृति समाज का वह परम्परागत प्रचलित भाव है जो एक व्यक्ति को अन्य जाति वालों से केवल वेपभूषा, बोलचाल और रहन-सहन आदि में ही भिन्न नहीं बनाता, अपितु उसके विचार और भावनाएं भी भिन्न ही होती हैं। संस्कृति कभी सीधा सम्बन्ध हृदय से है, मस्तिष्क से नहीं। शनैः-शनैः सामाजिक आदर्शों के परिवर्तित होने पर संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति का रक्षक साहित्य है। साहित्य के द्वारा ही हम किसी जाति विशेष की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण साहित्य संस्कृति का प्रतिबिम्ब कहलाता है

महापुरुष अपने अनुभवों और ज्ञान को संचित कर छोड़ जाते हैं, वही उस जाति का साहित्य है। कवि और लेखक समाज के मुख-स्वरूप हैं। जो भाव-धारा समाज में श्रोतप्रोत है, वही कवि और लेखक की वाणी द्वारा प्रकट होती है। समाज के चिरंतन भावों और प्रचलित धारणाओं का उद्घाटन करना ही सत्कवियों और समर्थ लेखकों का कार्य है। कवि और लेखक प्राप्त परिस्थितियों से संधर्ष करते हैं और नवीन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। उनका ज्ञान परिस्थितियों के सहारे ही विकसित होता है। अतः कवि, लेखक और सुधारक अपने समय की परिस्थितियों के फलस्वरूप और नवीन परिस्थितियों के पुष्पस्वरूप होते हैं।

इसमें किंचित भी अत्युक्ति नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण है।

सभ्य और असभ्य समाज की कसौटी उसका साहित्य ही है। साहित्य ही समाज में प्रचलित भाव-धारों की व्याख्या करता है, उसके स्वरूप में संशोधन कर उसे स्थिर बनाता है। साहित्य के द्वारा ही समाज में सद्भावों की जागृति और असद्भावों का विनाश होता है। काल-विशेष की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों का दिग्दर्शन केवल साहित्य में ही सम्भव है। विनाशकारी रूढ़ियों का उत्पादन कर समयोचित धार्मिक व राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करना साहित्य ही का काम है। साहित्य ही क्रान्ति-विधाता और शान्ति-दूत है। साहित्य के द्वारा ही समाज की सौंदर्य-भावना पोषित और वर्द्धित होती है। साहित्य ही समाज को वीर, विलासी और कर्तव्य-परायण बनाने वाला है। अन्तः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का यथार्थ ज्ञान कराने वाला साहित्य ही है। मनोवृत्ति ही समाज के आदान-प्रदान और आचार-व्यवहार के मुख्य वस्तु है, और इस मनोवृत्ति का विकास और परिमार्जन केवल साहित्य पर ही अवलम्बित है। सुसंस्कार और सत्प्रवृत्तियों का मूल साहित्य ही हो सकता है। व्यक्ति विशेष पर जितना प्रभाव साहित्य का पड़ता है, उतना कदाचिद् ही अन्य किसी वस्तु का पड़ता हो। हज़ारे उत्थान और पतन का पूर्ण उत्तरदायित्व साहित्य पर ही निर्भर है।

जाति-विशेष में प्रचलित विश्वास और उनके अनुकूल आचरण ही संस्कृति हैं। जिस जाति की जैसी संस्कृति होती है, उसके विद्वानों और

पुरुषों के विचार भी वैसे ही होते हैं। वे अपने उन विचारों द्वारा संस्कृति के पलभाव को रक्षा करते हैं, नवीन भावों से उसे पुष्ट करते हैं और अन्त में उसे उन्नततावस्था में पहुँचा देते हैं। हमारे विश्वास और आदर्श साहित्य की रक्षा में अहर्निश प्रयत्नशील हैं। रामायण, महाभारत आदि में हिन्दु-संस्कृति के चित्रों के अतिरिक्त और है क्या? कालिदास और तुलसीदास इतने आदरणीय क्यों बने हुए हैं? उनके ग्रन्थों में उल्लिखित आदर्शों का प्रभाव हिन्दु जाति पर किस तरह कितना और कैसा पड़ रहा है? साहित्य, चाहे वह किसी भी काल का हो, अपने समय के सांस्कृतिक विकास का प्रतिबिम्ब है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने समय का केवल प्रतिबिम्ब ही बन कर नहीं रह जाता, वह उसका पथ-प्रदर्शन भी करता है।

जाति-विशेष की सम्यता क्या है? उसमें प्रचलित आचार-विचार तथा उसके आदर्श और विश्वास ही तो हैं। इन्हीं आदर्शों और विश्वासों के आधार पर साहित्य का निर्माण किया जाता है। सामयिक प्रभाव से साहित्य अछूता नहीं रह सकता। विभिन्न परिवर्तनों का कारण साहित्य में सन्निहित है और साहित्य ही समय समय पर अनेक क्रान्तियों को जन्म देता है, साहित्य के द्वारा ही उनका विकास और प्रचार होता है। जाति विशेष ने किस समय में कितनी अवनति वा उन्नति की और क्यों की? इसका उत्तर हमें केवल साहित्य द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संस्कृति के मूल आदर्शों और भावों की रक्षा, वृद्धि और परिमार्जन-सब का आधार साहित्य ही है। अतः साहित्य की रक्षा, उसका सृजन उसकी वृद्धि और उसका शाश्वत चिन्तन करना हमारा परम कर्तव्य है।

(८) किसी ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन

१. भूमिका—यात्रा कब और क्यों की?
२. यात्रा का विवरण एवं स्थानों का वर्णन
३. उपसंहार

दशहरे का तेरह दिन का अवकाश आने वाला था। हमारे इतिहास के प्रवक्ता ने हमें सूचना दी कि दशहरावकाश में कालेज का एक छात्र दल वीर भूमि मेवाड़ के भ्रमणार्थ जायगा, अतः जो छात्र जाना चाहे, अपना नाम और मार्गव्यय भोजन आदि के लिए पच्चीस रुपये कल तक जमा करा दें। मैंने भी

पिताजी की स्वीकृति लेकर अपना नाम नोट करवा दिया। ३० दिसम्बर को निश्चित समय पर हमारा दल कालेज-प्रांगण में एकत्र हो गया। हमारे साथ हमारे इतिहास प्रवक्ता श्रीर पं० भगवती चरण शर्मा थे।

प्रातः कालीन गाड़ी से हमने अजमेर के लिए प्रस्थान किया और द्रोपहर एक बजे हम वहाँ पहुँच गये। चित्तौड़ जाने वाली गाड़ी वहाँ से रात्रि को १०-३० पर रवाना होती है, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए हमने यहाँ दर्शनीय स्थानों को देखने का निश्चय किया। सर्व प्रथम हमने ख्वाजा साहब की दरगाह देखी जो एक भव्य मस्जिद है और मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ मानी जाती है। तदनन्तर हमने वहाँ के प्रसिद्ध जैन मन्दिर 'नसियाँ' को देखा जो कला का एक सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमने 'अढ़ाई दिन का भोंपड़ा' और आनासागर देखा। रात्रि के आठ बजे गये थे अतः हम शीघ्र ही वापस लौट आये। भोजनादि से निवृत्त होकर हम ठीक १०-३० बजे चित्तौड़ जाने वाली गाड़ी में बैठ गये। प्रातः काल ५-३० पर गाड़ी चित्तौड़ स्टेशन पर पहुँच गई। गाड़ी से उतर कर हमने समीपस्थ एक धर्मशाला में अपना सामान रखा और शौच आदि से निवृत्त हो कर नाश्ता किया। तदनन्तर हम चित्तौड़ गढ़ देखने के लिए चल दिये।

चौबीस मील के विस्तृत क्षेत्र में निर्मित भारत का गौरव चित्तौड़-दुर्ग अपनी पूरी शान से एक छोटी सी पहाड़ी पर अटल खड़ा है। दुर्ग के ठीक नीचे १६५४ ई० में बसाया गया चित्तौड़ नगर इस दुर्ग पर से देखने पर एक घरीदासा प्रतीत होता है। दुर्ग में प्रवेश करने से पूर्व सात द्वारों को पार करना पड़ता है। प्रथम दो द्वार पहाड़ी काट कर बनाये गये हैं। तृतीय द्वार से किले का प्रमुख परकोटा (प्राचीर) प्रारम्भ होता है। तृतीय और पंचम द्वारों के कपाट अद्भुत हैं जिनमें अंकुशरूपेण लोहे की भारी भारी शलाकाएँ गड़ी हुई हैं। प्रत्येक दरवाजे पर गौरी-पुत्र गणेश की मूर्ति तथा मार्ग में बनी हुई विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ मन्द मुस्कराहट के साथ मूक-भाषा में उस काल के महाराजाओं के हिन्दू-प्रेम प्रकट कर रही हैं। दुर्ग के ये सातों दुर्गम द्वार एवं दृढ़ प्राचीर ही दुर्ग की दुर्गमता को दर्शों दिशाओं में दरसा देते हैं। इन्हीं दुर्गम द्वारों में से प्रथमा द्वार पर वीर भगरावत, द्वितीय एवं तृतीय द्वार के मध्य अमर सेनानी जयमल

तथा सप्तम द्वार के भीतर बालक पत्ता ने अकबर की विशाल वाहिनी से सन् १५६७ ई० में युद्ध करते हुए वीर-गति प्राप्त की थी, वहाँ प्रत्येक स्थान पर एक स्मारक बना हुआ है जो उनके वीर बलिदान का आज भी स्मरण कराता है।

सप्तम द्वार की पार करने पर एक जैन आश्रम है और उसके समीप ही दुर्ग का एक प्रसिद्ध टांका (कुण्ड) है। दाहिनी ओर दुर्ग का गन प्लेटफार्म हैं जो समुद्र-तल से १८५० फुट ऊंचा है। कुछ आगे बढ़ने पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे अनगिनती जैन एवं वैष्णव मूर्तियों के संकलित खंडहर पड़े हैं। संभवतया रानी पद्मिनी के न प्राप्त होने पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्रोध-वेश में तोड़े गये मन्दिरों से मूर्तियां एकत्र कर के वहाँ डाल दी गई हैं। सन् १३०३ ई० में खिलजी सम्राट् अलाउद्दीन द्वारा तोड़े गये भगवान् आदिनाथ के मन्दिर के समीप ही बहुत सी प्राचीन तोपों के भग्नावशेष अरक्षित दशा में पड़े हैं। यहीं पर एक जैनमन्दिर और एक पातालेश्वर महादेव का मन्दिर भी है। किले के एक ओर राणा कुम्भा का पन्द्रहवीं शताब्दी में निमित्त महल अपनी जर्जर अवस्था में उस वीर गाथा-काल की स्मृति मानस-पटल पर अंकित कर देता है। कहते हैं इसी महल की लम्बी सुरंग में अग्निनी ने अन्य वीर क्षत्राणियों के साथ जोहर की लपलपाती लपटों में कूद कर अपनी कुल-मर्यादा की रक्षा की थी। इसी महल में 'पद्मा धाम' ने अपने एक मात्र औरस पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया था।

महाराणा कुम्भा के महल के अवशेषों के कुछ पास ही 'फतह प्रकाश' महल है जिसका निर्माण केवल तीन शताब्दियों पूर्व ही हुआ है। फतह प्रकाश के बाईं ओर ग्याहवीं शताब्दी का 'सतबीस देवड़ी' नामक प्रसिद्ध जैन-मन्दिर है जिसके समीप ही 'मीरा' का 'कुण्ड मन्दिर' है। इसी मन्दिर के पास मीरा का स्वयं का बनवाया हुआ 'गिरधर गोपाल' का वह मन्दिर है जहाँ से विषपान के तुरन्त पश्चात् वह मूर्ति लेकर सदा के लिए वृन्दावन चली गई थी इसी लिये वह मन्दिर आज तक मूर्ति-विहीन होने के कारण मीरा के विष-पान की घटना को 'ताजा' कर देता है। इनके अतिरिक्त दुर्ग में महाराणा कुम्भा द्वारा बनवाया गया नव खण्ड का कीर्ति-स्तंभ है और उसके समीप ही एक जैन स्तूप और गीमुख कुण्ड है। चितौड़ दुर्ग का फण-कण शौर्य-गाथाओं से भरा हुआ मार्गव्यय भोजन आदि के लिए पन्चीस रुपये कल तक जमा करा द। मन मा

है। पथ-दर्शक प्रत्येक महल, मन्दिर, स्तूप आदि के विषय में आवश्यक जानकारी तथा तत्संबंधी वीर गाथा कह कर हमारी जिज्ञासा को शान्त कराता जाता था। आगे बढ़ते-बढ़ते हम जयमल और पत्ता के महलों तक पहुँच गये। समय अधिक हो जाने के कारण हम लौट आये, किन्तु मन हमारा अभी तक किले के पवित्र मन्दिरों और महलों में ही रम रहा था। भोजन आदि से निवृत्त होकर हम उदयपुर जाने वाली गाड़ी में जा बैठे।

पहाड़ियों में होती हुई, गुफाएं पार करती हुई हमारी ट्रेन उदयपुर पहुँच गई। स्टेशन से तागों द्वारा हम हाथी पोल धर्मशाला पहुँचे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वारह बजे तक समस्त कार्यों से निवृत्त होकर हम लक्ष्मी-निवास, सहेलियों की वाड़ी एवं विद्या-भवन देखने के लिए गये। इनमें से प्रत्येक स्थान रमणीय, और महत्वपूर्ण था। दूसरे दिन प्रातः ५-३० बजे ही हमने केशरिया नाथ जी के लिए प्रस्थान कर दिया। हमारी मोटर नौ-दस जगह चौकियों पर भीलों को कर देने के लिए रुकी। सम्पूर्ण मार्ग पाहाड़ियों एवं वनों से सुशोभित था। केशरिया नाथजी का एक जैन मन्दिर है, किन्तु पूजा ब्राह्मण पुजारियों द्वारा की जाती है। केशरिया नाथजी परं दिनभर में वीसियों रुपये की केशर बढ़ती है। केशरिया नाथ जी के दर्शन करके हम पुनः उदयपुर लौट आये, जहाँ हमने राणाजी के महल, चिड़िया-घर और वीछूला भील देखी। उदयपुर की यह सर्वोत्तम प्राकृतिक सुन्दर भील है जो सहस्रों यंत्रियों को आकर्षक करती रहती हैं। हमने भी इस भील में नौकाविहार का आनन्द लूटा। सम्पूर्ण भील कई भागों में विभक्त है जिसके नाम, स्वरूप-सागर, फतह-सागर आदि हैं। इस भील का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम और-हृदय-प्राही है। भील से लौट कर हमने उदयपुर के महाराणा से भी मुलाकात की।

दूसरे दिन हम प्रातः काल मोटर द्वारा 'नाथद्वारा' के लिए चल पड़े। मार्ग पहाड़ी और चक्करदार है। मार्ग में कैलाशपति शंकर भगवान की कैलाशपुरी एकलिंग का मन्दिर यात्रियों को रुकने के लिए वाध्य कर देता है। इस मन्दिर के साथ भी खिलजी-सम्राट् अलाउद्दीन के भीषण अत्याचारों की रोमांचकारी घटनाएं संलग्न हैं। मन्दिर के दर्शन करके हम आधे घंटे में ही नाथद्वारा पहुँच गये। श्री नाथ.जी के मन्दिर में प्रतिदिन तीन चार हजार रुपयों का भोग

प्रसाद आदि मे व्यय होता है। वहां भारत के अन्य पवित्र तीर्थ-स्थानों की तरह यात्रियों की सदा ही भीड़ लगी रहती है। यही से एक सड़क प्रसिद्ध हल्दी घाटी की ओर जाती है। पूरे चौबीस घंटे उस देव-भूमि में रहकर हम कांकरोली आये जहां हमने रायसमुद्र नामक एक विस्तृत तालाब देखा। कांकरोली से जोधपुर के लिये जब हम गाड़ी मे रवाना हुए तो मार्ग के रमणीय दृश्यों ने हम लोगों के हृदय को अत्यधिक आकर्षित कर लिया।

चौदह घंटो तक निरन्तर रेल द्वारा यात्रा करते हुए हम प्रातः ६ बजे जोधपुर पहुँच गये। लाल पत्थर की अधिकता के कारण सम्पूर्ण जोधपुर लाल-लाल दिखाई दे रहा था। यद्यपि बाजार अधिक चौड़ा नहीं है तथापि नगर सुन्दर है जोधपुर मे दर्शनीय स्थान मंडोर, बालसमद, हवाई अड्डा एवं किला है। पूर्ण दिन जोधपुर भ्रमण करने के पश्चात् रात्रि को १० बजे ट्रेन से हमने वापस जयपुर को प्रस्थान किया और दूसरे दिन दोपहर बारह बजे हम सकुशल अपने-अपने घर आ पहुँचे।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारी यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही। जिन बातों को केवल पुस्तको मे पढा करते थे, जिन स्थानों के केवल नाम मात्र से परिचित थे, उन्ही स्थानो को एवं उनसे सम्बन्धित कथाओं को प्रत्यक्ष देखा एवं कानों से सुना ती बीते युग की सब घटनाएं सदा के लिए मानस-पटल पर अंकित होगईं जो भुलाये नहीं भुलाई जा सकती। आज भी हृदय यही चाहता है कि वीर-भूमि मेवाड़ का एक बार फिर भ्रमण किया जाय और उन सतियों को, शूरवीरो को नतमस्तक हो प्रणाम किया जाय जिन्होंने- कुल-मर्यादा और अप्रति स्वतन्त्रता के लिए हंसते हंसते मृत्यु का आलिगन किया है। वे ऐतिहासिक स्थ आज भी हमे देश पर बलि होने की प्रेरणा देते हैं।

(६) विवाह विच्छेद या तलाक

१. विवाह-विच्छेद का अर्थ।
२. तलाक को प्रोत्साहन देने वाले कारण।
३. तलाक की आवश्यकता।
- तलाक से लाभ एवं हानि।

परिवार में विवाह अति आवश्यक है। हिन्दुओं के विवाह का आदर्श धार्मिक और सामाजिक है। विवाह का वास्तविक उद्देश्य स्त्री तथा पुरुष के मधुर समन्वय से दोनों को पूर्णता सिद्ध करना तथा सांसारिक सुख-शान्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार विवाह-द्वारा परिवार एक सफल संस्था बन जाती है। परन्तु परिवार में स्त्री-पुरुष यह अनुभव करने लगें कि उनका विवाह असफल रहा या है तो इसका क्या उपाय? इसका उत्तर स्पष्ट है कि वे पृथक् हो जायें। विवाह-विच्छेद दोनों ही के लिए समान मार्ग की व्यवस्था करता है जिसको किसी असह्य परिस्थिति आने पर ग्रहण किया जा सकता है। विवाह-विच्छेद दो तरह का हो सकता है—परित्याग तथा तलाक। परित्याग का अर्थ है स्त्री-पुरुष स्वैच्छा से पृथक् हो जायें। इसमें कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। गरीब लोगों में इसी प्रथा का प्रचलन है। तलाक का अर्थ है कानूनी तौर पर विवाह-सम्बन्ध को छोड़ देना। तलाक वैवाहित जीवन की गलतियों को दूर करता है, अतः जहाँ-जहाँ विवाह की प्रथा प्रचलित है, वहाँ-वहाँ किसी-न-किसी रूप में तलाक भी पाया जाता है।

विवाह कोई गुड्डे-गुड्डियों का खेल नहीं है। इसमें दो व्यक्तियों को आजन्म साथ रहने के लिये जीवन-साथियों के रूप में बाँधा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण भी यही है कि इस सम्बन्ध को दुनिया का कोई कानून नहीं तोड़ सकता, परन्तु ऐसा नहीं होता। इस रोग की सारी जड़ हमारा समाज-विधान ही है। छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिन्हें अभी यह भी ज्ञान नहीं कि विवाह किस विड़िया का नाम है। उनका भावी जीवन बड़ा अन्धकारमय सा हो जाता है। विवाह करते समय भी बड़े-बूढ़े लड़के-लड़की की स्वीकृति की परवाह नहीं करते। उनकी प्रकृति एवं रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। फल यह होता है उनका सामाजिक जीवन बड़ा अस्त-व्यस्त सा और नीरस व्यतीत होने लगता है। धन के लोभ माता-पिता, योग्य, स्वस्थ एवं सम-वयस्कता का ध्यान रखे बिना ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह सम्पन्न करा देते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका विवाहित जीवन नरक-नुल्य बन जाता है। कभी-कभी विवाह अपने से कई गुना ऊँचे घराने में हो जाता है। वहाँ परिणाम यह होता है बात-बात में स्त्री-पुरुष अपने-अपने

घर की डींग मारते हैं, खेकियां बधारेते हैं, एक अपने को दूसरे से ऊँचा समझता है। ऐसी स्थिति में पति-पत्नी अपने विवाह-सम्बन्ध के लिये अपने कुलवालों को कोसा करते हैं। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के सम्बन्ध में अधिक त्रुटियाँ माता-पिता या बड़े-बूढ़ों द्वारा ही होती हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं है। आधुनिक समय में रोमान्टिक लव मैरिज युवकों की एक नवीन समस्या है। प्रारम्भ की स्वीट्निंग कल्पनाएँ प्रणय-बन्धन में बंधते ही कागज के महल की तरह धराशायी हो जाती हैं और उनको अपने किये पर जीवन भर पश्चात्ताप करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में जहाँ प्रति दिन पति-पत्नी कुत्ते-बिल्ली की तरह घुरें घुरें ही किया करते हों, परिवार के आनन्द को चकनाचूर करते हों, वहाँ तलाक की व्यवस्था के सिवाय और इलाज ही क्या बच रहता है।

तलाक की आवश्यकता को विश्व के समस्त राष्ट्रों ने अनुभव किया है। भारत के पूर्व कालीन धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करने से पता लगता है कि तत्कालीन समाज में तलाक की मान्यता थी। मनु का कथन है कि उन्मत्त, पतित, क्लीब और असाध्य रोगों से ग्रसित पति का त्याग देने में स्त्री अपराधिनी नहीं होती। कौटिल्य ने भी अपने अर्थ-शास्त्र में तलाक को विशेष परिस्थियों में मान्यता दी है। तलाक केवल स्त्री की ओर से ही हो, ऐसी बात नहीं। पूर्वोक्त आधारों पर पुरुष-पक्ष को भी तलाक का उतना ही अधिकार है जितना स्त्री-वर्ग की। परन्तु गये समय में एक नया आदर्श स्थापित किया गया। स्त्री को जहाँ गृह-लक्ष्मी समझा जाता था, उसे पांव की जूती समझा जाने लगा। उसको जितना नीचे ठकेल सकते थे, ठकेला गया। यहाँ तक कि तुलसीदास जैसे महाकवि स्त्री के प्रति "ढोल, गंवार शूद्र पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी" ऐसी रचनाएँ करने लगे। इस युग में स्त्री का अधःपतन अन्तिम सीमा तक पहुँच गया। जिस प्रकार समय परिवर्तनशील है, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु भी परिवर्तनशील है। स्त्री स्वयं अपनी अवस्था से कराह उठी। उसने समझ लिया कि उसके स्वयं जागे बिना काम नहीं चलेगा। आज इसी का फल है कि भारतीय संसद में स्त्री के अधिकारों की रक्षा-हेतु तलाक की कानून रूप से स्वीकृत कर लिया गया है। कुछ प्रगतिशील लोगों ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया है और पुरजोर शब्दों में उसकी मांग की है।

प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है । वह चाहता है कि उसका पारिवारिक जीवन सुखमय हो । किन्तु किन्ही कारणों-वश यदि ऐसा नहीं होता तो मानव अपने जीवन से ऊब उठता है । मनुष्य को सबसे अधिक सुख शान्ति दम्पति जीवन से ही प्राप्त होती है । वह गरीब से गरीब होकर भी अपने वैवाहिक जीवन को आनन्द मय बिताना चाहता है । किन्तु दुःखमय दम्पति जीवन से वह विश्व का स्वामी बन कर भी सुखी नहीं रहता । परिणाम यह होता है कि आये दिन आत्म-हत्याएं, हत्या-काण्ड और अत्याचारों का बोल-बाला बढ़ता जाता है । दुखी स्त्री-पुरुष नैतिकता-अनैतिकता का कुछ भी ध्यान नहीं रखते । तलाक ने इन सब सामाजिक बुराइयों का अन्त-सा कर दिया है । भारतीय समाज में तलाक प्रथा ने स्त्री-जाति के उत्थान में बड़ी मदद की है । आज उसकी समाज में स्थिति अच्छी होती जा रही है । पुरुष अपने अनैतिक कार्यों पर काबू करता जा रहा है । फलतः आज का पारिवारिक जीवन अधिक सफल एवं सुखी देखने लगा है ।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज में सुखी रहना चाहता है । उसका पारिवारिक जीवन जितना सुखी होगा, समाज में रहकर वह उतना ही प्रसन्न रहेगा । यह ठीक है कि तलाक ने विवाह की स्थिति को सुधारा है, नया मोड़ दिया है । किन्तु क्या तलाक से ही सारा पारिवारिक जीवन सुखी बनता है । यह मानने योग्य बात नहीं । जहां तलाक ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया है, वहां समाज के लिए भी नई समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं । आज कितनी स्त्रियां उच्छ्वंखल तथा कामुक पुरुषों की शिकार होती जा रही हैं । संसार का धनाढ्य देश अमेरिका इसका उदाहरण है । साधारण घटनाओं पर वहां तलाक दे दिया जाता है । भारत की स्थिति तो और भी विषम है । स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, आर्थिक दृष्टि से भी वे अपने पांवों पर खड़ी नहीं हैं । ये सब ऐसी बातें हैं जो उसे कुए से निकाल कर खाई में डाल देगी । कुछ मनचली युवतियां जान-बूझ कर अपने पतियों पर झूठा दोष लगाने का दुसाहस करने लगेंगी । कल वे चमड़े की कठपुतली की तरह दर-दर की ठोकरें खाती फिरेंगी उनके बच्चों की स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच की होगी । देश में आवाजाही की भरमार होगी, और समाज का ढांचा ही कुछ और प्रकार का होगा

भारतीय संस्कृति का आदर्श नया बनाया जायेगा। जिन देशों में आज तलाक प्रथा रोकने पर विचार किया जा रहा है, वहाँ हमारे यहाँ इसको चालू किया जा रहा है।

कुछ भी हो, तलाक आज के समाज की एक आवश्यक समस्या है। जहाँ यह अनुभव किया जाय कि दो आत्मायें एक साथ मिलकर विलकुल नहीं रह सकती, वहाँ कुछ परिवर्तन करना ही श्रेयस्कर होगा। विवाह-विच्छेद की अधिकता को दूर करने पर विचार किया जाना चाहिए। युवक एवं युवतियों को विवाह तथा पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक शिक्षा दी जानी चाहिए। विवाह-निर्णय सावधानी से किया जाना चाहिये। विवाह-विच्छेद की अनुमति गम्भीर विमर्श के पश्चात् ही दी जानी चाहिये। सबसे मुख्य बात यह है कि यदि स्त्री स्वयं शिक्षित तथा अपने पैरों पर खड़ी होने योग्य हो तो तलाक से होने वाली कोई हानि नहीं होगी, शर्त यही है कि वह अपने विवेक से काम ले, और इस प्रकार तलाक सामाजिक बुराइयों के लिये एक सुन्दर अस्त्र साबित होगा।

(१०) राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

१—भूमिका—भारत में लोकतंत्र-शासन-प्रणाली

२—महात्मा गांधी के विचार—ग्रामोत्थान और ग्राम-पंचायत

३—समाजवाद और विकेन्द्रीकरण

४—राजस्थान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण

५—विकेन्द्रीकरण की त्रिमुखी योजना—पंचायत, पंचायत-समिति और जिला परिषद

६—योजना का कार्य—विवरण

७—उपसंहार

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् सन् १९५० ई० से भारत में लोक-तंत्र-शासन-प्रणाली चल रही है। भारत का संविधान भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है—एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की जिसमें प्रत्येक नागरिक को रहने को घर, खाने को भोजन, पहिनने को कपड़ा एवं अन्य जीवनोपयोगी सामग्री मिल सके, जिसमें निर्धनता और बेरोजगारी न हो तथा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्ररूप से अपना विकास करने का अधिकार और सेवाओं के अमणाय प्राप्त, ...

व्यय भोजन आदि के लिए पन्चीस रुपये कल तक जमा करा दे। मन भी

प्रवसर मिले। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है जो राज्य-सरकारों को समाजवादी व्यवस्था लाने में प्रेरणा देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति केवल लोकतंत्र-शासन-प्रणाली में ही संभव है।

हमारे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी भारत में राम-राज्य की स्थापना करना चाहते थे। भारत की जनता ग्रामों में निवास करती है। ग्राम भारत की आत्मा हैं, इसलिए गांधीजी जनता की सत्ता अधिक से अधिक जनता के हाथों में सौंपने के लिए ग्राम-पंचायतों की स्थापना पर बल देते थे, तथा भारत की दरिद्रता एवं बेकारी को दूर करने का साधन वे ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगों को समझते थे। खेद है कि आज वे अपने इन विचारों को कार्य रूप में परिणित नहीं हुए देखने को हमारे बीच नहीं है।

भारत की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ की जनता भी अभी शिक्षित नहीं है, इसलिए एक दम परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विभिन्न उपायों द्वारा धीरे-धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन लाया जा रहा है। सर्वोदय, श्रमदान, भूदान आदि आन्दोलन भारत में समाजवादी विचार-धारा को विकसित करने के लिए ही चलाये जा रहे हैं। समाजवाद सब व्यक्तियों को समान मान कर चलता है, चाहे वे श्रमजीवी हों या बुद्धि-जीवी। भारत में गांधीवादी समाजवाद को, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, चलाया जा रहा है। वर्गहीन और शोषण-रहित समाज की रचना तभी संभव हो सकती है जब सत्ता, सम्पत्ति और साधनों का विकेन्द्रीकरण हो। पूँजीवादी व्यवस्था में केन्द्रीयकरण होता है और सत्ता, सम्पत्ति और साधन कुछ ही लोगों के हाथ में रहते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था में न्याय मिलता है और न सबको समान सुविधाएँ। लोकतंत्र में सत्ता समाज में विकेन्द्रित होती है तथा किसी भी वर्ग को इतनी सत्ता प्राप्त नहीं होती कि वह दूसरों का शोषण करे वा स्वयं निरंकुश बन बैठे। लोक-तंत्रीय नियोजन का उद्देश्य ही लोक-कल्याण है। इसलिए वह राष्ट्र के प्रत्येक विकास-कार्य में जनता को भावना और सहयोग की अपेक्षा रखता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र-शासन में विकेन्द्रीकरण आवश्यक है।

राजस्थान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का श्रीगणेश सन् १९५६ ई. से हुआ है। राजस्थान विधान-सभा ने राजस्थान पंचायत-समिति तथा जिला परिषद् विल पास करके विकेन्द्रित प्रशासन की व्यवस्था चालू की है। मद्रास और आन्ध्र के बाद राजस्थान ही तीसरा राज्य है जो बलबन्तराय मेहता की विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहा है। इससे पूर्व राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य की गरीब जनता का उत्थान करने के लिए एक योजना कमेटी वैठाई गई थी, जिसने विकेन्द्रीकरण के त्रिमुखी स्वरूप को विधान की समक्ष रखा। विधानसभा ने आवश्यक संशोधन के साथ इसे स्वीकार कर लिया तथा १९५६ की गांधी-जयन्ती के पवित्र अवसर पर इसे आरंभ कर दिया। राजस्थान को विकेन्द्रीकरण योजना का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में कहा था—“आज हम महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार रूप देने जा रहे हैं। देश की जनता को इस योजना से वास्तविक लाभ होगा, ऐसी पूर्ण आशा है। राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त में इस योजना का प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, यह राजस्थान और भारत दोनों के लिए स्वर्ण अवसर है। राजस्थान में इस योजना की सफलता देख कर अन्य प्रान्त भी इसका अनुकरण करेंगे”।

विकेन्द्रीकरण की इस त्रिमुखी योजना का लक्ष्य यह था कि गांवों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का संगठन किया जाय। इस योजना के अनुसार प्रत्येक १५०० की जन-संख्या वाले ग्राम में एक ग्राम-पंचायत की स्थापना की गई है तथा बहुत सी पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। बहुत सी पंचायत समितियों का जिले में एक संगठन किया गया है, जिसे जिला परिषद् कहते हैं। पंचायत में पंच तथा सरपंच जनता द्वारा चुने जाते हैं। सरपंच ग्राम-पंचायत का मुखिया होता है और उसी पर अपने पञ्चायत-क्षेत्र की जनता के उत्थान करने का दायित्व होता है। पंचायतों के सदस्यों की महिला सदस्यों, पिछड़ी हुई जाति के सदस्यों तथा हरिजन सदस्यों के अभ्यर्थन (Co-option) करने का अधिकार है। कई पंचायतों के सरपंच मिलकर पंचायत-समिति का गठन करते हैं, जिसमें उस क्षेत्र का विधान सभाई सदस्य

भी भाग लेता है। सरपंच सात या आठ सदस्यों का अभ्यर्थन करते हैं, तत्पश्चात् वे प्रधान का चुनाव करते हैं। प्रधान पंचायत-समिति की देखरेख करता है। सरकार की ओर से भी कई अधिकारी पंचायत समिति में नियुक्त किये जाते हैं जिनमें विकास-अधिकारी (Development Officer) प्रमुख होता है। पंचायत समिति लगभग १०० गांवों की ७५००० जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा उस क्षेत्र को विकसित करने का कार्य करती है।

जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, विधानसभा के सदस्य तथा लोकसभा के सदस्य जिला परिषद् का निर्माण करते हैं। वे कुछ सदस्यों का अभ्यर्थन करते हैं तथा जिला परिषद् के प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला-स्तर के सभी सरकारी अधिकारी अपने-अपने विषय में इसे परामर्श देते हैं। जिला-धीश जिला परिषद् का स्थापन सचिव (Officio-Secretary) होता है। कार्यवाहक सेक्रेटरी सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है। जिला परिषद् का सेक्रेटरी जितना कार्य-कुशल होता है, उतना ही वह पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् को लाभ पहुँचाता है। जिला परिषद् पंचायत समितियों के बजट को पास करती तथा उनके काम की देखभाल करती है। पंचायत समिति के अधीन पंचायतों में ५ से ७ तक पंचायतें एक न्याय-पंचायत बनाती हैं। प्रत्येक पंचायत के पंच तथा सरपंच न्याय-पंचायत के लिए एक सदस्य का चुनाव करते हैं। इस प्रकार चुने गये पांच या सात सदस्य अपने में एक को न्याय पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। इस संगठन का उद्देश्य जनता को सस्ता न्याय देना है जिससे ग्रामीण जनता का बड़े-बड़े न्यायालयों से पीछा छूटे तथा उन्हें स्वयं भी न्याय करने का अधिकार मिले।

उपर्युक्त तीनों संगठन जिले की ५ लाख देहाती जनता का विकास करते हैं। इस प्रकार जिले भर में पंचायतों, पंचायत-समितियों तथा जिला परिषद् के निर्माण का श्रीगणेश राजस्थान में किया गया है। ऐसा करने से जनता के हाथ में पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक शक्ति आगई है। अब यह भय नहीं रह गया है कि सरकार के उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिगण लोभ में आकर जनता का अहित कर देंगे। अब तो जनता स्वयं अपनी प्रभु है, वह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र और साधिकार है।

इस योजना के कार्यान्वित होने से एक साधारण नागरिक को यह महसूस होने लगा है कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। किन्तु इस योजना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञान की। अशिक्षा के कारण लोग सामाजिक बुराइयों में फँसे हुए हैं तथा इस योजना के शुभ परिणामों को भी वे शंका की दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि सरकार और जनता के प्रतिनिधि जनता की इस गलत धारणा को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं, तथापि जिस स्थिति के आने की आशा की जा रही है, उसके आने में अभी समय लगेगा। ग्रामोद्योग, लघु उद्योग तथा अन्य कई तरीकों से भी ग्रामीण जनता को ऊँचा उठाया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार कर उसे आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है, तथा नगर-ग्राम के महान् अन्तर को समाप्त किया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान में यह योजना एक स्वर्णिम भविष्य की शीघ्र ही प्रत्यक्ष कर देगी जिससे ग्रामीण जनता को भी स्वतंत्रता का वास्तविक आनन्द मिल सकेगा।

(११) छत्रपति शिवाजी

१. भूमिका
२. जन्म और कुल
३. बाल्यकाल तथा शिक्षा
४. युवावस्था (राज्याभिषेक)
५. मुख्य घटनाएँ
६. चारित्रिक विशेषताएँ
७. मृत्यु तथा प्रभाव

जिस समय देश में सर्वत्र मुगल सम्राट् औरंगजेब की दुर्दुर्भेद वज्र रही। औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण देश में हाहाकार मच रहा था। हिन्दुओं के मन्दिर तुड़वा कर मस्जिदें बनवाई जा रही थीं, उनसे जजिय कर वसूल किया जा रहा था। औरंगजेब के अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे। हिन्दू-जाति में घोर निराशा छाई हुई थी, उसकी उद्धार का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय में हिन्दू-कुल-भूषण, महाराष्ट्र-केशरी छत्रपति शिवाजी का अवतार हुआ।

महाराज शिवाजी का जन्म पूना के निकट सन् १६२७ ई० में हुआ था । वे सिसोदिया कुल के भोंसला सरदार शाहजी के पुत्र थे । इनकी माता का नाम जीजावाई था जो एक परम विदुषी और धार्मिक स्त्री थी । जीजावाई अपने पुत्र को बचपन में वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी जिनका बालक शिवाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा । माता की अभिलाषा थी कि उनका पुत्र परम पराक्रमी और यशस्वी बने । माता की शिक्षा-दीक्षा ने बचपन से ही शिवाजी के हृदय में भावी महत्ता के बीज बो दिए थे ।

माता से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके शिवाजी ने दादाजी कोंडदेव और समर्थ स्वामी रामदास के संरक्षण में शास्त्र-विद्या ग्रहण की । शिवाजी की प्रकृति ज्ञान और बुद्धि तीक्ष्ण थी । उनका मन ग्रन्थयन में न लगता था । वे 'मावली' बालकों के साथ दल बनाकर युद्ध के खेल खेला करते थे । माता के द्वारा सुनाई गई शौर्य और पराक्रम की कहानियाँ उनके मस्तिष्क में चक्कर काटती रहती थीं । वे अपने आपको एक वीर योद्धा बनाना चाहते थे । इसलिए उनकी युद्ध-कला से प्रेम था । फिर शिवाजी को गुरु भी ऐसे ही मिल गये जिन्होंने शिवाजी के हृदय को अदम्य उत्साह से भर दिया ।

देश और धर्म पर मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण शिवाजी का हृदय बचपन में ही द्रवित हो उठा था । उनके हृदय में स्वतन्त्रता के भावों की जागृति हुई । युवा होते-होते उन्होंने अपने बचपन के मावली साथियों को संगठित किया । वे किसी के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे । रण-कला में तो निपुण थे ही, उन्होंने बीजापुर के दुर्गों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया और एक-एक करके सब पर अधिकार कर लिया । जब बीजापुर के बादशाह ने इनके पिता शाहजी को, जो उसके यहाँ नौकरी करते थे, कैद कर लिया, तब शिवाजी ने दिल्ली से पत्र-व्यवहार करके उन्हें छुड़ा दिया । धीरे-धीरे शिवाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाई और पुरन्दर, तोरण आदि कई महत्वपूर्ण किलों को जीत कर अन्त में सन् १६७४ ई० में रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक किया । अष्ट प्रधान मन्त्री-मण्डल की स्थापना करके उन्होंने अब विधिपूर्वक राज्य का संगठन कर शासन करना प्रारम्भ कर दिया ।

शिवाजी की इस प्रकार बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मुसलमानी राज्य

भयभीत हो गये। उन्होंने शिवाजी को कैद करने वा बध करने के अनेक षड्यंत्र रचे। बीजापुर के बादशाह आदिलशाह ने अपने कुशल सेनापति अफजल खाँ को, जो एक धूर्त और चालाक व्यक्ति था, शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। जब दोनों का मिलन हुआ तो अफजल खाँ ने शिवाजी पर तलवार का वार किया। शिवाजी इन सब बातों के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने वार बचाकर तत्काल खान के पेट में अपना बघनखा घुसेड़ दिया और खान का अन्त कर दिया। छिपे हुए मराठी वीरों ने बीजापुर की सेना पर एकदम दृढ़कर उसको तितर-बितर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि बीजापुर के बादशाह ने शिवाजी से सधि करली और उन सब दुर्गों पर, जिनको शिवाजी जीत चुके थे, शिवाजी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी की इस विजय ने मुगल सम्राट् औरंगजेब की आँखें खोल दीं। वह भी शिवाजी की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति से चौकन्ना हो गया। उसने शिवाजी से लड़ने के लिए शाइस्ता खाँ को भेजा, किन्तु चतुर शिवाजी ने उसकी चार अंगुलियाँ काट कर उसको भी भगा दिया। अंत में कूटनीतिज्ञ औरंगजेब ने राजा जयसिंहजी को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को अनेक वचन दिये और शिवाजी को वह आगरे ले आया। किन्तु दिये हुए वचनों के अनुसार अपना सत्कार न पकर शिवाजी मुगल दरवार में ही विगड़ उठे और वह आगरे के किले में कैद कर दिए गये, जहाँ से वे कुछ समय पश्चात् निकल भागे और दक्षिण में पहुँच गये। औरंगजेब ने फिर एक वार जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, किन्तु वे मुँह की खाकर लौट आये। इन सफलताओं ने शिवाजी की शक्ति और साहस को और भी बढ़ा दिया और अब वे अहमदनगर से भी चौथ बसूल करने लगे।

शिवाजी उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। धर्म पर उनका अटल विश्वास था, किन्तु औरंगजेब की तरह वे धर्मान्ध न थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। युद्ध में पकड़ी गई मुसलमान महिलाओं एवं कुरानशरीफ की प्रतियों को वे आदरपूर्वक वापस कर देते थे। शिवाजी विलासी वा कामुक नहीं थे। वे अत्यन्त अमशील और कष्ट-सहिष्णु थे। वे कर्तव्य-निष्ठ, निर्भीक, अदम्य उत्साही, दृढ़ आत्म-विश्वासी, प्रजा-पालक, स्वतन्त्रता-प्रेमी और आर्य-संस्कृति के प्राण-पण से पोषक व रक्षक थे उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी और जीवन-

पयन्त वे अपने इस आदर्श पर अडिग रहे ।

सन् १६६० ई० में ५३ वर्ष की आयु में महाराज शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग में, जहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ था, अपना यह भौतिक शरीर छोड़ा । इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करके उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया । इसे वे गुरु रामदास की कृपा वा प्रसाद समझते थे । महाराज शिवाजी ने मराठा जाति का तो संगठन किया ही, हिन्दू-राष्ट्र के निर्माण का बीजारोपण भी उन्होंने ही किया । स्थान-स्थान पर यवनों को हरा कर एवं हिन्दू-धर्म और संस्कृति की रक्षा कर उन्होंने हिन्दुओं में राष्ट्र-प्रेम जागृत किया । शिवाजी के अम्युदय से मुसलमानी अत्याचार बहुत कम हो गये थे । मुसलमानी शासक शिवाजी से भय खाते थे । तत्कालीन समाज और राजनीति पर शिवाजी का बहुत प्रभाव पड़ा जो कई वर्ष तक रहा । शिवाजी भारत के चिरस्मरणीय महापुरुषों में से एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं ।

(१२) श्रमदान

१. प्रस्तावना
२. श्रमदान का अर्थ
३. श्रमदान का क्षेत्र
४. श्रमदान से लाभ
५. उपसंहार

आज हम स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं । कल की बात और थी जब हम पर विदेशी लोग शासन करते थे । उस समय हमारा कोई उत्तरदायित्व न था । न हमें राजकीय कार्य में रुचि थी, न सामाजिक कार्य से प्रेम; केवल सुख चैन से लम्बी तानना ही हमारा काम था । परन्तु आज हम विदेशी शासन से मुक्त हैं और यह मुक्ति अपने साथ भारतीय नागरिक के लिए अनेक जुम्मेदारियाँ लेकर आई है । भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्रता के प्रथम प्रभात में ही इसे अनुभव किया और 'आराम हराम है' इन शब्दों में व्यक्त किया । हम अपने पिछड़ेपन का सारा दोष विदेशियों को देते रहे हैं, पर आज तो शासन की वागडोर हमारे स्वयं के हाथों में है । यदि अब भी हमने अपना आराम न छोड़ा तो हमारी दशा सुधरने की नहीं । एक अनोखी मनी-

वृत्ति लोगों में फैली हुई है, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर करना कुछ भी नहीं चाहते। यह बात सर्वथा असम्भव है। जो देता है, उसे ही मिलता है। निःसंदेह भारत सरकार अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि के लिये प्रयत्नशील है, किन्तु इसके लिये हम को भी त्याग करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ दान देना पड़ेगा। भारत में जन-शक्ति की कमी नहीं। यदि उसे राष्ट्रीय विकास में तन-मन से लगा दिया जाय तो देखते-ही-देखते भारत का रंग रूप ही बदल जाय। जो काम रूस तथा अमेरिका ने २५ वर्षों में किया है, भारत उसे थोड़े समय में ही पूरा कर सकता है, पर इसके लिये चाहिये आपका त्याग, आपका श्रम-दान।

भारत स्वतन्त्र हुआ। भारत-माता के अनेक लाल अपने प्राणों की बाजी लगा कर स्वतन्त्रता-संग्राम में जूझ-जेल गये, लाठियाँ खाईं, गोरेलियाँ खाईं, और यहाँ तक कि गद्दीद हो गये। यह सब उनका रक्त-दान था। इसका परिश्रमिक मिला, पारितोषिक मिला 'भारत की स्वतन्त्रता'। किन्तु केवल राज-नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने मात्र से भारतवासियों को सुख-चैन मिल जाय, यह बात युक्ति-युक्त नहीं। लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठना चाहिए। लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा एवं घर आदि की पूरी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ये सब आसमान से टपकने वाले नहीं, इनके लिए आपको और हमको परिश्रम करना पड़ेगा; अपने लिए नहीं, सबके लिए; एक के लिए नहीं अनेकों के लिए। यही श्रमदान का सही अर्थ है। आज भारतीयान में प्रण से कटिबद्ध देशवासी केवल श्रमदान ही नहीं, धन-दान, बुद्धि-दान तथा भू-दान आदि आंदोलनों में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। भारत-माता अपना आंचल फैला कर आज अपने पुत्रों से मांग करती है कि वे परिश्रम करें। राजनैतिक स्वतन्त्रता से अधिक मूल्य आर्थिक स्वतन्त्रता का है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत हो गई तो हमारी - राजनैतिक स्वतन्त्रता भी स्थिर रह सकेगी। परन्तु इसी लिये श्रम या मेहनत करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं।

प्रायः लोगों को कहते सुना है कि वे श्रम किस जगह जाकर करें। यह प्रश्न बड़ा विचित्र दिखाई देता है। आज भारत का कौन-सा स्थान ऐसा है जहाँ श्रम की आवश्यकता न हो। यदि आप विद्यार्थी है या अध्यापक हैं तो आपके के कोटि-कोटि अशिक्षित लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। आप जिस

गांव अथवा नगर में रहते हैं, वहां से गन्दगी दूर करने में योग दीजिए। बीमारों की सेवा शुश्रूषा कीजिए। उधर देखिये, गांव की ऊबड़-खावड़ भूमि आपका श्रमदान मांगती है, कल वहाँ लहलाहाते हरे-भरे-खेत हो सकते हैं। राजस्थान की मरुभूमि हरियाली चाहती है। भारत का उत्थान आप से नई सड़कें, नये पुल, नये बांध, नये कल-कारखाने और बहुत कुछ मांग रहा है, दीजिए आप जितना दे सकते हैं। काम इतना है कि आपको पल भर भी आराम न मिले। परं लोग श्रम से शर्म करते हैं। फावड़ा और कुदाली चलाने में लज्जा आती है। शिक्षा का उद्देश्य कागजी घुडदौड़ ही नहीं, उसकी सही सार्थकता शारीरिक श्रम के साथ है। आइए, सामुदायिक विकास योजना के साथ मिलकर श्रमदान करें। श्रमदान का क्षेत्र चारों ओर है। अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार आपको काम मिलेगा। आज रूस और चीन को देखकर हम आश्चर्य करते हैं, कल चीन और रूस वाले हमारे श्रमदान के चमत्कार से दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे।

संघर्ष ही जीवन है। जीवन में यदि संघर्ष ही नहीं, तो जीवन नीरस है। श्रमदान हमें संघर्षों से लड़ना सिखाता है। श्रमदान के समय लोग कठिन से कठिन काम को हंसते-हंसते पूरा कर डालते हैं। पहाड़ों को मैदानों में बदल देते हैं; ऊसर भूमि में लहलहाते खेत बना देते हैं। श्रमदान का सबसे प्रमुख लाभ तो यह हुआ है कि अब तक बुद्धि-जीवी वर्ग, जो अपने को श्रेष्ठ समझता था, श्रम-जीवियों को हीन-भाव से देखता था, आज दोनों के बीच की खाई भरी हुई दीख पड़ती है। दोनों वर्ग मिलजुल कर प्रेम-भाव से एक स्थान पर आ बैठे हैं, यह श्रमदान का ही प्रभाव है। सच्चे समाजवाद के लिए श्रम के प्रति आदर-भावना अति आवश्यक है। श्रमदान समाजवाद की समानता लाने में अग्रदूत है। जनतंत्र में जनता की सरकार होती है, कोई राजा, महाराजा या सामंत शासन नहीं करता, शासन की बागडोर जन-जन के हाथ में होती है, अतः आवश्यक है कि लोक-सरकार के हाथ मजबूत किये जावें। अपनी कमी को दूर करें तथा आवश्यक आलोचना भी करें। श्रमदान कमियों को पूरा करता है, जब कमी ही पूरी हो गई तो आलोचना का कोई अर्थ न होगा। इस प्रकार श्रमदान जनतंत्र का एक आवश्यक अङ्ग है। सब काम पैसे से पूरे नहीं होते। फिर इतना धन

भी कहां है कि राष्ट्र के सारे कार्य पैसे से पूरे करा लिए जायें। यदि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है तो श्रमदान का बड़ा महत्व है। बिना आर्थिक दशा में सुधार हुए जीवित रहना तरक में रहने के समान है ! यह विचार श्रमदान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जिसे हम विचार क्रांति की संज्ञा भी दे सकते हैं। आज देश में विचार-क्रान्ति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजनैतिक क्रांति की थी। यदि अभी तक यह समझ में न आया हो कि श्रम-दान से क्या लाभ है, तो उन सड़कों की तरफ देखिए जिन्होंने गांव की जनता को अपने व्यवसाय के लिए मार्ग दिया है, उनको सम्मिलन का सुयोग प्रदान किया है। उस बांध को देखिये जिससे सैकड़ों बीघा जमीन को जोतने योग्य बना दिया है। आज की खाद्य समस्या का हल श्रमदान ही है, देश की आर्थिक अवस्था का हल श्रमदान ही है। आपके आस पास जो कुछ है, सब श्रमदान का ही फल है।

विश्व में भारत अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। दुनियां वाले भारत के हर काम को बड़ी वारीकी से देखते हैं। श्रमदान भी उनके लिए एक नई वस्तु है। श्रमदान करते समय हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसे केवल नाम कमाने, फोटो खिचवाने के लिए ही न करें। इसके अन्तरंग में जनता-जनार्दन के कल्याण की भावना का विद्यमान होना अति-आवश्यक है। इससे इसका महत्व बढ़ेगा, अन्यथा लोग तमाशबीन की तरह देखकर हँसेंगे। श्रम-दान करते समय नम्रता और परोपकार की भावना होनी चाहिये। हर काम अपना समझ कर किया जाना चाहिए, इसे एक पवित्र अवसर और सुयोग समझकर करना अपना कर्तव्य समझें। इससे दूसरे लोग इसके महत्व को समझेंगे और उनकी देशोत्थान के कार्य में लगने की प्रेरणा भी मिलेगी। आइए आज हम सब नियम लें कि हमारा नया आन्दोलन श्रम-दान होगा।

(१३) मुंशी प्रेमचन्दजी

४. जनता के साहित्यकार

५. उनकी कृतियाँ

६. उनकी भाषा

७. उनकी गद्य-शैली

८ उपसंहार

श्री प्रेमचन्द हिन्दी-साहित्य के अमर कलाकार हैं। इनसे पहले के उपन्यास न मौलिकता लिए हुए थे और न मनोवैज्ञानिकता। इसी प्रकार कहानियों में भी कला का वह भव्य रूप जो इनकी कृतियों में मिलता है, इनसे पूर्व न था। श्री प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हैं, उत्कृष्ट कहानी लेखक और निबन्ध लेखक हैं। अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा श्री प्रेमचन्द हिन्दी जगत में एक नवीन युग उपस्थित कर दिया। इनके उपन्यास और कहानियाँ हिन्दी साहित्य की स्थायी निधि हैं। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में द्विवेदी काल में जो 'टेकनीक' और कला सम्बन्धी विकास हुआ उसका सम्पूर्ण श्रेय श्री प्रेमचन्द को है।

श्री प्रेमचन्द का वचन का नाम धनपतराय था। इनका जन्म सन् १८८० ई० में बनारस प्रांत के पांडेपुर ग्राम में एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुल में हुआ था। प्रारम्भ में इन्होंने उर्दू फारसी की शिक्षा प्राप्त की। सन् १८९९ ई० में इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की और एक स्कूल में अध्यापक हो गये। अध्यापन कार्य करते हुए ही इन्होंने बी० ए० पास किया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डिप्टी इन्स्पेक्टर बन गये। इनका आरम्भ से ही साहित्य की ओर विशेष झुकाव था, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साहित्यसृजन के कार्य में लग गये। आरम्भ से ही ये कष्ट सहिष्णु रहे हैं और आर्थिक संकट तो प्रायः इनको घेरे ही रहता था। इनकी मृत्यु सन् १९३६ ई० के सितम्बर मास में हुई थी।

श्री प्रेमचन्द की वचन से ही कहानियाँ पढ़ने और लिखने का जाब था। सर्वप्रथम इन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया। इनकी कहानियाँ उर्दू के प्रसिद्ध पत्र 'जमाना' में प्रकाशित होती थीं। आप अपने समय के उर्दू के एक लब्ध प्रतिष्ठ लेखक थे। ज्यों ज्यों इनकी रचनाएँ जनता द्वारा

समाहृत होने लगी, त्यों त्यों इनका उत्साह बढ़ता गया और थोड़े ही समय में ये एक प्रसिद्ध लेखक बन गये। समय के अनुसार जब इनके हृदय में हिन्दी प्रेम उत्पन्न हुआ, तब ये हिन्दी में लिखने लगे। हिन्दी का साहित्यिक ज्ञान प्राप्त करने में इन्हे देर न लगी। शीघ्र ही इनकी रचनाएँ हिन्दी जगत में भी आदर पाने लगी। इन्होंने कुछ दिनों तक 'मर्यादा' का सम्पादन किया और बाद में ये 'माधुरी सम्पादक मण्डल' में भी रहे। काशी से इन्होंने 'हंस' नामक मासिक पत्र एवं 'जागरण' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। श्री प्रेमचन्द का व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सरल था। वे सादगी को पसन्द करते थे। उनकी प्रकृति उदार थी, अभिमान उनको छू तक नहीं गया था। अपने विचारों में वे हृदय थे। दलितों, पतितों और उपेक्षितों के प्रति वे पूर्ण सहानुभूति रखते थे। वे एक निर्भीक लेखक थे।

श्री प्रेमचन्द हिन्दी के सर्व प्रथम साहित्यिक उपन्यास लेखक हैं। इन्होंने हिन्दी में मौलिक उपन्यास एवं कहानियाँ लिखकर हिन्दी के मस्तक को ऊँचा किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों ने इतनी ख्याति प्राप्त की है कि उनका अनुवाद कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में भी हो चुका है। इन्होंने लगभग ४०० कहानियाँ लिखी है। इन्होंने हिन्दी कहानी साहित्य में मनोवैज्ञानिक ढंग से चरित्र चित्रण आरम्भ किया। इनकी कहानियों तथा उपन्यासों के सभी अवयव प्रोढ़ तथा सुगठित होते हैं। ये अन्तः प्रकृति के विश्लेषण करने में बड़े दक्ष हैं। इनकी कला यथार्थवाद को लेकर चली है और इसमें कल्पना तथा चमत्कार का आवश्यकता से अधिक अंश नहीं है। इनके पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव है इन्होंने अपने पात्रों को स्वच्छन्दता-पूर्वक बोलने, चलने, फिरने और कार्य करने की छूट दे रखी है।

श्री प्रेमचन्द का सम्मान सबसे अधिक इसलिए है कि वे जनता के साहित्यकार हैं। उनके उपन्यासों और कहानियों का विषय प्रायः उन दीन-हीन निर्धन-निरीह और सर्वथा उपेक्षित लोगों की समस्या है जिनका सम्बन्ध समाज और राजनीति दोनों से है। उन्होंने पूजापतियों व रईसों का गुण-गान न करके दीन दुखियों को अपनाया। ग्रामीण जीवन के जीवित चित्र इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं, जो इनकी हृदय विशालता का परिचय देते हैं।

श्री प्रेमचन्द ने दिल खोल कर लिखा है और खूब लिखा है। इनके ग्रन्थों की संख्या बहुत है। संक्षेप में उनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित हैं:—

(क) उपन्यास—सेवा-सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, ग़बन, कर्मभूमि गोदान, मंगलसूत्र।

(ख) कहानी-संग्रह—प्रेम द्वादशी, प्रेम-पञ्चीती, प्रेम-प्रसून, नव-निधि प्रेम-तीर्थ, प्रेम-पूर्णमा, सप्त-सरोज, माल-सरोवर (आठ भाग)

(ग) नाटक—कर्वला संग्राम, प्रेम की वेदी।

(घ) निबन्ध-संग्रह—कुछ विचार।

श्री प्रेमचन्द की भाषा यद्यपि 'प्रसाद' जी की भाषा की साहित्यिक और गंभीर तो नहीं कही जा सकती, तथापि मनुष्य जीवन की सरल व्यञ्जना करने में वह पूर्ण समर्थ है। इनकी भाषा टकसाली है। हिन्दी का प्रचलित, शुद्ध, स्वभाविक और साहित्यिक रूप यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो वह केवल श्री प्रेमचन्द की रचनाओं में इनकी भाषा में सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। मुहावरों और सूक्तियों के सुन्दर प्रयोग ने इनकी भाषा को और भी रोचक और प्रभावोत्पादक बना दिया है। कहीं कहीं पर तो मुहावरों की झड़ी सी ही लगा दी है। सूक्तियों में जीवन के गंभीर अनुभव तो भरे ही हैं, वे गद्य में भी काव्य का सा सौन्दर्य उत्पन्न कर देती हैं। भाषा पूर्णतः भावानुकूल है। जहाँ कोमल भावों की व्यञ्जना की गई है, वहाँ भाषा मधुर और कोमल बन गई है, वहाँ क्रोध आदि उग्र भावों का वर्णन किया गया है, वहाँ भाषा-शैली भी उग्र और ओजपूर्ण हो गई है। वाक्य छोटे, पर अर्थ-गंभीर्य लिए हुए होते हैं। वाक्यों में परस्पर इतनी अन्विति है कि वे एक दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते। श्री प्रेमचन्द की भाषा भावों और विचारों के अनुसार ही नहीं बदली, प्रत्युत विषय और पात्र के अनुसार भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। अतः भाषा की दृष्टि से श्री प्रेमचन्द की शैली के तीन रूप मिलते हैं। पहला वह रूप है जिसमें उर्दू शब्दों का बाहुल्य है। मुसलमान पात्र के मुख से या मुसलमानों से बातचीत करते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा वह रूप है, जिसमें संस्कृत के उत्तम शब्दों की प्रधानता है। ऐसी भाषा का

प्रयोग लेखक ने उन स्थानों पर किया है, जहाँ कवियों की तरह भाव-मग्न होकर वह अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। तीसरा रूप वह है जिसमें इन दोनों का सामंजस्य मिलता है और यह रूप ही प्रेमचन्द जी की भाषा शैली का वास्तविक और सर्वमान्य रूप है।

श्री प्रेमचन्द की शैली प्रधानतः वर्णनात्मक है। जिस किसी वस्तु का वे वर्णन करते हैं। उसका जीता-जागता चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है। एक ही बात को खूब घुमा-फिरा कर कहने की कला वे खूब जानते हैं। पात्रों के चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को अंकित कर भाग्यसिद्धि भाव द्वन्द्वों का यथार्थ चित्रण करने में इन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। जहाँ इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि बुराइयों पर प्रहार किया है, वहाँ इनकी विवेचना में उनकी शैली व्यंग्यात्मक होगई है, किन्तु इनका व्यंग्य चुटीला नहीं है जो किसी का मर्म-ताड़न करे। इनके व्यंग्य में सर्वत्र एक मिठास रहता है जो मनोरंजन के साथ-साथ हमारी आँखें भी खोल देता है। इन्होंने हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं की शैलियों की विशेषताओं को लेकर एक अभिनव, सुन्दर, सजीव और प्रवाह-पूर्ण शैली का निर्माण किया है, जिसकी प्रधान विशेषता सरलता और धारावाहिकता है। अन्त में एक विद्वान् लेखक के शब्दों में यही कहना है कि 'प्रेमचन्द जी की शैली अत्यन्त सरल, सरस, सजीव, स्वाभाविक, चित्रोपम, चित्ताकर्षक एवं प्रभावोत्पादक है। अलंकारों के प्रयोग से उसमें अतृण चमत्कार आ गया है। मुहावरों और लोकोक्तियों ने उसे सजीवता प्रदान की है। हास्य, विनोद एवं व्यंग्य ने उसे हृदय-स्पर्शी तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है।'

श्री प्रेमचन्द के कहानी-साहित्य में गांधीयुग का राष्ट्रीय जीवन, किसान-समस्याएं और पारिवारिक जीवन की असंगतियाँ बड़े मनोहर रूप में मुखरित हुई हैं। कथानक की रुचिरता, संवाद की प्रगल्भता और उद्देश्य की स्पष्टता में श्री प्रेमचन्द की कहानियाँ हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय हैं। श्री प्रेमचन्द फलाकार ही नहीं, कला-पारखी भी हैं। हिन्दी-साहित्य में 'आदर्शोन्मुख यथार्थवाद' के उन्नायक एवं पोषक श्री प्रेमचन्द हैं। हिन्दी-साहित्य श्री प्रेमचन्द का चिर-श्रुणी रहेगा।

(१४) पंचशील

१. प्रस्तावना
२. अर्थ
३. पंचशील को प्रथम बार मान्यता
४. पंचशील की आवश्यकता वा मान्यता
५. उपसंहार

आज विश्व बारूद के टीले पर बैठा है। न मालूम कब विस्फोट ही जाय और यह खून-पसीने की गाढ़ी कमाई—सभ्यता और संस्कृति बात-की-बात में धूल-धूसरित हो जाय। यह चिन्ता केवल निर्बल व अशक्त राष्ट्रों को ही नहीं है, वरन् बलवान देश भी इस डर से आशंकित हैं। युद्ध पहले भी होते थे, रिन्तु वे धर्म-युद्ध थे। प्रजा की कोई हानि नहीं होती थी। आज एक नया सैद्धान्त घड़ लिया गया है कि प्रेम तथा युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं। यह बात प्रथम तथा दूसरे विश्व-युद्धों ने अक्षरशः प्रमाणित कर दी है। गत् महा-युद्ध में क्या नहीं हुआ? जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर महान् मलयंकारी अणु बम गिराये गये। सब कुछ स्वाहा हो गया। आज तो अणु बम ने भी अधिक भयंकर उद्जन बम और ऐसे ही अनेकानेक अस्त्र-शास्त्रों का निर्माण हो चुका है। मानवता बारूद के ढेर पर आ बैठी है। विश्व के विचार-शील व्यक्ति इसी उधेड़वुन में हैं कि मानवता की रक्षा कैसे हो? पंचशील के सिद्धान्तों ने दुनियाँ वालों को एक नई झलक दी है, निराशा को आशा में बदल दिया है।

पंचशील कोई नया सिद्धांत नहीं है। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए पंचशील के मूल तत्व-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अप-रिग्रह को अनिवार्य बताया गया था। जैन-धर्म के पांच महाव्रत भी इन पाँच नियमों की पुनरावृत्ति है। बौद्धों के पंचशील भी इन्हीं के समान हैं। पंचशील का संबंध, व्यक्तियों एवं समाज सुधार दोनों से था। आज भी पंचशील का नैतिक महत्त्व है। पंच का अर्थ पाँच होता है और शील का अर्थ शिष्टाचार, विनम्रता तथा सदा-चार की पवित्रता से है। इस प्रकार पंचशील का अर्थ ऐसे पाँच सिद्धान्तों से है जो व्यक्ति तथा समाज को विनम्रता, शिष्टाचार एवं आचरण की पवित्रता की

और आकृष्ट करे, वल्कि इन्ही के अनुरूप आचरण कराये ।

यह युग विज्ञान का युग है । विज्ञान ने आशातीत उन्नति की है । संसार का प्रत्येक देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है । आज शक्ति का माप-दण्ड सामरिक शक्ति को बढ़ाना है । आज के वैज्ञानिकों का सम्पूर्ण ध्यान आधुनिक युद्ध के उपकरणों की खोज पर केन्द्रित है । नित नये प्रयोग होते हैं । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सशक्त है । एक प्रकार का शीत युद्ध हो रहा है । लोग ऊपर से शांति की बात करते हैं भीतर से युद्ध-सामग्री को बढ़ा रहे हैं । रूस तथा अमेरिका इसे 'शक्ति-सन्तुलन' कहते हैं । भविष्य बड़ा अन्धकारमय दीख पड़ता है । क्या तीसरा महायुद्ध होगा ? यही प्रश्न आज के मानव के सम्मुख है । शान्ति चाहने वाले देश शान्ति-सम्मेलनों का आयोजन करते हैं । शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले देश सैनिक संधियां करते हैं । किन्तु ऐसा लगता है कि अतलान्तिक घोषणा-पत्र, गाल्टा कान्फ्रेंस, सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन तथा जिनेवा शान्ति-वार्ता सब सन्देह की भट्टी में बर्फ की तरह गल चुके हैं । कुछ भी हो, जिन्होंने गत महायुद्ध को देखा है, वे युद्ध नहीं चाहते । वे चाहते हैं कि संसार के क्षितिज पर से युद्ध के बादल सदा के लिये फट जाय । इसका एक ही उपाय है कि आंग्ल-अमेरीकी तथा सोवियत-गुट की आपसी कशमकश दूर हो जाय । दोनों गुट भारत से बहुत आशा करते हैं । उनकी कशमकश को दूर करने के लिये एवं विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील को आवश्यक बताया है । उनके अनुसार शान्ति पूर्ण सह-आस्तित्व से ही विश्व-शान्ति सम्भव है, और इस सिद्धान्त की पुष्टि भारत के प्रधान-मन्त्री श्री नेहरू तथा जनवादी लाल चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ एन लाई ने १९५४ ई० में तिब्बत संधि के अवसर पर संयुक्त घोषणा करके की है । संधि के अनुसार एक देश दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, इसको पहला सिद्धान्त कहा गया है । दूसरा है, पारस्परिक अनाक्रमण अर्थात् इस सिद्धान्त को मानने वाले सम्बंधित देश एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे । तीसरे आन्तरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति है । चौथा सिद्धान्त है—पारस्परिक सहायता तथा आदान-प्रदान की भावना । पांचवां और अन्तिम सिद्धान्त है शान्ति पूर्ण सह-आस्तित्व ।

इस प्रकार पांचों सिद्धान्त मिल कर पंचशील का सिद्धान्त कहा जाता है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें किसी देश के लोग किसी भी विचार-धारा में आस्था रखने वाले हों पर वे दूसरे लोगों के साथ प्रेम-भाव से रह सकते हैं।

इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर चीन तथा भारत में मित्रता सम्पन्न हुई थी। दोनों देशों में शासन-प्राणालियां सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु इस सन्धि के द्वारा तिब्बत के मामले को लेकर जो तनाव बढ़ता, वह विलकुल न बढ़ा। इससे स्पष्ट है कि आज पंचशील के सिद्धान्त का कितना महत्व है। इस सिद्धान्त ने भारत का मान संसार में बहुत बढ़ाया है। और विश्व में आपसी तनाव को कम करने में यह राम-बाण के समान साबित हुआ है। नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि लोग शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं करेंगे तो एक-न-एक दिन सह-विनाश जरूर होगा। वस्तुतः यदि समस्त विश्व के देश इन सिद्धान्तों को अपनी राजनीति में स्थान दें तो विश्व की बहुत सी समस्याएं आंख भपकते ही हल हो जायं। दुनियां के अनेक राष्ट्रों ने इसकी महत्ता को समझा है। बान्जुंग कान्फ्रेंस में अफ्रीशिया के २७ राष्ट्रों ने इन सिद्धान्तों में आस्था प्रकट की है और इनको मान्यता प्रदान की है। विश्व के बड़े राष्ट्र सोवियत रूस ने भी शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचशील विश्व-शान्ति में एक सफल प्रयोग है।

एक अच्छे से शो-रूम की आलमारी में रखी हुई वस्तु जिस प्रकार बड़ी मोहक व आकर्षक लगती है, ठीक उसी प्रकार आज के सिद्धान्तों का हाल है। सिद्धान्त देखने में बड़े सुन्दर और हितकारी लगते हैं किन्तु वे शायद दपतरों की आलमारियों में सजावट के लिये ही हैं। पंचशील का सिद्धान्त भारत व चीन के बीच एक समझौता था आज चीन ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण करके क्यों अपने सन्दूकों की ही सजावट नहीं की? जो लोग भावुक नहीं भावना से ज्यादा कर्त्तव्य में विश्वास करते हैं, उन्होंने उस समय भी इस सिद्धान्त की उपेक्षा की थी। किन्तु क्या इससे यह समझ लिया जाय कि अच्छे सिद्धान्त कहीं सफलीभूत ही नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्त्तव्य को भावना से ही

प्रेरणा मिलती है, जैसी भावना होगी वैसा ही कार्य भी होगा। यदि कुछ दो-चार लोग पंचशील के सिद्धान्तों को न मानें या चीन जैसे देश उसको मान कर भी उसकी उपेक्षा करे तो इससे 'पंचशील' का महत्व कम नहीं हो जाता। पंचशील आज के युग की मांग है, विश्व-शान्ति के लिये राम-बाण औषधि है। शर्त यही है कि विश्व वाले इसे कार्य रूप में भी परिणत करें। यदि महा-विनाश से बचना है, निःशस्त्रीकरण को सफल बनाना है तो हम आज विश्व के राष्ट्रों का आह्वान करते हैं, कि वे पंचशील को अपनायें। आइये, आज भी मानवता को बारूद के ढेर से बचाने के लिये, हे विश्व-बन्धुओ ! पंचशील को, विश्व शान्ति के प्रहरी पंचशील को, समझो और इसे अपने शुद्ध अन्तःकरण से अपनाओ।

(१५) सहकारिता और उनके लाभ

१. प्रस्तावना
२. सहकारिता का अर्थ और उद्देश्य
३. सहकारिता का आधार
४. सहकारी समितियाँ
५. सहकारिता की विशेषताएँ
६. सहकारिता के लाभ
७. उपसंहार

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में मनुष्य बिना सहयोग के एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकता। सम्यता के आरम्भिक काल में भी मनुष्य-समाज सहकारिता के सिद्धान्तों को समझता था और व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग भी करता था। यदि मनुष्य समाज सहकारिता को न अपनाता, तो मनुष्य-जाति आज इतनी उन्नत तथा सम्य कदापि न होती।

मनुष्य-समाज और सहकारिता सहगामी हैं। मनुष्य की शक्ति सहकारिता में छिपी हुई है और सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति हो सकती है। जिस प्रकार एक परिवार में माता-पिता अपने समस्त पुत्रों को, चाहे उनमें कोई, बुद्धिमान् या मन्द-बुद्धि, साहसी या कायर, चतुर या मूर्ख, क्रियाशील या अकर्मण्य हो, अपने पुत्र समझते हैं; उसी प्रकार सहकारिता के समस्त सहकार-

निबन्ध रचना

पंथियों को एक दृष्टि से देखा जाता है ।

सहकारिता का साधारण अर्थ है—मिलकर कार्य करने वाला संगठन, अर्थात् सहयोगी-गठन । अतः जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम भाई-चारे के आधार पर संगठित प्रयत्न करें और प्रतिस्पर्धा एवं शोषण को दूर कर दें, तो उसे हम सहकारिता कहेंगे ।

सहकारिता समाज के निर्बल और बलवान, निर्धन और धनी, सभी मनुष्यों को समभाव से देखती है । जिस प्रकार माता-पिता अपने लंगड़े-बुले पुत्र को भूख, कष्ट तथा दरिद्रता से भरता हुआ नहीं देख सकते, उसी प्रकार सहकारिता निर्धन और निर्बल सहकार-पंथियों को कष्ट पाते नहीं देखती है । सब को समान अवसर तथा समान स्थान देती है । 'पारस्परिक सहायता और सहानुभूति' इसके मुख्य सिद्धान्त तथा सेवा इसका मुख्य लक्ष्य है ।

सदाचार कृत व्यापार सहकारिता का आधार है । सहकारिता का मूल सिद्धान्त है 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' । अतः यह कहा जा सकता है कि सहकारिता, जाति-भेद, रङ्ग-भेद, स्त्री-पुरुष-भेद, देश-भेद, धर्म-भेद, तथा अस्पृश्यता को नष्ट करने वाली है, जिसमें सहकार-पंथियों को एक भाव से देखा जाता है ।

केल्वर्ट के शब्दों में 'सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी इच्छा से मनुष्य के नाते बराबरी के दर्जे पर अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सहयोग करते हैं' ।

जब समाज के व्यवहारिक जीवन में सहकारिता को अपनाते हैं, तो सहकारी समितियाँ स्थापित की जाती हैं । अतः सहकारिता के लाभों को हम सहकारी समितियाँ खोल कर ही प्राप्त कर पाते हैं । जब समाज के निर्बल सदस्य किसी भी आर्थिक कार्य की उत्पत्ति, उपभोग, विनियम तथा वितरण में सम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाभ को आपस में न्यायपूर्ण प्रणाली से बाँट लें, तो ऐसे संगठन को सहकारी समिति कहेंगे ।

सहकारी उत्पादक समितियों और मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों में है । इनमें मूल अन्तर यह है कि सहकारी उत्पादक समिति मनुष्यों का संघ है जब कि मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी पूँजी का । सहकारी समितियों

हम मुख्य रूप से दो भेद देखते हैं:—(१) उत्पादक सहकारी समितियों के अन्तर्गत ही प्रायः अन्य समितियाँ, उपभोक्ता-स्टोर बुनकर-समितियाँ, सफाई-स्वास्थ्य समितियाँ, तथा चक्रवन्दी-समितियाँ आदि हैं ।

सहकारिता की वे विशेषतायें जिनके कारण सहकारिता मानव-जाति के लिए एक विशेष महत्त्व रखती है, संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

(१) सहकारिता समुदाय में लोग स्वेच्छा से आते हैं:—

सहकारी संगठन में सदस्य होने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है । इसमें नितान्त स्वेच्छा से ही सदस्य बनते हैं ।

(२) पारस्परिक सहायता द्वारा निज की सहायता:—

सहकारिता, पारस्परिक सहायता द्वारा, निज की सहायता के सिद्धान्त पर, आधारित है । सहकारिता उन लोगों का संगठन होता है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है । वे अपने साधनों को इकट्ठा करने के लिए सहयोग करते हैं और एक दूसरे की मदद करके अपनी मदद करते हैं ।

(३) सहकारिता में व्यक्तिवाद का स्थान नहीं होता:—

सहकारिता, व्यक्तिवाद और उससे होने वाली प्रतिस्पर्धा को, समाज से निकाल देना चाहती है । सहकारिता में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं होता है ।

(४) सहकारिता का आधार जन-तन्त्र है:—

सहकारिता का मूल आधार जनतन्त्र है । सहकारी संगठन जनतन्त्रीय आधार पर खड़े किये जाते हैं । सहकारी व्यक्ति बराबर हैं, सब के समान अधिकार होते हैं । समस्त सदस्य मानवता के आधार पर एक-समान समझे जाते हैं ।

(क) सहकारिता से प्रत्येक राष्ट्र में और राष्ट्रों के मध्य में अंकुशित-प्रसार से सामाजिक कल्याण और स्थायी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है ।

(ख) सहकारिता से, वर्तमान दूषित वितरण-प्रणाली को नष्ट कर, प्रत्येक मनुष्य को, जिसने उत्पादन-कार्य में सहयोग दिया है, उसके परिश्रम के अनुपात से सम्पत्ति देने का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ग) सहकारिता अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करती है और किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं करने देती ।

- (१) सहकारिता पूँजीपति और श्रमजीवी वर्गों के भयंकर आर्थिक युद्ध को खत्म करना चाहती है।
- (२) सहकारिता उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ तथा सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध कराना चाहती है तथा उपभोक्तकों को भी लाभ के कुछ अंश का अधिकारी मानती है।
- (३) सहकारिता निर्धनों तथा दुर्बलों की उन्नति का एक मात्र साधन है।
- (४) सहकारिता द्वारा जनता को आर्थिक, स्थिति तथा घरातल को ऊँचा उठाया जा सकता है। इससे समाज का नैतिक उत्थान होता है और अर्थवैतिक पतन को समाज से बाहर भगाया जाता है।
- (५) सहकारिता उत्पादन और वितरण में स्पर्धा को त्याग कर, मध्यवर्ती वर्गों को दूर करने का प्रयत्न करती है।
- (६) सहकारिता से समाज में एक नई भावना जागृत होती है तथा स्वावलम्बन एवं आनृतत्व की भावना पैदा होती है।

हम देखते हैं कि सहकारिता के सिद्धान्तों का, एक समाज ही नहीं अपितु विश्व में, बड़ा महत्व है। इसके मूल-मन्त्रों में वह शक्ति निहित है जो विश्व में एक नया रूप ला सकती है। इसी कारण आज विश्व सहकारिता को दिन प्रतिदिन अपनाते जा रहे हैं और आज विश्व के ३६ देशों में सहकारिता का पूर्ण स्थापन जम चुका है। भारतवर्ष में भी, सहकारिता को, देश की उन्नति का आधार-भूत साधन मान लिया गया है और आज समस्त भारत में इसके आधार पर स्थायी समृद्धि स्थापित करने के अभीष्ट प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(१६) गीति काव्य और उसकी परम्परा

१. भूमिका
२. गीति-काव्य की प्रमुख विशेषताएँ
३. गीति काव्य की परम्परा
 - (क) जयदेव और विद्यापति
 - (ख) सूर, तुलसी और मीरा
 - (ग) आधुनिक कवि-पन्त, प्रसाद, निराला और महादेवी

४. उपसंहार ।

प्रकृति के मूक-सौन्दर्य के प्रथम दर्शन के साथ ही गीति-काव्य का सृजन होता है। गीति-काव्य की प्रधान विशेषता है उसकी संगीतात्मकता, किन्तु संगीत और काव्य में एक महान अन्तर है। बिना शब्द और अर्थ के भी संगीत का आलाप मानव-मन को मुग्ध कर देता है, किन्तु गीति-काव्य में संगीतात्मकता के साथ-साथ हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति भी रहती है, इसलिए गीति-काव्य का प्रभाव मन और हृदय दोनों पर संगीत की अपेक्षा अधिक पड़ता है और अधिक स्थायी होता है।

गीति काव्य में काव्य सम्बन्धी विशेषताएँ तो होती ही हैं, वह गेय होता है, उसमें संगीत होता है। गीति काव्य मुक्तक वा स्फुट काव्य होता है, प्रबंध काव्य की भाँति वह इतिवृत्तात्मक नहीं होता। गीति काव्य में कवि की मानसिक स्थिति-विशेष का चित्रण रहता है। सम्पूर्ण पद में एक ही भावना अन्तर्हित रहती है और वह भी तीव्रतम, मानो गीतिकार एक वारगी ही अपने हृदय को उँहल देना चाहता है। गीति काव्य आत्माभिव्यंजक होता है, उसके भीतर कवि अपने ही सुख दुःख की कहानी कहता है। उसका प्रत्येक गीत वा पद मुक्त और अपने में पूर्ण होता है। उसमें हृदयदांजन होने के कारण केवल मधुर और कोमल भावों का ही चित्रण होता है। गीति-काव्य प्रसाद गुण सम्पन्न, रसात्मक और सुगठित होता है।

गीति-काव्य की परम्परा 'गीत-गोविन्द' कार जयदेव तथा विद्यापति की 'पदावली' से आरम्भ होती है। जयदेव का प्रभाव विद्यापति पर पड़ा और उसने जयदेव के 'गीत-गोविन्द' की शैली पर राधा-कृष्ण की लीलाओं का स्वानुभूति-पूर्ण वर्णन हृदय-हारी पदों में किया है। विद्यापति की भाषा मैथिलि हिन्दी है।

सगुण धारा के भक्त संत कवियों ने गीति-काव्य की परम्परा जारी रखी। महाकवि सूरदास ने राधा और कृष्ण को लेकर गीति-काव्य की सृष्टि की। इनकी शैली विद्यापति की शैली से कुछ भिन्नता लिये हुए है। सूर की शैली में राधा कृष्ण की केलि के अतिरिक्त वास्तव्य एवं शृंगार के वर्णनों को छोड़कर अन्य वर्णनों में माधुर्यमयी तन्मयता की कमी पाई जाती है। सूर के समस्त पद गेय

३। इस कारण वे संगीतज्ञों में बहुत प्रचलित हैं। प्रत्येक पद मुक्तक है, एक का दूसरे से कोई लगाव नहीं। कृष्ण का सौन्दर्य और शृंगार वर्णन ही इनके वैषय होने के कारण केवल मधुर भावों का चित्रण हुआ है। समस्त सूर-सागर में उनकी भक्ति की व्यंजना है, किन्तु उनका आत्माभिव्यंजन केवल विनय के ढों को छोड़कर प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष से है। वे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, अपनी बात नहीं कहते। इनके पदों में कृष्ण लीला की प्रधानता अधिक है, अतः आत्माभिव्यंजन जो गीति काव्य की आत्मा है, गीण हो गया है। सूर के पदों में संगीत और भावना का गंगा-जमुनी मेल है। उनके पदों में इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है, किन्तु वह पृष्ठ भूमि के रूप में। सूर की भाषा सरल, मधुर और साहित्यिक है जिससे भावों की अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता आ गई है! तल्लीनता सूर के प्रत्येक पद में विद्यमान है। प्रकृति का विशद चित्रण भी सूर के काव्य में मिलता है, क्योंकि ब्रज-भूमि प्रकृति का सुरम्य स्थान है।

गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के पदों में सभी अंग विद्यमान हैं। उसके प्रत्येक पद में आत्म निवेदन है। वह कृष्ण के सम्बन्ध में बहुत कम कहती है। वह भी अपना दर्द सुनाती है। (मैं तो प्रेम दिवानो री भेरो दरद न जाणे कोय) तो कभी चाकर रखने की प्रार्थना करती है (म्हांने चाकर राखो जी)। मीरा के पदों में गेयत्व तो है ही, क्योंकि मीरा स्वयं एक उच्चकोटि की गायिका थी, साथ ही आत्माभिव्यंजन भी पूर्ण रूप से है। भाषा सरल और कोमल है। प्रत्येक पद मुक्तक और अपने में पूर्ण है। मीरा के पदों में रसात्मकता इतनी है कि श्रोता पद सुनकर आज भी मीरा का सा ही भाव अनुभव करने लगता है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गीतावली और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है। किन्तु गीतावली में तो सिवाय इतिवृत्तात्मकता के आत्माभिव्यक्ति नाम मात्र को भी नहीं है। हाँ, विनय पत्रिका अवश्य ही आत्माभिव्यंजन के लिए लिखी गई है, किन्तु उसमें भी भावों का सच्चा और स्वाभाविक व्यक्तिकरण नहीं है, जैसा कि मीरा के पदों में पाया जाता है। इस प्रकार गीति-काव्य-कार की दृष्टि से इन तीनों में सर्वोपरि स्थान है मीरा का, फिर सूर का, और तदनन्तर तुलसी का।

आधुनिक प्रमुख कवियों में प्रायः सभी ने थोड़ा वा अधिक गीति काव्य का श्रौर ध्यान दिया है। इन कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी प्रमुख हैं। ये चारों ही उच्चकोटि के कवि और गीति काव्यकार हैं और इनको अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता भी मिली है। किन्तु यदि इनकी परस्पर तुलना की जाय तो महादेवी वर्मा का स्थान सर्वोच्च ठहरता है।

महादेवी का सम्पूर्ण काव्य गीतमय है। उन्होंने प्रेम, प्रकृति एवं वेदना से भरे हुए बड़े ही सरस और मधुर गीतों की सृष्टि की है। हिन्दी काव्य में गेयता की दृष्टि से उनके गीत सबसे अधिक मधुर हैं। महादेवी के गीतों को पढ़ते पढ़ते मन अपने आप गुनगुनाने लगता है। प्रसाद, पन्त और निराला ने भी संगीत के स्वर, ताल और लय का ध्यान रखते हुए बड़े सरस और सुन्दर गीत लिखे हैं, किन्तु महादेवी जैसी भाव-पूर्ण सरस गेयता उनके गीतों में उपलब्ध नहीं होती। महादेवी की लेखनी से प्रसूत एवं उनके हृदय से निर्गत गीत गाते गाते आँखों के आगे प्रकृति की मनोरम भावमयी सृष्टि अङ्कित हो जाती है तथा हृदय में भावनाओं की अति कोमल और मधुर भंकारमय सजीव प्रतिमा नृत्य कर उठती है। उनके गीतों को एक बार पढ़ जाने के पश्चात् भी मन उसी लय और ताल पर नाचता रहता है तथा कानों में एक अमर भंकार सुनाई पड़ती है।

महादेवी के गीतों में यह विशेषता है कि प्रत्येक भाव का स्वर और लय से समन्वित एक चित्र होता है, जो गीत को पढ़ते ही साकार हो उठता है। उनके गीतों में प्रसाद के गीतों के समान भाव-प्रवणता तो है ही साथ ही निराला के गीतों के समान उनमें चिन्तन भी है। सचमुच मीरा के समान महादेवी भी एक अमर गायिका है, अन्तर इतना ही है कि महादेवी अपने गीतों में संगीत के शास्त्रीय बन्धनों का विशेष ध्यान नहीं रखती। गीति-काव्य की अन्य सब विशेषतायें महादेवी के गीतों में मौजूद हैं।

(१७) चाँदनी रात में नौका विहार

१. भूमिका-वातावरण

२. पद्यांश

३. स्थान का वर्णन

४. नौका-विहार

५. उपसंहार

तारों से झिलमिलाता हुआ नीला आकाश । रजनीपति अपनी आँखें मिचौनी के खेल में व्यस्त थे, कभी बादलों की ओट में अपना मुख छिपा लेते, कभी बाहर निकल अपनी स्वर्णिम आभा से संसार को आलोकित कर देते । तारों की ओढ़नी ओढ़े रजनी-बाला भी आज अपनी सहज स्वाभाविक विभा से संसार को चाँदी लुटा रही थी । सारा संसार आज चाँदनी की चादर ओढ़े हुए था । ऐसी मनोहर छटा को देख कर मैं अपने मन को वश में नहीं रख सका और अपने मित्र मोहन के घर पहुँच गया । वह भी इसी प्रतीक्षा में था कि कोई साथ ही जाय तो नौका-विहार के लिए कहीं चला जाय । नेकी और पूछ-पूछ । हम लोग उसी समय पद्म-ताल के लिए रवाना हो गये ।

पद्म-ताल शहर से कोई दो मील की दूरी पर प्रधान सड़क से थोड़ा हट कर था हम अपनी-अपनी साइकिलों पर रवाना हो गये । रास्ते में हम लोग चाँदनी रात का पूर्ण आनन्द उठाते हुए जा रहे थे । कहीं भव्य प्रासादों पर और कहीं सुन्दर कोठियों पर चाँदनी रात की चाँदनी सम्पूर्ण शहर को एक देव नगरी के रूप में परिणत कर रही थी । चाँदी से चमकते हुए पेड़ के पत्ते जब हल्के से वायु के झोंके से हिल जाते थे तो कल्प वृक्षों के समान प्रतीत होते थे । धीरे-धीरे गमन करते हुए हम अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ रहे थे ।

थोड़ी देर में हम लोगों को पद्म-ताल दिखाई पड़ने लगा । चमकती हुई लहरें एक दूसरे से होड़ ले रही थीं,—ऐसा मालूम होता था मानो मानव ने नाचने की कला इन लहरों से ही सीखी हो । दूर तक फैला हुआ पानी चाँदनी रात में ऐसा चमक रहा था मानो वह एक चाँदी का मैदान हो । एक पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी लहरें अठखेलियाँ कर रही थीं । मानो एक दूसरी से स्पर्धापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हों । ताल में कई नौकाएँ पड़ी हुई थीं । कुछ तो आगे निकल चुकी थीं, कुछ किनारे पर ही थीं । इनमें से एक नौका में हम लोगों ने भी अपना अधिकार जमा लिया और इस स्वर्णिम अवसर का आनन्द लूटने के लिए आगे बढ़ गये । पानी को पीछे की ओर उँडेलते को मानव को रचनात्मक शक्ति की सान्द्रय मय अभिव्यक्ति मानता है,

हुए ज्यों-ज्यों हम आगे की ओर बढ़े ऐसा मालूम होने लगा भानो अपने सारे दुःख, चिन्ताएं और फिक्र हमने पीछे को छोड़ दिए हैं। ताल के जल में प्रतिविम्बित चन्द्रमा सहित समस्त नक्षत्र-मण्डल ऐसा प्रतीत हो रहा था भानो सहस्त्रों लघु दीपक ही ताल के तल में जल रहे हों अथवा जल-परियां आज दीपावली महोत्सव मना रही हों। आकाश-मण्डल और ताल-तल के दृश्य एकाकार होकर हृदय में अनिर्वचनीय आनन्द का भाव भर रहे थे।

रंगीन मौसम में भावनाएं भी रंगीन हो रही थीं। हृदय में हिलोरें उठ रही थीं। गाने को मन कर रहा था। मेरे मित्र गाने में बहुत प्रवीण थे। उन्होंने ज्योंही एक तान छोड़ी त्योंही ताल की लहरों ने नाचकर उनके गाने का स्वागत किया। नीरव, निस्तब्ध रात्रि में उनके गाने ने एक नवीन-सम्प्रादाय दिया था, इच्छा होती थी यह ताल और चाँदनी-रात सदा बनी रहें और हम सदा इसमें इसी प्रकार विहार करते रहें। सामने और इधर उधर पहाड़ियों का दृश्य भी शुभ्र ज्योत्सना में कम सुन्दर नहीं लग रहा था। पहाड़ी की चमकती हुई चोटियां चाँदनी में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। जी चाहने लगा कि थोड़ी देर इनके ऊपर चढ़ कर चाँदनी रात का पूर्ण आनन्द उठाया जाय, किन्तु समय बहुत हो चुका था, इच्छा तो नहीं होती थी, ऐसी जगह को छोड़ कर वापिस लौटने की, किन्तु कर्त्तव्य भी कोई चीज है सवेरे सात बजे स्कूल पहुंचना था, मास्टर साहब की डांट का अन्देश था, यदि देर से स्कूल पहुंचे तो कक्षा के बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा, इसलिए मन मारकर हमें अपनी नौका मोड़नी पड़ी और धीरे-धीरे किनारे की ओर आ गये।

घर आकर यद्यपि हम सो गये। थके हुए तो थे ही, बिस्तर पर पड़े ही निद्रादेवी ने अपना अधिकार जमा लिया, किन्तु स्वप्न में भी वही नौका थी हम विहार कर रहे थे। हमारी जागृत अवस्था की अपूर्ण आकांक्षाएं अब पूर्ण हो रही थीं।

(१८) विद्यार्थी जीवन और अनुशासन

३. अनुशासन-वृद्धि के उपाय

४. उपसंहार

एक बार रूस में एक महिला सड़क के बीचों बीच चल रही थी। पीछे से मोटर चालक ने हार्न बजाया और कहा “बहिन, सड़क के एक ओर चलिए” इस पर महिला बड़बड़ाने लगी, “तुम्हें इससे क्या, अब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त करली है, जहां इच्छा होगी चलूंगी” इस पर चालक ने इतना ही कहा “बहिन, यह स्वतन्त्रता नहीं यह तो स्वच्छन्दता है” और आगे बढ़ गया। इस प्रकार की स्वच्छन्दता या अनुशासनहीनता स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में भी लगभग सभी वर्गों में दृष्टि-गत हो रही है, विशेषकर विद्यार्थी समाज में तो इसका बोलबाला है। हम आये दिन देखते हैं, सुनते हैं और समाचारों पत्रों में पढ़ते हैं कि विद्यार्थी कितने अनुशासनहीन होते चले जा रहे हैं। कहीं परीक्षा-भवन में नकल करने से रोकने पर अध्यापकों को छुरे दिखाये जाते हैं। कहीं उन्हें पीट ही दिया जाता है, और कहीं-कहीं तो कक्षा में अध्यापक का आदर तो दूर, उनका कहना मानने में भी विद्यार्थी अपना अपमान समझते हैं। सभा-सोसाइटी में शोर-गुल एवं हुल्लड़ मचाना तो आज के विद्यार्थियों का धन्धा-सा ही हो गया है। मजाल क्या कोई वक्ता या कोई कवि अपने पूरे विचार या रचना सुना सके। उसकी आवाज की यदि नकल न की गई, तालियां बजाकर उसे यदि बैठने को बाध्य न किया गया तो फिर विद्यार्थी की शान ही क्या? कोई राजनैतिक हलचल हो, कोई मिल मालिकों और मजदूरों का भगड़ा हो और चाहे मेहतरों की हड़ताल ही हो, उसमें यदि विद्यार्थी भाग न ले तो वह अपने आपको देश का सच्चा सपूत ही नहीं समझेगा। अपनी टांग वहां फँसायेगा ही, चाहे इन सब बातों से उसका या उसके वर्ग का कोई सरोकार ही न हो। आज हालत ऐसी हो गई कि हमारी माताओं और बहिनों का सम्मान सुरक्षित नहीं, मां बाप अपनी सन्तान की बात मान लेने में ही, अपनी भलाई समझते हैं। माता-पिता एवं गुरुजनों की शिक्षाओं की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के दकियानूसी खयाल समझकर खिल्ली उड़ाई जाती है। बिना टिकिट यात्रा करना, साइकिलों पर डबल सवारी बैठना, जरासी बात पर पुलिसमैन को पीट कर कानून भंग करने में विद्यार्थी अपना गौरव समझते हैं। योग्यता में चाहे कोरे ही हों, किन्तु

फैशन में आज के छात्र एवं छात्राएँ किसी रईस से कम नहीं। आवागमनों की भाँति धूमते रहना और निरर्थक कार्यों में रत रहना विद्यार्थी जीवन का अंग बन गया है। जो देश के भावी सपूत हैं, जो आने वाले युग के सुनहले स्वप्न हैं एवं जिनको देश की वागडोर संभालनी है उन्हीं की ऐसी दयनीय स्थिति है तो देश का भविष्य क्या होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

विद्यार्थियों के अनुशासनहीन होने के कई कारण हैं। जिस वातावरण में बालक बड़ा होता है वह इतना दूषित है कि बालक में अच्छी आदतें पनप ही नहीं सकतीं—

- (क) सबसे पहले बालक के माता पिता को ही लीजिए। बालक को शाला में प्रवेश दिलाने के पश्चात् वे अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ पाते हैं। उधर विद्यालय में कक्षा में पचास-साठ छात्रों के होने के कारण अध्यापक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे नहीं पाता। अब बताइये ऐसे बालक विगड़े नहीं तो और क्या हो।
- (ख) अनुशासनहीनता का एक कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। विद्यार्थी के सामने एक ही उद्देश्य होता है, परीक्षा पास करना। और वह परीक्षा समीप आने पर येन केन-प्रकारेण रट रटाकर उत्तीर्ण हो जाता है। मासिक परीक्षा और सत्र के गृह कार्य का परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह उन्हें बेकार का बोझा समझकर छोड़ देता है और अपना समय व्यर्थ के निरर्थक कार्यों में खोता रहता है।
- (ग) अनुशासनहीनता का एक और कारण है शिक्षकों की शिक्षण के प्रति उदासीनता। शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। कारण कि दरिद्र नारायण की उन पर इतनी कृपा है कि अपने परिवार का भरण-पोषण भी बड़ी कठिनाई से कर पा रहे हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए उन्हें ध्यान करनी पड़ती है। अतः विद्यार्थी उन्हें गुरु न समझकर नौकर समझता है और गुरु भाव प्रायः समाप्त हो गया है। अध्यापक भी नीरस एवं असन्तुष्ट होकर कार्य करता है। और इस भाँति राष्ट्र की भावी पीढ़ी पतन के गर्त में चली जा

(घ) प्राचीन गुरुकुल प्रथा का अभाव भी विद्यार्थी को अनुशासनहीन होने को बाध्य करता है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में गुरु की कड़ी एवं अनुभवी दृष्टि वचा कर कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता था। आज सिनेमा, क्लब एवं नाच-घर आदि ऐसे दूषित स्थान हैं जहाँ विद्यार्थी बेरोक-टोक जाता है और उस पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। विद्यार्थियों में उच्छृंखलता बढ़ने का यही प्रधान कारण है।

(ङ) राजनैतिक दल भी विद्यार्थियों को अनुशासनहीन बनाने में कम योग नहीं देते। नेता बनने का लोभ किसमें नहीं होता, किसी भी गुट का साथ देकर शीघ्र ही बाह्यही कमाने के लोभ में आकर विद्यार्थी अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। और जब उन्हें कोई पद वा स्थान नहीं मिलता तो वे गुमराह हो जाते हैं। राजनैतिक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों के मस्तिष्क को दूषित कर देते हैं।

(च) ऊँची कक्षाओं में सह-शिक्षा का होना भी छात्र-छात्राओं के लिए एक अभिशाप बन गया है। परस्पर आकर्षण की सहज प्रकृति को वे रोक नहीं पाते। अतः इससे चरित्र-हीनता एवं अनुशासन-हीनता के दुर्गुण उसमें स्वतः ही घर करते चले आते हैं।

अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सबसे प्रथम अविभावकों को पता उत्तरदायित्व समझना चाहिए। बालक की गतिविधियों के प्रति जाग-क रहना चाहिए। अविभावकों का तनिक-सा आलस्य बालक की भावी प्रगति बाधक बन सकता है। उसमें भी आलस्य और अकर्मण्यता के बीज पनपने गते हैं, आगे चल कर वही बालक निष्क्रिय एवं बेकार साबित होता है।

(क) शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं व्यापक बनाना चाहिये। शिक्षा में खेलों का विशेष महत्व है, इनसे छात्र अनुशासन का क्रिया-त्मक महत्व समझता है। एन. सी. सी., ए. सी. सी. आदि ऐसे प्रयास हैं जिनसे बालकों में अनुशासन के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और भविष्य में वे सभ्य नागरिक बन सकेंगे।

- (ख) परीक्षा-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। मासिक परीक्षाएं एवं गृह-कार्य के अंक भी वार्षिक परीक्षा में जोड़ दिये जाने चाहिये। इससे छात्रों को आवश्यक रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। परीक्षा के समय पर बाजारू नोट पढ़ने की प्रथा का उन्मूलन स्वतः ही हो जायेगा।
- (ग) अध्यापक, जो वास्तविक राष्ट्र-निर्माता हैं, उन्हें पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिये। पूरा वेतन, मकान आदि की व्यवस्था, पढ़ाने को कम विषय एवं समाज में सम्मान मिलने से शिक्षक पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होकर कार्य करेगा। इससे देश के भावी कर्णधार, आज के विद्यार्थी योग्य बन सकेंगे।
- (घ) विद्यालय नगर के दूषित वातावरण से दूर ग्रामों में खोले जायें चाहिएं, जहाँ विद्यार्थी अध्यापकों के अधिक सम्पर्क में आ सकें और सादगी एवं संयम से अपना चरित्र-निर्माण करना सीखें।
- (ङ.) अनुशासन-प्रिय छात्रों की प्रशंसा करके उन्हें पुरस्कार आदि दिये जाने चाहिये, जिससे दूसरे छात्रों पर भी इसका प्रभाव पड़े। वे भी इस प्रकार का पारितोषिक आदि प्राप्त करने का प्रयत्न करें। साप्ताहिक साहित्य सभा आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिये जिसमें अध्यापकों को चरित्र-निर्माण जैसे विषयों पर भाषण आदि देकर इसका महत्व समझाना चाहिये।
- (च) बच्चों को अधिक मार-पीट करने का तरीका सर्वथा समाप्त किया जाना चाहिये। विद्यार्थियों की उचित भाँगी को मान लेना चाहिये। मारने-पीटने से विद्यार्थियों में विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है, वे भले होते हुये भी अनुशासन की सीमा को लांघ जाते हैं और फिर उन्हें अपने गुरुजनों से अभद्र व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं होता।
- (छ) पुस्तकालयों में चरित्र-निर्माण सम्बन्धी पुस्तकों का बहुल्य होना चाहिये। छात्रों को उनका महत्व समझाकर उन्हें इस बात की प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उनका नियमित रूप से अध्ययन करें।
- (ज) अनुशासन-वृद्धि का सबसे सहज उपाय है शिक्षक को अपना जीवन

सादा रखना । यदि अध्यापकों का रहन-सहन, आचार-व्यवहार, उच्च कोटि का है तो इसका विद्यार्थी के जीवन पर बड़ा गहन प्रभाव पड़ता है । कैसा भी कुटिल से कुटिल छात्र हो अध्यापक के उच्च चरित्र एवं विद्वत्ता से वह प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता । अतः अध्यापकों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे उसके गुरु पद को तनिक भी आँच आये ।

अनुशासन उस दीपक के समान है जो भूले-भटकों को मार्ग दिखाता है । यह उस प्रकाश स्तंभ की भाँति है जो अंधकार में चलने वाली मांभियों का पथ प्रदर्शन करता है । इसके प्रकाश में सादगी, सदाचार विनय और साहस आदि मनुष्य के गुणों के चार चाँद लग जाते हैं और ऐसा मनुष्य समाज का एक प्रिय अंग बन जाता है । अध्यापकों का उच्च चरित्र एवं सादा जीवन ही विद्यार्थियों को संयत एवं अनुशासित कर सकने में सफल हो सकते हैं । इसके लिए आवश्यक कि शिक्षकों को पूर्ण सुविधाएं दी जाएं ।

(१६) गांधीवाद : समाजवाद

१. प्रस्तावना

२. गांधीवाद का अर्थ

३. समाजवाद की व्याख्या

४. गांधीवाद तथा समाजवाद में समानता

५. दोनों में तुलनात्मक भेद

६. विश्व की समस्याओं का समाधान : गांधीवाद

इतिहास परिवर्तन-शील रहा है । समय-समय पर नये विचार इतिहास को नया मोड़ देते रहे हैं । सत्य तो यह है कि नये विचारों का प्रयोग ही नया इतिहास है । प्रत्येक देश समय समय पर अपने सामाजिक उत्थान के लिए एक नवीन नारा, एक नवीन स्वर अलापता है । और उसके प्रयोग से सामाजिक सुख की खोज करता है । अपने वातावरण के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुरूप जो प्रयोग सफल होता है, देश उसमें ही अपनी आस्था रखता है और उसका प्रचार करके अन्य लोगों को उसे अपनाने की प्रेरणा देता है । वे नये

प्रयोग आगे चल कर वाद (Ism) के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद एवं गांधीवाद आदि प्रारम्भ में समाज के लिये प्रयोग ही थे, जैसे जैसे उनसे सत्यता का आभास होने लगा, उन्हें लोक-मान्यता प्राप्त होने लगी, वे सर्वव्यापी होते गये। आज यदि आँख खोल कर देखें तो मालूम होगा कि विश्व-तनाव का मुख्य कारण ये वाद ही हैं। पूंजीवाद विश्व भर में पूंजीवाद को देखना चाहता है, समाजवाद पूंजीवाद का गला घोटना चाहता है। पूंजीवाद यदि समाजवाद की कलाई उधेड़ता है तो समाजवाद पूंजीवाद की धज्जियाँ उड़ा देना चाहता है। संसार के दो गुट इन्हीं पूंजीवाद तथा समाज-वाद की प्रतिस्पर्धा मात्र हैं। दोनों एक दूसरे को काली धार में डुबाने की दौड़ में लगे हुये हैं। अन्त में क्या होगा ? इस प्रश्न का उत्तर हमें गांधी दर्शन में भलकता है। गांधीवाद, सम्भवतया आज की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

वर्तमान भारतीय समाज पर गाँधी जी के विचारों की छाप है। वे प्रेम तथा सेवा के आधार पर समाज की रचना करना चाहते थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे। उनका विचार था कि समाज से विषमता दूर हो, पूंजीपति अपने को पूंजी का संरक्षक-मात्र समझे और अपने धन को दरिद्रनारायण की सेवार्थ लगायें। वे गरीब तथा अमीर दोनों को खुशहाल देखना चाहते थे। यही उनका "राम राज्य" था कि सब को रोटी कपड़ा, शिक्षा-दीक्षा, रक्षा और शरण की सुविधा प्राप्त हो। वे प्रेम से हृदय-परिवर्तन करना चाहते थे, बलपूर्वक कुछ छीनने के वे पक्षपाती नहीं थे। शारीरिक श्रम को वे बड़ा महत्व देते थे, कड़ी मेहनत और ईमान की कसौटी उनका आदर्श था। वस्तुतः गांधीवाद क्रोधी के लिए मित्र, हत्यारे के लिए रक्षक तथा निन्दक के लिये मधुर भाषी है।

समाजवाद आर्थिक असमानता के मूल कारणों की छानबीन करता है। वह अनुसंधान करता है कि समाज में राजाओं, जमींदारों, पूंजीपतियों तथा भिखारियों के मूल-आधार क्या है ? वह मानवीय शोषण के कारणों का पता लगाता है, इसका क्या रहस्य है इस बात को ढूँढता है। पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद जब रोग की जड़ पकड़ में आ जाती है तो समाजवादी उसे उखाड़

फँकता है और इस प्रकार समाजवाद सामाजिक बुराइयों को सदा के लिये दफना देता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वह शासन पर अपना आधिपत्य चाहता है। उसे प्रेम व सहानुभूति से हृदय-परिवर्तन पर जरा भी विश्वास नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीवाद और समाजवाद का अन्तिम लक्ष्य सम्पूर्ण मानवता को खुश हाल बनाना है। दोनों आज की सामाजिक विपमताओं का अन्त करना चाहते हैं। आर्थिक क्रान्ति दोनों के लिए आवश्यक है। स्वावलंबन में दोनों का विश्वास है क्या गांधीवाद और क्या समाजवाद, दोनों श्रम का सम्मान करते हैं। कई विचारक तो गांधीवाद को स्वदेशी समाजवाद का नाम तक देते हैं। आज देश पर गांधीवाद विचार-धारा के मानने वालों का शासन है, उन तक ने समाजवादी-समाज की रचना की सरे-आम घोषणा की है।

गांधीवादी लोग समाजवाद को भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं मानते। भारतीय संस्कृति के अनुरूप वे स्वदेशी समाजवाद को अधिक महत्व देते हैं। किन्तु स्वदेशी क्या है? जो विचार स्वयं गांधीजी ने व्यक्त किये हैं क्या वे पूर्णरूपेण भारतीय हैं। जो बात पूजापतियों के बारे में गांधीजी कहते थे, वही बात इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध लेखक एच० जी० वैंस भी कहा करते थे। श्री वैंस के अनुसार वर्ग-युद्ध बेवकूफी और खुराफातों से भरी हुई वस्तु थी। पूंजीवाद का अन्त वे वर्गों के समन्वय में देखते थे। गांधीजी के ये विचार फिर किस प्रकार स्वदेशी हो सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सुधारवाद और क्रांतीवाद में सदा से विरोध रहा है। सुधारवादी लकीर के फकीर होते हैं, वे पुरानी लकीर पीटना पसन्द करते हैं और पुरानी व्यवस्था को ज्यों की त्यों कायम रखना चाहते हैं। उन्हें उस ढंग को बदलने वालो बात जरा भी पसन्द नहीं। गांधीजी पूंजीपतियों को मजदूरों की हालत सुधारने के लिए तो कहा करते थे और उनका खयाल था इससे वर्ण संघर्ष समाप्त हो जायगा, इस प्रकार गांधीवाद का काम गरीब श्रमीर का भेद मिटाना नहीं, पुरानी टूट-फूट की मरम्मत करना ही है। इन बातों से भानना पड़ेगा कि समाजवाद को विदेशी मानना भी एक भूल है। गांधी जी अपने राम-राज्य में राजाओं और भिखारियों के अधिकार सुरक्षित रखना चाहते थे। इसका अर्थ हुआ कि उनकी समाज-व्यवस्था

में दोनों वर्ण रहेंगे अवश्य, पर यह स्पष्ट नहीं कि भिखारियों के क्या अधिकार होंगे ? समाजवादी व्यक्ति समाज में इस वर्ग विषमता को रत्तीभर भी बढ़ास्त नहीं कर सकते। उन्हें यह विल्कुल भी सह्य नहीं है कि कुछ मुट्टी भर पूंजीपति सारे समाज की छाती पर मूंग दलें और गुलछरें उड़ाये। समाजवाद इस फिलासफी या दर्शन का कायल नहीं है। पूंजीपतियों के पास इकट्टा किया हुआ धन समाज की चोरी का माल है और गांधीवाद फिर उन पूंजीपतियों के हकों को सुरक्षित रखना चाहता है। इस प्रकार गांधीवाद कायरता पूर्ण आर्थिक विश्लेषण एवं प्रभाव शून्य नैतिकता की खिचड़ी है। गांधीवाद प्रेमपूर्वक हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता है, पर मालूम नहीं कितने लोगों का इस प्रकार परिवर्तन हुआ है। हाँ इस दर्शन का इतना प्रभाव अवश्य दिखाई देता है कि पूंजीपति गांधीवाद के भक्त बन गये हैं।

समाजवादी गांधीवाद को थोथी फिलासफी मात्र समझते हैं, यह उनका भ्रम है। गांधीवाद एक कठोर सत्य है। जहाँ समाजवाद घृणा और फूट द्वारा मानवता का प्रचार करता है, वहाँ गांधीवाद इन दोनों का परित्याग करता है। समाजवाद में राज्य को सर्वोपरि समझा जाता है और व्यक्ति को राज्य के लिए विवश होकर श्रम करना पड़ता है, परन्तु गांधीवाद श्रम के महत्व का जन साधारण में प्रचार करता है। यदि समाजवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य की मदद लेता है तो गांधीवाद अपनी सरलता के लिये व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति पर विश्वास करता है। समाजवाद को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिये 'तानाशाही' को उत्पन्न करना पड़ा। गांधीवाद स्वेच्छा से स्वार्थ-त्याग कराता है।

विश्व में क्या हो रहा है जरा गौर से देखने पर मालूम होगा कि विश्व के दो शक्तिशाली गुट, समाजवादी रूस तथा पूंजीवादी अमेरिका रस्सा-खिचाई में लगे हुये हैं, विश्व को अपने प्रभाव में लाने के लिए अन्य राष्ट्रों को नाना प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। आपस में एक दूसरे से सशंकित हैं। आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही है न मालूम कब चिनगारी निकल पड़े और भड़क उठे। ईश्वर न करे कि यह चिनगारी निकल पड़े, यदि आग भड़क उठी तो निश्चय मानिये, यह आग बुझाये न बुझेगी। आग लगाने वाले स्वयं

परेशान हो जायेंगे। पर आज दंभी मानव अपनी झूठी शक्ति तथा ध्वंसात्मक विज्ञान के दंभ से अपनी पूर्व संचित सम्यता एवं संस्कृति को सदा के लिये मिटाने को तैयार सा बैठा है। वह हर बात शक्ति के बल मनवाना चाहता है। क्या गाली का जवाब गाली और चाँटे का जवाब तमाचा ही होता है? मेरे खयाल से बिलकुल नहीं, सर्वथा नहीं। गांधीवाद विरोधी के लिए मित्र और हत्यारे के लिए रक्षक है। यदि विश्व की सारी समस्याओं का हल ढूँढ़ना है हल गांधीवाद के अतिरिक्त अन्यत्र मिलना कठिन है। आज समाजवाद और तो उनका पूंजीवाद दोनों शस्त्रशस्त्रों की दोड़ में लगे हुए हैं। दोनों के पास अणु बम तथा राकेट तैयार पड़े हैं पर नतीजा क्या होगा और इसका समाधान कैसे होगा आइये इसका हल गांधीवाद में ढूँढ़ें। विचारों में मतभेद हो सकता है, किन्तु युद्ध उसका निर्णय नहीं कर सकता। अपने मत-भेदों को हम शान्ति से एक जगह बैठ कर सुलझा सकते हैं। गांधी जी अपने शत्रु को भी मित्र मानते थे। वे प्रेम के द्वारा अन्यायी तथा अत्याचारी दुश्मन का भी हृदय-परिवर्तन कर दिया करते थे। अंग्रेजों का भारत छोड़ कर चले जाना हृदय परिवर्तन नहीं तो और क्या है। वे जाति हीन समाज की रचना करना चाहते थे। विश्व की मानवता को एक कर देना चाहते थे। आज गांधीवादी विचार-धारा न केवल चीन और भारत की समस्या और न भारत और पाक की समस्या का हल ढूँढ़ सकती है, बल्कि समस्त विश्व की समस्याओं का हल गांधीवाद में निहित है।

(२०) जन-संख्या की समस्या और उसका हल

१. भूमिका-भारत की प्रमुख समस्याओं में एक।
२. जन संख्या वृद्धि के कारण-धार्मिक, वर्णाश्रम व्यवस्था का लोप, दरिद्रता, जीवन स्तर का बहुत नीचा होना, शिक्षा का अभाव, आत्म संगम का अभाव और विलासिता की ओर रुचि, स्वास्थ्य-वर्द्धक औषधियों का आविष्कार, चिकित्सा में उन्नति आदि।
३. जन-संख्या वृद्धि को रोकने के उपाय-शिक्षा-प्रसार, व्यस्क-विवाह, बेकारी को दूर करना, मनोरंजन के साधनों का विकास, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग।

भारत की वर्तमान प्रधान समस्याओं में जन संख्या की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका हल किया जाना अत्यावश्यक है । भारत की जन संख्या प्रतिवर्ष तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है और आशंका की जाती है कि इस पर यदि रोक न लगाई गई तो यह समस्या भयंकर रूप धारण कर लेगी तथा अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को जन्म दे देगी, जैसा कि हम प्रत्यक्ष में अभी अनुभव कर रहे हैं । खाद्य समस्या, बेकारी समस्या, मकान आदि की समस्या, जीवन स्तर को ऊँचा ऊठाने की समस्या आदि अनेक समस्याएँ ऐसी हैं जिनका एकमात्र आधार जन-संख्या-वृद्धि है ।

जन-संख्या-वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं:—

सर्व-प्रथम हम शास्त्रों को लेते हैं जो हमें प्रजा-वृद्धि का उपदेश देते हैं । धर्म-शास्त्रों के अनुसार पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि अपुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । किन्तु उस युग में और आज के युग में महात् अन्तर है । उस युग में जनसंख्या की कमी थी, भूमि अधिकांश में बेकार पड़ी रहती थी, अतः प्रजा-वृद्धि आवश्यक थी । किन्तु आज के युग में जन-संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं खाद्य-पदार्थों का इस प्रकार अभाव बढ़ता जा रहा है कि हर समय हमें विदेशों के सामने अन्न व अन्य खाद्य सामग्री के लिए हाथ पसारना पड़ता है । अब हमें धर्म-शास्त्र के इस उपदेश की ओर से अपना दृष्टि-कोण बदलना पड़ेगा ।

वर्ण व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था का लोप भी जन-संख्या वृद्धि का एक कारण है । वर्ण-व्यवस्था के नष्ट होने पर जाति-बिरादरी का अब कोई बन्धन व भय नहीं रह गया है । विवाह, प्रेम आदि किसी के साथ भी कर सकता है, इसका परिणाम यह होता है कि विधवा-विवाह, प्रेम-विवाह आदि में वृद्धि हो रही है, अतः जन-संख्या में वृद्धि हो रही है । इसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था के भंग होने पर बाल-विवाह होने लग गए । आश्रम-व्यवस्था में पच्चीस वर्ष पूर्ण विवाह निषिध्य था और ५० वर्ष पश्चात् (वानप्रस्थ आश्रम में) सन्तान उत्पन्न करना निषिद्ध था, इस कारण जन-संख्या सीमित रहती थी, वृद्धि की अधिक गुंजाइश नहीं थी । वर्णाश्रम व्यवस्था के शिथिल होने व भंग होने पर समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया और समाज को खोखला करने

निबन्ध रचना

२६३

लगीं । मुसलमानों के अत्याचारों के कारण भी बाल-विवाह होने लगे और 'अष्टवर्षा भवेत् गौरी' आदि श्लोक रच डाले गए । इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था के भंग होने पर सामाजिक कुरीतियों ने जन-संख्या वृद्धि में काफी योग दिया है ।

समाज का जीवन-स्तर जितना नीचा होता है, दीनता और दरिद्रता जितनी अधिक मात्रा में होती है, जनसंख्या उतनी ही अधिक मात्रा में बढ़ती रहती है । हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर कितना गिरा हुआ है, यह हमें उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । जीवन यापन करने के लिए अल्पायु में ही बच्चों को काम में लगा दिया जाता है और माँ-बाप अर्थोपार्जन में बच्चों से सहायता लेना प्रारम्भ कर देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि कम आय वाले लोग जल्दी विवाह कर लेते हैं और उनके सामने सन्तान उत्पन्न न करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता । धनाभाव के कारण वे अन्य किसी प्रकार से अपना मनोरंजन नहीं कर सकते, केवल वे अपनी पत्नी को ही मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन समझ बैठते हैं, जिसका परिणाम होता है—सन्तान वृद्धि । यही कारण है कि गरीबों के सन्तान अधिक होती है ।

जन-साधारण में शिक्षा का अभाव भी जन-संख्या वृद्धि का एक कारण है । अशिक्षित लोग दूरदर्शी नहीं होते वे सन्तति निरोध के उपायों से अनभिज्ञ रहते हैं, संतति-निरोध को पाप समझते हैं । उनकी दृष्टि में सन्तानोत्पत्ति ईश्वर की देन है । इस प्रकार अशिक्षा और अज्ञान के कारण भी देश की जन-संख्या बढ़ती जा रही है ।

भोग-विलास की ओर रुचि, संयम का अभाव भी जन-संख्या की वृद्धि करने में सहायता दे रहे हैं । आज हमारा नैतिक स्तर बहुत गिर गया है । हम अन्धाधुन्ध दूसरे देशों की नकल हर बात में कर रहे हैं, चाहे वे बातें हमारे देश की परिस्थितियों वा संस्कृति के विपरीत ही हों । आज की सभा-सोसाइटियाँ, क्लब-घर, नाच-घर, रेस्ट्रॉ, सिनेमा, होटलों आदि हमें संयम-विहीन और नैतिकता से गिरा हुआ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं । इनका हमारे मन और हृदय पर कितना दूषित प्रभाव पड़ता है, यह हम जानते हुए भी

वैज्ञानिक युग में अनेक प्रकार की औपधियों, चिकित्सा-साधनों एवं उपकरणों के आविष्कार के कारण अब मृत्यु-संख्या घट गई है। जब जन्म-संख्या बढ़ती रहेगी और मृत्यु-संख्या घटती रहेगी तो परिणाम होगा जन-संख्या-वृद्धि। लोगों का स्वास्थ्य अब पहले की अपेक्षा अच्छा है, औसत आयु में भी वृद्धि हो रही है, रोगों से मुक्ति पाने के अनेक साधन सुलभ हैं। ऐसी स्थिति में जन-संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सिवाय ईश्वरीय प्रकोप—महामारी, भूकम्प, दुर्भिक्ष आदि—के और कोई उपाय नहीं है।

जन-संख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जा सकते हैं:—

जनता में शिक्षा का प्रचार किया जाय। शिक्षित व्यक्ति उस समय तक गृहस्थी का भार उठाना नहीं चाहता जब तक कि यह अपने पैरों पर खड़ा न हो जाय। विवाह-बन्धन में बंध जाने पर भी वह अधिक बच्चे पैदा करने की अपेक्षा अपना जीवन-स्तर ऊंचा करना श्रेयस्कर समझता है। शिक्षित महिलाएं भी अधिक बच्चे पैदा करने के पक्ष में नहीं हैं। शिक्षित व्यक्ति ही अपनी तथा देश की परिस्थितियों को भले प्रकार समझ सकता है। यदि धीरे-धीरे सब देश-वासी शिक्षित हो जाय तो जन-संख्या की समस्या बहुत हल हो सकती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं जानते, वे उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य और शिक्षित भी देखना चाहते हैं।

छोटी उम्र में विवाह नहीं होने चाहिए। जब लड़के और लड़कियाँ पूर्ण वयस्क हो जाय तभी उनका विवाह होना चाहिए। बड़ी उम्र में विवाह होने पर शीघ्र संतान न होगी और अधिक संख्या में भी न होगी जो संतान होगी वह स्वस्थ और अच्छी होगी। वयस्क होने पर व्यक्ति आत्म-संयम का महत्व भी समझ सकते हैं और वे सन्तान कम उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार जन-संख्या की वृद्धि, बालिका विवाह बन्द कर, रोकी जा सकती है।

बेकार व्यक्तियों का ध्यान विलासिता की ओर अधिक जाता है। देश में अशिक्षितों और शिक्षितों दोनों में बेकारी फैली हुई है। अतः ग्रामोद्योग, कुटीर-उद्योग, गृह-उद्योग, शिल्प कला आदि का खूब प्रसार और प्रचार होना चाहिए, जिससे देश में बेकारी की समस्या भी हल हो जाय और

नोगों का ध्यान विभिन्न उद्योगों में लग जाय, जिससे वे अधिक सन्तान पैदा न करेंगे। निरन्तर काम करते रहने से वे विश्राम अधिक पसन्द करेंगे और विलासिता कम।

मनोरंजन के साधनों का विकास भी जन-संख्या की वृद्धि को बहुत कुछ रोक सकता है। जब लोग अपना अधिक समय मनोरंजन में लगा देंगे और उनका पर्याप्त मनोरंजन हो जायगा तो फिर वे स्त्री को मनोरंजन की वस्तु न समझेंगे। मनोरंजन वास्तव में मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह व्यक्ति को संयमी बनने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करता है। किन्तु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मनोरंजन के साधन स्वस्थ हों, मन्दे न हों।

हमारे देश में शिक्षा, अज्ञान एवं रूढ़िवादिता के कारण लोग वैज्ञानिक साधनों का उपयोग नहीं करते जैसा कि अन्य सम्य देशों में किया जा रहा है। इन साधनों के प्रयोग से जन-संख्या की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। स्थान-स्थान पर परिवार-नियोजन-केन्द्रों की स्थापना करके संतति निरोध के लिए लोगों को शिक्षा दी जाय और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें सहायता भी दी जाय तो भारत की बढ़ती हुई जन-संख्या रुक सकती है।

(२१) बेकारी की समस्या और उसका हल

१. भूमिका—आज के युग की प्रमुख समस्या
२. बेकारी का नग्नचित्र
३. बेकारी के कारण
४. बेकारी दूर करने के उपाय
५. सरकारी प्रयत्न
६. बेकारी दूर होने पर ही राष्ट्र उन्नति कर सकता है
७. उपसंहार

आज आप एक क्लर्क वा अध्यापक की आवश्यकता के लिए एक विज्ञापन निकाल दीजिए, आपके पास हजारों प्रार्थना-पत्र पहुँच जायेंगे। आपको आवश्यकता है केवल एक की, आप लीजिए सैंकड़ों; आपको चाहिए केवल मैट्रीक्युलेट, आप लीजिये एस० ए०, बी० ए० और साथ में षोड़ा

अनुभवों भी । ये सब बातें यही प्रकट करती हैं कि हमारे देश में बहुत बेकारी फैली हुई है । यह बेकारी केवल शिक्षितों में ही हो, ऐसी बात नहीं है, यह अशिक्षितों में शिक्षितों से भी अधिक पाई जाती है, चाहे वे श्रमिक हों चाहे कृषक । यद्यपि यह समस्या आज की नहीं, यह अंग्रेजी शासन-काल से ही चली आ रही है तथापि वर्तमान में इसने उग्ररूप धारण कर रखा है और हमारी सरकार के लिए यह भी एक प्रमुख समस्या बन गई है, जिसका हल उसे खोजना है ।

आज स्थान-स्थान पर 'काम-दिलाऊ' दफतर खुले हुए हैं, वे इस बात की घोषणा करते हैं कि देश में बेकारी उत्तरोत्तर वृद्धि करती जा रही है । काम दिलाऊ दफतरों के आंकड़े आपको बतायेंगे कि कितने लोग कितने समय से रोजगार की प्रतीक्षा में हैं । इन दफतरों पर आने जाने वाले बेकार एवं बेरोजगार लोगों की भीड़ पूछ ताछ के लिए प्रतिदिन चक्कर काटती रहती है । जरा बाग-झगीचों में, गली-मोहल्लों में, सड़क-चौराहों पर एक नजर डाल कर देखिये तो आपको पता लगेगा कि ऐसे स्थानों में एकत्र व्यक्तियों में १५ प्रतिशत व्यक्ति बेकार हैं । बिना किसी रोजगार-धन्धे के वे इधर-उधर इसीलिए चक्कर काटते रहते हैं कि उन्हें कोई काम मिल जाय । इससे भीषण और क्या दृश्य होगा कि कभी-कभी बेकार व्यक्ति निराश होकर जीवन तक से हाथ धो बैठते हैं । समाचार-पत्रों में भी बेकारी और बेकार लोगों के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ सदा निकलता ही रहता है, वह भी यही बतलाता है कि बेकारी की समस्या देश-व्यापी है और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ।

बेकारी फैलने और बढ़ते रहने का प्रधान कारण है जन-संख्या में निरन्तर वृद्धि होना । काम के स्थान रिक्त होते हैं चार और काम करने वाले पैदा होते हैं आठ, तब बेकारी कैसे दूर हो । काम-धन्धे और काम के स्थान कठिनता से बढ़ते हैं दस प्रतिशत और जन-संख्या बढ़ती है बीस प्रतिशत, तब इस समस्या का हल क्या ? इसका एक मात्र हल यही है कि जिस प्रकार भी संभव हो, जन-संख्या-वृद्धि को रोका जाय ।

प्रणाली पर। इसे कौन स्वीकार नहीं करता कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कितनी दूषित एवं अव्यावहारिक है। टकसाल के सिक्कों की भाँति सब शिक्षित एक ही साँचे में ढले हुए—सब फैशन-परस्त, शारीरिक श्रम से बबराने वाले, वातुगिरी के उम्मीदवार चाहे वेतन थोड़ा ही मिले। देश की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल दी जाने वाली शिक्षा ही लाभप्रद हो सकती है। जितने भी पढ़े-लिखे हैं, पढ़ रहे हैं और जो अब पढ़ेंगे, सबको नौकरी कैसे मिले और कहाँ मिले? इस शिक्षा का मस्तिष्क पर कुछ ऐसा दूषित प्रभाव पड़ता है कि वे व्यक्ति भी, जिनके यहाँ अपने निजी घरेलू धन्धे चलते हैं, नौकरी करना ही पसन्द करते हैं और इसका एकमात्र कारण है श्रम के प्रति हीनता का भाव।

अभी हमारे देश में उद्योग-धन्धों में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। अंग्रेजी-शासन-काल में सब गृह-उद्योगों के चौपट कर दिया गया। कृषक फसल के समय के अतिरिक्त शेष समय में बेकार बैठा रहता है। दैनिक पारिश्रमिक लेकर श्रम करने वाले श्रमिकों की कोई गिनती नहीं। उनके न आय के साधन ही निश्चित हैं, न दिन ही। वे केवल भाग्य-भरोसे चलते हैं, उनका जीवन निश्चित श्रम के अभाव में सदा अनिश्चित बना रहता है। महिने में केवल कुछ दिन ही उन्हें मजदूरी मिलती है, उसी से उन्हें गुजारा करना पड़ता है। जब तक देश में ग्रामीणोद्योग, गृह-उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का समुचित और पर्याप्त विकास न होगा, उस समय तक बेकारी अपना मुंह बाये खड़ी ही रहेगी।

देश व्यापी इस बेकारी को दूर करने का प्रथम उपाय है जन-संख्या-वृद्धि को रोकना। इसके लिये सरकार को चाहिये कि जनता में संतति-निरोधक उपायों का प्रचार करे, जनता को शिक्षित करे और सामाजिक कुरीतियों को कानून की सहायता से दूर करे। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और समझदार बन जायगा तो वह उतनी ही सन्तान पैदा करेगा जिनका कि वह भरण-पोषण ठीक तरह से कर सकता है। इस प्रकार जब जन-संख्या की वृद्धि रोक दी जायगी तब बेकारी की समस्या भी धीरे-धीरे कम हो जायगी।

को मानव की रचनात्मक शक्ति की सौन्दर्य मय अभिव्यक्ति मानता है, कोई

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में सुधार होना चाहिए। कोरी किताबी योग्यता किसी काम की नहीं। जिस शिक्षा का जीवन में कोई उपयोग नहीं, जिसका जीवन से कोई मेल नहीं, वह शिक्षा किस काम की। शिक्षा व्यावहारिक और जीवनोपयोगी हो, जिससे हमारे सामने जीविकोपार्जन का प्रश्न ही न उठे। केवल बहुदेशीय स्कूलों की स्थापना-मात्र से काम न चलेगा। विभिन्न उद्देश्यों वा कार्यों के प्रति छात्रों की सच्ची रुचि हो और अध्ययन समाप्त करके वे जीवन में उन्हीं कार्यों को करें, अब तो इस प्रकार के स्कूलों की शिक्षा सार्थक कही जा सकती है, अन्यथा वह किसी काम की नहीं। लोगों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा-कलाओं को सीखने के लिए सरकार की ओर से शिक्षणालय खुलने चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। औद्योगिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में पूर्ण स्थान देकर औद्योगिक शिक्षा शालायें पृथक-पृथक रूप में खोलनी चाहिये। यदि सरकार की तरफ से शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन कर दिये जायं, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, तो शिक्षितों में बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

देश में यदि समाज-वादी ढंग की व्यवस्था चालू कर दी जाय, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और श्रम के अनुसार पारिश्रमिक मिले और योग्य कार्यों के करने के लिए योग्य व्यक्ति, तो बेकारी की समस्या हल हो सकती है। आज हम देखते हैं कि कितने ही योग्य व्यक्ति तो दर-दर भटकते फिरते हैं और बेकार बैठे हैं और अयोग्य व्यक्ति बड़े बड़े वेतन पा रहे हैं और गुलछरें उड़ा रहे हैं। समाजवादी ढंग की व्यवस्था होने पर श्रेणी-भेद, वर्ग भेद जैसी विषमतायें समाप्त हो जायेंगी और साथ ही बेकारी का भी की समुचित हल ढूँढ निकाला जायगा।

सरकार की तरफ से बेकारी दूर करने के बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना, कला कारखानों को प्रोत्साहन देना, गृह-उद्योग व कुटीर-उद्योगों को सहायता देना, अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना करना—इन सब बातों के पीछे सरकार का ध्येय उत्पादन-

चुप नहीं है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बेकारी को दूर करने के लिए वह प्रयत्नशील दिखलाई देती है।

जब तक देश से बेकारी और भुखमरी दूर नहीं होगी, देश उन्नति नहीं कर सकता। बेकारी की समस्या का पूर्ण हल होने पर ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भवा जायगा। इसलिए जितना शीघ्र हो सके, उतना ही हमें इस समस्या का समुचित हल ढूँढकर देश के प्रत्येक व्यक्ति को काम पर लगा देना है।

(२२) समाज में नारी का स्थान

१. भूमिका

२. प्राचीन काल में समाज में नारी का स्थान

३. आधुनिक काल में नारी की स्थिति

४ उपसंहार

राजा राम को राजसूय यज्ञ करना था। सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ पूर्ण हो तो कैसे? अर्द्धांगिनी जो नहीं थी। अन्त में सीता की स्वर्ण-प्रतिमा बनाई गई और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यह था प्राचीन समाज का ढाँचा जहाँ नारी का पुरुष के समान सत्कार होता था। उसकी अनुपस्थिति में यज्ञ एवं धार्मिक समारोहों का होना नितान्त असम्भव था। पुरुषों के समान ही इन्हें राजनैतिक, सामाजिक, एवं धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। पुरुषों के साथ स्त्रियाँ कंधे से कंधा मिला कर रण क्षेत्र में उतर पड़ती थीं। महासमर में महाराजा दशरथ का रथ जब जवाब दे रहा था तो कैकेई ने अपनी अंगुली लगा कर उसे धाम लिया था और उसे गिरने से बचाया था। जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुष से पीछे नहीं रहती थीं। राज महलों के सुखों की अपेक्षा वनवास के चौदह वर्ष सीता को कहीं अधिक प्रिय थे। उस काल में स्त्रियाँ भी उतनी ही पूज्य थीं जितने कि पुरुष। 'सीताराम' 'राधेश्याम' आदि भगवत भजनों के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन समाज में नारी का कितना आदर था। विद्वानों का विचार था "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" किन्तु कुछ-एक विद्वानों ने नारी का बड़ा ही विद्रूप हमारे समक्ष रखा है जिसे पढ़कर मन में एक टीस सी उठती है; हृदय फट पड़ता है; मस्तिष्क विक्षुब्ध हो जाता है कि काश ! उन्होंने नारी का सच्चा स्वरूप पहिचाना

होता। देखिए महाकवि तुलसी ने कितनी निर्ममता एवं हृदय-हीनता के साथ नारी चरित्र का परिहास किया है "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी"। कामांघ तुलसीदास को नारी के द्वारा यदि ताड़ना नहीं मिलती तो क्या तुलसीदास महाकवि बन गये होते? यह नारी ही थी जिसने साधारण से व्यक्ति को महाकवि बना डाला। विद्योत्तमा की प्रेरणा के बिना एक महामूर्ख का क्या विश्व विख्यात कवि कालीदास बनना सम्भव था?

कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह डाला है "नारी-प्रसंगस्तु नरकस्य द्वारम्"। किन्तु यदि वास्तविकता की कसौटी पर रख कर इन तथ्यों को परखा जाय तो स्वतः ही स्पष्ट हो जायगा कि कितने छिछले, कितने अपूर्ण एवं कितने अपरिपक्व विचार हैं ये, जो नारी की महानता, साहस एवं सहृदयता को विस्मृत कर, उसे कामुकता के गर्त में गिराने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास जब उन हजारों ललनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिये लपलपाती लपटों से लिपट जाने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता? जिसके शौर्य के आगे गौरांग प्रभुओं के भी छक्के छूट गये थे। यह राजस्थान की हाड़ी रानी ही थी जिसने अपने पति की सुख सेज पर पैर रखते रखते ही अपना सिर देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अर्पण कर दिया था और अपने पति को कर्तव्य-परायणता का पाठ सिखाया था।

किन्तु समय की परिवर्तन शीलता के साथ-साथ नारी का स्थान भी गिरता गया और वह कहां से कहां पहुँच गई। जैसे-जैसे समाज ने नारी जाति को नीचे की ओर ढकेला, वैसे ही वैसे देश अधः पतन की ओर बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में इसकी गणना संसार के पिछड़े राष्ट्रों में की जाने लगी। मुगलों के सम्पर्क में आकर भारतीय समाज विलासी एवं श्रालसी हो गया। सुरा एवं संगीत की मदहोशी में नारी वासना-नृसि का साधन मात्र रह गई। पदों की प्रथा जो उस काल में भारतीय नारी की रक्षक थी, भक्षक बन बैठी और उसे ऐसा पंगु बनाया कि आज तक उसके कठोर शिकंजे से उसके लिए निस्तार पाना अति कठिन दिखाई पड़ रहा है।

एक ही नहीं समाज ने अपने स्वार्थ-साधन के उद्देश्य से ऐसी हजारों

कुरीतियों को जन्म दिया जिसके कारण स्त्रियों का ऊपर उठना बड़ा कठिन हो गया है। घर में लड़की का जन्म लेना अशुभ समझा जाने लगा। जन्म के साथ ही उसे मृत्यु-द्वार भी दिखा दिया जाने लगा। अब इस प्रकार का निकृष्ट नियम तो हटा लिया गया है, किन्तु फिर भी कन्या जन्म की सूचना मात्र से ही परिवार को महान क्षोभ होता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा-दीक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। गावों में लड़कियों को पढ़ाना भी एक हास्यास्पद बात समझी जाती है। अल्पवयस्क विधवाओं को समाज ने पुनः नहीं अपनाया तो परिणाम-स्वरूप उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य होना पड़ा। परिवार में नारी का स्थान एक दासी से भी गया गुजरा है। सूर्योदय के पूर्व से लेकर रात्री में देर तक उमे काम की चक्की में पिसना पड़ता है, मूक धुन की भाँति। कहीं-कहीं तो उसे गालियाँ और मार-पीट तक सहनी पड़ती हैं। उसके अधिकारों का कोई मूल्य नहीं। पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं। पति द्वारा ठुकराई गई नारी का समाज में कोई ठिकाना नहीं। पति से सम्बन्ध-विच्छेद होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। नारी पर होने वाले अत्याचारों की कहां तक गणना की जाय, जितना कहें उतना बड़ा है। स्त्रियों की यह दारुण दशा गुप्त जी से न देखी गई, उनका कवि हृदय कष्टान् चित्कार कर उठा—

“अबला-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी।

घांचल में है दूध, और आंखों में पानी ॥

कितना हृदय स्पर्शी एवं धार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। सदियों से मानव का भरण-पोषण करते करते और साथ ही उसके अत्याचारों को सहते-सहते उसका हृदय क्षुब्ध हो गया है। नारी निरीह हो गई है और आज अपनी स्थिती को संभालने की क्षमता भी नहीं रही है उसमें। अपने पतन की, अपनी अधो-गति की एवं अपने अधिकारों की ओर उसका ध्यान न जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

यदि आज हम चाहते हैं कि हमारे समाज की उन्नति हो, हमारी जाति की उन्नति हो एवं देश का प्राचीन वैभव लौट आये और हम अपने खोये हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकें तो हमें अनिवार्यतः नारी के सब्बे स्वरूप को पहिचानना होगा, हमें उसके हृदय की गहराई का पता लगाना पड़ेगा और

हमें उसकी सहनशीलता की दाद देनी होगी। हमें उसे पुख्य के साथ लाकर विठाना होगा। नारी तो गृहस्थी रूपो यात का एक पहिया है, बिना जिसकी सहायता के गृहस्थी का सुचारु रूप से चलना नितान्त असम्भव है। एक की सहायता के बिना दूसरा आगे बढ़ ही नहीं सकता। 'हाथ कंगन को आरसी क्या' अमेरिका, रूस एवं चीन आदि देशों के दृष्टांत हमारे समक्ष हैं जिन्होंने नारी को अवसर देकर देख लिया कि अल्प काल में ही नारी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर ली है। पुरुषों से किसी भी तरह वह कम परिश्रमी, साहसी एवं वीर साधित नहीं हुई है। नारी समाज का दर्पण है। सच्ची नागरिकता का जो पाठ बालक माँ की गोद में सीख पाता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं सीख सकता। किसी अंग्रेज विद्वान ने ठीक ही कहा है, "Hands that move the cradle, rule the world"। अतः यह निश्चित है कि नारी की स्वतन्त्रता, नारी की शिक्षा एवं नारी के सहयोग के बिना हम अपनी एवं अपने राष्ट्र की उन्नति कदापि नहीं कर सकते।

(२३) क्या विज्ञान एक अभिशाप है ?

१. प्रस्तावना—विज्ञान की परिभाषा
२. विज्ञान एक अभिशाप के रूप में
३. विज्ञान को अभिशाप समझना एक भूल
४. विज्ञान से लाभ
५. उपसंहार

परिवर्तनशील कराल काल के प्रभाव से संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील रही है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति का भी यही हाल रहा है। कुछ लाख वर्षों पूर्व की बात है मानव दिगाम्धरावस्था में जीवन-यापन किया करता था। परन्तु सुख-सम्पन्नता की लालसा तो उसमें नैसर्गिक कामना है, लवण है। उसने प्रकृति में होने वाली बातों का पता लगाना शुरू किया, अपने सुख के लिये कारण व कार्य की खोज प्रारम्भ की। परिश्रम कब असफल रहा है? शनैः शनैः वह आगे बढ़ता ही गया। यह अनुसंधान ही उसकी वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक काल बहुत अंशों में वैज्ञानिक युग की पराकाष्ठा है। विज्ञान की सहायता से उसने स्वर्णिम सभ्यता को जन्म दिया है। परन्तु दुःख इस बात का है कि

जिस स्वर्णिम सम्पत्ता को उसने अपने हाथों जन्म दिया है उन्हीं हाथों से वह चिरसंचित संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने पर तुला है। जिस प्रबलता से उसने रचनात्मक कार्य किये हैं आज विज्ञान की सहायता से वह उन्हें उसी प्रचण्डता से समाप्त कर देना चाहता है। आज विज्ञान का संहारक पक्ष वजनदार है इसका मुख्य कारण विश्व के लोगों में आपसी तनाव है। आधुनिक विश्व की राजनीति इसे षडयंत्रकारी रूप प्रदान करने में मुख्य कारण है।

समझा ऐसा जाता था कि विज्ञान मनुष्य को देवता बना देगा पर आज वह दानवों से भी गया बीता हो गया है। मशीनों का निर्माण करके आज वह स्वयं पत्थर दिल हो गया है। वह यन्त्र-सा निर्मम और भीषण क्रूर बनता जा रहा है। मानवी गुण उसमें से काफूर होते जा रहे हैं। विज्ञान ने मनुष्य को आत्महीन, भौतिकवादी जीव बना दिया है। ऐसा अनुभव होता है मानो उसने अपनी रचनात्मक सम्पत्ता के प्रति तीव्र विद्रोही होने का व्रत ले लिया है। विज्ञान की शक्ति ही ने मनुष्य को दुर्जेय दानव बनाने का साहस किया इससे कौन इन्कार कर सकता है।

प्राचीन काल में युद्ध रणक्षेत्र तक ही सीमित रहते थे, किन्तु आज के लोहे के दृढ़ टैंक, ज्वालामुखी के तुल्य अग्निवर्षक राकेट वन, द्रुतगामी जेट को भार से घर, पर्वत, वन में छुके-छिपे प्राणियों तक को भाड़ के चनो की भाँति भून कर खाक करने में पीछा नहीं छोड़ते। कितने और भी ऐसे शस्त्रास्त्र हैं जिनके चलाने से पृथ्वी हिलने लगती है, आकाश फटने लगता है और पाताल लोक में हलचल मच जाती है। उनके प्रकोप से बचना बड़ा कठिन है।

प्रति दिन नये प्रयोग किये जाते हैं। यदि आज अमेरिका हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है तो कल सोवियत रूस किसी अन्य वस्तु का परीक्षण करता है। सारा वायु मण्डल विपाक्त हो रहा है। जहरीली गैस मनुष्य को कीट पतंगों से भी बुरे ढंग से मौत के घाट उतार रही है। जल, वायु एवं भोज्य पदार्थ सब पर जहरीली गैसों का प्रभाव पड़ा है। एक प्रकार की महामारी फैल रही है। नित नई विमारियों से माताओं की गोदें सूनी हो जाती हैं, कितनी ही देवियों का सिन्दूर मिट जाता है। असहाय वृद्धों तथा शिशुओं की कक्षा चीख सुन-सुन कर कान बहरे से होते जा रहे हैं।

और नागसाकी पर अणु बम गिराये गये, आँख भूषकन भर का दर था एक तान लाख की आवादी वाले नगर भुलस-भुलस कर दुश्मन की ज्वाला में आहुती देने लगे। बात की बात में सब स्वाहा हो गया। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जाती रही, दरारें फट गईं, पत्थर पिघल गये, नदी नाले और सरोवर सूख कर खंड-हर हो गए फिर प्राणधारियों की तो क्या मजाल जो कि वे बच जाते। वहाँ धन-जन की कितनी हानि हुई? इसका क्या उत्तर दिया जाय, बस इतना कह सकते हैं, हे विज्ञान ! तेरा नाम विनाश और सर्वनाश है।

द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, विश्व ने ठण्डी सांस ली। विश्वास हुआ अब मानव युद्ध का नाम तक लेने का साहस न करेगा। पर ऐसा न हुआ। जिस प्रकार एक श्रमिक कुछ काल विश्राम करके अपनी खोई हुई शक्ति को फिर प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार आज के राष्ट्रों की मनोवृत्ति भी ऐसी ही प्रतीत होती है। विज्ञान के विकृत बल पर संसार की महान् शक्तियाँ अपने-अपने संहारक बल की खोखी बधराने में अपना गौरव समझती हैं। अमेरिका अपने शस्त्रागार को अणु आयुधों से सुसज्जित कर रहा है तो सोवियत रूस भी कुछ कम नहीं। इसका प्रभाव संसार के अनुन्नत देशों पर भी पड़ रहा है। उनकी रचना और निर्माण कार्यों पर बड़ा आघात पहुँचा है।

प्रतः आज हम इस स्थिति में हैं और कह सकते हैं कि आज का विज्ञान एक अभिशाप है।

“विज्ञान एक अभिशाप है, विज्ञान ने सारे विश्व को आतंकित कर रखा है।” कितना सुन्दर तथ्य उपस्थित किया गया है। परन्तु यह तो सिक्के के एक पहलू का वर्णन हुआ, दूसरे को पलट कर न देखना हुआ, जब तक हम दोनों पहलुओं पर विचार न कर लें हमारा न्याय नहीं, अन्याय है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक कलाकार ने एक चाकू बनाया, इसलिए कि शरीर में यदि फोड़ा हो जाय तो उससे निर्विकार कर दिया जाय या इसलिए कि गृहणी अपनी रसोई में शाक सब्जी तराश ले। पर इसके स्थान पर अज्ञान बालक अपनी अंगुली काट ले या पागल किसी के पेट में भोंक दे तो इसमें चाकू का क्या दोष है। आपने यह नहीं देखा विज्ञान ने मानवता की कितनी सेवायें की हैं। यदि

स्वार्थी मानव अपनी अज्ञानता या पागलपनवश उसका दुर्लभयोग करता है तो इसमें विज्ञान का क्या दोष है ।

विज्ञान के आविष्कारों ने इतिहास में युग परिवर्तन कर दिया है । विज्ञान ने निराशा के महा-तिमिर का विनाश कर आशा की ज्योति जगा दी है । जीवन में गति, संगीत और प्रगति का संचार कर एक काया कल्प कर दिया है । जगल में मंगल कर दिया है ।

बीसवीं सदी विज्ञान की सदी है । विज्ञान ने 'सत्यं, शिवं, और सुन्दरम्' को साक्षात्कार कर दिखाया है । किसी समय जीवन की सुख-सुविधायें जो केवल राजा-महाराजा या लक्ष्मीपतियों को उपलब्ध थी वे आज विज्ञान ने दीन तथा दरिद्र को भी सस्ते मूल्य पर प्राप्त करा दी है । विज्ञान से मनुष्य को अशु में निहित द्रव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है । अशु शक्ति के बलवृत्ते पर सोवियत रूस ने अपनी नदियों के प्रवाह को बदल कर बंजर साइबेरिया के रेतीले टीलों को सुरम्य सहलहाते खेतों में बदल दिया है । अलंध्य पहाड़ों को चूर मूर करके बांधों का निर्माण किया है । कृत्रिम जलवायु तथा ऋतु परिवर्तन करने में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है ।

कहते थे मनुष्य प्रकृति का दास था, पर आज वह स्वामि बनता जा रहा है । नदियों में बाढ़ मानव कृतियों से जल कर उसे तहस-नहस कर देना चाहती है, मरुभूमि अपना विस्तार करके मानवताको अकाल में समेटना चाहती है । परन्तु धन्य है विज्ञान को कि उसकी एक चाल पार नहीं पड़ती । वहाँ अन्न का अभाव होने पर वायु सेना के जहाज मार्ग दर्शन कर रहे हैं । भारी से भारी शिला-खण्डों को उठाकर क्रेन पंच बांध योजना को सफल बनाते हैं । बड़े-बड़े ट्रेक्टर तथा बुलडोजर समतल मैदान तैयार कर रहे हैं । आज १०० से २०० मंजिल तक के मकान बनाने में वैज्ञानिक यंत्र ही हमारी सहायता करते हैं । यदि लिफ्ट हमें चढ़ने-उतरने में मदद न करता तो हमारा क्या हाल होता ? आज एक घर में आग लग जाये और दानवाकार जल बरसाने वाली दमकलें न हों तो संपूर्ण सुन्दर नगर पल भर में अग्नि देवता की भेंट चढ़ जाय । आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से प्रकृति का स्वामी है ।

विज्ञान एक अपरिमित शक्ति है । जो परिधान किसी समय चक्रवर्ती

सम्राटों को भी देखने को नहीं मिलते थे, आज वे गांग्ल्या धोबी को नसीब हो रहे हैं। जल, थल और आकाश में चलने वाले जो वाहन किसी समय सेठ-साहूकारों तथा नरेशों को नसीब न थे उनका प्रयोग आज जन साधारण कर रहा है। तार, टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन आदि ने जीवन का एक नया दृष्टिकोण बना दिया है। शीतल गोदामों ने हमारे खाद्य पदार्थों को सड़ने-गलने से बचा दिया है। विद्युत्तमयी कूलर भीषण गर्मी में शिमला तथा काश्मीर का आनन्द लुटाते हैं और वातानुकूलित व्यवस्था सर्दी को ठण्डी हवाओं से रक्षा करती है। मानों विज्ञान ने पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया है।

मशीनों के आविष्कार ने उत्पादन में वृद्धि की है, साथ ही थकाने वाले श्रम को अपने ऊपर लेकर आज के श्रमिक को सुख की स्वांस लेने में सहायता दी है। भारी मात्रा में तैयार माल सस्ता तथा उत्तम होता है और जनसाधारण को क्लय शक्ति के अनुकूल भी। समय की बचत और धन की वृद्धि आज विज्ञान का ही तो परिणाम है।

स्वास्थ्य के लिए भी विज्ञान पीछे नहीं रहा। विज्ञान ने कितने असाध्य रोगों का पता लगाने तथा उन्हें आमूल नष्ट करने में बड़ी मदद की है। पैंसिलीन ने एक नवीन अध्याय का श्री गणेश कर दिया है। शल्य चिकित्सा के लिए एक्स-रे एक अद्भुत देन है। कैसर आदि रोगों के लिए रेडियम एक राम-बाण सिद्ध हुआ है।

विज्ञान ने यात्रियों को अनेक सुविधायें दी हैं। बम्बई में प्रातःकाल चाय पानी लेकर रवाना होने पर हम दोपहर का भोजन लन्दन में कर लेते हैं। दूसरे दिन न्यूयार्क के सिनेमाओं में आनन्द लेकर हम वापस घर लौट आते हैं। संचार-साधन कितना सुरक्षित, सस्ता और आरामदेह बन गया है।

मनोरंजन के साधनों में भी विज्ञान ने एक क्रांति उपस्थित कर दी है। चलचित्रों में चलती-फिरती हंसती गाती तारिकाओं की छाया हमारी थकान और उदासी को दूर कर देती है। स्वर्गीय सहगल तथा के० सी० डे के मधुर कण्ठों का रस आज भी हम ग्रामोफोन रेकार्ड पर सुन लेते हैं। रेडियो हमारे सुख-दुख का साथी है। टेलीविजन तो और भी चमत्कार पूर्ण है। वक्ता का चित्र भी आज हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

एक समय था महिलाओं को अधिकतर समय खाने-पीने की वस्तु तैयार करने के लिए बिताना पड़ता था। पर बिजली के यन्त्र आज उसके हर कार्य में मदद करते हैं। समय देखकर दाल-भात साग तरकारियाँ चूल्हे पर चढ़ा दी जाती हैं और कुछ समय में ही वे सब स्वतः तैयार हो जाते हैं। घर के वर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं। सफाई, कपड़ों की धुलाई तथा सिलाई आदि तक बिजली के यन्त्रों से पूरे हो जाते हैं।

छापाखाना विज्ञान की अनुपम भेंट है। यदि कल्पना की जाय कि विज्ञान हमें छापाखाना ही न देता तो क्या होता? क्या होता, आज हम सैकड़ों वर्ष पिछड़े होते। जिस विकाश की चर्म-सीमा से हम गुजर रहे हैं वहां हम न होते। मुद्रणालय ने पुस्तकों और समाचार पत्रों को जन्म दिया है। इसने हमारी संस्कृति की रक्षा तो की ही है पर साथ ही विद्या के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है।

विश्व के तनाव को कम करने में भी विज्ञान ने कम काम नहीं किया है। लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं, आपस में प्रेम, मित्रता तथा सहयोग की वृद्धि हुई है। व्यापार में आशातीत उन्नति हुई है। इस प्रकार विज्ञान मानव कल्याण के लिए एक कल्पतरु है। अतः विज्ञान मानव जाति के लिए एक स्वर्गिक वरदान है, अभिशाप बिल्कुल नहीं—सर्वथा नहीं।

(२४) विद्यार्थी और राजनीति

१. भूमिका
२. विद्यार्थी-जीवन का महत्व
३. विद्यार्थी-जीवन का राजनीति से कोई मेल नहीं
४. विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये
५. विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए
६. उपसंहार

विद्यार्थी-जीवन ही बालक की समग्र भावी उन्नति की आधार-शिला है। यहीं से विद्यार्थी अपने मस्तिष्क का विकास आरम्भ करता है। विद्यार्थी-जीवन पर ही उसके आगे के जीवन का बनना-बिगड़ना निर्भर है। वस्तुतः विद्यार्थी-

ज्ञान एवं रचना बोध

सिवाय हानि के लाभ कुछ नहीं होता। जिन छात्रों का ध्येय विद्याध्ययन करके अपने को योग्य बनाना होता है, वे राजनीति के पचड़े में कभी नहीं पड़ते। अध्ययनशील विद्यार्थी राजनीति को साँप समझते हैं; वे कभी उसके समीप नहीं जाते, किन्तु जिन छात्रों को नेतागिरी का शोक लगा हुआ है, उनके मस्तिष्क में अध्ययन करते समय भी राजनीतिक विचार ही चक्कर काटा करते हैं। ऐसे छात्र आरंभ से ही दलगत राजनीति के शिकार हो जाते हैं और अपना भविष्य विगाड़ लेते हैं। जो छात्र गुट-बन्दी में फँस गया, जिसमें नेतागिरी की वृत्ति भर गई, उसकी स्थिति डावाँडोल हो जाती है— वह न घर का रहता है, न घाट का।

विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है, राजनीति उसके इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में घूर्तों का खेल है, सरल और शुद्ध-हृदय विद्यार्थियों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। राजनीति छात्रों के अध्ययन में ही बाधा नहीं डालती, वह उन्हें गुमराह (पथ-भ्रष्ट) भी कर देती है। वह उनके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विकार भी भर देती है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे सर्व-प्रथम अपने को योग्य बनावें, तदनन्तर वे राजनीति में भाग लें। यदि आरंभ में ही मकान की नींव कच्ची रह गई तो परिणाम शुभ नहीं निकल सकता। इसलिए विद्यार्थियों को पहले अपनी नींव दृढ़ बना लेनी चाहिए अर्थात् अपने विचारों को परिपक्व बना लेना चाहिए, तब उन्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को इस बात पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि वही व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ बन सकता है जिसने उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की हो! जिसकी शिक्षा ही अमूल्य है, वह गंभीर और जटिल राजनीतिक समस्याओं को कैसे सुलभायेगा?

छात्रों में जोश बहुत होता है। वे शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं और आन्दोलन आरंभ कर देते हैं, अदूरदर्शिता के कारण उसके परिणामों पर विचार नहीं करते, किन्तु उनका जोश दूध के उफान की तरह होता है, जो ठंडे जल के छींटे खाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अंग्रेजी शासन-काल में अंग्रेजों के विरुद्ध किये गये विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनों में छात्रों ने सक्रिय भाग लिया था, आवेश में आकर सहस्रों नवयुवकों ने स्कूल और कालेज छोड़ दिये थे, किन्तु ऐसा

करने से उन्हें कोई लाभ न हुआ। गांधीजी तथा अन्य नेता भी यही चाहते थे कि विद्यार्थी क्रान्ति आन्दोलन में भाग न लें। विद्यार्थियों के इस प्रकार राजनीति में कूद पड़ने की उन्होंने कभी सराहना न की।

इसका अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी राजनीति से आखिरी ही मूँद लें, वे अपने देश के बारे में सोचे ही नहीं। जिस प्रकार विद्यार्थी के लिए अन्य प्रकार की शिक्षा अपेक्षित है, उसी प्रकार राजनीति की शिक्षा प्राप्त करना भी उसके लिए आवश्यक है तथा स्वतंत्र भारत में और लोकतंत्र प्रणाली में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। आज के विद्यार्थी ही कल के नेता बनेंगे, देश का शासन-सूत्र वे ही संभालेंगे। फिर उन्हें राजनीति की शिक्षा क्यों न दी जाय? अवश्यमेव दी जानी चाहिए। छात्रों को राजनीति की शिक्षा देने के विरोध में कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भी गुरुकुलों और आश्रमों में राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। नालन्दा और तक्षिला के विश्व विद्यालयों में राजनीति का शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था। यदि ऐसा न होता तो चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का आविर्भाव कैसे होता?

छात्रों को राजनीति की शिक्षा दी जानी चाहिए, पर केवल सिद्धान्त-रूप में। आज कल इसी उद्देश्य से कालेजों में छात्रों को राजनीति-विज्ञान (Political science) पढ़ाया भी जाना है। आज के युग में छात्रों के लिए भी, अन्य व्यक्तियों की तरह, राजनीति-वक्र का ज्ञान आवश्यक है, किन्तु केवल बौद्धिक स्तर पर ही, क्रियात्मक राजनीति से उन्हें दूर रखना ही श्रेयस्कर है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे सामयिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर विश्व की वर्तमान गति-विधियों से परिचित रहें। प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन कर वे प्राचीन समय की राजनीतियों को समझें। विभिन्न नेताओं, महापुरुषों और घटनाओं के सम्बन्ध में सत्यान्वेषण करें। इस प्रकार छात्रों को राजनीति का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, किन्तु उन्हें न तो दल-गत राजनीति में फँसना चाहिए और न विभिन्न आन्दोलनों में क्रियात्मक भाग लेना चाहिए। छात्र ही पूर्ण वयस्क बन कर कुछ वर्षों बाद देश का नेतृत्व करेंगे, वे ही शासन की चागडोर संभालेंगे। यदि वे राजनीति की शिक्षा से वंचित रहेंगे, तो वे किस प्रकार देश-विदेश की राजनीति में भाग लेंगे? इसलिए छात्रों को

राजनीति का आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए ।

हाँ, यदि देश पर कोई संकट आजाय, या विपत्ति के बादल मँडराते नजर आये तो छात्रों को क्रियात्मक राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, क्यों कि राष्ट्र को संकट से बचाना प्रत्येक देश-वासी का कर्तव्य है । ऐसी स्थिति में छात्रों को भी राष्ट्र का संकट टालने में अपने दायित्व को निभाना ही पड़ेगा । यह कैसे हो सकता है कि शत्रु देश पर आक्रमण कर रहा है और छात्र वर्ग चुपचाप बैठा रहे ! जब तक कोई महान् आपत्ति न आये और उस आपत्ति को दूर करने में देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग की आवश्यकता न हो, तब तक छात्रों की राजनीति से दूर रहकर अपनी शिक्षा समाप्त करनी चाहिए—इसी में उनका कल्याण है ।

(२५) कला और जीवन

१—भूमिका

२—कला शब्द का अभिप्राय और विभिन्न अर्थ

३—कला के भेद

४—कला के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त

५—कला कला के लिए

६—कला और जीवन

७—भारतीय आदर्श

८—उपसंहार

किसी ने कहा है—

'साहित्य-संगीत-कला-विहीनः

साक्षात्पशुः पुच्छ-विषाण हीनः'

कला-विहीन मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गई है, अन्तर केवल इतना ही है कि उसके सींग और पूँछ नहीं होते । इससे स्पष्ट है कि कला का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है । कला हमारे जीवन में इतनी घुली-मिली है कि हम उसे जीवन से पृथक् नहीं कर सकते । इसलिए विद्वानों ने कला को जीवन की प्रतिष्ठा माना है । कला ही एक ऐसा साधन है जो मानव को संकीर्णताओं से ऊपर उठा कर चिद्व-प्रेम की ओर प्रेरित करती है ।

कला शब्द का साधारण अर्थ है हुनर, गुण वा चतुराई-पूर्ण कार्य, किन्तु कला शब्द का वास्तविक अर्थ है 'मानव मात्र की रचनात्मक शक्ति की सौन्दर्यमय अभिव्यक्ति'। बाबू गुलाबराय के शब्दों में "कला कलाकार के आनन्द की श्रेय और प्रेम तथा यथार्थ और आदर्श को समन्वित करने वाले प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है"। कला का प्रभाव हृदय और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। जिस कला में जितना मूर्त आधार कम होता है, वह उतना ही अधिक प्रभावोत्पादक होती है।

भारतीय शास्त्रों के अनुसार कलाएं ६४ हैं जिनमें नाचना, गाना, वजाना, तैरना, चोरी करना आदि सब कुछ आ जाता है। आधुनिक युग में स्व० डाक्टर श्यामसुन्दरदास ने कला को दो भागों में बाँटा है, जो बहुत ही समीचीन जान पड़ता है। उन्होंने कला के दो भेद किये हैं—उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला के अन्तर्गत उन्होंने उन कलाओं को स्थान दिया है जिनमें मानव की रचनात्मक शक्ति की सौन्दर्यमय अभिव्यक्ति तो है ही, किन्तु जो मानव-मन को आनन्दित करने के साथ-साथ उसके लिए उपयोगी भी है; जैसे बुहार, सुनार, बढ़ई, कुम्हार आदि के काम। इनके द्वारा निर्मित वस्तुएं कलात्मक होती हैं, इसलिए वे देखने में सुन्दर और हृदय को आनन्द देने वाली होती हैं, किन्तु साथ ही वे जीवनोपयोगी भी हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। उपयोगी कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है—रसोई बनाना भी एक कला है, हार गूँथना भी एक कला है, रस्सी बटना भी एक कला है। जो कलाएं केवल आनन्द देती हैं, वे ललित कलाएं हैं जिनमें प्रमुख पांच हैं—वस्तु-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला और काव्य-कला। इन ललित कलाओं में सबसे उत्कृष्ट काव्य-कला है, क्योंकि उसमें मूर्त आधार नहीं के बराबर है।

कला के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त हैं। कोई कला में 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' के दर्शन करना चाहता है, किसी का उद्देश्य 'स्वान्तः सुखाय' होता है, कोई कला में उपयोगिता ढूँढता है, कोई कला को आत्मानन्द का साधन स्वीकार करता है, किसी की दृष्टि में कला मनोविनोद के लिए है, कोई कला को मानव की रचनात्मक शक्ति की सौन्दर्यमय अभिव्यक्ति मानता है, कोई

कला को केवल कला के लिए और कोई कला को जीवन के लिए मानता है। इस प्रकार कला के सम्बन्ध में विभिन्न मत और विचार प्रकट किये गये हैं, किन्तु कला के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त अधिक प्रचलित हैं जिन्होंने मनीषियों का ध्यान अधिक आकर्षित किया है और वे हैं—‘कला कला के लिए’ और ‘कला जीवन के लिए’।

‘कला कला के लिए’ वाला सिद्धान्त सर्व प्रथम फ्रांस में चला। वहाँ के कलावादियों का यह कहना है कि कला केवल कला के लिए है, उसमें नैतिकता, सत्य, परोपकार आदि न ढूँढा जाना चाहिए। कला का मापदण्ड कला ही होना चाहिए, न कि सत्य, नीति, समाचार आदि। ये लोग यथार्थवाद को लेकर चलते हैं, नग्न चित्रण करना ही इनका ध्येय है। ये लोग कला-प आदर्शवाद को लादना नहीं चाहते हैं। आस्कर वाइल्ड, ब्रॅडले आदि विद्वानों ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

दूसरे लोगों का कहना है कि कला जीवन का अभिन्न अंग है, कला को हम जीवन से किसी भी प्रकार पृथक नहीं कर सकते। कला जीवन के लिए है, कला जीवन का ही प्रतिरूप है और यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो कला और जीवन में कोई अन्तर भी नहीं है—‘कला जीवन है और जीवन कला है’। इस सिद्धान्त को मानने वाले विद्वान (रस्किन, रिचर्ड्स आदि) कला में नीति, न्याय, सत्य आदि का दर्शन करना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि कला जीवन से दूर है, जीवन-निर्माण में सहायता नहीं करती है, तो वह कला नहीं, कला की विडम्बना है। भारतीय मत भी कला में उपयोगितावाद को स्वीकार करता है। हमारे यहाँ की प्राचीन कलायें यथार्थ के साथ-साथ आदर्श को लेकर चली हैं और वे कला में जीवन की उपयोगिता स्वीकार करती हैं। वस्तुतः हमारा प्राचीन जीवन कलात्मक था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कला का सन्निवेश था—प्राचीन कला-कृतियाँ इस बात का साक्ष्य हैं।

हमारे यहाँ का कला का आदर्श तो ‘सत्यं, शिवं, सुन्दरम्’ रहा है। वह कला जो केवल सुन्दर हो, किन्तु यदि उसमें सत्य और शिव तत्त्व न हो तो वह हमको ग्राह्य नहीं थी। कला में सत्य, शिव और सुन्दर का पूर्ण समन्वय होना चाहिये। भारतीय विद्वान कोरे कलावाद के पोषक नहीं रहे, उन्होंने

कला को जीवन की अभ्युत्थति का साधन माना है। हमारे यहाँ के अर्वाचीन विद्वान भी कला में केवल कलात्मकता नहीं, उपयोगिता स्वीकार करते हैं। सूर, तुलसी आदि मध्य युगीन कवि, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गुप्त, हरिऔध आदि आधुनिक कवि सभी कला में 'सत्यं, शिवं सुन्दरम्' का सिद्धान्त मानते हैं। केवल काव्य-कला में ही नहीं, संगीत, चित्र-कला, मूर्ति-कला आदि में भी यही धारणा चल रही है। हमारे यहाँ के उच्च कलाकार तो कला के आनन्द को ब्रह्मानन्द-सहोदर मानते आ रहे हैं।

वर्तमान युग भारत के लिए संक्रान्ति-युग है। इस युग में भारतीय साहित्य और संस्कृति पर निरन्तर विदेशी प्रभाव पड़ रहा है, नये-नये वादों और सिद्धान्तों का जन्म और प्रचलन होता है और समय के अनुसार विषय और शैली में अन्तर आना स्वाभाविक भी है, किन्तु हमें अपनी संस्कृति और आदर्श पर डटे रहना चाहिए। कला के क्षेत्र में भारत के लिए 'सत्यं, शिवं और सुन्दरम्' वाला सिद्धान्त ही वाञ्छनीय है। इस सिद्धान्त में कलात्मकता और उपयोगिता दोनों का सुन्दर समन्वय है, यह हमें यथार्थ पर दृष्टिपात कराता हुआ आदर्श की ओर ले जाता है।

विस्तृत रूपरेखा (१) जयपुर नगर

१. भूमिका— एक प्रमुख नगर और राजस्थान की वर्तमान राजधानी, अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया।
२. नगर-वर्णन—सुन्दरता में भारत का पेरिस, नगर की सुन्दर सजावट, रंग, सड़कें, बाजार आदि।
३. दर्शनीय स्थान—गलता, घाट, आमेर के महल, नाहरगढ़, रामनिवास वाग आदि।
४. नगर-प्रबंध—उत्तम न्यायालय, सेक्रेटेरियट, विभिन्न विभाग, पुलिस, नगर-पालिका आदि। नल, विजली, अस्पताल, डाकखाना, तार-टेलीफोन-व्यवस्था।
५. सार्वजनिक संस्थाएं—अनेक शिक्षा-संस्थाएं, शिक्षण-संस्थाएं, कला-संस्थान उद्योग-मंदिर, शिल्पकला-केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय आदि।
६. उच्च शिक्षा का प्रबन्ध—विश्व-विद्यालय, राजस्थान सेकेण्ड्री शिक्षा-बोर्ड, शिक्षा-विभाग, डिग्री और पोस्ट डिग्री कालेज आदि।

प्रसिद्ध वस्तुएं—पीतल के वर्तन, हाथीदांत के खिलौने, पत्थर की मूर्तियाँ; कपड़े की छपाई, रंगाई और बंधाई, लाख की चूड़ियाँ, गोटा-किनारी आदि। राजस्थान के अन्य नगरों से तुलना।

उपसंहार—जयपुर का भारतीय इतिहास में साहित्यिक (कवि पद्माकर, कवि विहारी-लाल, पं० चन्द्रधर गर्मा गुनेरी आदि) और राजनैतिक (मुगल साम्राज्य के कर्णधार, चतुर राजनीतिज्ञ) महत्व।

(२) रक्षा-बन्धन

भूमिका-त्यौहारों की उचित, सामाजिक संगठन के साधन, वर्णों के अनुसार चार त्यौहार; ब्राह्मणों का रक्षा-बन्धन, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिष्ठित मनाया जाता है।

इसका पूर्वरूप-ब्राह्मणों का यज्ञ करना, द्विजातियों का यज्ञोपवीत धारण करना, ब्राह्मणों का आशीर्वादात्मक मंत्र पढ़ कर धर्म-रक्षार्थ यजमानों के हाथ में एक रंगीन सूत्र बांधना।

मध्यकाल में इसका रूप—राखी बांधने वा भेजने की प्रथा चल पड़ना, बहिनों का भाइयों की कलाई पर राखी बांधना, राजपूतों में इस प्रथा का जोर पकड़ना, अत्याचारियों से बचने के लिए अपने रक्षार्थ दूसरों के पास राखी भेजना जिसका उदाहरण किरण कुमारी का हुमायूँ के पास राखी भेजना तथा हुमायूँ का उसकी सहायता करना।

इसका वर्तमान रूप—पूर्णिमा के दिन गृह-द्वार पर सौंया चिपकाना या माँडना, नाना प्रकार के स्वादिष्ट, व्यंजन बनवाना, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके महिलाओं का राखी बांधने जाने के लिए इधर-उधर भ्रमण करना, भाइयों एवं अन्य बड़ों का राखी बंधवाकर दक्षिणा वा भेंट देना आदि।

उपसंहार—प्राचीन आर्य गौरव तथा संस्कृति का स्मरण, सुधार की आवश्यकता।

(३) समाचार-पत्र

भूमिका समाचार पत्र का अर्थ; इसकी आवश्यकता, मुद्रण यंत्र की सहायता से कार्यालयों में छपना और वितरण होना।

२. वर्तमान युग समाचार पत्रों का युग है। इसके कारण-सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि।
३. समाचार पत्र का उद्देश्य—संवाद देना, सुधार, प्रचार आदि।
४. समाचार पत्र के प्रकार—दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि, विषय की दृष्टि से साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक आदि।
५. इससे लाभ—ज्ञान वृद्धि, राष्ट्र-प्रेम एवं जातीय भावों की जागृति, देश विदेश की घटनाओं का तत्काल ज्ञान, विचार-विनिमय, साहित्यिक और व्यापारिक उन्नति, मनोरंजन, प्रचार आदि।
६. इससे हानियाँ—कभी-कभी झूठी खबरें और विज्ञापन, सामाजिक अशान्ति, साम्प्रदायिक कलह, कठिन और गंभीर अध्ययन में अरुचि उत्पन्न करना।
७. उपसंहार—इसका भविष्य उज्ज्वल, नियंत्रण की आवश्यकता।

(४) रेडियो आकाशवाणी

१. भूमिका—आधुनिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार।
२. वर्णन—छोटी सी मंजूषा किन्तु महान् आश्चर्य-जनक; बनावट जटिल, किन्तु सरलता से कार्य में ली जा सकती है। रुचि के अनुसार आवाज को धीमी या तेज, मधुर वा कर्कश की जा सकती है।
३. सन्देश प्रसारित करने का अपूर्व साधन, मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन, महा-पुरुषों के व्याख्यान, विज्ञापन, व्यापार-समाचार, खेलों के परिणाम, विभिन्न कार्य-क्रम आदि-आदि।
४. विभिन्न कार्य-क्रम सर्व साधारण के लिए-संगीत, वार्तालाप, एकांकी, देहाती प्रोग्राम, कवि-सम्मेलन, गोष्ठी आदि।
५. इससे लाभ—तत्काल देश विदेश की खबरें प्राप्त होना, आमोद-प्रमोद का उत्कृष्ट साधन, शिक्षा, कला, व्यापार आदि के प्रचार एवं प्रसार का सरल साधन।
६. सुधार के सुझाव—गाने सुसुचिपूर्ण और स्वस्थ हों, विज्ञापन-बाजी कम हो, नैतिक-स्तर को ऊँचा उठाने वाले मनोरंजक कार्य-क्रम हों।
७. उपसंहार।

(५) आदर्श विद्यालय

१. भूमिका—विद्यालय का नाम और स्थान, तथा चारों ओर का वातावरण ।
२. विद्यालय का चित्र—सुन्दर और स्वच्छ भवन, खेल के मैदान आदि ।
३. पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला आदि की सुन्दर व्यवस्था ।
४. विद्यालय का निजी आदर्श—छात्रों का सर्वोत्तमोत्तम विकास एवं चरित्र-निर्माण ।
५. अध्यापकों का व्यवहार, सब अध्यापक विद्वान् और परिश्रमी ।
६. छात्रों में परस्पर प्रेम, बिना किसी अंकुश के अनुशासन में रहना ।
७. उपसंहार—आदर्श विद्यालय से देश की उन्नति में योग ।

(६) विज्ञान के चमत्कार

१. भूमिका—वैज्ञानिक युग, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का बोलबाला ।
२. यातायात सम्बन्धी चमत्कार—रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, राकेट आदि ।
३. संवाद-प्रेषण सम्बन्धी चमत्कार—तार, टेलीफोन, आकाशवाणी, दूर-दर्शक यंत्र, टेलीविजन, रेडियो सैट ।
४. मनोरंजन के साधनों में चमत्कार—ग्रामोफोन, सिनेमा, रेडियो आदि ।
५. अन्य उपयोगी चमत्कार—मुद्र-यंत्रण, टेलीप्रिन्टर, केमरा, एक्सरे, फोटोग्राफी विद्युत् के पंखे, प्रकाश, हीटर आदि ।
६. आकाश की ऊंची उड़ान, अन्य नक्षत्रों में मनुष्यों को बसाने का प्रयत्न ।
७. उपसंहार—विज्ञान का महत्त्व ।

(७) हमारी खाद्य-समस्या

१. भूमिका—समस्या का अर्थ और वर्तमान रूप ।
२. अंग्रेजी शासनकाल से ही अन्नाभाव चला आ रहा है ।
३. भारत के स्वतन्त्र होने पर इस समस्या को सुलभाने का प्रयत्न ।
४. समस्या उत्पन्न होने के प्रधान कारण—जन-संख्या-वृद्धि, भारत-विभाजन । कारण कुछ उपजाऊ प्रान्तों का पाकिस्तान में चले जाना, शरणार्थियों व. वहु संख्या में आगमन, कृषि के पुराने तरीके, समय-समय पर अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ना ।

५. सरकारी प्रयत्न—पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को विशेष महत्व, अन्नोत्पादन बढ़ाना, ग्राम-सुधार-योजना, सिंचाई की व्यवस्था, कृषकों को प्रत्येक प्रकार की सहायता, विदेशों से अन्न मंगवाना ।
६. वर्तमान में स्थिति—बहुत कुछ समस्या हल हो गई हैं, अब सरकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कृषकों एवं वनियों पर, जो अन्न को गोदामों में से बाहर नहीं निकालते, सरकार नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही है ।
७. उपसंहार—निकट भविष्य में खाद्य-सामग्री की कमी नहीं रहेगी, भारत आत्म-निर्भर हो जायगा ।

(८) आज का युग एकांकी और कहानी का है

१. भूमिका—अध्ययन, मनोरंजन के रूप में एक उत्तम साधन ।
२. आज का जीवन अत्यन्त व्यस्त, लोगों के पास अधिक अवकाश का अभाव, थोड़े से समय में ही मनोरंजन करना पसन्द करते हैं ।
३. लम्बे-लम्बे उपन्यास पढ़ने की फुरसत नहीं, न बड़े-बड़े नाटक देखने को अवकाश ।
४. कथा-कहानियाँ, उपन्यास, नाटक एकांकी मानसिक भोजन, शिक्षितों के लिए आवश्यक, किन्तु समयाभाव से एकांकी और कहानी की ओर झुकाव ।
५. आज का युग एकांकी और कहानी की माँग करता है, इनका सृजन वृद्धि पा रहा है ।
६. एकांकी और कहानी के अध्ययन से विभिन्न लाभ ।
७. उपसंहार—कहानी और एकांकी कला का उत्तरोत्तर विकास और भविष्य उज्ज्वल !

(९) सह शिक्षा

१. भूमिका—सह-शिक्षा का अर्थ, सह-शिक्षा आधुनिक सम्यता की देन ।
२. सह-शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण—पक्ष और विपक्ष दोनों में ।
३. सह-शिक्षा का बुरा प्रभाव—छात्र-छात्राओं में फैशन-वृद्धि, भावुकता और कल्पनाशीलता में विकास, परस्पर सदा आकर्षित रहने के कारण अध्ययन में बाधा, प्रेमोन्माद और वासना के शिकार, चरित्र का पतन ।
४. सह-शिक्षा का अच्छा प्रभाव परस्पर प्रतिस्पर्द्धा से एक दूसरे से आगे

बढ़ने का प्रयास । निकट रहने से एक दूसरे के प्रति प्रेम और विचित्र जिज्ञासा की शान्ति, भावनात्मक स्तर ऊँचा होने पर वासनात्मकता का परिहार, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, जीवन-साथी चुनने का सुन्दर अवसर, दृष्टिकोण में विशालता ।

५. क्या भारतीय वातावरण सह-शिक्षा के अनुकूल है ? दोनों की शारीरिक रचना और प्रकृति में भेद, कार्यक्षेत्र भी प्रायः भिन्न-भिन्न । सह-शिक्षा से छात्रों में स्वैर्य कोमलता एवं छात्राओं में उद्वृद्धता तथा कठोरता का समावेश ।
६. सह-शिक्षा यदि दी जाय तो किस स्टेज तक ? अधिक से अधिक प्राथमिक कक्षाओं तक, पुनः वी० ए०, एम० ए० कक्षाओं में—बीच के समय में पृथक्-पृथक् शिक्षा दी जाय ।
७. सह-शिक्षा से सरकार को लाभ—भवन, अध्यापक, प्रबन्ध, व्यय आदि सब प्रकार की वचत ।
८. सह-शिक्षा के सम्बन्ध में मध्यवर्ती मार्ग का अवलम्बन किया जाय ।
९. उपसंहार ।

(१०) आदर्श शासन

१. भूमिका—प्रारम्भ में शासन नाम की कोई वस्तु नहीं थी । मानव का जीवन स्वच्छन्द ।
२. प्रारम्भ में मानव आखेटक, चरवाहा, हलवाहा रहा । कृषि सम्बन्धी ज्ञान और ग्रामों की स्थापना, व्यक्ति-विशेष को ग्राम का प्रधान नियुक्त करना ।
३. शनैः-शनैः भूस्वामित्व और शासन-व्यवस्था का प्रारम्भ होना ।
४. संसार में समय-समय पर अनेक क्रांतियाँ और परिवर्तन, जिससे नई-नई व्यवस्थाओं की उत्पत्ति और विकास ।
५. विभिन्न प्रकार के शासन—निरंकुश शासन, सामन्तशाही शासन, तानाशाही शासन, गणतन्त्रात्मक शासन, प्रजातन्त्र शासन, समाजवादी शासन ।
६. समाजवादी शासन सर्वोत्कृष्ट—इसमें सम्पत्ति और साधनों का समान विभाजन, प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति के अनुरूप कार्य, वर्ग-भेद की समाप्ति ।

(११) देशाटन से लाभ

१. भूमिका—परिभाषा और आवश्यकता ।
२. देशाटन का जीवन में महत्त्व ।
३. देशाटन के प्राचीन एवं अर्वाचीन साधन ।
४. देशाटन से लाभ—ज्ञान वृद्धि, पारस्परिक प्रेम का उदय, विचार-विनिमय, विभिन्न वस्तुओं और स्थानों के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ, उनके विषय में सच्ची जानकारी । दृष्टिकोण संकुचित न रह कर विशाल बन जाता है । राष्ट्र-प्रेम का प्रसार ।
५. उपसंहार—देशाटन से व्यक्ति विज्ञेय की और राष्ट्र की उन्नति ।

(१२) जीवन में श्रम का महत्त्व

- भूमिका—जीवन में सब कार्य श्रम से ही सिद्ध होते हैं, अतः श्रम को जीवन में आवश्यकता ।
२. श्रम कई प्रकार का—शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ।
 ३. बचपन से ही श्रम करने की टेव डालना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए ।
 ४. जीवन में प्रत्येक प्रकार की सफलता का एकमात्र आधार श्रम ही है ।
 ५. कुछ परिश्रमी महापुरुषों के उदाहरण ।
 ६. सब कार्य श्रम-साध्य हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो बिना श्रम सम्पन्न हो जाय ।
 ७. उपसंहार—श्रम जीवन का सार और सफलता की कुंजी ।

(१३) समय का सदुपयोग

१. भूमिका—मानव जीवन सीमित, समय अनन्त । दोनों का सम्बन्ध ।
२. समय का उपयोग, गया क्षण नहीं लौटता, समय खोकर पछताना मूर्खता ।
३. समय का बुद्धिमानी के साथ विभाजन और तदनुसार कार्य करना ।
४. समय का दुरुपयोग और तज्जिनत हानियाँ ।
५. जीवन की सम्पूर्ण सफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर ।

६. कुछ महापुरुषों के दृष्टान्त जिन्होंने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न खोया ।
 ७. उपसंहार—समय का सदुपयोग ही जीवन में सफलता प्रदान करता है ।

(१४) महात्मा गांधी

१. भूमिका—गांधी जी के अवतरित होने से पूर्व भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा ।
२. गांधीजी का जन्म पोरबन्दर में सन् १८६९ ई० में, बाल्य-काल और प्रारम्भिक शिक्षा ।
३. कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड जाना, वहाँ माता की आज्ञा के अनुसार मांस-मन्दिरा के हाथ न लगाना, स्वदेश लौटना ।
४. अपने व्यवसाय में सफलता-असफलता पाना, झूठे मुकदमें न लेना, अन्याय का विरोध करना ।
५. गांधीजी की सार्वजनिक सेवाएँ—अफ्रीका में और भारत में ।
६. राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण और कांग्रेस की नीति में परिवर्तन, देश की बागडोर हाथ में लेना, विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चलाकर जनता को कष्ट-सहिष्णु बनाना, राष्ट्र-प्रेम की भावनाएँ जागृत करना ।
७. स्वतन्त्रता-प्राप्ति, भारत-विभाजन का अन्त तक विरोध, साम्प्रदायिक दंगों में हुए और हो रहे भीषण हत्या-कांडों को रोकने के लिये अथक प्रयास, नाथूराम गोडसे की गोली के शिकार—मृत्यु ३० जनवरी सन् १९४८ ।
८. गांधीजी का चरित्र—दृढ़ आत्म-विश्वासी, सत्य और अहिंसा के पुजारी, समाज-सुधारक, अछूतोंद्वारक, महान् त्यागी और कष्ट-सहिष्णु ।
९. उपसंहार—गांधीजी संसार के महान् विचारक, विश्व की महान् विभूति, भारत के राष्ट्रपिता और सर्वोदय के मंत्रदाता ।

(१५) वादल की आत्म-कहानी

१. भूमिका—एक दिन संध्या के समय छत पर बैठे हुए मेरा उपन्यास

पढ़ना, अचानक कुछ बूँदें गिरना, मेरा ऊपर देखना, एक बादल का कुछ नीचे झुक कर लम्बी सांस लेना और आत्म-कथा कहना ।

२. आत्म कहानी—मीलों दूर जलधि से जन्म, बचपन से ही भ्रमण प्रेम, सदा ही आकाश में टिके रहना, वायु हमारा रूप, प्रयमा-वस्था में हम बहुत हल्के और सूक्ष्म वाष्प-रूप में, शनैः शनैः भारी होना—आकाश में अनेक रूप धारण करके अनेक क्रीड़ाएँ करना, शोर मचाना और हंसना । जवानी के जोश में भाइयों के मना करने पर भी विश्व की सैर करने के लिए एकाकी निकल पड़ना, देश-विदेश की सैर करते-करते पन्द्रह दिन बीत जाना, घर की याद आना, किन्तु मार्ग में ही दुःखद समाचार सुन कर कि मेरा सारा कुटुम्ब ही हिमालय की उत्तंग शृंग से टकरा कर सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया—मेरे हृदय को चोट लगना, उद्विग्न होकर मारा-मारा, इधर-उधर भटकना और उन्हीं की याद में चार आंसू बहाना ।
३. उपसंहार—मेरा ध्यान—पूर्वक उसकी आत्म-कथा सुनकर आश्चर्य में पड़ना और सोचना कि अपने इष्ट-बन्धुओं का वियोग किसकी नहीं सताता ।

(१६) आकस्मिक दुर्घटना

१. भूमिका—स्वाध्याय में मग्न ।
२. अकस्मात् शोर—गुल सुनकर बाहर दौड़ना ।
३. पड़ोस में भयंकर अग्नि-प्रकोप, चारों ओर लपटें, हाहाकार, सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ ।
४. दौड़ कर घटनास्थल पर पहुँचना और सहायता देना, आग बुझाने के नये-पुराने साधनों का उपयोग ।
५. पुलिस और जनता की सहायता प्राप्त होना, बड़ी कठिनाई से आग पर काबू पाना ।
६. उपसंहार—आग लगने के सम्बन्ध में विभिन्न कारणों की कल्पना, हानि का अनुमान लगाना ।

(१७) हमारी ग्राम-समस्याएं एवं उनका हल

१. भूमिका—भारत कृषि-प्रधान देश, ग्रामों की संख्या अधिक, ग्रामों का महत्त्व ।
२. ग्राम भारत की आत्मा, कृषि उत्पादन की दृष्टि से, ग्रामों के उत्थान से ही देश का नव-निर्माण संभव ।
३. ग्रामों की वर्तमान दशा—अशिक्षा, अज्ञान, रुढ़िवादिता, बोमारियां मुकद्दमेबाजी, सामाजिक कुप्रथाएं, बेरोजगारी, सहकारिता का अभाव, आर्थिक संकट—ये ही मुख्य ग्राम-समस्याएं हैं ।
४. इन समस्याओं के हल के उपाय—शिक्षा-प्रसार, सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण, पञ्चायती व्यवस्था, समाज-सुधारक संस्थाओं की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना, ग्रामोद्योगों का विकास ।
५. सरकारी प्रयत्न—सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामोत्थान आदर्श ग्राम, ग्रामीणों के हितकोण में महान् परिवर्तन, स्वावलम्ब तथा सहयोग की भावना में वृद्धि ।
६. उपसंहार—उज्ज्वल भविष्य, श्रमदान द्वारा विकास-योजनाओं की प्रगति, लोकतन्त्र में प्रत्येक ग्रामीण का राष्ट्र-निर्माण में पूर्ण सहयोग हो ।

(१८) सामुदायिक विकास योजना

१. भूमिका—स्वतंत्र भारत में ग्रामों के पुनर्निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता, सामुदायिक विकास-योजना ही इसका एक मात्र हल, यह योजना जनता की, जनता द्वारा बनाई गई एवं जनता के लिए है ।
२. प्राचीन भारत में पंचायतों द्वारा ग्रामोत्थान—अंग्रेजी शासन पंचायतों का बहिष्कार, कांग्रेस द्वारा पुनः ग्रामोत्थान-का आरम्भ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामों का सर्वांगीण विकास सरकार का ध्येय ।
३. योजना का मूल उद्देश्य—ग्रामीणों में सहयोग और स्वावलम्बन व भावना उत्पन्न कर उन्हें अपनी उन्नति आप करना सिखाना है

ग्रामीण पर मुखापेशी होने एवं कोरे भाग्यवादी होने के स्थान में अपने पैरों पर आप खड़े होने वाले एवं कर्मशील बनें। ग्रामीणों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाना।

४. योजना का कार्यक्रम—कृषि की उन्नति, कृषि के ढंग और यंत्रों में सुधार और परिवर्तन। पशु नस्ल-सुधार, सार्वजनिक सस्थाओं (स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय आदि) की स्थापना, सहकारी समितियों का निर्माण, ग्रामोद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षण-केन्द्र खोल कर ग्रामीणों को विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण देना, ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना। इन सब कार्यों में जनता का पूर्ण सहयोग हो। विकास क्रम की पूर्णता ग्रामीणों पर ही निर्भर।

५. उपसंहार—सरकारी प्रयत्न भी जारी हैं, ग्रामीण भी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, देश के विभिन्न प्रान्तों में ग्रामीण क्षेत्र को विकास खंडों में बांट कर योजना तेजी से चलाई जा रही है और बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हुई है। देश के नेताओं का हार्दिक सहयोग है, भविष्य में योजना की सफलता की पूर्ण आशा और राष्ट्र की उन्नति।

(१६) राष्ट्रीय बचत योजना

१. भूमिका—राष्ट्रीय बचत-योजना का अर्थ, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता, अरबों रुपयों का व्यय, भारत जैसे निर्धन देश में पूंजी की कमी। भारत प्रजातांत्रिक देश है, अतः स्वेच्छा-पूर्वक देश के विकास के लिए प्रत्येक देशवासी को कुछ सहयोग देना आवश्यक है।

२. राष्ट्रीय बचत योजना का इतिहास—द्वितीय विश्व-युद्ध के समय में अंग्रेजों ने इस योजना द्वारा धन-संग्रह किया। उचित व अनुचित तरीकों से, भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने इस योजना का महत्व समझकर इसको पुनर्जीवित किया।

३. बचत के साधन—केन्द्रीय सरकारों की बचत, राज्य सरकारों की बचत, रेलवे एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों से लाभ, विदेशी सहायता, पाँड

पावना से प्राप्त धन-राशि—इन सब साधनों से आवश्यक धन की पूर्ति संभव नहीं। अतः अल्प-वचत योजना द्वारा देश-वासियों से ऋण लेना—इससे दो लाभ—योजनाओं के लिए धन-संग्रह और देशवासियों का योजनाओं में सहयोग।

४. योजना का महत्व—अच्छा धन-संग्रह, कुल व्यय का एक तिहाई भाग अल्प वचत द्वारा प्राप्त, देश-वासियों में अल्प-वचत की आदत, अपव्यय से वचना।
५. कार्य-प्रणाली—राष्ट्रीय वचत संगठन की स्थापना, अधिकृत एजेन्टों की नियुक्ति, योजना सर्टिफिकेट, एवं अन्युइटी सर्टिफिकेट ग्रामीण एजेन्सी योजना, ग्राम-पंचायतों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से अच्छी सफलता मिल रही है। समस्त देश में अल्प-वचत योजना प्रसार।
६. उपसंहार—धीरे-धीरे अल्प-वचत योजनाओं का विस्तार, देशवासियों मितव्ययता की भावना का विकास एवं देश के नव-निर्माण में उनका सहयोग।

(२०) ग्राम-पञ्चायत

१. भूमिका—भारत ग्रामों का देश, प्राचीन काल में ग्रामों की उन्नति पंचायतों द्वारा, पंचायतों ग्रामों की रीढ़ की हड्डी, स्वतन्त्र भारत में ग्रामोन्नति के लिए पंचायतों की सुदृढ़ स्थापना की आवश्यकता।
२. अंग्रेजी शासन-काल में ग्राम पंचायतों का बहिष्कार, कांग्रेस एवं गांधी जी के सद्प्रयत्नों द्वारा पुनः ग्राम-पंचायतों की स्थापना। भारत के स्वतन्त्र होने पर ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिए ग्राम-पंचायतों की स्थापना पर बल, ग्राम-पंचायतों की स्थापना।
३. ग्राम-पंचायत का आधुनिक इतिहास—एक हजार वा अधिक आबादी पर ग्राम-पंचायत की स्थापना, २१ वर्ष की आयु वाला सदस्य, सभी जातियों एवं वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व, उप-सभापती का सदस्यों द्वारा निर्वाचन।
४. ग्राम-पंचायत के अधिकार—आय-व्यय का लेखा रखना, कर लगाना,

सार्वजनिक कार्यों की पूर्ण देख भाल, कृषि की उन्नति, सफाई, स्वास्थ्य, अनैतिकता को रोकना आदि ।

आय के साधन—विभिन्न कर, प्रादेशिक सरकार द्वारा सहायता, जिला बोर्ड से सहायता, ऋण वा दान द्वारा सहायता प्राप्त करना, जुर्माना करना, जमीन बेचना आदि ।

लाभ—जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा मिलना, जनतन्त्र-प्रणाली को सफल बनाना, सहकारिता, संगठन और समाज-सेवा की भावना का विकास, देश-सेवा के लिए व्यक्तियों में उत्तम गुणों की सृष्टि करना, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान पैदा होना, ग्रामीण समस्याओं का सरलता से सुलझाना, धन और शक्ति का दुरुपयोग न होना मुकदमे वाजी का कम होना, ग्रामों का सर्वाङ्गीण विकास की ओर प्रगति करना ।

उपसंहार—भविष्य उज्ज्वल, ग्रामोत्थान में पूर्ण सहायक, अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव न करना, स्वार्थपरता से दूर रह कर सार्वजनिक हित के कार्य करना ।

(२१) नाटक और एकांकी तुलना

भूमिका—दोनों ही दृश्य-काव्य, अतः मूल टैकनीक में कोई अन्तर नहीं । दोनों के लिए ही मंचीय अनुकूलता आवश्यक, एकांकी किसी नाटक का संक्षिप्त रूप नहीं, अपितु अपने में पूर्ण एक स्वतंत्र रचना । तात्त्विक दृष्टि से समान होते हुए भी दोनों में अन्तर ।

नाटक बृहत् आकार वाला जिसमें ३ से ५ अंक और एक-एक अंक में कितने ही दृश्य; एकांकी का अर्थ ही एक अंक वाला, दृश्य भी यथा-संभव कम । एक-दृश्य एकांकी सर्वोत्तम माना जाता है ।

नाटक में मानव जीवन की विशालता का प्रदर्शन और विवेचन, एकांकी में केवल जीवन का एक पहलू, जीवन की एक घटना वा समस्या । एकांकी जीवन की एक भाँकी मात्र ।

नाटक की कथा मंथरगति से चलती है, उसमें प्रासंगिक कथा-वस्तु भी युथी रहती है, नाटक कार का ध्यान सीधा केन्द्र-विन्दु पर नहीं पड़ता, किन्तु

एकांकी में मतलब भर की बात होती है, कथा में तीव्रता होती है, पात्र-संख्या सीमित होती है ।

वर्तमान युग में दोनों का विकास, किन्तु नाटक की अपेक्षा एकांकी अधिक लोक-प्रिय । आधुनिक लोक-जीवन अत्यधिक व्यस्त, अतः संक्षिप्तता के गुण के कारण एकांकियों का प्रचलन अधिक ।

उपसंहार—दोनों के मूल-आधार और उद्देश्य में अन्तर न होते हुए भी दोनों की रचना-शैली में अन्तर, एकांकी की विविधता, रेडियो, नाटक आदि । आज का युग नाटकों का नहीं, एकांकी का है ।

(२२) दाशमिक सिक्का-प्रणाली

भूमिका—विचार-विनिमय और वस्तु-विनिमय के लिए माध्यम की आवश्यकता, वस्तु-विनिमय के दो रूप—वस्तु के आदान-प्रदान द्वारा और मुद्रा के द्वारा ।

भारत में मुद्रा का इतिहास वैदिक काल के निष्क और पण से प्रारंभ, विभिन्न राज्य-कालों एवं युगों में विभिन्न मुद्राएं सोने, चांदी एवं तांबे की, विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न मुद्राएं प्रचलित, रूप, रंग, आकार, शुद्धता, तोल आदि में पृथक्-पृथक् विनिमय में कठिनाइयाँ, अंग्रेजी शासन काल में मुद्रा-प्रणाली में सुधार, अंग्रेजी सरकार के सामने १९४४ प्रकार के सिक्के भारत में प्रचलित थे, उन्होंने सब को अमान्य कर सर्वत्र एक मुद्रा का प्रसार किया जो तोल, आकृति, शुद्धता में समान । रुपया, आना और पाई तथा पैसा अब तक प्रचलित थे, कागज के नोट भी प्रचलित, इस सुधार से व्यापार-विनिमय में सुविधाएं, सब को लाभ ।

सन् १९४६ ई० में दाशमिक प्रणाली के महत्व पर विचार । १९५५ ई० में तत्सम्बन्धी विधेयक पारित, जिससे दशमलव-सिक्का-प्रणाली को प्रचलित करने का अधिकार मिला, अप्रैल सन् १९५७ में कानूनी तौर पर प्रचलित इस प्रणाली में केवल दो सिक्के—रुपया और पैसा (जो नया पैसा उस समय तक कहलायेगा जब तक कि पुराने पैसों का चलन बन्द न होगा), पैसा रुपये का अब चौसठवां भाग नहीं, सौवां भाग है । इसमें आना जैसा कोई सिक्का नहीं । दशमलव प्रणाली में सिक्के—एक नया पैसा, दो-पैसा,

पांच-पैसा , दस-पैसा, पच्चीस-पैसा (चवन्नी आजकल की और नये रुपये का चौथा भाग), पचास पैसा (अठन्नी, रुपये का आधा भाग) कुछ समय तक पुराने सिक्कों के साथ-साथ नये सिक्के भी चलेंगे, कुछ समय पश्चात् पुराने सिक्कों के बन्द होने पर केवल नये सिक्के ही प्रचलित रहेंगे ।

४. लाभ-विश्व की सरलतम प्रणाली, हिसाब-किताब में और लेन-देन में आसानी, गणना और आंकड़े जोड़ने में सरलता, संसार के मुद्रा-प्रचलित १४० देशों में से १०५ देशों में दायमिक प्रणाली प्रचलित है ।
५. हानियाँ-वर्तमान में दोनों प्रकार के सिक्कों के प्रचलन से असुविधा, पुरानी मशीनों का वेकार होना, नई मशीनों की कमी ।
६. उपसंहार-सरकार और जनता के सहयोग से प्रणाली सफल होगी । नये सिक्कों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । जनता को इस प्रणाली से भुँकलाना एवं घबराना न चाहिए ।

(२३) अनिवार्य सैनिक शिक्षा

१. भूमिका—वर्तमान युग विज्ञान का युग—वर्तमान राष्ट्रों के बीच युद्ध-युधों एवं सैन्य-शक्ति की प्रतिस्पर्धा । आत्म-रक्षा के लिए सैनिक शिक्षा की आवश्यकता ।
२. युद्ध मानव की सहजात प्रवृत्ति, शस्त्र-युद्ध के न होने पर शास्त्र-युद्ध और शीत-युद्ध चलते रहते हैं ।
३. प्राचीन काल में शास्त्र-विद्या के साथ-साथ शस्त्र-विद्या का प्रचलन । आज के युग में भी इसकी आवश्यकता ।
४. सैनिक शिक्षा का महत्त्व—वर्तमान युद्ध-साधनों में परिवर्तन के कारण, आन्तरिक उपद्रवों के शमनार्थ, विश्व-शान्ति की रक्षा के लिए एवं आत्म-रक्षार्थ ।
५. विद्यार्थी-जीवन में सैनिक शिक्षा की आवश्यकता । विद्यार्थी-जीवन में ही बालकों से राष्ट्र-प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है, उनको नियमित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करना सिखाया जा सकता है ।
६. सैनिक शिक्षा से लाभ—छात्रों में अनुशासन-वृद्धि, नियम-पालन, स्वास्थ्य-

सुधार, निर्भीकता, समानता एवं सहयोग की भावना का विकास, स्वतंत्रता-प्रेम ।

७. भारत की विदेशी नीति और सैनिक शिक्षा—आत्म-रक्षार्थ, न कि आक्रमण-आत्मक युद्धों के लिए सैनिक शिक्षा की आवश्यकता । पड़ोसी राष्ट्रों के आक्रमणों से बचने एवं उनका मुकाबला करने के लिए हृढ़ सैन्य-शक्ति आवश्यक ।
८. सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता पर विचार—सैनिक शिक्षा बलात् न दी जाय, केवल इच्छुक एवं उत्सुक छात्रों को ही इसके लिए चुना जाय ।
९. उपसंहार ।

(२४) विज्ञापन-कला

१. भूमिका—आज का युग विज्ञापन का युग है, उन्नति और प्रगति का एक मात्र आधार विज्ञापन । समस्त व्यापार-व्यवसाय विज्ञापन पर आश्रित ।
२. विज्ञापन एक कला है, इसका समुचित शिक्षण आवश्यक, आजकल विश्व-विद्यालयों में वाणिज्य-विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन-शिक्षण भी दिया जाता है ।
३. विज्ञापन का क्षेत्र—जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन, जन-साधारण की विज्ञापन में रुचि, विज्ञापन कला में निपुण व्यक्तियों की सर्वत्र मांग ।
४. विज्ञापन की विधियाँ—विज्ञापितियों द्वारा, समाचार-पत्रों द्वारा, रेडियो द्वारा, प्रदर्शनियों द्वारा, सार्वजनिक स्थानों में पोस्टर आदि लगाकर, लाउडस्पीकर द्वारा, जुलूस निकालकर, सिनेमा द्वारा, प्रचार द्वारा, अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा ।
५. विज्ञापन में जन-रुचि और कलात्मकता का ध्यान रखा जाता है, विज्ञापन को प्रभावोत्पादक बनाया जाता है । विज्ञापन जितना आकर्षक, उतना ही अधिक लाभ ।
६. विज्ञापन व्यापार-व्यवसाय वा क्रय-विक्रय तक ही सीमित नहीं, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रमुख साधन । विज्ञापन द्वारा विवाह, मित्रता, मेलजोल, जन्म-मरण सम्बन्धी सूचना, प्रचार आदि ।
७. विज्ञापन से लाभ—व्यापार-व्यवसाय में उन्नति, योग्य और उपयुक्त

वस्तुओं और व्यक्तियों की प्राप्ति, सार्वजनिक प्रचार में सुगमता, विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों की स्थापना में सहायता, जीविका के साधन जुटाने में सहायता, ज्ञान-वृद्धि आदि ।

विज्ञापन से हानियाँ—भूठे विज्ञापन, भूठा प्रचार, अश्लील और गन्दे विज्ञापनों का दूषित प्रभाव, अनावश्यक वस्तुओं का क्रय आदि ।

उपसंहार—विज्ञापन सच्चे होने चाहिए, उनमें सुखि और सद्भावना का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

(२५) भिखारियों की समस्या

भूमिका—सरकार के सामने अनेक समस्याओं में से एक, भिखारी देश के लिए एक भारी बोझ ।

भिखारियों के विभिन्न स्वरूप, उनके माँगने के विभिन्न ढंग ।

भारत के वर्तमान भिखारी और उनकी संभावित संख्या ।

भिक्षा-वृत्ति के अनेक कारण—लोगों में दान-पुण्य की भावना, दरिद्रता, बेकारी, विकलांग होना, कुछ जातियों का व्यवसाय के रूप में भिक्षा-वृत्ति को अपनाना ।

भिक्षा-वृत्ति से आत्म-पतन, भारत के लिए एक महान् कलंक, इसका दूर किया जाना अत्यावश्यक ।

भिक्षा-वृत्ति को रोकने के उपाय—भिक्षा-वृत्ति एक अपराध माना जाय, धार्मिक अन्ध-विश्वास दूर किया जाय, सम्पत्ति का समान वितरण किया जाय, समर्थ और स्वस्थ भिखारियों को काम में लगाया जाय, असमर्थ, वृद्ध और विकलांग भिखारियों के लिए अनाथाश्रमों की स्थापना की जाय, उद्योग-धन्धों का विस्तार किया जाय आदि ।

भारत सरकार और भिक्षा-वृत्ति—सरकार भिक्षा-वृत्ति को दूर करने में प्रयत्नशील, कुछ राज्यों में भिक्षा-वृत्ति पर रोक, भीख माँगना कानूनी अपराध, सरकार शिक्षा-प्रसार और गृह-उद्योगों का विस्तार कर रही है, सरकार इस कार्य में जनता का हार्दिक सहयोग चाहती है ।

उपसंहार—भिखारियों की समस्या एक जटिल समस्या, इसका हल केवल कानून ही नहीं है, दानी और भिखारी दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन

लाने से ही समस्या का समुचित हल। भारत भिखमंगी के कलंक का धो डालना चाहता है।

(२६) निःशस्त्रीकरण और भारत

१. भूमिका—आदि काल से मानव की युद्ध-प्रियता, लड़ना मानव की एक सहजात प्रवृत्ति, युद्ध से ही अनेक समस्याओं का हल प्राप्त।
२. वर्तमान युग में शस्त्रास्त्रों की होड़, आज के युग की दो ही विशेषतायें—शस्त्रीकरण और सैन्य-संगठन। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच भय और अविश्वास।
३. विश्व की तनाव-पूर्ण स्थिति, विश्व का पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बँटना, आधुनिकतम आणु-आयुधों से सुसज्जित, विरोधी-प्रचारः शीत-युद्ध।
४. विश्व-शान्ति के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता, तृतीय विश्व-युद्ध का अर्थ महाविनाश और प्रलय।
५. निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अब तक किये गये प्रयत्न, विभिन्न आयोगों की स्थापना, किन्तु दोनों गुटों में गतिरोध, इसलिए असफलता।
६. भारत की विदेश-नीति, तटस्थता और शान्ति-प्रियता, विश्व-शान्ति के कार्यों में भारत का योगदान।
७. निःशस्त्रीकरण और भारत—भारत ने नाटो, सीटो, बगदाद पैक्ट आदि सैनिक-सन्धियों को बुरा बताया है, वह स्वयं न किसी गुट में है और न किसी सैनिक-सन्धि से बँधा हुआ, भारत शीत-युद्ध और प्रचार-युद्ध को रोकने का बराबर प्रयत्न करता रहा है।
८. निःशस्त्रीकरण और पञ्चशील—पञ्चशील एक ऐसा मार्ग है जो दोनों गुटों को मान्य हो सकता है। सह-अस्तित्व के न मानने पर सह-विनाश निश्चित।
९. उपसंहार—विश्व-हित के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक।

(२७) विज्ञान और मानव-जाति का भविष्य

१. भूमिका—आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति चरम सीमा पर। विज्ञान के अद्भुत और चमत्कार-पूर्ण आविष्कार—विभिन्न यंत्र, विद्युत्,

तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, विभिन्न श्रौषधियाँ और टीके, दूरवीक्षण यंत्र, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, राकेट आदि ।

विज्ञान द्वारा मानव-जाति को सहायता—यातायात और संवाद-प्रेषण के विकसित साधन, रोगों से रक्षा, उत्पादन-वृद्धि, मूल्यों में कमी, शक्ति में वृद्धि आदि ।

विज्ञान द्वारा मानव-जाति का कल्याण—दृष्टि-कोण में परिवर्तन, अन्ध-विश्वासों की समाप्ति, बुद्धि-विकास, ज्ञान-वृद्धि, विचारों का आदान-प्रदान, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार, सुख-पूर्ण जीवन, स्वर्ग-तुल्य आनन्द ।

विज्ञान द्वारा विश्व-विनाश का भय—महा शक्तिशाली और भयंकर शस्त्रास्त्रों का निर्माण प्रक्षेपणार्थ, परमाणु बम, उद्‌जन बम, नेत्रजन बम, मैगाटन बम; विश्व का दो विरोधी गुटों में विभाजन; अन्तर्राष्ट्रीय प्रति-स्पर्धा; पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के कारण तीव्र सामाजिक असन्तोष, चारों ओर अनास्था, अविश्वास और भय का वातावरण; किसी भी समय महा भयंकर विस्फोट की आशंका ।

मानव-जाति का भविष्य असमंजस में—एक ओर चाँद-सितारों की सैर का आनन्द और ग्रहों को बसाने की योजना और दूसरी तरफ एक क्षण में विश्व-विनाश का भय ।

उपसंहार—विज्ञान के सदुपयोग की आवश्यकता ।

(२८) राष्ट्र-निर्माण में युवकों का योगदान

भूमिका—युवक राष्ट्र की सम्पत्ति, देश के सच्चे सिपाही और प्रहरी, राष्ट्र के भावी कर्णधार, राष्ट्र-निर्माण में युवकों का महत्वपूर्ण स्थान ।

स्वतन्त्र देश में और प्रधानतः नवोदित लोक-तन्त्र में युवकों का विशेष महत्व ।

राष्ट्र-प्रेम का विकास यौवन-काल में ही सम्भव—शिवाजी, राणा प्रताप, नेताजी, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, नेहरू जी आदि के देश-प्रेम, महान् त्याग और बलिदान के उदाहरण ।

नवयुवकों का स्वतन्त्रता-संग्राम में एवं राष्ट्रीय आन्दोलनों में दिया गया उत्साह-पूर्ण सक्रिय योग ।

२. देश-नेताओं का काम केवल योजनायें बनाना एवं पथ-निर्देशन करना हैं, युवक ही उन योजनाओं को उत्साह और उमङ्ग के साथ क्रियान्वित करते हैं ।
६. वर्तमान युवकों में विचार-स्वातन्त्र्य, प्रगति शीलता, राष्ट्र-प्रेम, अन्तर्राष्ट्रीय भावना और कल्पना-शीलता के दर्शन होते हैं, किन्तु भारतीय संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना श्रेयस्कर ।
७. युवकों को आलस्य, मादक पदार्थों का सेवन, पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण, फैशन-प्रियता, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक दलबन्दी, अनुशासनहीनता आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए ।
८. राष्ट्र-निर्माण में युवकों का कर्तव्य—राष्ट्रोत्थान के प्रत्येक कार्य में योग देना, विकास-योजनाओं में सक्रिय भाग लेना, भारत की स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करना, आर्थिक विकास के लिए श्रमदान करना, उच्च शिक्षा प्राप्त कर एवं योग्य बनकर राष्ट्रीय पदों पर आरूढ़ होकर न्याय करना, भ्रष्टाचार रोकना, कुप्रथाओं का अन्त करना, जनता की विचार-धारा को युगानुकूल बनाना ।
९. युवकों के प्रति सरकार का कर्तव्य—सरकार युवकों को योग्य बनाने में हर प्रकार से उनकी सहायता करे, उन्हें सुविधायें दे ।
१०. उपसंहार—देश के नव-निर्माण में नवयुवकों का विशेष हाथ होना आवश्यक ।

(२६) पुस्तकालयों का महत्व

१. भूमिका—पुस्तकालय शब्द का अर्थ । वह स्थान जहाँ पुस्तकों का एक बड़ी संख्या में क्रय-विक्रय की दृष्टि से नहीं, उपयोग की दृष्टि से संग्रह किया गया हो ।
२. पुस्तकालयों के प्रकार—निजी पुस्तकालय, स्कूल या कालेज पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, विश्व-विद्यालय पुस्तकालय, चलते-फिरते पुस्तकालय ।
३. पुस्तकालयों की आवश्यकता - विविध विषयों की विविध पुस्तकों की एक स्थान पर उपलब्धि के लिए, ज्ञान-पिपासा शान्त करने के लिए, लोगों में

पठन-पाठन की रुचि बढ़ाने के लिए, पुस्तकों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक का कथन—

“मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा। पुस्तकों में वह शक्ति है जहाँ वे होंगी, वहाँ आप ही स्वर्ग बन जावेगा।”

पुस्तकालयों के साथ वाचनालय—विभिन्न पत्र-पत्रिकायें ।

पुस्तकालयों और वाचनालयों का प्रबन्ध और व्यवस्था ।

पुस्तकालयों से अनेक लाभ—सब प्रकार के नवीन-प्राचीन ग्रन्थों की उपलब्धि, शोध और अनुसंधान कार्य में महती सहायता, ज्ञान-वृद्धि, निर्धन एवं अध्ययनशील छात्रों के लिए एक वरदान. नवीन पुस्तकों की रचना में महती सहायता, जन-साधारण में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, समय का सदुपयोग और मनोरंजन, कला और संस्कृति का विकास, चिन्तन और मनन शक्ति में वृद्धि ।

पुस्तक ज्ञान के श्रोत, सच्चे मित्र, ज्ञान की अक्षय निधि, विचार एवं भावनाओं के भण्डार ।

उपसंहार—देश और समाज की उन्नति के लिए पुस्तकालयों की महत्ता, प्रसार की आवश्यकता ।

(३०) चुनाव-आन्दोलन

भूमिका—लोक-तन्त्र में चुनाव अनिवार्य—संसद्, विधान-सभा, नगर-पालिका आदि के लिए चुनाव-आन्दोलन ।

चुनाव प्रजातान्त्रिक भावना का चिह्न, प्रत्येक नागरिक की अपनी भावनाओं के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ।

निश्चित अवधि (कार्य-काल) के अनन्तर चुनाव-आन्दोलन, आन्दोलन की तैयारी और चहल-पहल । निर्वाचन स्थल का दृश्य ।

चुनाव से लाभ—देश के शासन में प्रत्येक नागरिक का अप्रत्यक्ष हाथ, जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व, योग्य व्यक्तियों का चुनाव, जन-सेवा की भावना का उदय और प्रसार ।

चुनाव में विभिन्न दलों का भाग लेना, अपने-अपने प्रतिनिधि चुनने का

प्रयत्न करना, कितने ही उम्मीदवार खड़े होना, अपने पक्ष में करना ।

६. चुनाव से हानियाँ—जातीयवाद और साम्प्रदायिकता को प्रश्रय, दलबन्दी का प्रावलय, आन्दोलन में लाखों रुपयों का पानी की तरह बहाना, लोगों से झूठे वादे करना, नारेवाजी, प्रोपेगन्डा, विभिन्न दल वालों के बीच मनोमालिन्य ।
७. चुनाव में विरोधी दल का निर्माण भी आवश्यक, विरोधी दल सत्तारूढ़ दल पर अंकुश रखता है, उसके द्वारा किए गये गलत और अनियमित कार्यों की आलोचना करता है ।
८. सुभाव—चुनावों को सफल बनाना चाहिए, जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करनी चाहिये, जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व होना चाहिए
९. लोक-तन्त्र की सफलता सही चुनाव पर निर्भर है । स्वार्थी और धूर्त लोगों के चुनाव में विजयी होने से एवं सत्तारूढ़ होने से भ्रष्टाचार फैलने का भय ।
१०. उपसंहार—नवीन जन-सेवी उम्मीदवारों के पहुँचने से राष्ट्र का कल्याण ।

अध्याय नवां अनुवाद-कला

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कोई सरल कार्य नहीं है। साहित्य एवं भाषा-सम्बन्धी ज्ञान की अपेक्षा तो है ही, माय ही अनुवाद-कला में भी दक्ष होना चाहिए। मूल लेखक के स्वतंत्र और मौलिक भावों और विचारों को अन्य भाषा में इसके शब्द-प्रयोग और मुहावरों का ध्यान रखते हुए अनुवाद करना वस्तुतः एक कला है। अनुवाद-कला के लिए योग्यता और अभ्यास दोनों की आवश्यकता है।

अनुवाद प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। जो अनुवाद अक्षरशः किया जाता है, जिस में मूल लेखक के प्रत्येक शब्द का अनुवाद करना होता है, वह शब्दानुवाद कहलाता है। भावानुवाद में मूल भाषा के भावों और विचारों को अनुवादक अपनी भाषा की लेखन-शैली में प्रस्तुत कर देता है। शब्दानुवाद में अनुवादक को यह अधिकार नहीं होता कि वह मूल भाव के किसी अंश को छोड़ दे, किन्तु भावानुवाद में मूल लेखक के भावों और विचारों को केवल भाषान्तरित कर देना है, अवतरण के पूरे रूप का अनुवाद वांछनीय नहीं है।

जब तक स्पष्ट तथा भावानुवाद का उल्लेख न हो तब तक अनुवाद से शब्दानुवाद का ही तात्पर्य समझना चाहिए। शब्दानुवाद करते समय केवल शब्दों पर ही ध्यान न दिया जाय, प्रत्युत मूल भाव या विचार ऐसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए जिससे वह ज्यों का ज्यों दूसरी भाषा में प्रकट हो जाय। अनुवाद में मूल भाव की रक्षा करते समय भाषा के प्रचलित रूप एवं प्रवाह का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुवाद करते समय भाषा-विशेष का ध्यान रखते हुए यदि वाक्यों को तोड़ना पड़े, वा भाव स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ जोड़ना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। अनुवाद इतना सुन्दर होना चाहिए कि वह स्वयं एक स्वतंत्र रचना जान पड़े। अनुवाद में भी अनुवादक की मौलिकता आजानो चाहिए।

हमने प्रस्तुत अध्याय में आङ्ग्ल भाषा एवं संस्कृत भाषा से अनुवाद करने के लिए कुछ अवतरण दिये हैं, साथ ही, अनुवाद किस प्रकार और कैसे करना चाहिए, हमने दोनों ही भाषाओं के कुछ अवतरण आदर्श अनुवाद के रूप में सामने रखे हैं जिनके अध्ययन से विद्यार्थी बर्ग लाभ उठाये ।

आदर्श अनुवाद आङ्ग्ल भाषा से

(1)

Patriotism can be expressed not only in battle field. . Many men how signalized their love of country in the field of literature. In our country, Balmiki, Kalidas, Tulsi etc. of the ancient and Ravindra Nath Tagore of the modern age are famous. A rich man also can express patriotism by sacrificing his riches. Lord Buddha, to speak the truth, was a true patriot. When he saw the degenerated condition of the people, he left his princely pleasures, cut himself away from his parents, wife and children, and led a life of Sanyas, to do good to his country and brethren.

अनुवाद—देश-भक्ति केवल युद्ध-क्षेत्र में ही प्रकट नहीं की जा सकती है । अनेक व्यक्तियों ने अपने देश-प्रेम को साहित्य के क्षेत्र में प्रदर्शित किया है । हमारे देश में प्राचीन युग के वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी आदि एवं वर्तमान युग के रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रसिद्ध हैं । एक धनवान मनुष्य भी अपनी सम्पत्ति का त्याग कर देश-भक्ति प्रकट कर सकता है । सच पूछो तो, भगवान बुद्ध एक सच्चे देश-भक्त थे । जब उन्होंने जन-साधारण की पतित दशा देखी, तब उन्होंने अपने राजसी आनन्दों का त्याग कर दिया, अपने माता-पिता, पत्नी एवं वच्चों से अपना सम्बन्ध हटा लिया तथा अपने देश और वन्धुओं का भला करने के लिए सन्यास जीवन ग्रहण कर लिया ।

(2)

Indra approached him in the disguise of a Brahmin. Sitting on the bank of the Ganges near the Brahmin, he frequently took up sand from the bank and threw it into water full of waves. Having seen him doing this, Bhargave gave up his vow of silence and asked him through curiosity as to what he was doing. Being

pressed exceedingly, Indra replied. I am building a bridge on the Ganges for people to cross it.' Then Bhargava said, "Oh ! what a great folly is this ! Can a bridge be ever built by sand which can be carried away ?" Indra replied, "knowing this as you do, why are you bent upon acquiring knowledge by vows and fasting without learning and studying ?"

अनुवाद—इन्द्र ब्राह्मण-वेश में उसके समीप गया। ब्राह्मण के निकट गंगा-तट पर बैठ कर वह बार-बार तट से मिट्टी लेकर तरंग-परिपूर्ण जल में डालने लगा। उसको यह कार्य करते देख कर भार्गव ने अपनी मौन रहने की प्रतिज्ञा त्याग दी और उसने उससे उत्सुकता वश पूछा कि वह क्या कर रहा है। प्रत्यधिक विवश किये जाने पर इन्द्र ने उत्तर दिया, "मैं लोगों के आरमार नि के लिए गंगा पर एक पुल बना रहा हूँ"। तब भार्गव ने कहा, "अहा ! यह कैसी मूर्खता है ! क्या कभी उस मिट्टी द्वारा जो बहाई लेजाई जा सकती है, पुल बनाया जा सकता है ?" इन्द्र ने प्रत्युत्तर में कहा, "यह जानते हुए जैसा कि तुम करते हो, तुम बिना सीखे और अध्ययन किये व्रत-उपवासों से ज्ञान प्राप्त करने पर क्यों तुले हुए हो ?

(3)

During the long centuries of the Hindu and Mohammedan rules the security of property was imperfectly maintained. The result was that the accumulation of wealth became an impossibility except among rulers. Unless there is some certainty of enjoying tomorrow what we keep in store today. Providence for the future is useless, and is soon dispensed with. During the last days of the Mohammedan rule insecurity had become so great, that people remained in a temper of despair, and there was hardly any inducement for thrift and industry.

अनुवाद—हिन्दू और मुसलमान शासन की बहुत सी शताब्दियों में सम्पत्ति की रक्षा उचित रूप से नहीं होती थी। इसका परिणाम यह था कि शासकों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के लिए धन-संचय असंभव हो गया था, हम जो कुछ अपने भंडार में आज रखते हैं, यदि कल उसके आनन्द लेने का निश्चय न हो तो

भविष्यत् के लिए प्रबन्ध करना व्यर्थ है और ऐसा प्रबन्ध करना शीघ्र ही त्याग दिया जाता है। मुसलमानी शासन के अन्तिम दिनों में सम्पत्ति की रक्षा इतनी कठिन हो गई थी कि लोग हताश रहते थे और मितव्ययिता तथा उद्योग के लिए कोई उत्साह न था।

(4)

An interesting tale is related about Birbal. Once Akber asked his courtiers, "Which is the best weapon in time of emergency?" one said,—"A sword," another, 'a spear' and so on." Birbal said, "your Majesty! Presence of mind has no rival" The next day, while Birbal was coming to the court, an elephant was let loose by the emperor's order. The eminent man was in imminent danger. A puppy was lying by Birbal caught the animal by the leg and threw it at the advancing black giant. The elephant was confused, turned tail and ran away. The great man thus proved that ready wit is really the best weapon and that one who does not lose one's presence of mind is perhaps the bravest individual.

अनुवाद—वीरवल के बारे में एक मनोरंजक कहानी कही जाती है। एक बार अकबर ने अपने राज्य-सभासदों (दरबारियों) से पूछा—'आकस्मिक संकट-काल में कौन सा आयुध सर्वोत्तम है'? एक ने कहा 'तलवार', दूसरे ने कहा 'भाला' इत्यादि"। वीरवल ने कहा—'श्रीमन् ! समयानुकूल सूझ अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखती हैं, दूसरे दिन जब वीरवल दरवार में आ रहा था, सम्राट की आज्ञा से एक हाथी खुला छोड़ दिया गया। प्रसिद्ध व्यक्ति आमन्त्रित विपत्ति (भय) में था। एक पिल्ला समीप ही लेटा पड़ा था। वीरवल ने पशु की टांग पकड़ ली और उसको आगे बढ़ते हुए काले राक्षस की तरफ फेंक दिया। हाथी घबरा गया, वह मुड़ गया और भाग गया। महान् भगुण्य ने इस प्रकार प्रमाणित कर दिया कि तत्काल बुद्धि ही वास्तव में सर्वोत्तम आयुध है तथा वह व्यक्ति जो समयानुकूल सूझ को नहीं खोता है, कदाचिन् सबसे वीर है।

(5)

When man first come, he must have been surrounded by many huge animals, and he must have lived in fear of them

Today man is master of the world and he makes the animals do what he likes. Some he tames like the horse; the cow, the elephant, the dog, the cat and so many others; some he eats; and some like the lion and the tiger, he shoots for pleasure. But in those days he was not the master but a poor hunted creature himself, trying to keep away from the great beasts. Gradually, however, man raised himself and became more and more powerful till he became stronger than any animal.

अनुवाद—जब मनुष्य प्रथम बार आया, तब वह अवश्यमेव बहुत से दीर्घाकार जन्तुओं से घिरा हुआ होगा एवं वह उन से भयभीत रहता होगा। आज मनुष्य संसार का स्वामी है और वह जानवरों से जो चाहता है, करवा लेता है। कुछ को, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य बहुतों को वह पालता है; कुछ को वह खाता है; और और कुछ की, जैसे शेर, बघेरे की, वह मनोरंजन के लिए शिकार करता है। लेकिन उन दिनों में वह स्वामी नहीं था, किन्तु बड़े पशुओं से अपने आपको बचाने का प्रयत्न करता हुआ स्वयं दूसरों से पीछा किया जाता हुआ एक दीन प्राणी था। किन्तु शनैः शनैः मनुष्य ने अपने-आप को उठाया और जब तक वह जानवर से अधिक बलवान न बन गया, तब तक वह अधिकाधिक शक्ति-शाली बनता गया।

(6)

Nobody likes falling ill. But how many people make a constant effort to avoid illness? Most of the people leave the matter of their health to chance, taking notice only when disease overtakes them, and that too not until they are bed ridden, and incapacitated from their work. What is more tragic is that besides being utterly careless about taking pains to understand the laws of health and observe them in preventing disease, they actually expect illness and there by invite it. But is it in your power to check disease? Certainly. Those who believe that their is some diety, whose pleasure or anger determines health and disease for us, are still living in mediaeval ages.

अनुवाद—बीमार पड़ना कोई भी नहीं चाहता है, किन्तु कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारी से दूर रहने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते हैं? अधिकांश

लोग अपने स्वास्थ्य की बात अवसर पर छोड़ देते हैं, वे केवल तब ध्यान देते जब बीमारी उन्हें आ दबाती है और वह भी उस समय तक नहीं जब तक कि वे विस्तर पर न पड़ जायें और अपने कार्य के करने में असमर्थ न हो जायें। इससे भी अधिक कष्ट यह है कि स्वास्थ्य के नियमों को समझने के लिए कष्ट उठाने और बीमारी को रोकने में उनका पालन करने में पूर्णतः असावधान होने के अतिरिक्त वे यथार्थ में बीमारी की आशा करते हैं और इस तरह उसे निमंत्रण देते हैं। किन्तु क्या बीमारी को रोकना तुम्हारी शक्ति में है? निःसंदेह। वे लोग जो यह विश्वास करते हैं कि कोई देवता है जिस की प्रसन्नता या क्रोध हमारे स्वास्थ्य और बीमारी का कारण बनता है, अभी तक मध्य युग में रह रहे हैं।

(7)

Then Sushbi came to test the merits of Vikramarka on the Earth. She assumed the form of a very feeble cow and having herself fallen into mud raised a piteous cry while the king was passing by the way. Having seen her in that state, the king who felt pity for her strove hard to relieve her. While he was trying to extricate her, the sun set. When darkness thickened the king stood there alone, bent upon protecting the cow from a tiger until the sun rose. Having observed mercy and other great virtues of the king, the cow was much pleased and asked him to choose a desired boon.

अनुवाद—तब सुरभि विक्रमार्क के गुणों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आई। उसने एक अति दुर्बल गाय का रूप धारण किया और उसने स्वयं को कीचड़ में गिरा कर उम समय एक क्लृप्ता-पूर्ण कन्दन किया जब कि राजा उस मार्ग में जा रहा था। उसको उस अवस्था में देख कर राजा ने, जिमका हृदय उसके लिए दया से भर गया था, उसको कष्ट-मुक्त करने के लिए कठोर प्रयत्न किया। जब वह उसे दाहर निकालने का यत्न कर रहा था, सूर्य अस्त हो गया। अंधकार के घना होने पर राजा सूर्योदय न हो तब एक वाय से गाय को रक्षा करने पर तुला हुआ वहाँ अवेला खड़ा रहा। राजा की दया एवं उसके अन्य गुणों को देख कर गाय अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसने उसको एक अभीप्सित वर माँगने को कहा।

(8)

The best friend a man has in this world may turn against him, and become his enemy. His son or daughter whom he has reared with loving care, may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to him, those whom he trusts with his happiness and his good name, may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him perhaps when he needs it most. The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous, is his dog.

अनुवाद—इस संसार में मनुष्य जिसको अपना सर्वोत्तम मित्र समझता है, वह उसके विरुद्ध होकर उसका शत्रु बन सकता है। उसका पुत्र या पुत्री जिसका लालन-पालन उसने स्नेह-पूर्ण चिन्ता के साथ किया है, कृतघ्न प्रमाणित हो सकते हैं। वे जो उसके निकटतम एवं प्रियतम हैं, वे जिनका विश्वास वह अपने सुख और अपने अच्छे नाम में करता है, विश्वासघाती बन सकते हैं। मनुष्य उस धन को जो उसके पास है, खो सकता है। वह उसके पास में कदाचित् उस समय भाग जाता है जब कि उसको उसकी महती आवश्यकता होती है। इस स्वार्थ-परिपूर्ण संसार में मनुष्य का जो सर्वथा निःस्वार्थ मित्र बन सकता है, जो न कभी उसे त्यागता है और जो न कभी कृतघ्न या धोखे वाज सिद्ध होता है, वह उसका कुत्ता है।

(9)

If it is true that knowledge is power, then we are bound also to admit that the creators of new knowledge, the makers of original research, must become the masters of those who are merely borrowers of knowledge. So as our universities were content with merely importing to India, knowledge of various kinds which had originated in Europe, we were intellectually a debtor nation. Our best writers were mere imitators or translators. Therefore, if we wish to be self-reliant in art and science, if we wish to be independent thinkers, we must qualify ourselves to be givers and not merely takers.

अनुवाद—यदि यह सत्य है कि ज्ञान शक्ति है तो हमें यह भी स्वीकृत करना होगा कि नवीन ज्ञान के उद्भाव को (एवं) मौलिक अनुसंधान-कर्ता का उन लोगों पर आधिपत्य होना चाहिए जो ज्ञान को केवल ऋण के रूप ग्रहण करते हैं। जब तक हमारे विश्व विद्यालयों को युरोप में प्रादुर्भूत विवि प्रकार के ज्ञान का भारत में आयातमात्र करने से संतोष था, तब तक हम बौद्धिक रूप में एक ऋणी राष्ट्र थे। हमारे सर्वश्रेष्ठ लेखक अनुकरण-कर्ता अथवा अनुवादक मात्र थे। इसलिए यदि हम कला और विज्ञान में आत्म-निर्भर होने की इच्छा रखते हैं, यदि हम स्वतंत्र विचारक बनना चाहते हैं तो हमें केवल ग्राहक-मात्र न रह कर प्रदाता बनने की विशेषता प्राप्त करनी चाहिए।

अभ्यासार्थ हिन्दी अनुवाद के लिये

(1)

The Prime Minister Shri Nehru, said that he would not like students to become merely book worms. They should develop an integrated personality and do well in every field, in their studies and other activities. They had to develop both their mind and body and try to become first-rate men. He further said that it was the first and foremost duty of the youth to create an atmosphere in their universities and outside where they themselves kept to the right path and also prevented others from doing wrong.

Vocabulary:—Book-worms=किताबी कीड़े। Integrated personality=पूर्ण व्यक्तित्व। First-rate=श्रेष्ठ। Atmosphere=वातावरण। Prevented=रोके।

(2)

There is a tendency in students to read in bed. The chief danger that results from the habit is to the eyes, partly, because the light used is frequently insufficient and so pleased as to dazzle them and, partly, because it is difficult to hold the book so that full benefit is obtained from the use of both eyes. Again there is generally a temptation to hold the book too close to the eyes, and this of itself tends to induce Myopia.

Vocabulary:—Tendency=प्रवृत्ति। Results=उत्पन्न होता है। Partly=कुछ। Frequently insufficient=बहुधा अपर्याप्त।

zle=चोँधिया देना । Temptation=लोभ । Induce=उत्पन्न करना । Myopia=अल्पदृष्टि ।

(3)

Tea is perhaps the most popular and widely used drink in the world. Many millions of people drink tea every day of their lives. In England, in the United States of America, in China, in Australia, and in many other well-known countries of the world tea is drunk every day by everybody. It is one of the necessities of life. Tea, as far as we know, first came from China, where it always has been, and still is, the most popular of drinks. In India and Pakistan tea is not drunk very much, except on the North-West Frontier, where every one drinks it and is very fond of it.

Vocabulary—Popular=सर्वप्रिय । Drink=पेय ।

(4)

When Ram accompanied by Lakshmana and Sita, set out on his journey to the forest, the people of Ayodhya followed them as far as the banks of the river Tamasa. When it grew dark, all the people slept on beds of leaves. At day-break, Ram arose from his bed of leaves and seeing the people still asleep, said to his brother—'Behold these people devoted to us and unmindful of their own interests, sleeping beneath these trees. They have vowed to take us back and will never leave us. Let us, therefore gently mount the Chariot and take our departure.'

Vocabulary—Accompanied by=साथ । Behold=देखो । Devoted=भक्त । Unmindful=उदासीन । Interests=स्वार्थ । Mount=चढ़ना । Chariot=रथ ।

(5)

What will not the child do for his mother? Therefore, it is essential that the mother should be a worthy mother. Worthy mother will produce worthy sons. And when sons move heaven and earth for their mother it is but natural to expect that women should be worthy of so much effort and sacrifice. Abraham Lincoln's mother burnt the mid-night oil not on books but on keeping her children going. She was wise, hard-working and

honest. Above all, she was brave. Her son Aby also became brave, honest, wise and industrious because his mother taught him to be so.

Vocabulary—Essential=आवश्यक । Worthy=योग्य ।
Move heaven and earth=भरसक प्रयत्न करना । Expect=आशा
करना । Sacrifice=त्याग । Industrious=उद्योगी, परिश्रमी ।

(6)

Though Sir Ashutosh was such an important figure in public affairs, he never gave up his simple way of life. Being of a very affectionate character, he was especially devoted to his mother and to his daughter, Kamala Devi. He took no importance in his career without first explaining it to his mother and making sure that she understood and approved of what he was doing. Once, when the Viceroy asked him to go to Europe, the old lady refused to allow him to go. Nothing that the Viceroy could say made any difference; Ashutosh would not go against his mother's wishes.

Vocabulary—Important figure=महत्वपूर्ण व्यक्ति ।
Public affairs=सार्वजनिक कार्य । Devoted=भक्त । Approve=
स्वीकृति देना । Difference=अन्तर ।

(7)

In the beginning of the century there took place in England what was known as the industrial Revolution. Upto this time most of the people in the British Isles had made their living by farming. The manufactures were small and were generally done by men and women in their own homes. But now a great change took place. The power of steam was discovered, the first steam engines were made and machinery was invented to do a great part of the work which before people had done with their own hands. Factories were built where the machinery was put up and the people came to live in towns to be near the factories, instead of living and working in their country cottages as before.

Vocabulary—Industrial Revolution=औद्योगिक क्रांति ।
Living=आजीविका । Manufactures=दस्तकारी के कार्य । Put up=
स्थापित करना ।

(8)

The best friend a man has in this world may turn against him, and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care, may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to him, those whom he trusts with his happiness and his good name, may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose, It flies away from him perhaps when he needs it most. The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous, is his dog.

Vocabulary:—Turn against=विरुद्ध हो जाना । Rear=
पोषण करना । Ungrateful=कृतघ्न । Traitors=धोखे बाज ।
Absolutely=पूर्णतः । Unselfish=निःस्वार्थ । Desert=छोड़ना ।
Treacherous=धोखे बाज ।

(9)

Make the best use of life, because if you make a bad use of it, you will suffer for ever. Place the best possible examples before yourself. Let the best minds of the world mould your life and form your Character. Try to set a good example for others. Let your actions be such that people should remember you and love you after your death. Thus your future depends on the use you make of this life. Life is a big and golden opportunity. It will never again be offered to you. Make, therefore, the best use of it; rank among the immortals of the world.

Vocabulary:—Place=रखो । Mould=ढालना । Opportu-
-nity=प्रवसर । Rank=स्थान प्राप्त करो । Immortals=अमर ।

(10)

The first danger to democracy is the poverty and ignorance of the people. The hungry can fall an easy prey to slavery if promised bread. Freedom is not the first requirement of man. It is necessary for him to live before he can live well. An ancient

wisdom says, 'A man to thrive must keep alive. Poverty is a', the root of social, political and economic backwardness. Ignorance is the result of poverty and cannot be helpful to the development of democracy. An ignorant man has no idea of rights and duties, cannot develop right sense of values of balanced judgment.

Vocabulary:—Ignorance=अज्ञान । Prey=शिकार । Thrive=उन्नत या स्वास्थ्य—परिपूर्ण होना । Development=विकास । Balanced judgment=संतुलित न्याय व निर्णय ।

(11)

There is much work for each one to do in India. We have to fight poverty and disease, ignorance and illiteracy. People are to be taught clean habits of living. Small courtesies and decencies of life are generally ignored; yet they are important. Schools and hospitals for the poor are to be built. Adult education goes a begging for volunteers. Tolerance and charity are to be inculcated. We have to fight hatred and ignorance. We have to give a new sense of responsibility and freedom to our countrymen.

Vocabulary—Poverty=गरीबी । Ignorance=अज्ञान । Illiteracy=निरक्षरता, अज्ञान । Courtesies and decencies=सभ्यता और सज्जता । Tolerance=सहिष्णुता । Hatred=द्वेष ।

(12)

We all know difference between good and bad manners between habits which are rude and habits which are gentle, and we know what a difference they make in society. And for us who have to live in society, and to lead public lives among men the cultivation of gentle manners is very important indeed. For the estimation which we shall hereafter have among men, and our influence over them will depend very much on the manners we possess. If we behave like a vulgar man, we shall be treated like a vulgar man. If we behave like a gentleman, we shall be treated like a gentleman.

Vocabulary—Cultivation=निर्माण । Estimation=मादर ।
Behave=वर्ताव करना । Vulgar=गवार ।

(13)

Money has its dangers. One great danger is pride. Money often makes men proud. Rich people think themselves better than their fellows, when really they have no merit at all, except the power which money gives them. Sometimes people because they are rich, become so vain that they think their very faults to be virtues, their foolishness to be wisdom. They deem themselves to be above God's law as well as man's. If money makes us vain and collous, then the less money we have, the better.

Vocabulary—Merit=महत्त्व, गुण । Vain=वमण्डरी । Deem=समझना । Collous=कठोर, निर्लज्ज ।

(14)

Acharya Vinoba Bhave follows Mahatma Gandhi's religious way of life and bears some physical resemblance to him. The Acharya's day begins at 3 a. m. with an hour and a half of prayer and meditation before starting the day's walk. He is a prodigious walker, averaging five miles an hour at a steady pace. By the noon he will have reached his destination. Only than do the Acharya and his followers have their austere breakfast-vegetarian, of course, and with no tea or coffee.

Vocabulary—Resemblance=समानता । Meditation=ध्यान । Prodigious=विचित्र । Steady=स्थिर । Destination=गन्तव्य स्थान । Austere=संवमूर्ण । Vegetarian=शाकाहारी ।

(15)

From her father Sarojini Naidu inherited catholicity of views, freedom from Communal prejudice, high intellect and appreciation of a good man's worth, however, lowly his station

in life might be. From her mother she inherited the gifts of poetry, grace and a benevolent nature. The father wanted her to be a scientist, the mother would like her to take to literature and poetry and in the end the mother's influence prevailed and she became a poet and published three volumes of poetry in exquisite English.

Vocabulary—Inherited=प्राप्त किया । Catholicity=सहिष्णुता, विश्व-बन्धुत्व की भावना । Communal Prejudice=साम्प्रदायिक पक्षपात । Benevolent=उदार । Exquisite=उत्तम ।

आदर्श अनुवाद संस्कृत भाषा से

सकलपु प्राणियु मनुष्य एव श्रेष्ठो खलु, परं मनुष्योऽपि पशु एव यस्मिन् तस्मिन् धर्मो नास्ति । पशुना सार्धं मनुष्यस्य तुलना यदि क्रियेत तदा अनेका प्रवृत्तयः तत्र समानाः दृश्यन्ते, परं पशो धर्मो नास्ति यथा विद्वांसः कथयन्ति 'धर्मो ह्यहीनः पशुभिः समानः' । किन्तु धर्मस्य किं स्वरूपं यतः विभिन्नेषु धर्मशास्त्रेषु तस्य विभिन्नं लक्षणं प्रतिपाद्यते । केचित् बाह्याचरणमेव धर्मः, केचित् आत्म-स्वभावो धर्मः, अपरे च केवलं कर्तव्यमेव धर्म इति आगमन्ति । अत्र नास्ति कोऽपि संदेहः यत् धर्मस्य आत्मना सह सम्बन्धः, न च शरीरेण समम् । ये बाह्याचर्युषु धर्मं कल्पयन्ति, ते बाह्याचरणमेव धर्मं स्वीकुर्वन्ति । काले काले च ईदृक् धर्मः जनानां विवादस्य कलहस्य च कारणो भवति यतः सर्वसम्प्रदायानां बाह्याचर्या समानं न भवति ।

अनुवाद—सब प्राणियों में वस्तुतः मनुष्य ही श्रेष्ठ है, किन्तु मनुष्य भी पशु ही है यदि उसमें धर्म नहीं है । मनुष्य की तुलना यदि पशु से की जाय तो दोनों में अनेक प्रवृत्तियाँ समान दिखाई देती हैं, किन्तु पशु में धर्म नहीं है जैसा कि विद्वांस कहते हैं 'धर्मविहीन पशुओं के समान हैं' । परन्तु धर्म का क्या स्वरूप है, क्योंकि विभिन्न धर्मशास्त्रों में उसका विभिन्न लक्षण बताया गया है । कुछ बाह्य आचरण को ही धर्म मानते हैं, कुछ आत्म-स्वभाव को धर्म मानते हैं तथा अन्य जन केवल कर्तव्य को ही धर्म मानते हैं । इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि धर्म का सम्बन्ध आत्मा से है न कि शरीर से । जो लोग बाहरी वस्तुओं में धर्म की कल्पना करते हैं, वे बाह्य आचरण को ही धर्म स्वीकार करते हैं ।

समय-समय पर ऐसा धर्म मनुष्यों के विवाद और कलह का कारण बन जाता है, क्योंकि सब सम्प्रदायों का चाहा-चरण समान नहीं होता है।

(२)

मानवसमाजस्य कृते कविः अधिकः श्रेयस्करः अथवा वैज्ञानिकः । कविः युगस्य निर्माता भवति । सः समाजाय चेतनां ददाति । वाल्मीकि, कालिदास, रूसी, वाल्टेयर इत्यादीनां कविता अद्यापि प्रेरणा भादरं लभन्ते । कविरेव बुद्धि उत्पादयति जगति वैज्ञानिकान् अपि स एवं बुद्धिं ददाति । कविः सृजनस्य चेष्टां करोति वैज्ञानिको विनाशस्य । वैज्ञानिकः केवलं भौतिकं जगदेव जानाति, सः तत् आध्यात्मिकं जगत् विस्मरति यत् प्रत्येकस्य मानवस्य हृदये व्याप्तम् । अतः आध्यात्मिके जगत् कविः स्पृशति, स मानवमात्रं ध्येयं कृत्वा कवितां लिखति । तस्य स्थानं राज्ञः रंकस्य च हृदये समानम् । विभिन्न प्रकारैः बम्बैः सर्वनाशे समुत्पन्ने क्रवेर्वाणो एव विश्वेऽस्मिन् शांतेः स्थापनां करोति । अतः मानव-समाजस्य कृते वैज्ञानिकस्य अपेक्षया कविः अधिकः श्रेयस्करो भवति ।

अनुवाद—मानव-समाज के लिए कवि अधिक कल्याणकारी है वा वैज्ञानिक । कवि युग का निर्माता होता है । वह समाज की चेतना देता है । वाल्मीकि, कालिदास, रूसी, वाल्टेयर इत्यादि की कविता आज भी प्रेम से आदर प्राप्त करती हैं । कवि ही संसार में बुद्धि उत्पन्न करता है, वही वैज्ञानिक को भी बुद्धि देता है । कवि सृजन की चेष्टा करता है, वैज्ञानिक विनाश की । वैज्ञानिक केवल भौतिक जगत् को जानता है, वह उस आध्यात्मिक जगत् को भूल जाता है जहाँ प्रत्येक मानव के हृदय में व्याप्त है । इस आध्यात्मिक जगत् को कवि छूता है, वह मानवमात्र को ध्येय बनाकर कविता लिखता है । राजा और रंक (दोनों) के हृदय में उसका स्थान समान रूप से है । विभिन्न प्रकार के बमों द्वारा सर्वनाश हो जाने पर कवि की वाणी ही संसार में शान्ति की स्थापना करती है । इसलिए मानव-समाज के लिए वैज्ञानिक की अपेक्षा कवि अधिक कल्याणकारी होता है ।

(३)

संसारेऽस्मिन् नानाः पुरुषाः नानागुणसम्पन्नाः दृश्यन्ते । प्रत्येकस्य पुरुषस्य जीवनीदृश्यामपि भिन्नं एव । परं प्रत्येकः शिक्षितो वाऽशिक्षितो वा सुखं प्राप्नुं

ग्रभिलसति, आनन्दावाप्तये यत्नं करोति परं न जानाति यत् कुत्र सौख्यनिवासम् ॥
 केपांचित् मते तु इन्द्रियाणां तृप्तिरेव सुखम्, परं किं इन्द्रियाणां तृप्तिर्जायेत ? न ।
 असंभवमिदम् । यथा यथा वयं तानि संतुष्टानि कुर्मः तथा तथैव तानि उग्रतराणि
 असंतुष्टानि च भवन्ति । अतः इन्द्रियतृप्तौ सुखं न । अन्येषां मते धनमेव सुखमूलम्,
 परं ते न जानन्ति यत् सौख्यस्य न कोऽपि सम्बन्धः धनेन सह । वयं पश्यामः
 यत् धनेन आप्लाविताः जनाः दरिद्रेभ्यः अधिकतरं उद्विग्नाः सन्ति । अपरे च
 केचित् स्वास्थ्यमेव धनं तच्च सुखं मानन्ति, परं स्वस्थेन मस्तिष्केन विना केवलं
 स्वस्थशरीरं अस्मात् सुखयितुं न शक्नोति । अतएव संतोष एव सौख्यम् ।

अनुवाद—इस संसार में अनेक पुरुष अनेक गुणों से सम्पन्न दिखलाई देते
 हैं । प्रत्येक पुरुष के जीवन का उद्देश्य भी भिन्न ही है किन्तु शिक्षित ही वा
 अशिक्षित, प्रत्येक सुख पाने की अभिलाषा करता है, आनन्द की प्राप्ति के लिए
 यत्न करता है, परन्तु (वह) नहीं जानता है कि सुख का निवास/कहाँ है ?
 कितने ही लोगों के मत में तो इन्द्रियों की तृप्ति ही सुख है, पर क्या इन्द्रियों
 की तृप्ति होती है ? नहीं । यह असंभव है । जैसे-जैसे हम इनको संतुष्ट करते
 हैं, वैसे-वैसे ये उग्रतर और असंतुष्ट होती हैं । इसलिए इन्द्रिय-तृप्ति में सुख नहीं
 है । अन्य लोगों की राय में धन ही सुख का मूल है, किन्तु वे नहीं जानते हैं कि
 सुख का धन से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । हम देखते हैं कि धन से आप्लावित
 जन दरिद्रों की अपेक्षा अधिक बेचैन रहते हैं । कितने ही अन्य जन स्वास्थ्य को
 ही धन और उसकी ही सुख मानते हैं, किन्तु स्वस्थ मस्तिष्क के विना केवल
 स्वस्थ शरीर हमको सुख नहीं पहुँचा सकता है । इसलिये संतोष ही सुख है ।

(४)

पृथा सूर्यवंशप्रदीपः सगरो नाम धरणीधरः शताम्बुधेयवज्रं आरभे ।
 'समाप्ते च यज्ञे सगरः इन्द्रपदवी लभेत' इत्याजंकया सुरेन्द्रः भयभीतो जातः ।
 ततः स सगरयज्ञस्य सफलसमाप्तिं विघ्नरोपणाय प्रयत्नो बभूव । इन्द्रः अशुभं
 अपहृत्य पातालं गतः तत्र च समाधि-मग्नस्य महर्षिकपिलस्य आश्रम-सन्निधौ तं
 तुरंगं प्रस्थापयामास । अयं तुरंगान्वेषणो संलग्नाः सगरसुताः अश्वकुरचिह्नानि
 अनुसरन्तः वसुन्धरां विदारयन्तश्च महर्षिकपिलस्य आश्रमसमीपे आजगमूः । तत्र
 ते अश्वं वीक्ष्य रोपास्त्रालोचनाः बभूवुः । 'अयं पातंडी दुरात्मा अश्वापहारी
 तप्य वन्यः' इति उच्चैस्वरैः गर्जयन्तः ते तं ऋषिं प्रहरणाय अघादन् ।

अनुवाद—प्राचीनकाल में सूर्यवंश के दीपक सगर नाम के राजा ने शताश्वमेधयज्ञ आरंभ किया। 'यज्ञ के समाप्त होने पर सगर इन्द्र-पदवी प्राप्त कर लेगा' इस आशंका में इन्द्र डर गया। इसके अनन्तर उसने सगर के यज्ञ की सकलता-पूर्ण समाप्ति में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। इन्द्र घोड़ा चुरा कर पाताल ले गया और वहाँ उसने उस घोड़े को समाधि में लीन महर्षिकपिल के आश्रम के समीप बाँध दिया। तदनन्तर घोड़े की खोज में लगे हुए सगर के पुत्र घोड़े के पद-चिह्नों का अनुसरण करते हुए और पृथ्वी को चीरते हुए महर्षिकपिल के आश्रम के समीप आ गये। वहाँ घोड़ा देख कर उनके नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गये। 'यह पाखंडी, दुरात्मा घोड़े का चुराने वाला है, इसलिए (यह) मारने योग्य है' इस प्रकार उच्च स्वर से गर्जना करते हुए वे उस ऋषि को मारने के लिए दौड़े।

(५)

समुद्रस्य महती महिमा । सगरस्य पवित्रे अश्वे कपिल द्वारा रसातले नीते सति तस्य अन्वेषणाय वसुधां खनद्भिः सगर-मुतैः एषः दिववितः । अनेन कारणेनैव एष समुद्रः सागरनाम्ना विश्रुतः विश्वे । सूर्यकिरणाः अस्मात् जलं अपकर्षन्ति तज्जलं च मेघस्वरूपे परिवर्तयन्ति, येन अस्माकं वसुन्धरा शस्यश्यामला भवति । समुद्रे बहुनि रत्नानि रिपुष्टिं प्राप्नुवन्ति । रत्नाकरात् सर्वानन्दप्रदः चन्द्रः संजातः । विष्णुवत् एषः रत्नाकरः अनेकाम् अवस्यां भजते । विष्णुर्यथा दिव्यनेत्रेण दशदिशो व्याप्य तिष्ठति, समुद्रोऽपि तथा स्वमहिम्ना दशसु दशामु विस्तार प्राप्य संतिष्ठते ।

अनुवाद—समुद्र की बड़ी भारी महिमा है। सगर के पवित्र घोड़े को कपिल द्वारा पाताल में ले जाये जाने पर उसकी खोज के लिए सगर-पुत्रों द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने के कारण यह वृद्धि को प्राप्त हुआ। इसी कारण से यह समुद्र सागर नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इससे सूर्य की किरणों जल खींचती हैं और उस जल को मेघ के रूप में बदल देती है जिससे हमारी पृथ्वी अनाज से हरी-भरी होती है। समुद्र में बहुत से रत्न पुष्टि को प्राप्त करते हैं। समुद्र से सब को आनन्द देने वाला चन्द्रमा उत्पन्न होता है। विष्णु के समान यह समुद्र अनेक अवस्थाओं (रूपों) को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विष्णु

दिव्यतेज से दशों दिशाओं में ध्यात रहता है, उसी प्रकार समुद्र भी अपनी महिमा द्वारा दशों दिशाओं में विस्तार प्राप्त कर स्थित है ।

(६)

की न जानाति संस्कृतस्य माहात्म्यम् । भारतवर्षे याः याः भाषा अस्मद्देशस्य विभिन्न-भागेषु उच्चार्यन्ते, ताः सर्वाः संस्कृतस्य महत् ऋणं धारयन्ति । या हिन्दी भाषा भारतस्य राष्ट्रभाषागौरवेन विभूषिता तस्या अपि सम्यक् ज्ञानं संस्कृतभाषाया अध्ययनं विना न भवति । जर्मन विद्वान् जेकोबी महोदयः संस्कृतशास्त्रं प्रति एतादृश आकृष्टचेता आसीत् यत् तेन कथितं 'यदि ईश्वरेच्छया मे पुनर्जन्म भवेत् तर्हि भवेत् तत् भारतवर्षं ब्राह्मण कुले च येन अहं संस्कृतं सुतरां पठानि' इति । अनेन उदाहरणेन दूरस्थानां विदुषां अपि संस्कृतं प्रति प्रेम जायते ।

अनुवाद—संस्कृत की महिमा कौन नहीं जानता है । भारतवर्ष में जो-जो भाषाएँ हमारे देश के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं, वे सब संस्कृत के महान् ऋण को धारण करती हैं । हिन्दी भाषा जो भारत की राष्ट्रभाषा के गौरव से विभूषित है, उसका भी संस्कृत भाषा के अध्ययन विना भले प्रकार ज्ञान नहीं होता है । जर्मन विद्वान् जेकोबी महोदय संस्कृतशास्त्र के प्रति इतने आकृष्टचित्त थे कि उनके द्वारा कहा गया—'यदि ईश्वर की इच्छा से मेरा पुनर्जन्म ही तं वह भारतवर्ष में और ब्राह्मण कुल में हो जिससे मैं संस्कृत अच्छी तरह पढ़ूँ' इस उदाहरण से दूरस्थ विद्वानों का भी संस्कृत के प्रति प्रेम जाना जाता है ।

(७)

अस्मिन् संसारे न कोऽपि एतादृशो मनुजो विद्यते यः एकाकी एव वस्तुं वाञ्छति । अन्येषां सहयोगं विना कोऽपि किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति जगतः सर्वाणि कार्याणि संगतिमेव आश्रयन्ति । यथा हि अस्माकं भोजनाय कश्चित् अन्नं वपति, कश्चित् लुण्ठति, कश्चित् विक्रीणीते, कश्चित् पाचयति पश्चात् वयं भक्षयामः । अनेन उदाहरणेन ज्ञातमिदं यत् सर्वाणि कार्याणि संगतेनैव सिद्ध्यन्ति । मनुष्यस्य चरित्रं शिक्षापेक्षया संसर्गादेव अधिकतरं उन्नतं भवति वा भवति । तथाहि केनापि उक्तं—'संसर्गजाः दोषमुखाः भवन्ति' । अतः नर्तकं पुरुषस्य चरित्रं हृत्वा एव संगतिः कार्या ।

अनुवाद—इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अकेला ही रहना चाहता हो। दूसरों के सहयोग के बिना कोई भी किसी कार्य को नहीं कर सकता है। संसार के समग्र कार्य संगति का ही आश्रय करते हैं। जिस प्रकार हमारे भोजन के लिए कोई अन्न बोता है, कोई काटता है, कोई बेचता है और कोई पकाता है, पीछे हम खाते हैं। इस उदाहरण द्वारा यह ज्ञात हो गया कि सब कार्य सहयोग से ही मिद्ध होते हैं। मनुष्य का चरित्र शिक्षा की अपेक्षा संसर्ग से ही अधिक उन्नत वा अवनत होता है। इसी प्रकार किसी के द्वारा कहा गया है—‘दोष और गुण संगति से ही उत्पन्न होते हैं’। इसलिए सदा पुंस्य का चरित्र देखकर ही संगति करनी चाहिए।

(८)

एकदा सर्वे देवाः स्वस्ववाहनम् आरुह्य भगवन्तं शंकरं उपागच्छन् ।
गणपतिरपि स्ववाहनं मूषकं आरुह्य आगच्छत् : सः मूपकः भवानीवाहनं सिंह
दृष्ट्वा भयान् तत्याज स्वस्थानम्, येन गणपतिः पृथिव्यां अपतत् । इदं दृष्ट्वा
देवाः किञ्चित् स्मितमकुर्वन्, परं चन्द्रमा उच्चस्वरेण जहास । तं हसन्तं दृष्ट्वा
गणपतिः क्रुद्धः आसीत् शशाप च तम् ‘भो चन्द्र त्वं सुन्दरोऽसि अतः त्वं-
गवितोऽसि । गच्छ, अद्य प्रभृति यः कोऽपि प्राणी त्वद्दर्शनं करिष्यति सः कलंकयुक्तो
भविष्यति’ । यदा सर्वे देवाः प्रार्थनां अकुर्वन् तदा गणपतिः क्रोधं त्यक्त्वा
अबद्ध—‘शापः अपरिवर्तनीयो ऽस्ति अयं दिवसः गणेश चतुर्थी इति नाम्ना प्रयितो
भविष्यति । अस्मिन् दिवसे यः कोऽपि प्राणी चन्द्रदर्शनं करिष्यति सः निष्कलं-
कोऽपि कलंकारो भविष्यति’ ।

अनुवाद—एक बार सब देवता अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर भगवान् शंकर के पास गये। गणेशजी भी अपने वाहन चूहे पर चढ़कर आये। भवानी के वाहन सिंह को देख कर भय के कारण उस चूहे ने अपना स्थान छोड़ दिया, जिससे गणेश जी पृथ्वी पर गिर गये। यह देख कर देवताओं को किञ्चित् हँसी आ गई, किन्तु चन्द्रमा उच्चस्वर (जोर) से हँसा। उसको हँसता हुआ देखकर गणेश जी क्रुद्ध हो गये और उसको उन्होंने शाप दे दिया—‘अरे चन्द्रमा ! तू सुन्दर है, इसलिए तुझे गर्व हो गया है। जा, आज से जो कोई भी प्राणी तारा दर्शन करेगा वह कलंकी होगा’। जब सब देवताओं ने प्रार्थना

की तब गरुड जी ने क्रोध त्याग कर कहा—'शाप बदला नहीं जा सकता है, यह दिन गरुड-चतुर्थी इस नाम से प्रसिद्ध होगा। इस दिन जो कोई भी प्राणी चन्द्र-दर्शन करेगा, वह निष्कलंक भी कलंक पूर्ण बन जायगा' ।

(६)

'धर्म' कुरु । इदं जीवन् धर्माय अस्ति । धर्मैण लोके सुखं परलोके च मोक्षं लभ्यते' इति सर्वेषु शास्त्रेषु लिखितं विद्विद्भिरच कथितम् । सत्यास्तेयदान-परोपकारादीनि धर्मस्य अंगानि । एतानि सर्वाणि लोक-कल्याणाय प्रवर्तन्ते । सर्वेषां उद्देश्यं लोक-कल्याणम् । सामान्यतः प्रथमं आत्म-कल्याणाय प्रवृत्तिः भवति तदनन्तरं लोक-कल्याणाय च । परं शनैः शनैः मानवस्य प्रवृत्तिः लोक-कल्याणे स्थिरा भवति । परं सः आत्मानं कदापि न विस्मरति आत्मकल्याणात् लोककल्याणं उद्भवति लोककल्याणान् च धर्मोऽभिजायते ।

अनुवाद—'धर्म कर । यह जीवन धर्म के लिए है । धर्म से लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है' यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ एवं विद्वान् द्वारा कहा गया है । सत्य, अचौर्य, दान, परोपकार आदि धर्म के अंग हैं ये सब लोक-कल्याण के लिए हैं । सब का उद्देश्य लोक कल्याण है । साधारण तया पहले आत्म-कल्याण के लिए प्रवृत्ति होती है, तदनन्तर लोक-कल्याण के लिए । किन्तु धीरे-धीरे मानव की प्रवृत्ति लोक-कल्याण में स्थिर हो जाती है, किन्तु वह अपने को कभी नहीं भूलता है । आत्म-कल्याण से लोक-कल्याण उत्पन्न होता है और लोक-कल्याण से धर्म ।

(१०)

महाकविः कालिदासः भगवत्याःभारत्याः कविवरेषु शीर्षस्थानीयोऽस्ति । अद्यावधि न अजनि तस्य कवेः प्रतिद्वन्द्वी निखिलविश्वे । नात्र कोऽपि संशयः यत् कालिदासः आदि कवि-वाल्मीकिम् अन्तरेण भारतवर्षस्य अद्वितीयः कविः । यद्यन्तु तत् निखिलविश्वस्य अन्यतमम् कविम् मन्यामहे । स्वदेशीयाः विदेशीयाश्च बहवः पंडिताः अपि एतत् मतमेव स्वेषां विगलमानसेषु धारयन्ति । वस्तुतस्तु तस्य महाकवेः कविता सर्वागसुन्दरी सुन्दरी इव सहृदयानां हृदय-प्रासादेषु विराजते । उपमा-क्षेत्रे कालिदासः अद्वितीयः—'उपमा कालिदासस्य' इति विश्व-विश्रुता उक्तिः ।

अनुवाद—महाकवि कालिदास भगवती भारती के कविवरों में शीर्षस्थान रजता है। आज तक भी इस कवि का प्रतिद्वन्द्वी सम्पूर्ण संसार में पैदा नहीं हुआ। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आदिकवि वाल्मीकि को छोड़कर कालिदास भारतवर्ष का अद्वितीय कवि है। हम तो उसे सम्पूर्ण विश्व का अन्यतम कवि मानते हैं। स्वदेश एवं विदेश के बहुत से पंडित भी अपने निर्मल चित्त में इसी मत को धारण करते हैं। वास्तव में इस महाकवि की कविता सर्वांगसुन्दरी सुन्दरी की तरह सहृदय जनों के हृदय-प्रासाद में विराजती है। उपमा के क्षेत्र में कालिदास अद्वितीय है—‘उपमा कालिदास की’ यह उक्ति विश्व-विख्यात है।

अभ्यासार्थ हिन्दी-अनुवाद के लिए संस्कृत भाषा के अवतरण

(१)

अस्मिन् संसारे माता मातृभूमिश्च द्वे एव एते सर्वोत्तमे स्तः । बालकस्योपरि मातुः यादृशं प्रेम भवति, न तादृशं कुत्रापि दृष्टुं शक्यते । माता बालकस्य कृते सर्वस्वं अपि त्यक्तुं शक्नोति । मातुः सर्वदा एव एषा इच्छा भवति यद् बालकः सदा मुखी समृद्धो गुरागराः विभूषितश्च भवेत् । सा स्वीयं कष्टजातं नैव चिन्तयति, तस्याः समक्षं सर्वदा बालकस्य सुखचिन्ता एव भवति । अतएव पुत्रस्य अपि मातुः उपरि असाधारणं प्रेम भवति । बालकस्य कृते माता एव सर्वस्वं भवति । अत एव मनुष्यैः मातृपूजा मातृभक्तिश्च सर्वदा करणीया ।

शब्दार्थः—यादृशं=जैसा । तादृशं=वैसा । समक्षं=सामने । करणीया=करनी चाहिए ।

(२)

बाल्यकाले विशेषतः बालकस्य उपरि संसर्गस्य प्रभावः भवति । बालको यादृशैः बालकैः सह संगतिं करिष्यति तादृश एव भविष्यति । अतः बाल्यकाले दुर्जनैः सह संगतिः कदापि न करणीया । दुर्जनानां संसर्गेण बहवो हानयो भवन्ति । दुर्जनस्य संसर्गेण मनुष्यः चरित्रहीनः भवति, तस्य विचाराः दूषिताः भवन्ति, बुद्धि क्षीयते, तस्य शरीरं क्षीणं निर्बलं च भवति । तस्य कीर्तिः

नश्यति, सर्वत्र अनादरः भवति । अतः स्वयंशो वृद्धये सुखस्य शान्तेश्च प्राप्तये सर्वैः अपि सत्संगतिः करणीया, दुर्जन संगतिश्च हेया ।

शब्दार्थ—विशेषतः=खासतौर से । संसर्गस्य=संगति का । क्षीयने=नष्ट होती है । हेया=छोड़ देनी चाहिए ।

(३)

सत्यभाषणेन मनुष्यः निर्भीकः भवति । सत्य भाषणेन तस्य तेजो यशः कीर्तिः विद्या गौरवं च वर्धते । यः सत्यं वदति, स सर्वेभ्यः पापेभ्योऽपि निवृत्तः भवति । यदा स कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते तदा स चिन्तयति यद् अहं सत्यमेव वदिष्यामि अतः सर्वेषां दृष्टिषु हीनः भविष्यामि, अतः न पापाद् विरमति । वस्तुतः सत्य भाषणं जीवने सर्वोत्तमं तपः वर्तते । यः कश्चित् सत्यं वदति तस्य जीवनं सफलं भवति । ये च सत्यं परित्यज्य असत्यं भजन्ते ते महापातकं कुर्वन्ति ।

शब्दार्थ—निर्भीकः=निडर । कस्मिंश्चित्=किसी । विरमति=रुलग होता है ।

(४)

यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति, परन्तु विद्या एव सर्वश्रेष्ठं धनं अस्ति । अत एव उच्यते—“विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्” । विद्यया मनुष्यः स्वीयं कर्तव्यं जानाति । विद्यया एव मनुष्यः जानाति यः कः धर्मः, कः अधर्मः, किं कर्तव्यं, किं अकर्तव्यं, किं पुण्यं, किं पापं, किं कृत्वा लाभः भविष्यति, केन कार्येण वा हानिः भविष्यति । विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठं अस्ति । विद्यया एव मनुष्यः सर्वत्र समानं प्राप्नोति ।

शब्दार्थ—उच्यते=कहा जाता है । स्वीयं=अपना, ।

(५)

स्त्रीणां कृते शिक्षाया महती आवश्यकता एतस्मात् कारणात् वर्तते यः ता एव समये प्राप्ते मातरो भवन्ति । यया मातरो भवन्ति तथैव सन्ततिः भवति । यदि माता अशिक्षिता, विद्याशून्या च भवति तस्याः पुत्राः पुत्र्यः च तथैव ज्ञान-रहिताः भवन्ति । यदि च नार्यः शिक्षिताः भवन्ति ताः स्वपुत्राणां पालने, रक्षणं सम्यक् तथा कुर्वन्ति । यदि पुरुषः विद्वान् स्त्री च विद्याशून्या भवति तदा तयोः दाम्पत्यं जीवनं सुखकरं न भवति ।

शब्दार्थ—कृते=लिए । सन्ततिः=सन्तान । नार्यः=स्त्रियां । सम्यक्तया=अच्छी तरह से ।

(६)

कर्तव्य पालनं जीवनस्य आधार-शिला भवति । संसारस्य प्रत्येकं वस्तु स्वकर्तव्य-पालनं करोति । सूर्यः निरन्तरं प्रकाशते, वायुः चरति घरा च प्राणिमानं धारयति । सर्वे स्व-स्वकर्तव्यस्य पालनं कुर्वन्ति । जीवनं सुखपूर्णाकर्तुं प्रत्येक मनुष्यस्य कर्तव्यानि निश्चितानि सन्ति । कर्तव्य पालनं अपि मनुष्यस्य कर्तव्यं अस्ति । कर्तव्य-पालनेन एव सदा उन्नतिः भवति । अतः कर्तव्य-पालने कदापि आलस्यं न करणीयम् ।

शब्दार्थ—निरन्तरं=लगातार । घरा=पृथ्वी । धारयति=धारण करती है ।

(७)

रामायणं संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमं महाकाव्यं अस्ति । अस्य रचयिता षिः वाल्मीकिः अस्ति । अस्मिन् ग्रन्थे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य जीवन-चरित्रम् वर्णितम् अस्ति । इदम् आदिकाव्यं अपि कथ्यते । अस्मिन् ग्रन्थे भारतीय संस्कृतेः सुन्दरतमं रूपं वर्णितम् । अस्य भाषा परिष्कृता प्रसाद-गुणयुक्ता च अस्ति । काव्येषु अयं ग्रन्थः सर्वश्रेष्ठः कथ्यते । अस्मिन् कष्टेण रसस्य प्राधान्यं अस्ति । रामायणेन वाल्मीकिः कीर्तिः अद्य अपि अजरा अमरा च अस्ति ।

शब्दार्थ—रचयिता=वनाने वाले । अपि=भी । सुन्दरतमं=सब से सुन्दर । परिष्कृता=शुद्ध । प्रसाद गुण युक्ता=सरल ।

(८)

सर्वे जनाः सुखं इच्छन्ति । सुखं च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते । अतः धनोपार्जनस्य महती आवश्यकता भवति । अद्यत्वे कुत्रापि गच्छामः तत्र धनस्य महत्त्वं पश्यामः । धनेन विना विद्योपार्जनं कर्तुं न शक्यते, जीविका निर्वाहश्च न भवति । यस्य समीपे धनं नास्ति तस्य कश्चित् अमिलापः न पूर्तिं एति । यस्य समीपे च धनं भवति स एव सुखेन शेते, स एव संसारे विद्वान् दानी वक्ता च ल्यते । यस्य समीपे धनं भवति तस्य एव मित्राणि अपि भवन्ति नतु निर्धनस्य ।

शब्दार्थ—अद्यत्वे=आजकल । कश्चित्=कोई । शेते=सीता है । एति=प्राप्त होती है ।

(९)

संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वामु भाषामु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य युक्ता च

तदनन्तरम् ते परमेश्वरं स्मरन्ति । स्वास्थ्यरक्षायै ते व्यायामं प्राणायामं च कुर्वन्ति । प्रातरेव ते पूर्वाधीतान् पाठान् अनुशीलयन्ति । ततस्ते भोजनं कृत्वा पाठशालां गच्छन्ति । शालायां ते ध्यानपूर्वकं पाठान् पठन्ति, शिक्षकस्य च शिक्षां शृण्वन्ति । अन्तर्वेलायां ते विरमन्ति क्रीडन्ति वा । ततः सर्वं दैनिकं कर्म समाप्य ते स्वगृहाणि प्रत्यागच्छन्ति, एवं प्रतिदिनं शालायां पठन्तो ध्यायामं च कुर्वन्तो विद्यार्थिनः सुखं जीवन्ति, बलं, बुद्धिं तेजो यशश्च याप्नुवन्ति ।

शब्दार्थ—ब्राह्म मुहूर्ते=शीघ्र प्रातः काल । समुत्थाय=उठकर । पूर्वाधीतान्=पहले पढ़े हुए । अन्तर्वेलायाम्=बैलघंटी में । विरमन्ति=विश्राम करते हैं । प्रत्यागच्छन्ति=लौट आने हैं ।

year Examination of the three year Degree course, 1961
HINDI

Time:—3 Hours

M. M.—100

१. 'आचार शास्त्र' से आप क्या समझते हैं ? समाज में इसकी आवश्यकता सिद्ध करते हुए इसके कुछ नियम बताइये । १२

अथवा

“मधुरता और सहानुभूति से प्रेम की उत्पत्ति होती है तथा अविचारपूर्ण उपहास से घृणा की ।” उक्त कथन की अपने पढ़े हुए उदाहरणों द्वारा संक्षेप में पुष्टि कीजिये ।

अथवा

“अतिथि-सत्कार में दिव्य गुण है, अपूर्व शक्ति है, इसकी महती महिमा अमूल्य है ।” उक्त कथन की उपयुक्त उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिये ।

२. (क) श्रेष्ठ एकांकी के टुण बताते हुए निम्नलिखित एकांकियों में से किसी एक पर अपने विचार प्रकट कीजिये :— १०

जज का फैसला; अधिकार का रक्षक; सत्य का मंदिर ।

अथवा

‘एक दिन’ नामक एकांकी के लेखक का नाम लिखिये और बताइये कि लेखक ने इसके द्वारा आपका ध्यान किन बातों की ओर अर्कषित किया है ।

(ख) अपनी पाठ्य-पुस्तक में संगृहीत किन्हीं आठ एकांकियों के तथा उनके लेखकों के नाम लिखिये । ४

अथवा

अपनी पाठ्य-पुस्तक के एकांकियों के आधार पर निम्नलिखित पात्रों में से किन्हीं चार का सक्षिप्त परिचय दीजिये । उत्तर एक षष्ठ से अधिक न हो ।

शीला, वीरसिंह, राजनाथ, मरिचभद्र, आवाजी सोनदेव, धवलकीर्ति ।

३. (क) “अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार करता है ।” उक्त कथन को अपनी पढ़ी हुई कहानियों के आधार पर पुष्टि कीजिये । १२

अथवा

माखनलाल चतुर्वेदी, सुदर्शन तथा भगवतीचरण वर्मा में से किसी एक कहानी पर अपने विचार प्रकट कीजिये ।

(ख) 'समाज और धर्म' नामक निबन्ध में लेखक ने क्या विचार प्रकट किये हैं ? संक्षेप में लिखिये । १२

अथवा

'रामलीला' अथवा 'अमरनाथ के पथ पर' नामक लेख से आपको क्या अनुभव प्राप्त होता है ? लगभग दो पृष्ठों में लिखिये ।

४. (क) निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के चार चार पर्यायवाची शब्द लिखिये :— ४

(i) यमुना, (ii) विष्णु, (iii) समुद्र, (iv) पृथ्वी, (v) हाथी, (vi) सोना ।

(ख) निम्नलिखित शब्द-युग्मों में से किन्हीं चार का अन्तर स्पष्ट कीजिये :— ४

(i) अविराम और अभिराम । (ii) अनल और अनिल (iii) जलद और जलज । (iv) प्रसाद और प्रासाद । (v) वित्त और वृत्त (vi) शर और सर ।

(ग) निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन को शुद्ध रूप में लिखिये :—३

(i) सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही विरला होता है ।

(ii) नवल वादू कल यहाँ से मोटरों में खाना होकर गये हैं ।

(iii) जब श्री सुशीलादेवी ने सभापत्नी का आसन ग्रहण किया तो सब ने जोर से तालियाँ बजाई ।

(iv) सिंह की पुकार सुनते ही मेरा घोड़ा जोर जोर में चिल्लाने लगा ।

(v) वे हर समय मूर्खों की तरह ही आपस में लड़ते रहे ।

(vi) आज इस भवन पर नेताजी ने झण्डा उड़ाया है ।

(घ) निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं चार का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिये :— ४

(i) हाथ फैलाना । (ii) हाथ मलना । (iii) कान खड़े होना । (iv) गा नहाना । (v) कलम तोड़ना । (vi) आंधी के आगम । (vii) आस्तीन का सांप ।

५. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग चार पृष्ठों में निबन्ध लिखिये :—

२५

(i) देशभक्ति, (ii) विद्यार्थी जीवन, (iii) विज्ञान के चमत्कार, (iv) अनिवार्य सैनिक शिक्षा, (v) कुटीर उद्योग, (vi) श्रमदान ।

६. निम्नलिखित अवतरण का शुद्ध हिन्दी में अनुवाद कीजिये :— १०

When Rama, accompanied by Lakshmana and Sita, set out on his journey to the forest, the people of Ayodhya followed them as far as the banks of the river Tamasa. When it grew dark, all the people slept on beds of leaves. At daybreak, Rama rose from his bed of leaves and seeing the people still asleep, said to his brother—'Behold these people, devoted to us and unmindful of their own interests, sleeping beneath these trees. They have vowed to take us back and will never leave us. Let us, therefore, gently mount the chariot and take our departure.' Then Sumantra, at the command of Rama, yoked the horses to the chariot and they all departed.

अथवा

बाल्यकाले विशेषतो बालकरयोर्पि संसर्गस्य प्रभावो भवति । बालको तादृशैः बालकैः सह संगतिं करिष्यति तादृश एव भविष्यति । अतो बाल्यकाले दुर्जनैः सह संगतिः कदापि न करणीया । दुर्जनानां संसर्गेण बहवो हानयो भवन्ति । यथा—दुर्जन-संसर्गेण मनुष्यऽसद्वृत्तो भवति, दुर्विचारयुक्तो भवति, तस्य बुद्धिदूषिता भवति, अतः बुद्धिः क्षीयते, दुर्व्यसनग्रस्तो भवति, अतस्तस्य शरीरं क्षीणं निर्बलं च भवति, तस्य कीर्तिः नश्यति, सर्वत्रानादरो भवति, सर्वत्राप्रतिष्ठाभाजनं च भवति ।

First year Examination of the three year Degree course,
GENERAL HINDI

Time -3 Hours

M. M. —100

१. आत्म-संयम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किन किन संयमों की साधना करनी पड़ती है, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।

अथवा

'सम-वयस्क' से आप क्या समझते हैं? ऐसे व्यक्तियों के प्रति आप का कैसा आचरण होना चाहिए, संक्षेप में बतलाइये।

अथवा

'जो तो कूँ काँटा बुवै, ताहि वोइ तू फूल' इस कथन का अभिप्राय समझाते हुए बतलाइये कि इसे आचरण में कैसे सार्थक किया जा सकता है।

२. (क) 'मान-मन्दिर' के लेखक का क्या नाम है? इस एकांकी पढ़ने से आप में जिन भावनाओं का उद्भूत होता है उन पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।

अथवा

"धवलकीर्ति ! तुमने अपने नाम को धवल ही रहने दिया।" सिद्ध कीजिये कैसे ?

(ख) कहानी और एकांकी नाटक में क्या भेद है, संक्षेप में लिखिये।

अथवा

'शिवाजी का सच्चा स्वरूप' एकांकी में लेखक ने आप का ध्यान शिवाजी चरित्र की किस विशेषता की ओर आकर्षित किया है, स्पष्ट कीजिये।

३. (क) 'प्राचीन भारत की एक भूलक' लेख से प्राचीन भारत के बारे में आप की क्या धारणा बनती है, उस पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।

अथवा

'अमरनाथ के पथ पर' लेख में आप को कौन कौन से दृश्य प्रभावित कर रहे हैं, संक्षेप में उन दृश्यों का रेखा-चित्र प्रस्तुत कीजिये।

(ख) 'कच्चा रारता' कहानी से आप के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में लिखिये।

अथवा

'हार की जीत' कहानी में किस की हार और किस की जीत हुई और कैसे ? सहित उत्तर दीजिये ।

४. (क) निम्नलिखित शब्द-युग्मों में से किन्हीं तीन का अन्तर स्पष्ट कीजिये :—

(i) शंकर और संकर (ii) सर्वदा और सर्वथा । (iii) लक्ष और क्षय (iv) भुवन और भवन । (v) अनल और अनिल । (vi) बलि और बली । (vii) पानी और पाणि । (viii) प्रणाम और प्रमाण ।

(ख) नीचे लिखे मुहावरों में से किन्हीं चार का अर्थ बतलाते हुए वाक्यों प्रयोग कीजिये :—

(i) ढाक के तीन पात, (ii) भाड़ भोंकना, (iii) भंडा फोड़ना, (iv) या डुबोना, (v) हाथ साफ करना, (vi) घी के दीपक जलाना ।

(ग) नीचे लिखे शब्दों में से किन्हीं चार के विलाम शब्द लिखिये :—

(घ) नीचे लिखे शब्दों में से किन्हीं चार के तीन तीन पर्यायवाची शब्द

किरण, तम, दूध, देवता, लक्ष्मी, शरीर, संसार ।

(ङ) नीचे लिखे वाक्या में से किन्हीं तीन को शुद्ध रूप में लिखिये :—

(i) राम अथवा श्याम कोई आयेंगे ही । (ii) शिष्य ने गुरु का दर्शन (iii) उनकी सौजन्यता पर कौन मुग्ध नहीं होगा । (iv) अनेकों वहाँ एकत्रित हुए थे । (v) राम की उपेक्षा श्याम श्रेष्ठ है ।

नीचे लिखे विषयों में से किसी एक विषय पर चार पृष्ठों का निबन्ध

—

विद्यार्थी और अनुशासन । (ख) शासन में विकेंद्रीकरण । (ग) के साधन । (घ) महिला शिक्षा ।

वे लिखे अवतरण का शुद्ध हिन्दी में अनुवाद कीजिये :—

Minister, Sbri Nehru, said that he would not like become merely book-worms. They should develop an ersonality and do well in every field, in their studies,

debating societies and other activities They had to develop both their mind and body and try to become first rate men. He further said that it was the first and foremost duty of the youth to create an atmosphere in their universities and outside where they themselves kept to the right path and also prevented others from doing wrong.

अथवा

स्वतन्त्रे भारते अस्मिन् हिन्दी भाषायाः महत्त्वं तु स्पष्टमेवास्ति । वर्तमानकाले आङ्ग्लभाषायाः स्थाने एषा हिन्दी भाषैव स्थापिता भविष्यति । राजकीयकार्यालयानां भाषापि एषा भाषा एव भविष्यति । परं संस्कृत-भाषायां ज्ञानमन्तरेण वर्यं हिन्दी भाषायां सम्यक्ज्ञानमपि कर्तुं न शक्नुमः । अतः अस्ति महती आवश्यकता संस्कृतभाषायाः स्वतन्त्रे युगेऽस्मिन् । न आङ्ग्लभाषायां तादृशी आवश्यकता । गौरुरूपेणैषा भाषाऽपि प्रचलिता स्यात् परं संस्कृतभाषा न अस्माभिरुपेक्षणीया ।
